

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

वाणिज्यिक
उत्तर प्रदेश सरकार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का

प्रतिवेदन

31 मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

वाणिज्यिक

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय-सूची

	विवरण	सन्दर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन		vii
	विहंगावलोकन		ix-xv
	अध्याय-I		
	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन	1	1
	प्रस्तावना	1.1	1-2
	कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)	1.2-1.14	2-8
	ऊर्जा क्षेत्र में सुधार	1.15-1.17	8-9
	अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)	1.18-1.23	9-11
	सांविधिक निगमों की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति	1.24	12-13
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना	1.25	13-14
	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के परिणाम	1.26-1.33	14-16
	लेखा परीक्षा के आधार पर वसूलियाँ	1.34	16
	आंतरिक लेखा परीक्षा/आंतरिक नियंत्रण	1.35	16-17
	पीएसयू की बन्दी के लिए संस्तुति	1.36	17
	सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति	1.37	17-18
	619-बी कम्पनियाँ	1.38	18
	अध्याय-II		
	सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षायें	2	19
	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के क्रियाकलाप	2.1	19
	मुख्य अंश		19-20
	प्रस्तावना	2.1.1	20
	उद्देश्य	2.1.2	20
	संगठनात्मक ढाँचा	2.1.3	20-21
	लेखा परीक्षा के क्षेत्र	2.1.4	21
	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	2.1.5	21
	वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम	2.1.6-2.1.7	21-22
	बजटीय नियंत्रण	2.1.8	22-24
	कोष का उपयोग	2.1.9 – 2.1.10	24
	वैयक्तिक खाते (पीएलए)	2.1.11 – 2.1.12	24-25
	संविदा प्रबन्धन	2.1.13 – 2.1.14	26-28
	निविदा कार्य	2.1.15 – 2.1.25	28-36
	निक्षेप कार्य	2.1.26 – 2.1.31	36-38
	सामग्री प्रबन्धन	2.1.32 – 2.1.38	38-40
	सामग्रियों का अन्तर इकाई हस्तांतरण	2.1.39	41
	रहतिया प्रबन्धन	2.1.40	41-42
	देयों का परिशोधन	2.1.41	42
	गुणवत्ता नियंत्रण	2.1.42	43
	मानव शक्ति प्रबन्धन	2.1.43-2.1.44	43-44
	आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखा परीक्षा	2.1.45 – 2.1.46	44-45
	निष्कर्ष	--	45
	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड के क्रियाकलाप	2.2	46

	मुख्य अंश	--	46
	प्रस्तावना	2.2.1 – 2.2.2	47
	उद्देश्य	2.2.3	47-48
	संगठनात्मक ढाँचा	2.2.4	48
	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	2.2.5	48-49
	गन्ना आपूर्ति नीति तथा चीनी नीति	2.2.6	49
	वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम	2.2.7	49-50
	ऋण	2.2.8	50-51
	सहायक कम्पनियों की दयनीय उपलब्धि	2.2.9	51-52
	असंगत गन्ना प्रबन्धन	2.2.10 – 2.2.14	52-55
	उत्पादन उपलब्धियाँ	2.2.15-2.2.19	55-58
	संयंत्र की उपलब्धि	2.2.20	58-59
	बिक्री उपलब्धि	2.2.21 – 2.2.26	59-64
	भण्डार सामग्री का उच्चतर स्तर	2.2.27-2.2.28	64-65
	मानव शक्ति	2.2.29 – 2.2.30	65-66
	आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखा परीक्षा	2.2.31 – 2.2.32	67-68
	निष्कर्ष	--	68
	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में कोष प्रबन्धन	2.3	69
	मुख्य अंश	--	69
	प्रस्तावना	2.3.1	69-70
	संगठनात्मक ढाँचा	2.3.2	70
	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	2.3.3	70
	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	2.3.4	70
	कोष के स्रोत एवं उपयोजन	2.3.5 – 2.3.9	71-76
	ऊर्जा क्रय बिलों के भुगतान में विलम्ब	2.3.10	76
	उपदान और अनुदान	2.3.11 – 2.3.12	76-77
	बैंकिंग	2.3.13 – 2.3.16	77-80
	विविध प्राप्य-धनराशियाँ	2.3.17 – 2.3.18	80-81
	समता और पूँजी अनुदान का अपवर्तन	2.3.19	81
	आंतरिक लेखा परीक्षा	2.3.20	81-82
	निष्कर्ष	--	82
	उत्तर प्रदेश में ऊर्जा प्रणाली सुधार पर समीक्षा	2.4	83
	मुख्य अंश	--	83
	प्रस्तावना	2.4.1-2.4.4	83-85
	संगठनात्मक ढाँचा	2.4.5	85
	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	2.4.6	85
	सुधार प्रक्रिया	2.4.7	86
	सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन	2.4.8 –2.4.10	86-87
	स्वतंत्र नियामक इकाई का सृजन	2.4.11	87-88
	निजीकरण	2.4.12	88
	पुनर्गठन के पश्चात् वित्तीय उपलब्धि	2.4.13	88
	पुनर्गठन के पश्चात् कार्यचालन उपलब्धि	2.4.14-2.4.31	88-97
	ऊर्जा प्रणाली सुधारों का प्रभाव	2.4.32 – 2.4.36	97-100
	निष्कर्ष	--	100

	अध्याय-III		
	व्यवहारिक लेखा परीक्षा प्रेक्षण	3	101
	सरकारी कम्पनियाँ		101
	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड		101
	अवधि ऋण योजना का दोषपूर्ण कार्यान्वयन	3.1	101-103
	द प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड		103
	अविवेकी कोष प्रबंधन से हानि	3.2	103-104
	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड		104
	श्रम पर अतिरिक्त व्यय	3.3	104-105
	गलत विकल्प के चुनाव के कारण व्यापार कर का अतिरिक्त भुगतान	3.4	105-106
	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम लिमिटेड		106
	कार्य न करने के कारण हानि	3.5	106-107
	कोष का अनियमित निवेश	3.6	107-108
	कार्य में देरी/पूरा न करने के कारण हानि	3.7	108-109
	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड		109
	व्यापार कर का परिहार्य व्यय	3.8	109-110
	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		110
	शीर्ष समय उल्लंघन के दण्ड के अनियमित संशोधन के कारण हानि	3.9	110-111
	अस्वीकार्य भार घटक छूट को उपभोक्ताओं को दिया जाना	3.10	111-112
	उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ	3.11	112-113
	शुल्क का गलत लागू करना	3.12	113
	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		114
	शीर्ष समय उल्लंघनों के लिये दण्ड में अनियमित कमी	3.13	114
	अबाधित आपूर्ति के लिये दरों को लागू न किया जाना	3.14	114-115
	शीर्ष समय उल्लंघन के लिये दण्ड का बिल निर्गत न करना	3.15	115-116
	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		116
	शीर्ष समय उल्लंघन के लिये दण्ड एवं दरों के अन्तर पर बिल का न भेजा जाना	3.16	116-117
	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		117
	विद्युत चोरी का कम आंकलन	3.17	117-118
	कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड		118
	शीर्ष समय उल्लंघन के लिये दण्ड के अनुचित रूप से माफ करने के कारण हानि	3.18	118-120
	सांविधिक निगम		120
	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद		120
	आवंटियों को अनुचित लाभ	3.19	120-121
	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम		121
	कोषों का अनियमित विनियोग	3.20	121-122
	ऋण के वितरण में ऋणी को अनुचित लाभ	3.21	122-123
	इकाई के अधिग्रहण में हुई देरी के कारण हानि	3.22	123-124
	उत्तर प्रदेश वन निगम		124
	बादलों से भरे/बरसाती मौसम में तेंदू पत्तों के एकत्रीकरण के कारण हानि	3.23	124-125
	सामान्य		125
	राज्य सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयूज) द्वारा लेखों को अन्तिम रूप देने में हुई देरी	3.24	125-129
	राज्य सार्वजनिक उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का क्रियान्वयन	3.25	129-131
	ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों की आंतरिक लेखा परीक्षा/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमियाँ	3.26	131-135
	लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुपालन कार्यवाही	3.27	135-136
	निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट प्रस्तरों व समीक्षाओं का उत्तर	3.28	136-137

परिशिष्ट		सन्दर्भ	
क्रम	विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
1	सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2004 को अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बजट बहिर्गमन, बजट से प्राप्त ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाती विवरणी	1.4, 1.5, 1.6 व 1.20	141-148
2	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अन्तिम रूप दे दिया गया, के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाती विवरणी	1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.22 व 1.23	149-158
3	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफी, ऋण जिन पर बिलम्बन अनुमन्य किया गया और ऋण का अंशपूँजी में परिवर्तन एवं मार्च 2004 की समाप्ति पर प्राप्य उपदान तथा बकाया प्रत्याभूतियों को दर्शाती हुई विवरणी	1.6 व 1.20	159-161
4	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी	1.8	162-165
5	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी	1.8	166-168
6	सांविधिक निगमों के परिचालनात्मक उपलब्धियों को दर्शाती विवरणी	1.13	169-171
7	आन्तरिक लेखा परीक्षण/आन्तरिक नियन्त्रण पर टिप्पणियो को दर्शाती विवरणी	1.35	172-173
8	कम्पनियों, जिनके व्यवसाय विगत पाँच वर्षो के दौरान 5 करोड़ रूपये से कम थे तथा जिनके लेखे प्रमाणित किये गये, के व्यवसाय को दर्शाती विवरणी	1.36	174
8A	कम्पनियाँ, जो लगातार पाँच वर्षो से घाटा दे रही हैं, जिससे निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया, को दर्शाती विवरणी	1.36	175
9	अद्यतन पूर्ण लेखों के अनुसार 619-बी के अन्तर्गत कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी	1.38	176
10	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 31 मार्च 1991 को समाप्त हुए वर्ष की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित कम्पनी की समीक्षा पर सार्वजनिक उपक्रम समिति की संस्तुतियों को दर्शाती विवरणी	2.1.4	177-178
11	2002-03 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षो की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी	2.1.6 व 2.1.14	179
12	2002-03 तक पॉच वर्षो के कार्यशील परिणामों को दर्शाती विवरणी	2.1.7	180
13	2002-03 तक पॉच वर्षा में वास्तविक एवं प्रावधानित व्यय को दर्शाती विवरणी	2.1.8	181
14	ग्राहकों द्वारा अग्रिम में दी गई धनराशि से अधिक प्रगतिगत कार्यो को दर्शाती विवरणी	2.1.25	182
15	शटरिंग सामग्री की उपलब्धता एवं उपयोग को दर्शाती विवरण (लकड़ी की शटरिंग सामग्री को सम्मिलित करते हुए)	2.1.35 व 2.1.36	183
16	स्टील शटरिंग सामग्री की खरीद एवं आधिक्य स्टील शटरिंग के विवरण को दर्शाती विवरणी	2.1.37	184
17	स्टील शटरिंग सामग्री की कमी को दर्शाती विवरणी	2.1.38	185
18	पाँच वर्षो से अधिक अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों का विवरण (31 मार्च 2004 को)	2.1.44	186
19	विगत पाँच वर्षो की कम्पनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी	2.2.7	187
20	कम्पनी के विगत पाँच वर्षो के कार्यशील परिणाम को दर्शाने वाली विवरणी	2.2.7	188
21	भारत सरकार द्वारा नियुक्त दक्ष तकनीकी समिति द्वारा सुझाये गये मानकों से अधिक शर्करा ह्रास को दर्शाती विवरणी	2.2.17	189-190
22	खोई की अधिक खपत को दर्शाती विवरणी	2.2.18	191-192
23	क्षमता उपयोग को दर्शाती विवरणी	2.2.20	193-194
24	प्रति श्रमिक उत्पादकता को दर्शाती विवरणी	2.2.30	195
25	योजना के लागत लाभ को दर्शाती विवरणी	2.4.25	196
26	ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों में प्रणाली सुधार कार्यो की प्रगति को दर्शाती विवरणी	2.4.25	197
27	17 कार्यरत कम्पनियों के सम्बन्ध में 30 सितम्बर 2004 का लेखों के बकायों की स्थिति को दर्शाती विवरणी	3.24.5	198
28	वार्षिक साधारण सभा को आहूत करने में हुए विलम्ब को दर्शाती विवरणी	3.24.6	199-200
29	खातों के अन्तिमीकरण में असाधारण विलम्ब/विशिष्ट कारणों को दर्शाती विवरणी	3.24.9	201

30	उन प्रस्तरों/समीक्षाओं जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे, को दर्शाती विवरणी	3.27	202
31	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं को दर्शाने वाली विवरणी	3.27.2	203-205
32	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी निगमों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं को दर्शाने वाली विवरणी	3.27.2	206-207
33	विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी	3.28	208
34	विभागवार प्रस्तरो/समीक्षाओं, जिनके उत्तर प्रतीक्षित थे, को दर्शाती विवरणी	3.28	209

प्राक्कथन

सरकारी वाणिज्यिक संस्थान जिनके लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(i) सरकारी कम्पनियाँ,

(ii) सांविधिक निगम, एवं

(iii) विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

2. इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा के परिणामों की चर्चा की गई है। इसे समय-समय पर यथा संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है। आठ विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा परिणामों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित किया गया है।

3. सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है।

4. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और उत्तर प्रदेश जल निगम, जो सांविधिक निगम हैं, के सम्बन्ध में सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक हैं। राज्य वित्तीय निगम (संशोधित) अधिनियम, 2000 के अनुसार, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में सीएजी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षकों की सूची में से नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा सम्पन्न की गई लेखा परीक्षा के साथ-साथ उनके लेखों की लेखा परीक्षा सम्पन्न करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के सम्बन्ध में सीएजी को, उसके परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा सम्पन्न की गई लेखा परीक्षा के साथ-साथ उनके लेखों की लेखा परीक्षा सम्पन्न करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम की लेखा परीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के सम्बन्ध में भी सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक है। इन समस्त निगमों/आयोग के वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को अलग से अग्रसारित किये जाते हैं।

5. इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लिखित हैं जो वर्ष 2003-2004 के दौरान की गई लेखा परीक्षा में संज्ञान में आये तथा वे भी जो पहले ही जानकारी में आ गये थे परन्तु जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में नहीं की गई थी। 2003-2004 के बाद की अवधि के मामलों को भी यथा आवश्यकता सम्मिलित किया गया है।

विहंगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों पर विहंगावलोकन

- 31 मार्च 2004 को राज्य में 89 सरकारी कम्पनियों तथा सात सांविधिक निगमों सहित 96 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) थे जबकि 31 मार्च 2003 को 86 सरकारी कम्पनियां व सात सांविधिक निगम थे। वर्ष के दौरान एक सरकारी कम्पनी (86 में से) निजी कम्पनी बन गयी तथा चार नयी कम्पनियाँ निगमित की गयी। 89 सरकारी कम्पनियों में से 48 सरकारी कम्पनियाँ कार्यरत थीं जबकि 41 सरकारी कम्पनियाँ अकार्यरत थीं। सभी सात सांविधिक निगम कार्यरत निगम थे। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2004 को कम्पनी अधिनियम की धारा 619-बी के अन्तर्गत चार कम्पनियाँ (एक कार्यरत एवं तीन अकार्यरत) थी।

(प्रस्तर 1.1 एवं 1.38)

- कार्यरत पीएसयू में कुल निवेश 31 मार्च 2003 के 17,135.24 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2004 को 21,778.65 करोड़ रुपये हो गया। अकार्यरत पीएसयू में कुल निवेश उसी अवधि के दौरान 861.45 करोड़ रुपये से बढ़कर 868.52 करोड़ रुपये हो गया।

(प्रस्तर 1.2 एवं 1.18)

- कार्यरत पीएसयू को वितरित की गई पूँजी, ऋण तथा अनुदानों/उपदानों के रूप में बजट सहायता, 2002-03 के 1,990.21 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 में 3,455.73 करोड़ रुपये हो गयी। राज्य सरकार ने 2003-04 के दौरान कार्यरत पीएसयू को कुल 1,676.95 करोड़ रुपये के ऋणों की प्रत्याभूति दी। कार्यरत पीएसयू को राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत बकाया ऋणों की कुल राशि 31 मार्च 2004 को 2,292.08 करोड़ रुपये थी।

(प्रस्तर 1.6)

- मात्र दो कार्यरत सरकारी कम्पनी ने वर्ष 2003-04 के अपने लेखे को अन्तिम रूप दिया। 41 कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा सात कार्यरत सांविधिक निगमों के लेखे 30 सितम्बर 2004 को, एक वर्ष से 15 वर्षों तक विस्तारित अवधियों से बकाये में थे। 41 अकार्यरत कम्पनियों में से 11 कम्पनियाँ परिसमापनाधीन थी। शेष सभी 30 अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के लेखे, 30 सितम्बर 2004 को, एक वर्ष से 29 वर्षों तक विस्तारित अवधियों से बकाये में थे।

(प्रस्तर 1.7 एवं 1.22)

- अद्यतन लेखों के अनुसार, 21 कार्यरत पीएसयू (16 सरकारी कम्पनियाँ तथा पाँच सांविधिक निगम) ने कुल 179.21 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। इसके विरुद्ध, 28 कार्यरत पीएसयू (26 सरकारी कम्पनियाँ तथा दो सांविधिक निगम) ने अद्यतन लेखों के अनुसार कुल 1,380.95 करोड़ रुपये की हानि

उठाई। 26 हानि उठाने वाली सरकारी कम्पनियों में से 20 कम्पनियों की कुल संचित हानियाँ 6,218.51 करोड़ रुपये की थीं जो उनकी 4,864.07 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गई थीं। इसी प्रकार, हानि उठाने वाले दो सांविधिक निगमों की संचित हानियाँ कुल 1,616.55 करोड़ रुपये की थीं जो उनकी 500.65 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गई थीं।

(प्रस्तर 1.8, 1.10 एवं 1.12)

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षायें

2.1 उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के क्रियाकलाप

उचित दर पर कार्यों के त्वरित निष्पादन एवं व्यक्तिगत ठेकेदारों को स्थानापन्न करने के उद्देश्य से उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम की स्थापना एक सरकारी कम्पनी के रूप में मई 1975 में की गई थी। कम्पनी ने निविदा कार्यों, जो निविदा में भाग लेकर प्राप्त किये गये, तथा जमा कार्यों, जो राज्य सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रम ने सौंपे, का निष्पादन किया। कम्पनी ने प्रत्येक वर्ष परिचालन हानि वहन की। यह लक्ष्यों के निर्धारण में विकासोन्मुखी प्रवृत्ति के कमी के कारण थी तथा उस लक्ष्य को भी निविदा में खराब सफलता दर के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका। समीक्षा में संज्ञान में आये महत्वपूर्ण बिन्दुओं में से कुछ निम्नवत् थे:

- पाँच वर्ष से अधिक समय पहले पूर्ण कार्यों से सम्बन्धित 7.04 करोड़ रुपये की राशि बचत/चालू खातों में, पी.आर.डब्ल्यू. को अग्रिम तथा ग्राहकों के पास सिक्योरिटी जमा के रूप में निष्क्रिय धनराशि पड़ी रही।

(प्रस्तर 2.1.10)

- भाग ली गयी निविदाओं में अर्जित कार्यों की सफलता की दर अत्यन्त दयनीय, 3.85 से 10.53 प्रतिशत के मध्य विचरित थी।

(प्रस्तर 2.1.16)

- निविदाओं के गलत आंकलन, व्यक्तिगत ठेकेदारों को कार्य सौंपने तथा ग्राहक द्वारा त्रुटिपूर्ण कार्य एवं कार्य निष्पादन में विलम्ब हेतु की गयी कटौतियों के कारण आठ कार्यों के निष्पादन में 10.02 करोड़ रुपये की हानि अवलोकित हुई।

(प्रस्तर 2.1.17 से 2.1.24)

- कम्पनी ने, इकाइयों में अधिक मात्रा में उपलब्धता के बावजूद, 9.49 करोड़ रुपये की शटरिंग सामग्रियाँ क्रय की।

(प्रस्तर 2.1.37)

- 907 से 1007 कर्मचारी अधिक थे जिसका वित्तीय भार 2002-03 तक पाँच वर्षो में 19.95 करोड़ रुपये था।

(प्रस्तर 2.1.43)

2.2 उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड के क्रियाकलाप

रूग्ण मिलों को चलाने के लिए मार्च 1971 में निगमित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड ने 1971 से 1989 के दौरान उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अधिग्रहण) अधिनियम, 1971 के अधीन 30 मिलों को अधिग्रहीत किया। सितम्बर 2002 में, 18 मिलों को नयी सृजित सहायक कम्पनी को हस्तान्तरित कर दिया गया। एक मिल के उत्तराँचल राज्य में हस्तान्तरित हो जाने के बाद 11 कार्यशील मिले कम्पनी के पास शेष थी। वर्ष 2000-01 तथा 2003-04 को छोड़कर कम्पनी ने प्रत्येक वर्ष हानि वहन की। इन वर्षो के दौरान प्राप्त लाभ मुख्यत: शासकीय ऋण पर ब्याज को उपलिखित करने के कारण था। कम्पनी की बिक्री घट रही थी तथा चीनी का भण्डार चिन्तनीय स्तर तक पहुँच गया था। समीक्षा में संज्ञान में आये महत्वपूर्ण बिन्दुओं में से कुछ निम्नवत् थे:

- सहायक कम्पनियों की उपलब्धि दयनीय थी, फलत: 75.89 करोड़ रुपये का अंशपूँजी विनियोग अनुत्पादक रहा।

(प्रस्तर 2.2.9)

- चीनी के भण्डार के खराब निष्पादन, उच्च बिक्री लागत, इत्यादि के कारण गन्ना मूल्य बकाया 110.48 करोड़ रुपये (1999-2000) से 171.69 करोड़ रुपये (2003-04) तक बढ़ गया।

(प्रस्तर 2.2.14)

- 31 मार्च 2004 को समाप्त हुए पाँच वर्षो के दौरान उत्पादन की प्रत्यक्ष लागत, बिक्री प्राप्ति से अधिक थी। फलस्वरूप, कम्पनी को कुल 541.56 करोड़ रुपये की नकद हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.16)

- तैयार चीनी का भण्डार 31 मार्च 2004 तक 550.60 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुँच गया जो कम्पनी के 16.81 माहों की बिक्री के समकक्ष था।

(प्रस्तर 2.2.28)

- मानव घण्टों के कम उपयोग के कारण 1998-99 से 2002-03 की अवधि के दौरान 3.56 करोड़ रुपये की धनराशि का व्यय निष्क्रिय मजदूरी पर किया गया।

(प्रस्तर 2.2.29)

2.3 उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड में कोष प्रबन्धन

कम्पनी के कोष अन्तर्वहन के मुख्य स्रोत ऊर्जा की बिक्री, उपदान और राज्य सरकार, वित्तीय संस्थानों तथा विश्व बैंक से लिये गये ऋण थे। इस कोष का प्रयोग मुख्यत: पूँजीगत कार्यो पर व्यय, परिचालन और अनुरक्षण, ऊर्जा के क्रय तथा ऋणों और ब्याज की पुनर्अदायगी पर किया जाता है। प्रबन्धन, देयकों की वसूली, ऊर्जा क्रय के बिलों की अदायगी तथा कम्पनी के खातों में समयानुसार राजस्व जमा करने में असफल रही। समीक्षा में संज्ञान में आये महत्वपूर्ण बिन्दुओं में से कुछ निम्नवत् थे:

- देयों की वसूली नहीं किये जाने/विलम्ब के कारण, 31 मार्च 2003 तक राजस्व निर्धारण के विरूद्ध, बकाये की राशि 6,930.50 करोड़ रुपये तक बढ़ गयी।

(प्रस्तर 2.3.6)

- मेरठ परिक्षेत्र में पारेषण और वितरण संजाल को सुदृढ़ करने हेतु 'नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड' से लिये गये 80.40 करोड़ रुपये के ऋण की राशि को स्थायी जमा के रूप में रखने के परिणामस्वरूप 3.16 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.3.8)

2.4 उत्तर प्रदेश में ऊर्जा प्रणाली सुधार पर समीक्षा

ऊर्जा प्रणाली को वाणिज्यिक रूप से सक्षम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (यूपीएसईबी) को पुर्नसंस्थापित करते हुए (जनवरी 2000) उत्पादन, पारेषण व वितरण क्षेत्रों को नवसृजित कम्पनियों में स्थानान्तरित कर दिया। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने वितरण क्षेत्र में सुधार को लागू किया। सुधार कार्यक्रमों को लागू करने में देरी, कुप्रबन्धन तथा तालमेल में कमी के फलस्वरूप सुधार कार्यक्रमों में विचारित लाभ प्राप्त नही हो सका। समीक्षा में संज्ञान में आये महत्वपूर्ण बिन्दुओं में से कुछ निम्नवत् थे:

- उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत मीटरीकृत करने के लक्ष्य के सापेक्ष, अगस्त 2004 तक यूपीपीसीएल 89.18 लाख उपभोक्ताओं में से 42.83 लाख उपभोक्ताओं (48 प्रतिशत) को मीटर नहीं उपलब्ध करा सकी।

(प्रस्तर 2.4.16)

- विश्व बैंक द्वारा पोषित क्रयादेशों में मूल्य समायोजन प्रावधान सम्मिलित न करने के फलस्वरूप इलेक्ट्रानिक मीटरों के क्रय में यूपीपीसीएल ने 52 करोड़ रुपये की हानि वहन की।

(प्रस्तर 2.4.18)

- पूर्व-क्रीत 10.435 लाख मीटरों की संस्थापना न किये जाने के कारण स्कन्ध वाहक मूल्य के मद में यूपीपीसीएल ने 23.63 करोड़ रुपये की हानि वहन की।

(प्रस्तर 2.4.21)

- प्रणाली उच्चीकरण कार्यों (यथा, सेवा लाइनों की पुन:स्थापना, कैपिसिटर बैंकों की संस्थापना, लाइनों का निर्माण, आदि) से सम्बन्धित लक्ष्य प्राप्ति में चूक के फलस्वरूप 7.10 करोड़ रुपये के समेकित लाभ से वंचित होना पड़ा।

(प्रस्तर 2.4.26 से 2.4.29)

- ऊर्जा प्रणाली सुधार, कमियों से बाधित रहा जिनमें निर्धारित लक्ष्य तक पारेषण व वितरण हानियों को न घटाया जाना एवं वसूली हेतु अपर्याप्त प्रयास थे।

(प्रस्तर 2.4.32 व 2.4.36)

3. व्यवहारिक लेखा परीक्षा प्रेक्षण

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित लेखा परीक्षा प्रेक्षण सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्धन में कमियों को दर्शाती है, जिनके परिणामस्वरूप गम्भीर वित्तीय उलझने आई। दर्शायी गयी अनियमितताएँ वृहद रूप से निम्नलिखित प्रकृति की हैं:

- सावधि ऋण योजना के त्रुटिपूर्ण क्रियान्वयन के फलस्वरूप 4.71 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ।

(प्रस्तर 3.1)

- कोष के अविवेकपूर्ण/अनियमित निवेश के फलस्वरूप 9.45 करोड़ रुपये की ब्याज की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.2, 3.6 एवं 3.20)

- वाणिज्यिक समझदारी में कमी के फलस्वरूप 1.42 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यापार कर का भुगतान करना पड़ा।

(प्रस्तर 3.4 एवं 3.8)

- बिलों के अनियमित परिवर्तन, अदेय छूट की अनुमति, दरों के गलत प्रयोग तथा पेनाल्टी कम लगाये जाने/न लगाये जाने के फलस्वरूप 12.33 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.9, 3.10 एवं 3.12 से 3.18 तक)

- आवंटियों, उपभोक्ताओं को दिये गये अनुचित पक्षपात के फलस्वरूप 3.53 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.11 एवं 3.19)

- ऋणों के अनियमित स्वीकृति एवं भुगतान तथा वसूली प्रक्रिया में देरी के फलस्वरूप 4.27 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हो पाई।

(प्रस्तर 3.21 एवं 3.22)

- कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों के रूप में 1.46 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 3.25)

महत्वपूर्ण प्रस्तरों में से कुछ के सारांश निम्नवत् हैं:

- उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड ने एनएमडीएफसी के ऋणों के भुगतान में चूक की, फलस्वरूप योजनाओं के त्रुटिपूर्ण कियान्वयन एवं लाभार्थियों से खराब ऋण वसूली के कारण 55.16 लाख रुपये की छूट जब्त कर ली गयी, 1.13 करोड़ रुपये की परिभाषित क्षतिपूर्ति तथा 3.03 करोड़ रुपये के दण्ड ब्याज का उत्तरदायित्व वहन करना पड़ा।

(प्रतर 3.1)

- वित्तीय संस्थानों से कोष की आवश्यकता से पहले तथा अधिक ऋण लिए जाने के फलस्वरूप प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश (पिकप) को ब्याज के रूप में 83.37 लाख रुपये का परिहार्य खर्च उठाना पड़ा।

(प्रस्तर 3.2)

- 'व्यस्त समय' के उल्लंघन के दण्ड बिलों के अनियमित परिवर्तन के कारण पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 8.22 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

(प्रस्तर 3.9)

- 'व्यस्त समय' के उल्लंघन के दण्ड बिलों के कम बनाने/न बनाने के कारण दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 1.70 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

(प्रस्तर 3.13 से 3.15 तक)

- 'व्यस्त समय' के उल्लंघन के दण्ड बिलों के न बनाने के कारण मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 1.24 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

(प्रस्तर 3.16)

- अनुमोदित मूल्य नीति के अनुसार निर्धारित दरों से कम दरों पर फ्लैटों के बेचे जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को 3.02 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

(प्रस्तर 3.19)

- शासकीय आदेशों का उल्लंघन करते हुए सिटी कोआपरेटिव बैंक में स्थायी/सावधि जमा के रूप में कोष के निवेश के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को 8.37 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

(प्रस्तर 3.20)

- निगम के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए बादलों/वर्षा के मौसम में तेन्दू पत्तों के संग्रहण के कारण उत्तर प्रदेश वन निगम को 1.37 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

(प्रस्तर 2.23)

अध्याय-I

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

31 मार्च 2004 को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन 89 सरकारी कम्पनियाँ (48 कार्यरत कम्पनियाँ तथा 41 अकार्यरत कम्पनियाँ[1]) तथा सात कार्यरत सांविधिक निगम थे जबकि 31 मार्च 2003 को 86 सरकारी कम्पनियाँ (46 कार्यरत तथा 40 अकार्यरत कम्पनियाँ) तथा सात कार्यरत सांविधिक निगम थे। वर्ष 2003-04 के दौरान चार नई सरकारी कम्पनियाँ[2] निगमित हुई थी, दो कार्यरत कम्पनियाँ[3] जो पिछले वर्ष कार्यरत थीं इस वर्ष अकार्यरत हो गई तथा एक अकार्यरत कम्पनी[4] निजी क्षेत्र की हो गयी। सरकारी कम्पनियों के लेखों (जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) का लेखा परीक्षण सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। यह लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा सम्पादित की जाने वाली अनुपूरक लेखा परीक्षा के भी अधीन हैं। सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा व्यवस्थायें नीचे प्रदर्शित की गयी हैं:

क0 सं0	निगम का नाम	सीएजी द्वारा लेखा परीक्षा का प्राधिकार	लेखा परीक्षा व्यवस्था
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(2)	सीएजी द्वारा एकमात्र लेखा परीक्षा
2.	उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6)	शासपत्रित लेखाकारों तथा सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	राज्य भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31(8)	शासपत्रित लेखाकारों तथा सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा
4.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	सीएजी द्वारा एकमात्र लेखा परीक्षा
5.	उत्तर प्रदेश जल निगम	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1)	सीएजी द्वारा एकमात्र लेखा परीक्षा
6.	उत्तर प्रदेश वन निगम	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	सीएजी द्वारा लेखा परीक्षा[5]
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	शासपत्रित लेखाकारों तथा सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा

1 अकार्यरत कम्पनियाँ वह है जो कि परिसमापन/बन्दी/संविलय की प्रकिया के अन्तर्गत है।

2 परिशिष्ट 1 तथा 2 की क्रम संख्या क-37, 38, 39 तथा 40 ।

3 परिशिष्ट-1 तथा 2 की क्रम संख्या ग-2 तथा 40 ।

4 उत्तर प्रदेश कार्बन एण्ड केमिकल लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)।

5 वन निगम अधिनियम संशोधन की प्रतीक्षा में स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा भी लेखा परीक्षा की जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया तथा इसकी लेखा परीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003[1] की धारा 104(2) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा किया जाता है।

कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

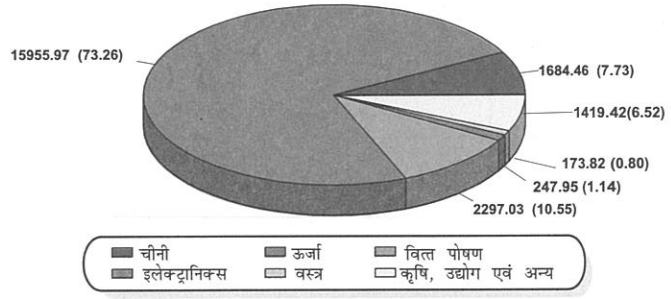
कार्यरत पीएसयू में निवेश

1.2 31 मार्च 2003 को कुल 53 कार्यरत पीएसयू (46 सरकारी कम्पनियाँ एवं सात सांविधिक निगम) में निवेश 17,135.24 करोड़ रुपये (अंशपूँजी: 8,535.08 करोड़ रुपये, अंश आवेदन राशि: 1,153.91 करोड़ रुपये तथा दीर्घावधि ऋण: 7,446.25 करोड़ रुपये) के विरूद्ध, 31 मार्च 2004 के अन्त में 55 कार्यरत पीएसयू (48 सरकारी कम्पनियाँ एवं सात सांविधिक निगमों) में निवेश 21,778.65 करोड़ रुपये[2] (अंश: 10,054.58 करोड़ रुपये, अंश आवेदन राशि: 2,384.40 करोड़ रुपये तथा दीर्घावधि ऋण:[3] 9,339.67 करोड़ रुपये) था। कुल निवेश में बढ़ोत्तरी का कारण मुख्यत: ऊर्जा, गन्ना तथा वित्तीय क्षेत्रों में अंशपूँजी, अंश आवेदन राशि तथा ऋण में बढ़ोत्तरी का था। कार्यरत पीएसयू में निवेश का विश्लेषण अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है।

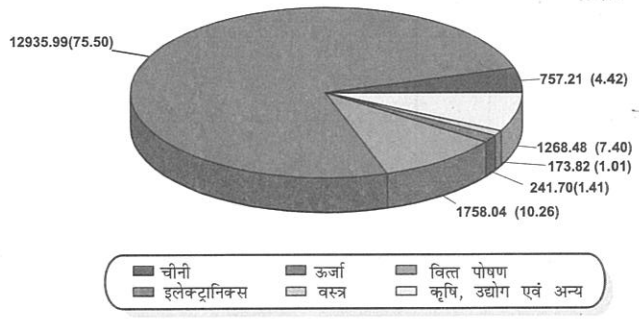
कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में क्षेत्रवार निवेश

1.3 31 मार्च 2004 तथा 31 मार्च 2003 को विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंशपूँजी तथा दीर्घावधि ऋण) तथा उनके प्रतिशत नीचे पाई चार्ट में दिये गये हैं:

कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में क्षेत्रवार निवेश
31 मार्च 2004 को
राशि : करोड़ रुपये में
(कोष्ठक के आंकड़े निवेश के प्रतिशत को इंगित करते है)
कुल निवेश- **21,778.65** करोड़ रुपये



31 मार्च **2003** को
राशि : करोड़ रुपये में
कुल निवेश- **17,135.24** करोड़ रुपये



1 विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की पूर्ववर्ती धारा 34(4) को विद्युत अधिनियम, 2003 के द्वारा बदला गया।

2 राज्य सरकार का निवेश 14,136.23 करोड़ रुपये (अन्य: 7,642.42 करोड़ रुपये) था। वित्त लेखा 2003-04 के अनुसार यह 13,669.21 करोड़ रुपये है। अन्तर का समाधान किया जा रहा है।

3 प्रस्तर 1.2, 1.4, 1.5 तथा 1.18 में वर्णित ऋणों पर देय और संचित ब्याज सम्मिलित नहीं है।

कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

1.4 मार्च 2003 तथा मार्च 2004 के अन्त में सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश निम्न था:

(करोड़ रुपये में)

		कार्यरत पीएसयू में निवेश			
वर्ष	कार्यरत पीएसयू की संख्या	अंशपूँजी	अंश आवेदन राशि	ऋण	योग
2002-03	46	8,023.26	1,151.70	5,887.04	15,062.00
2003-04	48	9,542.76	2,382.19	7,735.59	19,660.54

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में निवेश मुख्यत: अंशपूँजी, अंश आवेदन राशि तथा ऊर्जा क्षेत्र में ऋण, चीनी एवं वित्त पोषित क्षेत्रों में ऋण एवं अंशपूँजी में वृद्धि के कारण बढ़ गया था।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों में अंशपूँजी तथा ऋणों के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट-1** में दिया गया है।

31 मार्च 2004 को कार्यरत सरकारी कम्पनियों के कुल निवेश में अंशपूँजी और ऋण 31 मार्च 2003 के 60.91 प्रतिशत तथा 39.09 प्रतिशत की तुलना में क्रमश: 60.65 प्रतिशत तथा 39.35 प्रतिशत था।

कार्यरत सांविधिक निगम

1.5 सात कार्यरत सांविधिक निगमों में कुल निवेश मार्च 2003 तथा मार्च 2004[1] के अन्त में निम्नवत् था:

(करोड़ रुपये में)

निगम का नाम	2002-03		2003-04	
	पूँजी	ऋण	पूँजी	ऋण
उ.प्र.रा. सड़क परिवहन निगम	321.37	153.74	321.37	227.27
उ.प्र. वित्तीय निगम	179.28	1150.57	179.28	1,117.28
उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम	11.17 (2.21)	123.53	11.17 (2.21)	110.63
उ.प्र. वन निगम	-	-	-	17.50
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद[2]	-	0.12[3]	-	-
उ.प्र. जल निगम	-	130.36[3]	-	129.75
उ.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	-	0.89[3]	-	1.65
योग	**511.82 (2.21)**	**1,559.21**	**511.82 (2.21)**	**1,604.08**

(कोष्ठक के आंकड़ें अंश आवेदन राशि को इंगित करते हैं)

कार्यरत सांविधिक निगमों में अंशपूँजी और ऋणों के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट-1** में दिया गया है।

31 मार्च 2004 को कार्यरत सांविधिक निगमों के कुल निवेश में अंशपूँजी और ऋण 31 मार्च 2003 के 24.79 प्रतिशत तथा 75.21 प्रतिशत की तुलना में क्रमश: 24.27 प्रतिशत तथा 75.73 प्रतिशत था।

1 वर्ष 2003-04 के आँकड़ें अनन्तिम है।

2 वर्ष 2003-04 के दौरान राज्य सरकार का ऋण पुनर्भुगतान किया गया।

3 अनन्तिम आँकड़ें ।

बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, प्रत्याभूति, देयों की माफी एवं ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन

1.6 कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं कार्यरत सांविधिक निगमों को बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, निर्गत प्रत्याभूतियों, देयों की माफी तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों के अंशपूँजी में परिवर्तन सम्बन्धित विवरण **परिशिष्ट-1 एवं 3** में दिये गये हैं।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं कार्यरत सांविधिक निगमों को 2003-04 तक के तीन वर्षों में राज्य सरकार से बजट बहिर्गमन (अंशपूँजी और ऋण के रूप में) तथा अनुदान/उपदान नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2001-02				2002-03				2003-04			
	कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम	
	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि
अ (i) बजट से अंशपूँजी बहिर्गमन	8	902.96	-	-	4	264.23	-	-	7	1,512.91	-	-
(ii) बजट से दिये गये ऋण	9	374.66	-	-	9	582.35	-	-	13	433.40	1	2.00
योग अ (i)+(ii)		**1,277.62**	**-**	**-**		**846.58**		**-**	**14**	**1,946.31**	**1**	**2.00**
ब. अनुदान/उपदान												
(i) परियोजनाओं/ कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए	6	1,176.15	2	376.52	6	445.93[1]	1	2.07	5	1,289.19[3]	1	213.21
(ii) अन्य उपदान	3	6.68	1	2.05	3	695.63[2]			3	2.91[4]	1	2.11
योग (ब) (i)+(ii)		**1,182.83**		**378.57**		**1,141.56**		**2.07**	**-**	**1,292.10**	**-**	**215.32**
कुल बहिर्गमन (अ+ब)	**18[5]**	**2,460.45**	**3[5]**	**378.57**	**16[5]**	**1,988.14**	**1[5]**	**2.07**	**19[5]**	**3,238.41**	**2[5]**	**217.32**

वर्ष 2003-04 के दौरान सरकार ने आठ कार्यरत कम्पनियों (1,580.81 करोड़ रुपये) तथा तीन कार्यरत सांविधिक निगमों (96.14 करोड़ रुपये) द्वारा लिये गये कुल 1,676.95 करोड़ रुपये के ऋणों की प्रत्याभूति दी। वर्ष के अन्त में 12 कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ (1,477.88 करोड़ रुपये) तथा पाँच कार्यरत सांविधिक निगम (814.20 करोड़ रुपये) के विरूद्ध 2,292.08 करोड़ रुपये की राशि की प्रत्याभूति अवशेष थी। सरकार ने उत्तर प्रदेश चीनी निगम पर 670.42 करोड़ रुपये का ब्याज माफ कर दिया। दो सरकारी कम्पनियों[6] तथा दो सांविधिक निगमों[6] द्वारा 2003-04 के दौरान सरकार को देय प्रत्याभूति कमीशन क्रमशः 18.27 करोड़ रुपये तथा 1.27 करोड़ रुपये था।

1 314.15 करोड़ रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

2 80.75 लाख रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

3 137.97 करोड़ रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

4 59.19 लाख रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

5 ये सभी वास्तविक संख्या में कम्पनियाँ/निगम है जिन्होंने सरकार से सम्बन्धित वर्षों में अंशपूँजी, ऋण, अनुदान तथा उपदान के रूप में बजट का सहयोग प्राप्त हुआ।

6 12 कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ तथा 5 कार्यरत सरकारी निगमों जिनके विरूद्ध प्रत्याभूति अवशेष थी, केवल दो सरकारी कम्पनियों (परिशिष्ट-3 का क्रम संख्या अ-14 तथा 16) तथा दो सांविधिक निगमों (परिशिष्ट-3 का क्रम संख्या ब-1 तथा ब-3) द्वारा सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

कार्यरत पीएसयू द्वारा लेखों का अन्तिमीकरण

1.7 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के कम्पनी के लेखों को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 एवं 619बी सपठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के समाप्ति होने से छः माह के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये। उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 9 माह के अन्दर विधायिका के समक्ष भी प्रस्तुत करना होता है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के प्रकरण में, उनके लेखों को सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण, लेखापरीक्षित तथा विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है।

जैसा कि **परिशिष्ट-2** से देखा जा सकता है, 48 कार्यरत कम्पनियों में केवल दो* कार्यरत कम्पनियों तथा सात कार्यरत सांविधिक निगमों में से किसी भी निगम ने वर्ष 2003-04 के अपने लेखों को संकल्पित अवधि के अन्दर अन्तिम रूप नहीं दिया। अक्टूबर 2003 से सितम्बर 2004 तक की अवधि के दौरान 30 कार्यरत सरकारी कम्पनियों ने पूर्व वर्ष के 33 लेखों को अन्तिम रूप दिया। इसी प्रकार, उसी अवधि के दौरान चार कार्यरत सांविधिक निगमों ने पूर्व वर्षों के चार लेखों को अन्तिम रूप दिया।

30 सितम्बर 2004 को, 41** कार्यरत सरकारी कम्पनियों और सात सांविधिक निगमों के लेखे एक वर्ष से 15 वर्षों तक की अवधि से निम्न विवरण के अनुसार बकाये में थे:

क्र. सं0	कार्यरत कम्पनियों/निगमों की संख्या		वर्ष जबसे लेखे बकाया है	वर्षों की संख्या जबसे लेखे बकाया है	परिशिष्ट-2 के कमांक का संकेत	
	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम			सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम
1	1	-	1989-90 से 2003-04	15	अ-25	-
2	2	-	1991-92 से 2003-04	13	अ -11, 18	-
3	1	-	1992-93 से 2003-04	12	अ –43	-
4	3	-	1996-97 से 2003-04	8	अ -9, 15, 46	-
5	2	-	1997-98 से 2003-04	7	अ -7, 22	-
6	1	1	1998-99 से 2003-04	6	अ -24	ब-5
7	1	2	1999-2000 से 2003-04	5	अ -47	ब-4, 7
8	2	-	2000-01 से 2003-04	4	अ -28, 44	-
9	6	-	2001-02 से 2003-04	3	अ -10, 19, 26, 27, 35, 48	-
10	10	1	2002-03 से 2003-04	2	अ -1, 2, 5, 6, 8, 12, 29, 30, 41, 45	ब-6
11	12	3	2003-04	1	अ -4, 16, 17, 20, 21, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 42,	ब-1, 2, 3

* परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या ए.3 तथा 13

** चार कम्पनियों के लेखे (परिशिष्ट-2 का कम संख्या अ-37,38,39 और 40) अपेक्षित नहीं थे तथा एक कम्पनी (परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या ए.14) ने वर्ष सितम्बर 2003 के अन्त तक के लेखे को अन्तिम रूप दिया।

प्रशासकीय विभागों को यह देखना और सुनिश्चित करना होता है कि पीएसयू द्वारा लेखे निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण और अंगीकृत कर लिये गये हैं। यद्यपि सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों और सरकारी अधिकारियों को लेखा परीक्षा द्वारा अपूर्ण लेखों के बकाये के बारे में त्रैमासिक रूप से जानकारी दी गयी थी, सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये और परिणामस्वरूप इन पीएसयू के शुद्ध मूल्य का निर्धारण लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका।

कार्यरत पीएसयू की वित्तीय स्थितियाँ और कार्य संचालन परिणाम

1.8 अद्यतन अन्तिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार कार्यरत पीएसयू (सरकारी कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगम) के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम **परिशिष्ट-2** में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कार्यरत सांविधिक निगमों के अद्यतन तीन वर्षो के पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार वित्तीय परिणामों को दर्शाती हुई विवरणी क्रमश: **परिशिष्ट-4 व 5** में दी गयी है।

42[1] कार्यरत सरकारी कम्पनियों और सात सांविधिक निगमों के अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार 26 कम्पनियों और 2 निगमों ने क्रमश: 1,255.58 करोड़ रुपये तथा 125.37 करोड़ रुपये की कुल हानि उठाई, 16 कम्पनियों और 5 निगमों ने क्रमश: 120.69 करोड़ रुपये तथा 58.52 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया।

कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

लाभार्जन करने वाली कार्यरत कम्पनियाँ और लाभांश

1.9 30 कार्यरत कम्पनियों में से जिन्होंने सितम्बर 2004 तक पूर्व वर्षो के लेखे को अन्तिम रूप दिया, 13 कम्पनियों ने कुल 130.79 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया तथा उनमें से सात[2] कम्पनियों ने दो अथवा अधिक लगातार वर्षो तक लाभ अर्जित किया। केवल दो[3] कम्पनियों ने 45 लाख रुपये का लाभांश घोषित किया। सरकार ने न्यूनतम लाभांश भुगतान के लिये लाभांश नीति (अक्टूबर 2002) तैयार की तथा सरकार द्वारा पूँजी निवेश पर वित्तीय वर्ष 2002-03 से 5 प्रतिशत का न्यूनतम लाभांश अदायगी का आदेश पीएसयू को दिया।

हानि उठाने वाली कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

1.10 26 हानि उठाने वाली सरकारी कम्पनियों में से 20 कम्पनियों की कुल संचित हानियाँ 6,218.51 करोड़ रुपये थी, जो उनकी 4,864.07 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गयी थी (**परिशिष्ट-2**)।

खराब उपलब्धियों और प्रदत्त पूँजी के पूर्ण क्षरण के बावजूद राज्य सरकार इन कम्पनियों को पूँजी उपदान, अनुदान तथा ऋण लगातार प्रदान करती रही। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इनमें से 20 हानि उठाने वाली कम्पनियों में से छ: कम्पनियों

1 चार कम्पनियों के लेखे (परिशिष्ट-2 का क्रम संख्या अ-37,38,39 और अ-40) अपेक्षित नहीं थे तथा दो कम्पनियों (परिशिष्ट-2 का क्रम संख्या अ-8 और 30) ने अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये।

2 परिशिष्ट-2 का क्रम संख्या अ-5,6,7,19,23,46 तथा 48 ।

3 परिशिष्ट-2 का क्रम संख्या अ-19 तथा 21 ।

को राज्य सरकार का ऋण, उपदान तथा अनुदान के रूप में वर्ष 2003-04 के दौरान 1,453.14 करोड़ रुपये का वित्तीय सहयोग था।

कार्यरत सांविधिक निगम

लाभार्जन करने वाले सांविधिक निगम और लाभांश

1.11 चार कार्यरत सांविधिक निगमों में से दो निगमों (**परिशिष्ट-2** का क्रम सं0 ब-3 एवं ब-7) जिन्होंने सितम्बर 2004 तक अपने पिछले वर्षों के लेखों को अन्तिम रूप दिया, कुल 12.16 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। इन दो सांविधिक निगमों में से एक (**परिशिष्ट-2** का क्रम सं0 ब-3) ने दो या अधिक वर्षों तक लगातार लाभार्जन किया तथा 1.20 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया।

हानि उठाने वाली सांविधिक निगम

1.12 दो हानि उठाने वाले कार्यरत सांविधिक निगमों (**परिशिष्ट-2** का क्रम सं0 ब-1 तथा ब-2) जिसने सितम्बर 2004 तक अपने पिछले वर्षों लेखों को अंतिम रूप दिया, की कुल संचित हानियाँ 1,616.55 करोड़ रुपये थी जो उनकी 500.65 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गयी।

कार्यरत सांविधिक निगमों की कार्यचालन उपलब्धियाँ

1.13 कार्यरत सांविधिक निगमों का कार्यचालन उपलब्धियाँ **परिशिष्ट-6** में दिया गया है।

सांविधिक निगमों के कार्यचालन सम्पादन पर कुछ महत्वपूर्ण प्रेक्षण, नीचे दिये गये हैं:

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

- औसत खर्च में बढ़ोत्तरी (2000-01 में 1,212 पैसे से 2002-03 में 1,219 पैसे) के परिणामस्वरूप प्रति किमी हानि 2000-01 की तुलना में 2002-03 में 141 पैसे से 153 पैसे हो गयी।

उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम

- कुल ऋण के सापेक्ष अतिदेय ऋण का प्रतिशत 2000-01 में 126.46 से बढ़कर 2002-03 में 150.42 हो गया जो कि खराब वसूली की उपलब्धि को दर्शाता है।

नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ

1.14 अद्यतन पूर्ण किये लेखों के अनुसार 42 कार्यरत कम्पनियों में नियोजित पूँजी* की गणना 8,253.56 करोड़ रुपये की गयी तथा उस पर कुल प्रतिलाभ**

* नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पतियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी के योग को प्रदर्शित करती है सिवाय वित्त पोषण कम्पनियों और निगमों को छोड़कर जहाँ यह कुल प्रदत्त पूँजी के पूर्व एवं अंतिम शेषों के मध्यमान, मुक्त आरक्षित निधि, बाण्ड जमा तथा ऋण (पुनर्वित्त पोषण सहित) प्रदर्शित करती है।

** नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ के आगणन हेतु, ऋण ली गयी निधियों के ब्याज को शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है/हानि से घटाया जाता है, जैसा कि लाभ हानि खाते में प्रदर्शित किया गया।

पूर्व वर्ष के (-) 982.01 करोड़ रुपये की तुलना में (-) 94.15 करोड़ रुपये रहा। इसी प्रकार पूर्व वर्ष के 95.68 करोड़ रुपये (1.28 प्रतिशत) के कुल प्रतिलाभ के तुलना में सात कार्यरत सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में अद्यतन पूर्ण किये लेखों के अनुसार नियोजित पूँजी और उस पर कुल प्रतिलाभ, क्रमशः 7,362.05 करोड़ रुपये तथा 151.45 करोड़ रुपये (2.06 प्रतिशत) आगणित किया गया। कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में नियोजित पूँजी और नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ के विवरण **परिशिष्ट-2** में दिये गये हैं।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच हुए एमओयू के कार्यान्वयन की स्थिति:

1.15 राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम लागू करने के लिए एक संयुक्त प्रतिज्ञा के रूप में मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टैडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुये (फरवरी 2000)।

एमओयू में लिये गए प्रत्येक प्रतिज्ञा पर सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

क्र.सं.	एमओयू समझौते के अनुसार सुधार कार्यक्रम	लक्ष्य प्राप्ति की अनुसूची	वर्तमान स्थिति सितम्बर-2004
I	**राज्य सरकार द्वारा**	--	
(i)	सभी 11 के.वी. फीडरों पर मीटर का लगाया जाना	30 सितम्बर 2000	सभी 11 केवी फीडर (7,059) पर मीटर लगा दिया गया (दिसम्बर 2003)।
(ii)	शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं को मीटर द्वारा आपूर्ति	31 दिसम्बर 2001	केवल 52 प्रतिशत उपभोक्ताओं को मीटरीकृत किया जा सका (अगस्त 2004)।
(iii)	20 चुने गये नगरों की आन लाइन बिलिंग	31 मार्च 2001	केवल एक नगर, लखनऊ, में लागू किया गया (सितम्बर 2004)।
(iv)	वितरण प्रणाली को उन्नत करना	शून्य	कई कार्य आरम्भ किये गये जो प्रगति में थे
(v)	विभिन्न वितरण लाभ केन्द्रों का निर्माण	शून्य	चार वितरण कम्पनियाँ मई 2003 में निगमित की गयी।
(vi)	वितरण क्षेत्रों का निजीकरण जिसकी वाणिज्यिक रूप से सक्षमता स्थापित न हो।	शून्य	अभी तक कोई भी निजीकरण नहीं हुआ।
II	**केन्द्र सरकार द्वारा**		
(i)	चालू तापीय तथा हाइड्रो ऊर्जा स्टेशनों को भारत सरकार से वित्तीय सहायता	शून्य	शून्य
(ii)	महत्वपूर्ण पारेषण कार्यों के निर्माण के लिए भारत सरकार से सहयोग	शून्य	शून्य

विखण्डन और निगमीकरण

1.16 ऊर्जा क्षेत्र को वाणिज्यिक रूप से सक्षमता प्रदान करने हेतु, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व के उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (यूपीएसईबी) को पुनर्ढाचाँकृत (जनवरी 2000) किया। तापीय तथा जल विद्युत उत्पादन के कार्य उत्तर प्रदेश राज्य

विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड को स्थानान्तरित कर दिया गया। यूपीएसईबी के पारेषण तथा वितरण कार्य, नयी बनायी गयी कम्पनियों, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) तथा कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (केस्को) को हस्तान्तरित कर दिये गये। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने पारेषण कार्य अपने पास बनाये रखा था तथा वितरण कार्य पुन: चार वितरण कम्पनियों (डिस्काम्स) को हस्तान्तरित कर दिये गये जो मई 2003 में निगमित हुई थी।

राज्य विद्युत नियामक आयोग

1.17 उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन 10 सितम्बर 1998 को विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998* की धारा 17 के अधीन इन मुख्य उद्देश्यों के साथ किया गया कि राज्य में विद्युत का उत्पादन, पारेषण, वितरण तथा आपूर्ति उचित ढंग से प्रतिपादित की जा सके, राज्य में विद्युत उद्योग तथा विद्युत के क्रय, वितरण, आपूर्ति एवं उपयोग को नियंत्रित किया जा सके, सेवा का स्तर, दर एवं अन्य भार उपभोक्ता के हित एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुये निर्धारित किया जाय और एक ऐसा वातावरण तैयार हो जिससे निजी क्षेत्र के उद्यमी राज्य में विद्युत उद्योग स्थापित करने के लिये आकर्षित हो। आयोग एक निगमित निकाय है जिसमें सभापित को लेकर तीन सदस्य होते हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। आयोग के लेखों की लेखा परीक्षा का दायित्व विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। आयोग ने सितम्बर 2003 तक चार टैरिफ आदेश जारी किये हैं।

अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

अकार्यरत पीएसयू में निवेश

1.18 31 मार्च 2003 के अन्त तक 40 अकार्यरत पीएसयू (सभी सरकारी कम्पनियाँ) में कुल निवेश 861.45 करोड़ रुपये (अंशपूँजी: 390.01 करोड़ रुपये, अंश आवेदन राशि: 49.06 करोड़ रुपये तथा दीर्घावधि ऋण: 422.38 करोड़ रुपये के सापेक्ष 31 मार्च 2004 के अन्त तक 41 अकार्यरत पीएसयू (सभी सरकारी कम्पनियाँ) में कुल निवेश 868.52 करोड़ रुपये** (अंशपूँजी 391.37 करोड़ रुपये, अंश आवेदन राशि 49.06 करोड़ रुपये तथा दीर्घावधि ऋण 428.09 करोड़ रुपये) था।

मार्च 2004 के अन्त तक अकार्यरत सरकारी कम्पनियों का वर्गीकरण निम्नानुसार था:

* विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82(1) से बदल दिया गया।

** राज्य सरकार का निवेश 645.32 करोड़ रुपये (अन्य : 223.20 करोड़ रुपये) था। वित्त लेखा 2003-04 के अनुसार यह 597.32 करोड़ रुपये है। अन्तर का समाधान किया जा रहा है।

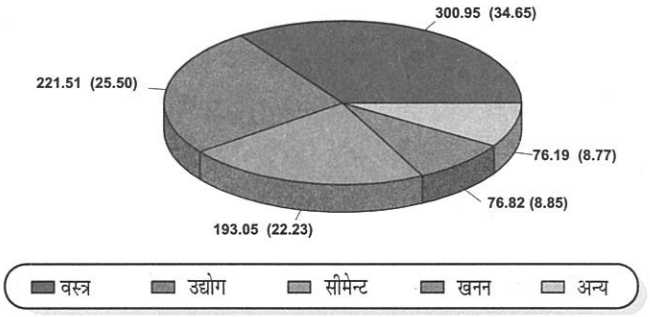
अकार्यरत सरकारी कम्पनियों की स्थिति	कम्पनियों की संख्या	निवेश (करोड़ रुपये में)	
		अंशपूँजी*	दीर्घावधि ऋण
परिसमापन/बन्दी के अन्तर्गत	11	66.78	199.32
संविलय के अन्तर्गत	2	0.44	2.09
निष्क्रिय/अकार्यरत कम्पनियाँ	28	373.21	226.68
योग	**41**	**440.43**	**428.09**

उपरोक्त अकार्यरत सरकारी कम्पनियों में से 11 सरकारी कम्पनियाँ, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत 2 से 30 वर्षों से परिसमापनाधीन/ बन्दी के अन्तर्गत थी और इन कम्पनियों में 266.10 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण धन सन्निहित था। उनके त्वरित परिसमापन अथवा पुनर्जीवन हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

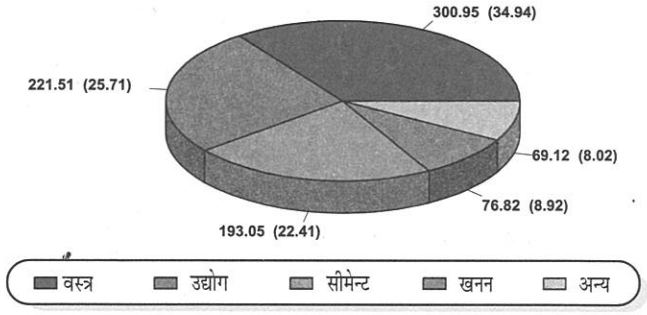
अकार्यरत सरकारी कम्पनियों में क्षेत्रवार निवेश

1.19 31 मार्च 2004 और 2003 के अन्त में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंशपूँजी और दीर्घावधि ऋण) और उनके प्रतिशत को निम्न पाई चार्टों में इंगित किया गया है:

अकार्यरत सरकारी कम्पनियों में क्षेत्रवार निवेश
31 मार्च 2004 को
राशि : करोड़ रुपये में
(कोष्ठक के आंकड़े निवेश के प्रतिशत को इंगित करते हैं)
कुल निवेश- **868.52** करोड़ रुपये



31 मार्च **2003** को
राशि : करोड़ रुपये में
कुल निवेश- **861.45** करोड़ रुपये



* निष्क्रिय व अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में 49.06 करोड़ रुपये की अंश आवेदन राशि मिलाकर ।

बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, प्रत्याभूतियाँ, बकायों की माफी तथा ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन

1.20 राज्य सरकार द्वारा अकार्यरत सरकारी कम्पनियों में बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, निर्गत प्रत्याभूतियों, बकायों की माफी तथा ऋणों के अंशपूँजी में परिवर्तन के विवरण **परिशिष्ट-1 व 3** में दिये गये हैं।

वर्ष 2003-04 के दौरान अंशपूँजी/ऋण/उपदान/अनुदान के रूप में कोई बजट बहिर्गमन नहीं था।

मार्च 2004 के अन्त में पाँच अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में 36.07 करोड़ रुपये अवशेष थे।

अकार्यरत पीएसयू पर कुल स्थापना खर्च

1.21 अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के 2003-04 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल स्थापना व्यय तथा उनके वित्त पोषण के स्रोतों का वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अकार्यरत पीएसयू की संख्या	कुल स्थापना खर्च	वित्त पोषण				
			निवेश/परिसम्पत्तियों का निस्तारण	निजी पार्टियों से ऋण	सरकार द्वारा		अन्य
					ऋण	अनुदान	
2001-02	[illegible]	0.98	0.34	-	-	-	0.64
2002-03	5	0.61	0.02	-	-	-	0.59
2003-04	5[1]	0.85	-	-	-	-	0.85

अकार्यरत पीएसयू द्वारा लेखे का अन्तिमीकरण

1.22 41 अकार्यरत कम्पनियों में 11 कम्पनियाँ परिसमापन के अन्तर्गत थे। 30 सितम्बर 2004 को 30 अकार्यरत कम्पनियों के लेखे 1 से 29 वर्षों तक की अवधि से बकाये में थे, जैसा कि **परिशिष्ट-2** से देखा जा सकता है।

अकार्यरत पीएसयू की वित्तीय स्थिति व कार्यचालन परिणाम

1.23 अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम **परिशिष्ट-2** में दिये गये हैं।

अद्यतन पूर्ण किये गये लेखे के अनुसार अकार्यरत सरकारी कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी, शुद्ध मूल्य, नकद हानि तथा संचित हानि का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है:

(करोड रुपये में)

विवरण	प्रदत्त पूँजी	शुद्ध मूल्य[2]	नकद हानि[3]	संचित हानि
अकार्यरत कम्पनियाँ	385.48	(-) 453.66	105.00	924.97

1 41 अकार्यरत कम्पनियों में से केवल 5 कम्पनियाँ (परिशिष्ट-1 की कम संख्या सी-1,4,21,30 तथा सी-41) ने स्थापना खर्च का विवरण दिया।

2 शुद्ध मूल्य, प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त आरक्षित निधि के योग से संचित हानि को घटाकर प्रदर्शित होती है।

3 नकद हानि, वर्ष की हानि एवं वर्ष के मूल्य ह्रास के योग को प्रदर्शित करती है।

सांविधिक निगमों की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.24 निम्न तालिका सांविधिक निगमों के लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत विभिन्न पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थित को इंगित करती है:

क्रमांक	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक एसएआर विधायिका में रखी गयी	वर्ष जहाँ तक एसएआर विधायिका में नहीं रखी गयी		
			एसएआर का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	विधायिका में रखने में देरी के कारण
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	1999-2000	2000-01 2001-02	09.09.2003 26.12.2003	विभाग/निगम द्वारा कारण नहीं बताये गए
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	1992-93	1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01	07.07.1995 18.04.1996 28.08.1998 17.12.1999 27.07.2000 20.10.2001 25.07.2002 20.02.2004	विभाग/निगम द्वारा कारण नहीं बताये गए
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	1997-98	1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03	27.07.2000 29.05.2001 29.04.2002 13.08.2003 16.09.2004	विभाग/निगम द्वारा कारण नहीं बताये गए
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम*	--	1997-98 1998-99	17.08.2000 23.05.2002	विभाग/निगम द्वारा कारण नहीं बताये गए
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	1989-90	1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1995-96 1996-97	23.02.1998 23.02.1998 27.02.1998 19.08.1999 10.02.2003 29.01.2004	विभाग/निगम द्वारा कारण नहीं बताये गए
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	1994-95	1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02	21.10.1997 18.02.1999 03.07.2000 19.09.2001 07.02.2002 13.02.2003 27.03.2004	उपरोक्त
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम**	--	--	--	--

राज्य सरकार ने 9 वर्षों के अन्तराल के बावजूद भी एसएआर को विधायिका के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम)। यद्यपि राज्य सरकार को

* लेखा परीक्षण 1997-98 से सौंपा गया।

** लेखा परीक्षण 1998-99 के दौरान सौंपा गया। वार्षिक लेखे 1998-99 से बकाया है।

सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यता है, किन्तु इसका पालन नहीं किया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना*

1.25 सरकार द्वारा बनायी गयी (जून 1994) पीएसयू के निजीकरण/विनिवेश की नीति में सभी उपक्रमों (सार्वजनिक एवं जनकल्याण की गतिविधियों तथा सार्वजनिक उपादेयता के कार्य में लगे उपक्रमों को छोड़कर) जिनकी वार्षिक हानि 10 करोड़ रुपये से अधिक थी तथा जिन्होंने अपने शुद्ध मूल्य के 50 प्रतिशत या अधिक का क्षरण कर लिया था, की समीक्षा का प्रावधान था।

निजीकरण/विनिवेश/बीआईएफआर को संदर्भित किये जाने वाले प्रकरणों की समीक्षा करने तथा निर्णय लेने एवं अन्य विकल्पों जैसे आंशिक निजीकरण, निजी उद्यमियों द्वारा प्रबन्धन, निजी उद्यमियों को पट्टे पर देने आदि को संस्तुति करने हेतु एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) का गठन किया गया (दिसम्बर 1995)। ईसी की संस्तुतियों को लेखा परीक्षा के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया। ईसी की संस्तुतियों पर राज्य विनिवेश आयोग का गठन किया गया था (नवम्बर 1998) किन्तु यह भंग कर दी गई (जनवरी 2000) और एक विनिवेश कमीशन (डीसी) का गठन किया गया (जनवरी 2000)।

विनिवेश प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिये एक केन्द्रीय कमेटी (सीसी) का भी गठन किया गया (जनवरी 2000)। पीएसयू के कार्य प्रणाली में सुधार, संविलयन, पुनर्संरचना निजीकरण अथवा बन्दी में सुधार के मामलों को डीसी को सन्दर्भित करने के लिए सीसी को अधिकृत किया गया। यह विचारित था कि डीसी अपनी संस्तुतियाँ सीसी को सौंपेगा।

डीसी को 27 पीएसयू का संदर्भ प्रस्तुत किया गया तथा डीसी ने इन सभी मामलों पर अपनी संस्तुतियों को दिया। सीसी ने 25 पीएसयू के मामलों पर विचार कर अपनी संस्तुतियों को सौंपा। इन सभी संस्तुतियाँ को लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

पुनः एक उच्च स्तरीय विनिवेश कमेटी (एचपीडीसी) का गठन किया गया (अप्रैल 2003) तथा विनिवेश का कार्य, योजना विभाग को सौंपा गया।

सरकार ने सूचित (सितम्बर 2003) किया कि:

- प्रथम चरण में, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की 11 चीनी मिलों तथा उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की 8 बीमार तथा 5 बन्द चीनी मिलों के लिये विनिवेश प्रक्रिया शुरू हुई।
- 27 पीएसयू, जो कि डीसी को सन्दर्भित किये गये थे, के सम्बन्ध में डीसी की संस्तुतियों पर कार्यवाही की जायेगी।

* पुनर्संरचना में पीएसयू का सम्मिलन और बन्दी सम्मिलित है।

- विभागों/पीएसयू से विनिवेश की सम्भावना के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही थी तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विनिवेश के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

- दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (पिकप) को विनिवेश के लिये सलाहकार चुना गया है। नीतिगत मामलों के निर्णय तथा व्यवहारिक संस्तुतियाँ करने के लिये एचपीडीसी पिकप से सलाह ले रही थी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के परिणाम

1.26 अक्टूबर 2003 से सितम्बर 2004 की अवधि के दौरान 31 सरकारी कम्पनियों (26 कार्यरत तथा पाँच अकार्यरत) तथा पाँच सांविधिक निगमों के लेखे समीक्षा हेतु चयन किये गये। पीएसयू की समीक्षा के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों का कुल प्रभाव निम्न प्रकार रहा:

विवरण	लेखों की संख्या			लाख रुपये में		
	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम
	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत
(i) लाभ में कमी	6	-	1	4,693.61	-	50.00
(ii) हानि में वृद्धि	9	1	2	23,272.02	0.12	15,085.00
(iii) हानि में कमी	3	-	1	3,840.00	-	294.00
(iv) महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न करना	10	1	3	7,909.04	4.94	1,613.18
(v) वर्गीकरण की कमियाँ	12	1	3	5,209.04	1,103.28	15,897.04

उपरोक्त में से कुछ कम्पनियों और निगमों के वार्षिक लेखों की समीक्षा के दौरान देखी गयी कुछ मुख्य त्रुटियों और चूकों की चर्चा नीचे की गयी है।

सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित पाई त्रुटियाँ एवं चूकें

1.27 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (2001-02)

- विलम्ब अदायगी अधिभार, जो कि पहले ही माफ की जा चुकी थी, को सम्मिलित करने के कारण, 104.73 करोड़ रुपये से विविध देनदार बढ़ी हुई एवं संचित हानियाँ घटी हुई दर्शायी गयी थी।

1.28 उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (2001-02)

- यूपीपीसीएल द्वारा 31 मार्च 2002 तक न भुगतान की गई धनराशि पर 15.07 करोड़ रुपये की धनराशि का देरी से भुगतान का अधिभार का प्रावधान नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप हानि 15.07 करोड़ रुपये से अधिक व विविध देनदार उसी सीमा तक कम दिखाए गए।

1.29 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2002-03)

- 2806.68 करोड़ रुपये के बदले 2815.70 करोड़ रुपये लेखांकन करने के कारण 9.02 करोड़ रुपये का राजस्व ऊर्जा विक्रय पर अधिक दिखाया गया था। इसका परिणाम 9.02 करोड़ रुपये हानि को कम दिखाया गया तथा विविध देनदारों को अधिक दिखाया गया है।

1.30 दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (2002-03)

- सम्पत्तियों के वर्गीकरण पर प्रावधान (अक्रियाशील परिसम्पत्तियाँ) 29.70 करोड़ रुपये कम किया गया था, जिसका परिणाम हानि का कम आंकलन तथा चालू परिसम्पत्तिया, ऋणों और अग्रिमों को उस सीमा तक अधिक आंकलन था।

1.31 उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (2001-02)

- भविष्य में ग्रेच्यूटी अदायगी (13.48 करोड़ रुपये) तथा अवकाश नकदीकरण (0.66 करोड़ रुपये) के उत्तरदायित्वों का प्रावधान न करने के कारण चालू दायित्व एवं प्रावधान 14.14 करोड़ रुपये कम करके दिखाये गये थे।

सांविधिक निगमों से संबंधित पाई गई त्रुटियाँ तथा चूकें

1.32 उत्तर प्रदेश जल निगम (2001-02)

- भौतिक सत्यापन में पाये गये भण्डार की अधिकता/कमी को समायोजित किये बिना छः जोनों के भण्डार को खाते में अवशेष के अनुसार लेखाबद्ध किया गया जिससे स्टाक में 36.92 करोड़ रुपये की अधिकता दिखायी गयी, फलस्वरूप उसी सीमा तक हानि को कम करके दिखाया गया।

- भारत सरकार के त्वरित पानी आपूर्ति योजना (1986) पर सेन्टेज लगाने के कारण, जिस पर कोई सेन्टेज देय नहीं था, संचित घाटे को 79.50 करोड़ रुपये कम करके दिखाया गया।

पीएसयू के वित्तीय मामलों में सतत् अनियमिततायें एवं प्रणाली दोष

1.33 पीएसयू के वित्तीय मामलों में निम्नलिखित सतत् अनियमिततायें एवं प्रणाली दोषों को, लेखों के लेखा परीक्षण के समय बार-बार इंगित किया गया किन्तु अभी तक इन पीएसयू ने कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की:

क्र.सं.	सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों के नाम	अनियमितताओं के प्रकार
(1)	(2)	(3)
सरकारी कम्पनियाँ		
1.	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	नकद और बैंक अवशेषों में समय समाप्त हुये चेकों का लिया जाना।

(1)	(2)	(3)
2.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	पूर्ण किये गये कार्यों की कुल कीमत में अदेय सेन्टेज का लिया जाना।
3.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड	सरकार द्वारा दिये गये अप्रयोज्य कोष से अर्जित ब्याज को सरकार को देय दिखाने के बजाय कम्पनी की आय मानना।
4.	उत्तर प्रदेश प्रदेशीय औद्योगिक तथा विनिवेश निगम लिमिटेड (पिकप)	कम्पनी को कुल सम्पत्तियों में गायब हो गई सम्पत्तियों का लिया जाना।
5.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	• पूँजीगत प्रगतिरत कार्य में सिविल कार्यों के व्यय को समाहित किया जाना जबकि प्रोजेक्ट छोड़े जा चुके थे। • सहायक कम्पनियों को प्रदान की गयी विपणन सेवा के लिए वसूली योग्य कमीशन का लेखाबद्ध न किया जाना।
6.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 113(1) का उल्लंघन करते हुए शेयर धारकों को अंश प्रमाण-पत्रों का न दिया जाना।
सांविधिक निगम		
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	अन्तर कार्यालयीन जमा का मिलान न किया जाना।
2.	उत्तर प्रदेश जल निगम	कुम्भ मेले के प्रगतिरत पूँजी कार्यों को खर्चे में शामिल कर लेना जो 1998-99 में पूर्ण कर लिये गये थे।

लेखा परीक्षा के आधार पर वसूलियाँ

1.34 2003-04 के दौरान पावर सेक्टर कम्पनियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 124 मामलों में कुल 42.05 करोड़ रुपये की टैरिफ का गलत निर्धारण/निर्धारण न किया जाना/कम निर्धारण किया जाना/कम राजस्व वसूली करना तथा अन्य मामलों में, परिलक्षित हुई। कम्पनी ने लेखा परीक्षा में दिखाये गये 69 मामलों की आपत्तियों को स्वीकार किया जिसमें से सात लेखा परीक्षा आपत्तियों के सम्बन्ध में 1.35 करोड़ रुपये वसूला गया।

आन्तरिक लेखा परीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण

1.35 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(अ) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षको (शासपत्रित लेखाकार) को उनके द्वारा लेखा परीक्षा किये गये कम्पनियों में आन्तरिक लेखा परीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है तथा उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाना, जहाँ सुधार की आवश्यकता है। तद्नुसार, वर्ष 2003-04 के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों ने नौ कम्पनियों के मामलों में आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली में खामियों को अवलोकित किया। सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा आन्तरिक लेखा परीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में

संभावित सुधार पर महत्वपूर्ण संस्तुतियों/टिप्पणियों की सारांश **परिशिष्ट-7** में दिया गया है। **परिशिष्ट** से यह प्रकट होता है कि मुख्य टिप्पणियाँ निम्नलिखित प्रकृति के थे:

- आन्तरिक लेखा परीक्षा पद्धति सरकारी कम्पनी के व्यापार के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं था।
- आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई।
- आन्तरिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान लिये गये समय इकाई के आकार के अनुरूप नहीं था, आन्तरिक लेखा परीक्षा वस्तुत: प्रभावहीन थी क्योंकि आन्तरिक लेखा परीक्षकों को आन्तरिक लेखा परीक्षा के साथ कम्पनी लेखों/अभिलेखों की तैयारी के लिये भी उत्तरदायी बना दिया।

पीएसयू की बन्दी के लिये संस्तुति

1.36 अपने अस्तित्व में आने के पाँच वर्षों के बाद भी 11 कम्पनियों (कार्यरत: 10 तथा अकार्यरत : एक) के कुल टर्नओवर (विक्री एंव अन्य आय) अद्यतन अन्तिमकृत लेखों के अनुसार पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में से प्रत्येक में 5 करोड़ रुपये से कम रही है (**परिशिष्ट-8**)। इसी प्रकार सात कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ (**परिशिष्ट-8अ**) लगातार पाँच वर्षों से हानि उठाती रही थी (अद्यतन अन्तिमकृत लेखों के अनुसार) जिससे शुद्ध मूल्य ऋणात्मक हो गई। क्षीण टर्नओवर और लगातार हानियों की दृष्टि से, सरकार को उपरोक्त सरकारी कम्पनियों के कार्य सम्पादन में या तो सुधार करना चाहिये या उनके बन्दीकरण पर विचार करना चाहिये।

सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति

1.37 30 सितम्बर 2004 तक कोपू में विचार-विमर्श हेतु लम्बित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति निम्नलिखित है:

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित कुल समीक्षाये एवं प्रतिवेदन		चर्चा हेतु लम्बित समीक्षाओं एवं प्रस्तर	
	समीक्षा	प्रस्तर	समीक्षा	प्रस्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1976-77	2	53	--	2
1977-78	5	28	--	1
1979-80	6	59	--	7
1980-81	6	30	--	1
1981-82	4	73	2	37
1982-83	5	50	3	16
1983-84	4	60	3	2
1984-85	2	14	1	6
1985-86	6	22	5	9
1986-87	3	28	1	12
1987-88	8	23	4	6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1988-89	5	22	3	9
1989-90	6	14	1	7
1990-91	6	21	4	19
1991-92	4	38	4	35
1992-93	5	33	3	26
1993-94	5	31	5	23
1994-95	5	41	4	23
1995-96	7	39	5	22
1996-97	8	40	7	20
1997-98	5	67	5	60
1998-99	5	26	5	12
1999-2000	4	41	4	39
2000-01	5	34	5	27
2001-02	4	34	4	34
2002-03	4	38	4	38
योग	**129**	**959**	**82**	**493**

अक्टूबर 2003 से सितम्बर 2004 की अवधि के दौरान सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) ने 14 बैठकें की तथा 1997-98 से 2000-01 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में उल्लिखित चार समीक्षाओं तथा 24 प्रस्तरों पर विचार-विमर्श किया।

619-ब कम्पनियाँ

1.38 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ब के अन्तर्गत चार कम्पनियाँ आती थी जिसमें एक कम्पनी कार्यरत थी। **परिशिष्ट-9**, इन कम्पनियों के उनके अद्यतन उपलब्ध लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी, अंशपूँजी, ऋण एवं अनुदान के माध्यम से निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणामों के विवरण को इंगित करता है।

अध्याय–II

सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षायें

2.1 उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के क्रियाकलाप

मुख्य अंश

उचित दर पर कार्यों के त्वरित निष्पादन एवं व्यक्तिगत ठेकेदारों को स्थानापन्न करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की स्थापना एक सरकारी कम्पनी के रूप में मई 1975 में की गई थी। कम्पनी ने प्रत्येक वर्ष परिचालन हानि वहन की जो 2002-03 तक पाँच वर्षों में संकलित 29.49 करोड़ रुपये थी।

(प्रस्तर 2.1.1 तथा 2.1.7)

पीआरडब्ल्यू को अग्रिम तथा ग्राहकों के पास सिक्योरिटी जमा के रूप में पाँच वर्ष से अधिक समय पहले पूर्ण कार्यों से सम्बन्धित 7.04 करोड़ रुपये की राशि बचत/चालू खातों में निष्क्रिय पड़ी रही।

(प्रस्तर 2.1.10)

भाग ली गयी निविदाओं में अर्जित कार्यों की सफलता दर अत्यन्त दयनीय 3.85 से 10.53 प्रतिशत के मध्य विचरित थी।

(प्रस्तर 2.1.16)

निविदाओं के गलत आंकलन, व्यक्तिगत ठेकेदारों को कार्य सौंपने तथा ग्राहक द्वारा त्रुटिपूर्ण कार्य एवं कार्य निष्पादन में विलम्ब हेतु की गयी कटौतियों के कारण आठ कार्यों के निष्पादन में 10.02 करोड़ रुपये की हानि अवलोकित हुई।

(प्रस्तर 2.1.17 से 2.1.24)

कम्पनी ने इकाइयों में अधिक मात्रा में उपलब्धता के बावजूद 9.49 करोड़ रुपये की शटरिंग सामग्रियाँ क्रय की।

(प्रस्तर 2.1.37)

2.54 करोड़ रुपये की स्टील शटरिंग सामग्री की कमी पाई गई थी।

(प्रस्तर 2.1.38)

दस वर्षों से अधिक पहले पूर्ण कार्यों से सम्बन्धित 7.06 करोड़ के देनदारों के परिसमापन हेतु किसी टास्क फोर्स का गठन नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.1.41)

907 से 1,007 कर्मचारी अधिक थे जिसका वित्तीय भार 2002-03 तक पाँच वर्षों में 19.95 करोड़ रुपये था।

(प्रस्तर 2.1.43)

अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के पश्चात् मूल विभागों में प्रत्यावर्तन के शासनादेशों के बावजूद, 31 कर्मचारी 6 से 28 वर्षों तक की अवधि से प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे।

(प्रस्तर 2.1.44)

प्रस्तावना

2.1.1 उचित दर पर कार्यों के निष्पादन एवं व्यक्तिगत ठेकेदारों को स्थानापन्न करने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (कम्पनी) की स्थापना पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में मई 1975 में की गयी थी। कम्पनी सामान्यत: कार्यों का निष्पादन प्रति दर कार्मिक (पीआरडब्ल्यू) पद्धति से कराती है जिसके अन्तर्गत पीआरडब्ल्यू ठेकेदार आवश्यक मजदूरों एवं छोटे-छोटे औजारों की व्यवस्था कराता है तथा उत्पादकता के आधार पर कार्य सम्पन्न करता है।

उद्देश्य

2.1.2 कम्पनी के मुख्य उद्देश्य हैं:

- सड़कों व भवनों, बैराज, बाँधों एवं एक्वाडक्ट, पुलों, नालियों इत्यादि का निर्माण रख-रखाव एवं विकास करना;
- सभी प्रकार के भवनों तथा सड़कों से सम्बन्धित सभी प्रकार की निर्माण सामग्रियों, इक्विपमेंट, औजारों एवं मशीनों का निर्माण करना, क्रय करना, विक्रय करना, स्थापित करना, कार्य करना, बदलाव करना, विकसित करना, व्यवहार-कौशल या अन्यथा व्यवहृत करना; तथा
- निर्माण, रख-रखाव या प्रबन्धन हेतु राज्य सरकार की किसी भी सड़कों तथा भवनों का क्रय करना, पट्टे पर लेना या अन्यथा अधिग्रहण करना।

समीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी राज्य एवं देश स्तर पर मुख्यत: भवनों एवं सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव कार्य में संलग्न थी।

संगठनात्मक ढाँचा

2.1.3 कम्पनी का प्रबंधन एक निदेशक मण्डल में निहित है जिसमें सरकार द्वारा नामित निदेशकों सहित कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक 12 निदेशक होते हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा नामित तीन निदेशकों सहित 9 निदेशक हैं। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव कम्पनी के पदेन अध्यक्ष हैं। प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है जिसकी दैनिक प्रशासन में, मुख्यालय पर एक मुख्य महाप्रबन्धक, पाँच महाप्रबन्धकों एवं एक वित्तीय परामर्शदाता द्वारा तथा फील्ड इकाइयों के प्रमुख परियोजना प्रबन्धकों/सहायक परियोजना प्रबन्धकों के पर्यवेक्षण हेतु 9 सहायक महाप्रबन्धकों द्वारा सहायता की जाती है।

2003-04 तक पाँच वर्षों में 9 व्यक्तियों ने 20 दिन से 18 महीने की अवधि के लिए प्रबन्ध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया। मुख्य अधिशासी के बार-बार

बदलने से उसे प्रभावकारी नियोजन, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया जिसमें कार्य प्रगति बाधित रही।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

2.1.4 कम्पनी के सम्बन्ध में 'सामग्री तथा मशीनों का क्रय एवं उपयोग' तथा 'देनदारियों की वसूली' विषयों पर समीक्षायें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के क्रमशः 31 मार्च 1991 तथा 1996 को समाप्त होने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में प्रतिवेदित किये गये थे। वर्ष 1991 के लिये 'सामग्री तथा मशीनों का क्रय एवं उपयोग' समीक्षा पर सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (कोपू) द्वारा 1994-95 से 1998-99 के दौरान चर्चा की गयी तथा सितम्बर 2003 में संस्तुतियाँ की गयीं जो कि **परिशिष्ट-10** में वर्णित हैं। प्रबन्धन द्वारा, तथापि कृतकार्यवाही का विवरण नहीं उपलब्ध कराया गया (अगस्त 2004) कोपू की संस्तुतियों को प्रस्तुत समीक्षा के प्रस्तर 2.1.31 में उद्धत किया गया है। वर्ष 1996 के लिए 'देनदारियों की वसूली' समीक्षा पर कोपू द्वारा सितम्बर 1998 से अगस्त 2003 के दौरान आंशिक रूप से चर्चा की गयीं तथा संस्तुतियाँ अभी प्रतीक्षित है (अगस्त 2004)।

कम्पनी के समस्त निर्माण क्रियाकलाप 9 क्षेत्रों में विस्तृत हैं। 2002-03 तक पाँच वर्षों की अवधि को आच्छादित करते हुए, तीन क्षेत्रों (मध्य, दक्षिण मध्य तथा दिल्ली) का सर्वाधिक टर्नओवर के आधार पर चयन करके प्रस्तुत समीक्षा का सम्पादन किया गया है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के क्रियाकलापों की समीक्षा के लेखा परीक्षा बिन्दुओं को प्रबन्धन तथा सरकार को जून 2004 में, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों हेतु लेखा परीक्षा समीक्षा समिति (एआरसीपीएसई) की बैठक में भाग लेने के लिये विशेष आग्रह के साथ प्रतिवेदित किया था जिससे कि समीक्षा को अंतिम रूप देने से पहले सरकार/प्रबन्धन के विचार बिन्दुओं को सुविचारित कर सम्मिलित किया जा सके। सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव (राज्य सरकार के प्रतिनिधि) तथा कम्पनी के प्रबन्धन के साथ एआरसीपीएसई की बैठक 10 अगस्त 2004 को आहूत हुई। सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों को समीक्षा को अंतिम रूप देने के दौरान संज्ञान में लिया गया है।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

2.1.5 कम्पनी के क्रियाकलापों के विभिन्न पक्षों पर लेखा परीक्षा बिन्दुओं की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम

2.1.6 कम्पनी की 2002-03 तक के पाँच वर्षों की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट-11** में दी गई है।

2.1.7 कम्पनी की कार्यचालन परिणाम 2002-03 तक पाँच वर्षों के लिए **परिशिष्ट-12** में दिया गया है।

परिशिष्ट से यह दृष्टव्य होगा कि:

- कम्पनी का सकल लाभ (परामर्शीय कार्यों से प्राप्त आय को सम्मिलित करते हुए) 1998-99 में 22.09 करोड़ रुपये से बढ़कर 2002-03 में 32.38 करोड़ रुपये हो गया। यद्यपि यह वर्ष 1998-99 में 28.78 करोड़ रुपये के प्रशासनिक व्यय के वर्ष 2002-03 में 36.97 करोड़ रुपये तक बढ़ जाने के कारण समायोजित हो गया।
- कम्पनी लगातार परिचालन हानि वहन करती रही जो 2002-03 तक पाँच वर्षों में 29.49 करोड़ रुपये संकलित हुई।
- शुद्ध लाभ/हानि को कम्पनी द्वारा सरकारी कोषों को सावधि जमा खातो में रखकर अर्जित ब्याज के परिप्रेक्ष्य में, जो कि 1998-99 में 2.64 करोड़ रुपये से 2002-2003 में 3.73 करोड़ रुपये के मध्य विचरित था, देखा जाना चाहिये। इसके अभाव में 1998-99 में 1.91 करोड़ रुपये तथा 2001-02 में 3.28 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि क्रमश: 2.64 करोड़ रुपये तथा 2.62 करोड़ रुपये से बढ़ गई होती। इसी तरह, 1999-2000 में 0.29 करोड़ रुपये, 2000-01 में 0.51 करोड़ रुपये तथा 2002-03 में 1.70 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ क्रमश: 3.64 करोड़ रुपये, 2.10 करोड़ रुपये तथा 2.03 करोड़ रुपये के शुद्ध हानि में परिवर्तित हो गये होते।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि 1997-98 से सेन्टेज 15 प्रतिशत से घटकर 12.5 प्रतिशत हो जाने, प्रशासनिक व्यय में बढ़ोत्तरी तथा सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कम्पनियों को कार्य सौंपने के कारण कार्य में कमी के कारण परिचालन हानि हुई। प्रबन्धन का उत्तर यह संकेत करता है कि कम्पनी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के सापेक्ष सरकार से कार्य अर्जन में गतिशीलता बरकरार नहीं कर सकी जो कि प्रशासनिक व्यय की पूर्ति न होने के रूप में परिणामित हुई। कम्पनी टर्नओवर बढ़ाकर कार्यचालन हानियों को बचा सकती थी। जहाँ तक सेन्टेज प्रतिशत में कमी का सम्बन्ध है, कम्पनी को सामग्री की लागत में बढ़ोत्तरी (स्फीत ट्रेन्ड के कारण) से प्रतिपूर्ति प्राप्त हो रही है जिस पर सेन्टेज का भुगतान मिलता है।

बजटीय नियंत्रण

बजट प्रक्रिया एवं बजटीय नियंत्रण प्रणाली में त्रुटि

2.1.8 नियमावली के प्रस्तर 1118 से 1120 के अनुसार मुख्यालय पर आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार करने तथा निदेशक मण्डल से स्वीकृत हेतु इकाइयों द्वारा आगणित कार्य मूल्य तथा बार चार्ट* के आधार पर प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक सामग्री पर व्यय भेजना चाहिए। यह देखा गया कि इस प्रकार की कोई सूचना फील्ड इकाइयों द्वारा नहीं भेजी गयी तथा मुख्यालय पर लम्बित/आशान्वित आदेशों के आधार पर बजट तैयार किया गया। इस प्रकार बजट वास्तविक नहीं

* चालू कार्यों के आनुपातिक मात्रा/मूल्य तथा अगले वर्ष में लिये जाने वाले नये कार्यों की मात्रा/मूल्य को दण्ड के द्वारा दर्शाने वाला चार्ट ।

था जैसा कि बजट में प्रावधानित एवं वास्तविक निष्पादन में भारी भिन्नता से अवलोकित होता है (परिशिष्ट-13)। इस प्रकार यह बजटीय नियंत्रण का उद्देश्य प्राप्त करने में विफल रही जैसा कि निम्न से दर्शित होता है:

- कम्पनी ने लागत नियंत्रण क्रियान्वित करने हेतु अवधि अन्तराल पर भिन्नता विश्लेषण नहीं किया;
- 1998-99 के अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष में 0.69 करोड़ रुपये से लेकर 2.09 करोड़ रुपये तक के शुद्ध परिचालन हानि का प्रावधान बजट में ही किया गया था। वास्तविक निष्पादन, तथापि, 3.84 करोड़ रुपये से लेकर 8.84 करोड़ रुपये की शुद्ध परिचालन हानियाँ दर्शाता है जो कि मुख्यत: मजदूरी लागत तथा वेतन व भत्ते में अधिक व्यय के कारण था।
- नियमावली के प्रस्तर 1121 के अनुसार प्रत्यक्ष मजदूरी पर व्यय, सामग्री लागत का 25 प्रतिशत होना चाहिए। बजट में, तथापि, प्रत्यक्ष मजदूरी लागत के लिए 38.25 से 47.02 प्रतिशत तक का प्रावधान किया गया जबकि वास्तविक निष्पादन में 31 मार्च 2003 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों में यह 43.95 से 56.35 प्रतिशत तक थी। यह संकेत करता है कि प्रबन्धन ने मजदूरी लागत को स्वीकार्य सीमा के अन्दर बरकरार रखने के लिए सक्षम लागत नियंत्रण प्रणाली की स्थापना नहीं की थी।
- नियमावली के प्रस्तर 1123 तथा 1125 के अनुसार वेतन एवं भत्ते, प्रत्यक्ष सामग्री लागत तथा मजदूरी लागत के 5.65 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए (क्षेत्रीय अधिष्ठान व्यय-3 प्रतिशत, अवकाश वेतन तथा भविष्य निधि अंशदान-1.15 प्रतिशत तथा मुख्यालय व महाप्रबन्धक कार्यालय व्यय-1.50 प्रतिशत)। बजट में तथापि, वेतन भत्ते का प्रावधान प्रत्यक्ष सामग्री लागत व मजदूरी लागत का 9.67 से 13.54 प्रतिशत तक किया गया जबकि वास्तविक निष्पादन में 31 मार्च 2003 के अन्त तक पाँच वर्षों में यह 12.80 से 20.40 प्रतिशत तक रहा। मानक की तुलना में वेतन भत्ते पर भारी व्यय का मुख्य कारण कम्पनी में मानव शक्ति का आधिक्य था जैसा कि आगामी प्रस्तर 2.1.43 में चर्चा की गयी है। उपरिव्ययों की भली भांति प्रतिपूर्ति टर्नओवर बढ़ाकर करने की योजना बनाने के बजाय, 2001-02 तथा 2002-03 के लक्ष्यों का निर्धारण पूर्व वर्षो की तुलना में निम्न स्तर पर किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि बजट इकाइयों से पूर्व वर्षो के आय-व्यय तथा आगामी वर्ष में आशान्वित कार्यो के आधार पर तैयार किया गया था तथा बजटीय नियंत्रण मुख्यालय पर इकाइयों से प्राप्त विवरणों के आधार पर किया गया। जहाँ तक मजदूरी लागत में सामग्री लागत के 25 प्रतिशत से अधिक व्यय का सम्बन्ध है, यह 1997-98 में सेन्टेज को 15 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत करने के कारण था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मैनुअल के प्रस्तर 1118 से 1120 के प्रावधानों का अनुपालन बजट तैयार करते समय नहीं किया गया और जहाँ तक सेन्टेज का सम्बन्ध है, इसका प्रत्यक्ष मजदूरी लागत से कोई सम्बन्ध नहीं

है। प्रबन्धन ने लक्ष्यों के निर्धारण हेतु समबिन्दु के निर्धारण के साथ-साथ मजदूरी लागत के मानक की समीक्षा व पुनर्निर्धारण भी नहीं किया।

कोष का उपयोग

2.1.9 कम्पनी की कार्यशील पूँजी की आवश्यकता की पूर्ति निविदा कार्यों के विरूद्ध ग्राहकों से प्राप्त मोबलाइजेशन अग्रिम और बजट के माध्यम से सरकार द्वारा निक्षेप कार्यों के लिए प्राप्त धन से होती है।

फील्ड इकाइयों में पड़ा हुआ निष्क्रिय कोष

2.1.10 कम्पनी को चाहिए कि फील्ड इकाइयों पर पड़े हुए निष्क्रिय धन को उसके अधिकतम उपयोग हेतु संकलित करें। लेखा परीक्षा के दौरान यह अवलोकित हुआ कि उन कार्यों से सम्बन्धित जो पाँच वर्षों से भी अधिक पहले पूर्ण हो चुके थे, निम्न विवरणानुसार, मार्च 2003 के अन्त तक 7.04 करोड़ रुपये का धन फील्ड इकाइयों में अप्रयुक्त पड़ा रहा। कम्पनी के मुख्यालय पर देयताओं के विवरण के अभाव में; यह अवरूद्ध कोषों के उपयोजन हेतु उनके संकलन एवं अनुश्रवण में विफल रही।

(करोड़ रुपये में)

कोष का विवरण	कार्य स्थलों की संख्या	धनराशि
बचत खातों में पड़ा हुआ कोष	141	3.57
चालू खातों में पड़ा कोष	24	0.13
पीआरडब्ल्यू ठेकेदारों के विरूद्ध असुरक्षित अग्रिम	83	0.37
निविदा कार्यों के सम्बन्ध में सिक्योरिटी जमा	67	2.97
योग		**7.04**

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि उपरोक्त में से 1.19 करोड़ रुपये का समायोजन, बैंक खातों को बन्द करके, पीआरडब्ल्यू ठेकेदारों के विरूद्ध अग्रिमों का समायोजन कर तथा जमानत की वापसी द्वारा कर लिया गया है तथा शेष प्रकरणों में कार्यवाही प्रगति पर है।

वैयक्तिक खाते (पीएलए)

2.1.11 बजट में प्रावधानित राज्य सरकार के निक्षेप कार्यों के लिए कोषों का निर्गमन कम्पनी के वैयक्तिक खाते में सम्बन्धित विभागों के माध्यम से किया जाता है। वैयक्तिक खाते से आहरण मासिक आधार पर कार्यों के लिए त्वरित आवश्यकता के विरूद्ध राज्य सरकार के सचिव (वित्त) की स्वीकृति से किया जाता है।

पाँच वर्षों में वैयक्तिक खाते से आहरण तथा इनके विभिन्न कार्यों हेतु आवंटन की स्थिति का विवरण निम्नवत् है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
प्रारम्भिक शेष	32.11	17.79	12.23	24.94	40.08
वैयक्तिक खाते में कोष का आगमन	42.88	19.89	33.51	57.24	166.73

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
वैयक्तिक खाते में उपलब्ध सकल कोष	74.99	37.68	45.74	82.18	206.81
स्वीकृत आहरण	57.20	25.45	20.80	42.10	66.77
अन्तिम कोष	17.79	12.23	24.94	40.08	140.04
कार्यों को आवंटित कोष	उपलब्ध नहीं	24.63	20.44	37.14	63.68
कार्यों को आवंटित कोष का वैयक्तिक खाते से आहरित कोष की प्रतिशतता	–	96.78	98.27	88.22	95.37

इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु विचारणीय है:

- कार्य वार विवरण प्रस्तुत किये बिना ही वैयक्तिक खाते से एकमुश्त धनराशि आहरण के लिए प्रार्थना की गई और सरकार द्वारा एकमुश्त धनराशि की आज्ञा प्रदान की जाती रही।
- शासन द्वारा अवमुक्त कोष के कार्यानुसार विवरण के अभाव में निर्गमित कोष का समाधान सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त, कार्य विशेष की स्वीकृत लागत से अधिक आहरण एवं व्यय के जोखिम का अवसर बरकरार रहता है जैसा कि आगामी प्रस्तर 2.1.28 में उल्लेख किया गया है।
- शासन द्वारा निर्गमित कोषों के कार्यवार विवरण के अभाव में, कम्पनी ने अपने स्तर से विभिन्न कार्यों हेतु कोष आवंटित किया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि वैयक्तिक खाते से कोष को आहरण की माँग विभागवार की गयी थी और कम्पनी द्वारा आहरण व व्यय का उचित हिसाब किताब रखा गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभागवार कोष के आहरण के परिणामस्वरूप विभाग के विभिन्न कार्यों पर व्यय किये जाने वाली धनराशि पर नियंत्रण का अभाव रहा है (कम्पनी एक विभाग के विभिन्न कार्यों का निष्पादन एक साथ करती है)।

शासन/ग्राहकों को अप्रयुक्त कोष वापस न किया जाना

कम्पनी ने शासन/ग्राहकों को 9.57 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त धनराशि वापस नहीं की।

2.1.12 नियमावली के प्रस्तर 39 में कार्य समाप्ति पर अप्रयुक्त धनराशि को शासन/ग्राहकों को वापस किये जाने का प्रावधान है। कम्पनी ने, तथापि, 1975 से मार्च 2003 तक 538 पूर्ण कार्यों जिनके खाते मुख्यालय के खाते में समाहित हो चुके थे, के सम्बन्ध में 9.57 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त शेष राशि की वापसी शासन/ग्राहकों को नहीं की।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि ग्राहकों से व्यय की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण आधिक्य धनराशि उन ग्राहकों को वापस नहीं की गई जिन्हें अन्य कार्यों के सम्बन्ध में कम्पनी को भुगतान करना था। उत्तर भ्रमात्मक है क्योंकि आधिक्य की वापसी के पूर्व व्यय की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रावधान नियमावली में नहीं है। इसके अतिरिक्त, एक कार्य के विरूद्ध आधिक्य कोष को अन्य कार्यों हेतु आवंटित नहीं किया जा सकता।

संविदा प्रबन्धन

2.1.13 कम्पनी मुख्यत: 'निविदा कार्य' तथा 'निक्षेप कार्य' निष्पादित करती है। कम्पनी द्वारा निविदा कार्य का अर्जन खुली निविदाओं में भाग लेकर किया जाता है। निक्षेप कार्य, लागत पर 12.5 प्रतिशत सेन्टेज प्रभार सहित के आधार पर राज्य के सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सौंपे जाते है।

कार्य प्रबन्धन को शासित करने सम्बन्धी नियमावली के महत्वपूर्ण प्रावधानों को नीचे वर्णित किया गया है:

- प्रस्तर 29 में कार्य निष्पादन के दौरान अपनाये जाने वाले लागत नियंत्रण उपायों का प्रावधान किया गया है जो कि आइटम दर कार्यो पर व्यय को मूल लागत तक सीमित करते है।
- प्रस्तर 39 के अनुसार व्यय को ग्राहक से प्राप्त धनराशि तक सीमित रखना चाहिये।
- प्रस्तर 65 के अनुसार निविदा आगणन के पूर्व निर्माण सामग्री, सार्वजनिक सुविधाओं एवं स्थानीय मजदूरों की उपलब्धता अन्य स्थानीय परिस्थितियों इत्यादि के आंकलन हेतु निविदा प्रकोष्ठ द्वारा स्थल सर्वेक्षण किया जाना चाहिये।
- प्रस्तर 68 के अनुसार निविदा आगणन के पूर्व तकनीकी एवं वित्तीय विभागों के प्रमुखों की सहमति प्राप्त कर ली जानी चाहिये।
- प्रस्तर 69 तथा 70 के अनुसार, निविदा डालने के लिए, स्थल सर्वेक्षण तथा कार्य की विशिष्टियों के आधार पर कार्य की समस्त मदों की वास्तविक प्राइम लागत की गणना कर ली जानी चाहिये।
- प्रस्तर 93 के अनुसार कार्य निष्पादन के दौरान मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक प्रतिवेदनों जैसे संभावना प्रतिवेदन (त्रैमासिक), रोकड़ आगमन (अर्द्धवार्षिक), चालू भुगतान (त्रैमासिक), संविदा दर एवं वास्तविक दर का तुलनात्मक प्रतिवेदन (वार्षिक), विचलन प्रतिवेदन (त्रैमासिक) इत्यादि के माध्यम से निरन्तर अनुश्रवण किया जाना चाहिये।
- प्रस्तर 468 के अनुसार जहाँ पर कम्पनी कार्य करने की स्थिति में नहीं है, प्रबन्ध निदेशक कारणों का लिखित उल्लेख करते हुए कार्य को उप ठेकेदारों से कराने की अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है। इस प्रकार के सभी प्रकरण आगामी बैठक में निदेशक मण्डल के संज्ञान में जाने चाहिये।
- प्रस्तर 473 के अनुसार उप ठेके पर कार्य कराये जाने वाले सभी प्रकरणों में यह आवश्यक है कि 4 अंग्रेजी एवं हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर खुले व सार्वजनिक तरीके से निविदायें आमंत्रित की जाय।

नमूना जाँच के लिए चयनित तीन अंचलों में प्रत्येक एक करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले 134 चालू कार्य थे (42 निविदा और 92 निक्षेप)। 34 कार्यो (17

निविदा व 17 निक्षेप) की लेखा परीक्षा से ज्ञात हुआ कि नियमावली के उपरोक्त प्रावधानों का कमोबेश अनुपालन नहीं हुआ। परिणामत: 34 में से 8 निविदा कार्यो में बदतर अनुश्रवण, अव्यवहारिक दरों पर निविदा देने, संविदा समाप्ति एवं दावे के त्रृटिपूर्ण संगणन के कारण 10.02 करोड़ रुपये की हानि हुई।

लक्ष्यों के निर्धारण एवं उपलब्धि में कमी

निविदा कार्यो का लक्ष्य प्राप्त करने में कमी 49.56 से 69.86 प्रतिशत के मध्य थी जो मुख्यतया निविदा कार्यो को हासिल करने में दयनीय सफलता के कारण थी।

2.1.14 वर्ष 2003 तक पाँच वर्षो के दौरान कम्पनी के लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ निम्नवत् सारणीबद्ध है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
लक्ष्य					
निविदा कार्य टर्नओवर	100.00	110.00	110.00	100.00	60.00
निक्षेप कार्य टर्नओवर	170.00	190.00	200.00	160.00	200.00
सकल बजटीय टर्नओवर	270.00	300.00	310.00	260.00	260.00
सकल पुनरीक्षित बजटीय टर्नओवर	245.00	200.00	202.00	205.00	225.00
उपलब्धियाँ					
वास्तविक निविदा कार्य टर्नओवर	50.44	36.30	55.17	30.14	26.26
वास्तविक निक्षेप कार्य टर्नओवर	181.53	156.62	146.06	173.78	215.77
सकल वास्तविक टर्नओवर	231.97	192.92	201.23	203.92	242.03
सम्बन्धित कमियों की प्रतिशतता					
सकल मूल बजटीय टर्नओवर	14.08	35.69	35.08	21.57	6.91
लक्षित निविदा कार्य टर्नओवर	49.56	67.00	49.85	69.86	56.23
लक्षित निक्षेप कार्य टर्नओवर	--	17.57	26.97	--	--

इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु विचारणीय हैं:

- वर्ष 2002-03 तक पाँच वर्षो में निविदा कार्यो के लक्ष्य की उपलब्धि में 49. 56 से 69.86 प्रतिशत की कमी रहीं जो मूल लक्ष्यों की प्राप्ति में समग्र रूप से इसी अवधि में 6.91 से 35.69 प्रतिशत की कमी में परिलक्षित रहा। लेखा परीक्षा के दौरान यह अवलोकित किया गया कि लक्ष्यों की पूर्ति में कमी के मुख्य कारण निविदा कार्यार्जन में दयनीय सफलता दर, ग्राहकों द्वारा कार्य वापस लिया जाना तथा दावों के समाधान में विवाद इत्यादि थे जैसा कि आगामी प्रस्तर 2.1.16 से 2.1.24 में चर्चा की गयी है।
- प्रबन्धन, लक्ष्यों की उपलब्धि हेतु कठिन प्रयास करने की बजाय प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में लक्ष्यों को निम्नतर स्तर पर पुनरीक्षित करने का आसान रवैया अपनाता रहा।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि निक्षेप कार्यो के लिए बजट लक्ष्यों को, प्रशासनिक/विभागीय/न्यायालय आदेश के परिप्रेक्ष्य में कुछ निश्चित कार्यो को रोके जाने के फलस्वरूप, बजट निर्धारण के समय आशान्वित कोष की अपेक्षा ग्राहक से कम धन प्राप्त होने के कारण पुनरीक्षित करना पड़ा। निविदा कार्यो में कमी निजी संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा के कारण थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक वर्ष में वैयक्तिक खाते, सावधि जमा एवं बैंक में भारी रोकड़ शेष बचा था (परिशिष्ट-11), जो कि निक्षेप कार्यो की लक्ष्य पूर्ति हेतु टर्नओवर बढ़ाने में प्रयुक्त

किये जा सकते थे। निविदा कार्यों में कमी की पूर्ति वित्तीय प्रभार एवं लागत नियंत्रण को विवेकपूर्ण बनाते हुए निविदा में सुधार कर किया जा सकता था जैसा कि आगामी प्रस्तर 2.1.16 में चर्चा की गयी है। एआरसीपीएसई बैठक (अगस्त 2004) में सचिव (सानिवि) ने कम्पनी को निम्नतम निविदा के बावजूद कार्य नहीं दिये जाने के प्रकरणों को सरकार के संज्ञान में लाये जाने हेतु निर्देशित किया। कम्पनी को अभी भी कार्यवाही करनी थी (सितम्बर 2004)।

निविदा कार्य

कम्पनी ने निविदा आमंत्रण सूचनाओं के सम्बन्ध में किसी मूलभूत आंकड़ों का संकलन नहीं किया था तथा भाग ली गई निविदाओं में सफलता की दर 3.85 से 10.53 प्रतिशत के मध्य थी।

2.1.15 कम्पनी ने मुख्यालय पर सामान्य प्रबन्धक (संविदा) के नियंत्रण में एक 'निविदा प्रकोष्ठ' स्थापित कर रखा है। प्रकोष्ठ निविदा प्रक्रिया में भाग लेकर निविदा कार्य अर्जित करता है। निविदा कार्यों की लागत का आगणन प्रकोष्ठ द्वारा किया' जाता है। प्रकोष्ठ निश्चित लाभ सुनिश्चित करने हेतु निविदा कार्यों के अनुश्रवण हेतु भी उत्तरदायी है। निविदा प्रक्रिया में अनियमितताओं की चर्चा आगामी प्रस्तर में की गयी है।

2.1.16 31 मार्च 2003 को समाप्त पाँच वर्षों में प्रकोष्ठ द्वारा निविदाओं में भाग लिये जाने एवं इसकी सफलता का विश्लेषण निम्नवत् है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	योग
भाग ली गयी निविदाएं						
संख्या	14	52	62	41	19	188
मूल्य	50.47	311.22	572.56	130.25	161.95	1226.45
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की न्यूनतम निविदाएं						
संख्या	शून्य	9	8	4	2	23
मूल्य	शून्य	23.61	59.48	30.25	6.11	119.45
अर्जित निविदाएं						
संख्या	शून्य	2	6	3	2	13
मूल्य	शून्य	9.99	55.12	23.48	6.11	94.70
सफलता दर*						
संख्या	0.00	3.85	9.68	7.32	10.53	6.91
मूल्य	0.00	3.21	9.63	18.03	3.77	7.72

इस सम्बन्ध में निम्न बातें उल्लेखनीय है:

- प्रबन्धन ने दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा सूचनाओं (एनआईटी) एवं उनमें भाग न लेने के कारणों का उल्लेख करने सम्बन्धी कोई मूलभूत आँकड़ों का संकलन नहीं किया।
- भाग ली गयी निविदाओं में सफलता दर 3.85 से 10.53 प्रतिशत के मध्य रही।
- कम्पनी 23 निविदाओं में न्यूनतम थी परन्तु अंतिम रूप से मात्र 13 निविदाओं में ही कार्यादेश प्राप्त हो सका।

* भाग ली गयी निविदाओं के सापेक्ष अर्जित निविदाओं का प्रतिशत ।

- न्यूनतम निविदादाता होने के बावजूद उन प्रकरणों में जिनमें निविदा प्राप्त नहीं हुई के विश्लेषण की स्वत: मूल्यांकन प्रणाली नहीं है जिससे कि उत्तरदायी कारणों को उजागर किया जा सके तथा यह प्रकरण निदेशक मण्डल के संज्ञान में कभी नहीं लाया गया।
- प्रबन्धन ने निविदा कार्य अर्जित किया और बिना वित्तीय लाभ का विश्लेषण किये उनका निष्पादन कार्य ठेकेदारों/उप ठेकेदारों को बैक टू बैक आधार पर सौंप दिया।
- नियमावली के प्रस्तर 468 के अनुसार प्रबन्ध निदेशक द्वारा स्वीकृत उप ठेकेदारी पर दिये जाने वाले प्रकरणों को निदेशक मंडल के संज्ञान में लाया जाना आवश्यक है। तथापि इन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया जिसकी परिणति ठेकेदार के लाभांश की हानि तथा संविदा वापस लिये जाने के बाद विभागीय साधनों से कार्य कराये जाने के रूप में हुई। प्रकरणों को आगामी प्रस्तर 2.1.22 एवं 2.1.23 में वर्णित किया गया है।
- कम्पनी ने 2002-03 के अन्त तक पाँच वर्षों में पहल के अभाव के कारण विदेशी निविदाओं में भाग नहीं लिया।
- निविदा में वित्तीय भारिता के लिये कोई सुनिश्चित नीति नहीं थी। अधोलिखित तालिका से यह स्पष्ट होगा कि निविदा के अन्तिम रूप से तैयार किये जाने में यह 11.50 से 31.50 प्रतिशत के मध्य विस्तारित रहा:

(करोड़ रुपये में)

निविदा कार्य का नाम	प्रस्तुति की तिथि	आगणित लागत	उप्ररानिनिलि की निविदा	वित्तीय प्रभार (प्रतिशत)	न्यूनतम निविदा
दादूपुर में पथराला बांध का प्रतिस्थापन, सिंचाई विभाग	18.5.99	16.25	18.84	15.96	18.50
नाल्को के लिए असंयन्त्रीय इमारत का निर्माण	6.7.99	3.00	4.59	31.50	4.47
बाण सागर नहर में खुदाई व भराई का कार्य	11.10.99	लागू नहीं	2.22	18.00	2.21
उत्तर प्रदेश वन शोष संस्थान के लिए कार्यालय इमारत, 10 शैय्या वाला अस्पताल तथा आवासीय खण्ड का निर्माण	3.2.2000	1.09	0.99	11.50	0.98
हूडा हरियाणा के लिए आडिटोरियम	16.4.2002	5.40	6.09	12.50	6.08

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि:

- अंचल कार्यालयों से प्राप्त निविदाओं का स्थिति प्रतिवेदन, प्रबन्ध निदेशक के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे परन्तु, कुछ निश्चित प्रकरणों में, ग्राहकों द्वारा विवरण नहीं दिये गये थे।

- प्रत्येक निविदा विस्तृत परीक्षण के पश्चात् ही डाली गई थी और उप ठेके पर बैक टू बैक के आधार पर कार्य दिये जाने का निर्णय निविदा डालने के समय लिया गया था।
- बैक टू बैक आधार पर उप ठेके पर दिये जाने के निर्णय भविष्य में निदेशक मण्डल को प्रस्तुत किये जायेंगे।
- विदेशी ठेकों में भाग न लिये जाने का कारण भारी औजारों का अभाव था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उप ठेके पर कार्य कराने का निर्णय निविदा प्रस्तुत करने के बाद लिया गया, जैसा कि आगामी प्रस्तर 2.1.22 में चर्चा की गई है। जहाँ तक भारी औजारों का सम्बन्ध है इन्हें सम्बन्धित देशों में किराये पर लेकर काम किया जा सकता था।

कार्य का दयनीय अनुश्रवण

कार्य में 4.34 करोड़ रुपये की हानि अवश्यसम्भावी थी क्योंकि ग्राहक द्वारा कार्य की अशुद्ध मात्रा एवं उच्च दरों पर किये गये दावों को अस्वीकार कर दिया था।

2.1.17 उत्तर प्रदेश मण्डी परिषद के किसान मण्डी भवन का निर्माण कम्पनी द्वारा सितम्बर 1995 में पूर्ण किया गया और जुलाई 1999 में 24.03 करोड़ रुपये का अंतिम बिल प्रस्तुत किया गया था जिसके विरूद्ध ग्राहक ने 21.51 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया था। ग्राहक ने उच्च दर एवं कार्य की मात्रा त्रृटिपूर्ण होने के कारण 4.89 करोड़ रुपये का भुगतान अस्वीकृत कर दिया। ग्राहक ने कम्पनी द्वारा उपभोग विवरण तथा शौच सेवा रेखा की ड्राइंग प्रस्तुत न करने के कारण बिल के विरूद्ध 13.38 करोड़ रुपये का भुगतान रोक लिया। धनराशि पाँच वर्ष से रोकी हुई है। लेखों में प्रावधान न की गयी 1.22 करोड़ रुपये की देनदारी सहित कार्य पर कुल व्यय 23.48 करोड़ रुपये था। यदि ग्राहक द्वारा पूर्ण धनराशि 19.14 करोड़ रुपये (24.03 करोड़ रुपये-4.89 करोड़ रुपये) भी स्वीकार कर लिए जाय तो कार्य पर 4.34 करोड़ रुपये (23.48 करोड़ रुपये-19.14 करोड़ रुपये) की हानि अवश्यसम्भावी है। नियमावली के प्रस्तर 93 के प्रावधानों के अनुसार कार्य के अनुसरण एवं अनुश्रवण के अभाव के कारण संविदा निष्पादन के दौरान हानि का पता नहीं चल सका।

उपभोग विवरण तैयार करने तथा ग्राहक द्वारा माँगी गई ड्राइंग प्रस्तुत करने में असफलता जिसके कारण 13.38 करोड़ रुपये के दावे पाँच वर्ष से अवरूद्ध है, के लिए कर्मचारियों का उत्तरदायित्व कम्पनी द्वारा निर्धारित नहीं किया गया।

कीरत चन्द्र जैन, उप ठेकेदार के साथ निष्पादित संविदा (अगस्त 1991) में देखा गया कि पाइल नींव की लागत संयुक्त क्रय समिति (जेपीसी-ग्राहक व कम्पनी के प्रतिनिधियों से गठित) द्वारा 41.80 लाख रुपये (सामग्री: 19.65 लाख रुपये तथा मजदूरी: 22.15 लाख रुपये) इस शर्त (एग्रीमेंट की धारा 6.4) के साथ तय कर दी गई थी कि सामग्री की लागत बढ़ने पर भी मजदूरी की लागत 22.15 लाख रुपये ही रहेगी। परियोजना प्रबन्धक ने, तथापि, ग्राहक की सहमति के बिना जेपीसी के निर्णय से विचलन किया और सामग्री लागत के बढ़ाये जाने पर मजदूरी लागत भी बढ़ने का सूत्र निर्धारित कर दिया। इस प्रकार, 22.15 लाख रुपये की स्वीकृत लागत के विरूद्ध मजदूरी लागत 47.56 लाख रुपये तक बढ़ गई। ग्राहक ने

25.41 लाख रुपये की अन्तर लागत के दावे को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसकी स्वीकृति नहीं ली गई थी। यह कम्पनी द्वारा 25.41 लाख रुपये की परिहार्य दायित्व के वहन के रूप में परिणामित हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि कम्पनी के दावे का निरीक्षण मण्डी परिषद व कम्पनी के प्रतिनिधियों से गठित एक समिति के विचाराधीन है जिसका निर्णय अभी प्रतीक्षित है।

व्ययों को कार्य के लिए प्राप्त कोषों तक सीमित न रखने के कारण कम्पनी की 1.68 करोड़ रुपये की धनराशि अवरूद्ध रही।

2.1.18 नियमावली के प्रस्तर 39 के अनुसार कार्य पर व्यय ग्राहक से प्राप्त धनराशि तक सीमित होना चाहिए। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने 50.96 करोड़ रुपये की लागत पर इन्दिरा गाँधी प्रतिष्ठान का निर्माण कार्य प्रदान किया (सितम्बर 1993) जो कि कार्यारम्भ से 48 महीने के अन्दर पूर्ण किया जाना था। जुलाई 1996 में सरकार ने परियोजना को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र में परिवर्तित करने का निर्णय लिया जिसका निर्माण एलडीए की बजाय राज्य के पर्यटन विभाग के अन्तर्गत निजी अंशभागिता के माध्यम से कराया जाना था। तद्नुसार 4.16 करोड़ रुपये का व्यय करने के पश्चात् अक्टूबर 1996 में कार्य रोक दिया गया। 1.68 करोड़ रुपये का अन्तिम बिल (मूल्य वृद्धि : 53.69 लाख रुपये, व्यापार कर की वापसी : 9.40 लाख रुपये तथा प्राप्त धन से अधिक व्यय 1.05 करोड़ रुपये) ग्राहक द्वारा आदृत (अप्रैल 2004) नहीं किया गया। यह 1.68 करोड़ रुपये की अवरूद्धता में परिणामित हुआ। यह कार्य पर व्यय को ग्राहक से प्राप्त धनराशि तक सीमित करके बचाया जा सकता था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि शेष भुगतान की वसूली का प्रकरण एलडीए से अनुसारित किया जा रहा है। पुनः यह बताया गया कि सरकार ने अब फिर से कार्य आरम्भ कराने का निर्णय लिया है। लेखा परीक्षा में यह अवलोकित हुआ कि कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ था (अगस्त 2004)।

कार्य में दोष व पूरा करने में देरी के कारण कम्पनी को सड़क कार्य पर 52. 76 लाख रुपये की हानि हुई।

2.1.19 मुरादगंज-फफूंद सड़क का निर्माण (जनवरी 1999) 4.78 करोड़ रुपये के अनुबन्ध लागत पर गेल द्वारा प्रदान किया गया था। कार्य, जो कि जुलाई 1999 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था, वास्तव में जुलाई 2000 में पूर्ण हुआ तथा ग्राहक को 4.25 करोड़ रुपये का बिल प्रस्तुत किया गया (जुलाई 2000)। यह देखा गया कि ग्राहक द्वारा मात्र 3.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया एवं 52.76 लाख रुपये की कटौती निर्धारित हानिपूर्ति (42.48 लाख रुपये) तथा क्षतिग्रस्त सड़क (10.28 लाख रुपये) की मदों में कर ली। कम्पनी का तर्क कि असामाजिक तत्वों तथा राजनैतिक दबाव की क्षेत्रीय समस्या के कारण कार्य निष्पादन में विलम्ब हुआ था, से ग्राहक सहमत नहीं हुआ। यह विलम्ब एवं त्रुटिपूर्ण कार्य के कारण 52.76 लाख रुपये की हानि में परिणामित हुआ जो कि अनुश्रवण नियमावली के प्रस्तर 93 तथा 29 में वर्णित कार्य लागत नियंत्रण उपायों के अनुपालन के अभाव के कारण था। उत्तरदायित्व अभी तक निर्धारित नहीं किया गया (अप्रैल 2004)।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विलम्ब से सड़क हस्तान्तरण के कारण विलम्ब हुआ था और गेल द्वारा अनन्तिम समयवृद्धि

दिये जाने के बावजूद भी निर्धारित हानिपूर्ति वसूल कर ली। यह भी बताया गया कि क्षतिग्रस्त सड़क के लिए वसूली, एक वर्ष की त्रुटि दायित्व अवधि बीतने के बाद की गयी थी जिसके लिये ग्राहक से पत्राचार जारी था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समयवृद्धि अनन्तिम आधार पर अनुमन्य की गयी थी जिससे अन्ततः ग्राहक सहमत नहीं हुआ तथा सड़क की क्षति जुलाई 2000 में हुई जो कि त्रुटि दायित्व अवधि के अन्दर ही था। ग्राहक को जुलाई 2003 में कोई माँग नहीं का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया। इस परिप्रेक्ष्य में कम्पनी ग्राहक से कोई धनराशि वसूल नहीं कर सकी।

अव्यहारिक दरों पर निविदा

2.1.20 कम्पनी के दिल्ली अंचल के महाप्रबन्धक ने नेता जी सुभाष चन्द्र बोस इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (एनएसआईटी) दिल्ली में 3 छात्रावास के निर्माण हेतु निविदा डालने के लिए (नवम्बर 2001) निविदा समिति से अनुमोदन माँगा। अनुमोदन माँगते समय महाप्रबन्धक ने मूल लागत पर 9.50 प्रतिशत वित्तीय प्रभार (निदेशक मण्डल द्वारा मार्च 2000 में निर्धारित 10 प्रतिशत के विरूद्ध) के लिए सुझाव दिया था परन्तु दर विश्लेषण सहित मूल लागत की धनराशि सूचित नहीं की। मूल लागत के विवरण के अभाव में, वित्तीय परामर्शदाता (निविदा समिति के सदस्य) ने, कार्य में हानि की सम्भावना का आभास करते हुए, उसी समय (14 दिसम्बर 2001) महाप्रबन्धक को दूरभाष पर सम्पर्क किया तथा निविदा डालने से मना किया। परन्तु, महाप्रबन्धक ने सूचित कि निविदा पहले से ही उसी दिन प्रेषित की जा चुकी थी। महाप्रबन्धक द्वारा निविदा में भाग लेना नियमावली के प्रस्तर 68 के प्रावधानों के विरूद्ध था तथापि 11.55 करोड़ रुपये की निविदा को ग्राहक द्वारा 11.40 करोड़ रुपये में स्वीकार कर लिया गया (फरवरी 2002)।

वित्तीय परामर्शदाता के साथ हुई बैठक (जनवरी 2002) के दौरान, दिल्ली क्षेत्र के महाप्रबन्धक सहमत हुए कि विभागीय रूप से कार्य कराये जाने में उपरिव्यय आधिक्य के कारण लाभ के बजाय ठेके में हानि होगी और इसीलिए कार्य को बैक टू बैक आधार पर कराये जाने की संस्तुति की। इस प्रकार, हानि से बचने के उद्देश्य से कार्य न्यूकान इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (न्यूकान) को मार्च 2002 में एनएसआई टी द्वारा सहमत दर से 8.5 प्रतिशत कम लागत पर बैक टू बैक शर्तों के आधार पर ग्राहक की अनुमोदन के बिना प्रदान कर दिया।

लेखा परीक्षा के दौरान यह अवलोकित हुआ कि एनएसआईटी से प्राप्त 45 लाख रुपये का अग्रिम (मोबिलाइजेशन अग्रिम : 25 लाख रुपये तथा बैचिंग प्लाण्ट की गिरवी के विरूद्ध : 20 लाख रुपये) बैक टू बैक व्यवस्था के आधार पर न्यूकान को दिया जाना था। कम्पनी ने, तथापि, 70 लाख रुपये का अग्रिम (मोबिलाइजेशन अग्रिम : 50 लाख रुपये तथा बैचिंग प्लाण्ट के विरूद्ध अग्रिम : 20 लाख रुपये) न्यूकान को जारी कर दिया। अगस्त 2002 से जुलाई 2003 के दौरान ग्राहक के पास कोष की कमी के कारण कार्य स्थगित रहा। इसी बीच, अवरोधों को सुलझाने हेतु गठित समिति की संस्तुति (मई 2003) पर मुख्यालय ने अपनी साख बचाने के लिए 84.11 लाख रुपये की संभावित हानि होने के बावजूद भी कार्य

को विभागीय पद्धति पर कराये जाने का निर्णय लिया (नवम्बर 2003)। उप ठेकेदारी तथा संभावित हानि पर विभागीय पद्धति पर कार्य कराये जाने का प्रकरण तथापि, जैसा कि नियमावली के प्रस्तर 468 में वाँछित है, निदेशक मण्डल के संज्ञान में नहीं लाया गया।

अव्यवहारिक लागत पर अनियमित निविदा के कारण कम्पनी को 84.11 लाख रुपये की हानि वहन करनी पड़ी।

इस प्रकार, अव्यवहारिक लागत पर अनियमित निविदा के कारण, कम्पनी को 84.11 लाख रुपये की हानि पर कार्य निष्पादन स्वीकार करना पड़ा। कार्य प्रगति पर था (सितम्बर 2004)।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि 84.11 लाख रुपये की हानि स्टील तथा अन्य सामग्रियों की दरों में वृद्धि के कारण थी। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने स्वयं इसका कारण वेतन के मद में 75 लाख रुपये माना (दिसम्बर 2003) तथा इस व्यय को इकाई के अन्य चालू कार्यों को स्थानान्तरण करने के अतिरिक्त कार्य के बेहतर प्रबन्धन द्वारा 9.11 लाख रुपये (सामग्रियों की दरों में वृद्धि के कारण) की शेष हानि की पूर्ति हेतु महाप्रबन्धक को निर्देशित किया।

2.1.21 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के क्षेत्रीय कार्यालय के भवन के पूर्व ठेकेदार द्वारा छोड़े गये कार्य को पूर्ण करने के लिए कम्पनी ने 3.53 करोड़ रुपये की निविदा प्रस्तुत की (मई 1999)। निविदा स्वीकार कर ली गई तथा कार्य के कुछ मदों को छोड़कर 3.49 करोड़ रुपये हेतु आशय पत्र अगस्त 1999 में निर्गत हो गया। कार्य 22.64 लाख रुपये के विचारित लाभ के विरूद्ध मात्र 5.55 लाख रुपये के लाभ के साथ पूर्ण कर ग्राहक को दिसम्बर 2001 में हस्तान्तरित किया जा सका। लेखा परीक्षा के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि कम्पनी विचारित लाभ अर्जित नहीं कर सकी क्योंकि:

- स्ट्रक्चरल स्टील कार्य (अग्निरक्षित पेण्ट के साथ) का निष्पादन 26.31 रुपये प्रति किलोग्राम की सीलिंग लागत के विरूद्ध 40.78 प्रति किलोग्राम पर कराया गया जो कि 13.46 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत के रूप में परिणामित हुआ। स्ट्रक्चरल स्टील कार्य पर अधिक खर्च का कारण निविदा स्तर पर अग्निरक्षक पेण्ट की दर 14 रुपये प्रति किलो लिया जाना था जबकि यह वास्तव में 190 रुपये प्रति किलोग्राम पर क्रय किये गये थे।
- निविदा के समय (मई 1999) टर्नओवर टैक्स प्रचलन में नहीं था परन्तु यह दिसम्बर 1999 से लागू हो गया। निविदा में, तथापि, भविष्य में वैधानिक करादेयों के भुगतान हेतु कोई धारा नहीं थी। परिणामत: 4.30 लाख रुपये का टर्नओवर टैक्स कम्पनी को वहन करना पड़ा।

प्रबन्धन ने पेन्ट की लागत के गलत विश्लेषण को स्वीकार करते हुए बताया (अगस्त 2004) कि अतिरिक्त लागत, कार्य पर अर्जित लाभ से समायोजित हो गयी तथा टर्नओवर टैक्स की शर्त सम्मिलित करते हुए सशर्त निविदा निरस्तीकरण के रूप में परिणामित हो सकती थी। उत्तर भ्रमात्मक है क्योंकि अग्निरक्षित पेन्ट पर अतिरिक्त व्यय के कारण लाभ में काफी कमी आ गई थी तथा भविष्य में

वैधानिक कर देयों का पुनर्भगतान करने सम्बन्धी धारा को सम्मिलित करना मानक व्यवसाय आचरण है।

उपठेकेदारी ठेकेदार के लाभांश की हानि में परिणामित हुआ

2.1.22 पनकी थर्मल पावर स्टेशन (पीटीपीएस) ने, राखबन्ध की क्षमता बढ़ाने तथा प्रदूषण नियंत्रण के मानकों के अन्दर जल निकासी के लिए ऐस डाइक का अभिकल्पन, अभियंत्रण, ऊपर उठाने एवं चालू करने हेतु कम्पनी को आमंत्रित किया (फरवरी 2002)। परियोजना प्रबन्धक ने कम्पनी के उपलब्ध मानवशक्ति तथा यांत्रिक विंग की मशीनों को उपयोग करने हेतु निविदा डालने का प्रस्ताव किया (फरवरी 2002)। तद्नुसार, 4.92 करोड़ रुपये की निविदा पीटीपीएस द्वारा जुलाई 2002 में 4.89 करोड़ रुपये में स्वीकार कर ली गई। 18 महीने में कार्य पूर्ण किये जाने की कठिन अनुसूची के आधार पर कम्पनी द्वारा कार्य को उपठेकेदारी से कराये जाने की माँग को पीटीपीएस द्वारा अगस्त 2002 में स्वीकार कर लिया गया तथा अनुबन्ध दिसम्बर 2002 में सम्पादित कर दिया गया।

कम्पनी उपठेकेदारों को कार्य सौंपे जाने के कारण, ठेकेदार के लाभ में कमी के कारण 46.10 लाख रुपये की बचत से वंचित रह गयी।

लेखा परीक्षा में यह अवलोकित हुआ कि ठेका बैक टू बैक आधार पर फरवरी तथा मार्च 2003 में चार उपठेकेदारों को कुल 4.61 करोड़ रुपये की कीमत पर दे दिया गया। कार्य उपठेकेदारी पर दे दिया गया जबकि कम्पनी के पास पूर्व में हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन पर इसी तरह का कार्य करने का अनुभव तथा मानवशक्ति व मशीने (शोवेल, डोजर, इत्यादि) उपलब्ध थे। नियमावली के प्रस्तर 468 के परिप्रेक्ष्य में प्रबन्ध निदेशक द्वारा कार्य को दिये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित करते समय उपठेकेदारी पर कार्य कराये जाने के कारण नहीं अंकित किये थे। इस प्रकार कम्पनी ठेकेदार को प्राप्त कम से कम 10 प्रतिशत लाभ के रूप में 46.10 लाख रुपये की बचत से वंचित हो गई।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि कम्पनी के पास अनुभवी पीआरडब्ल्यू ठेकेदार नहीं थे तथा कार्य के लिये आवश्यक शोवेल, डोजर, इत्यादि अपना जीवनकाल पूर्ण कर चुके थे। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि प्रबन्धन ने अपने मानवशक्ति तथा मशीनों के उपयोग के उद्देश्य से ही निविदा में भाग लेने का निर्णय लिया था। इसके अतिरिक्त कार्य को उपठेकेदारी पर उठाना कम्पनी के उद्देश्यों के विपरीत था जिसकी स्थापना उचित दर पर त्वरित कार्य निष्पादन एवं व्यक्तिगत ठेकेदारों को स्थानापन्न करने के लिए ही की गई थी। उपठेकेदारी के प्रकरण को, जैसा कि नियमावली के प्रस्तर 468 में आवश्यक है, निदेशक मण्डल के संज्ञान में भी नहीं लाया गया।

ठेके का समाप्त किया जाना

कार्य की धीमी गति के कारण ठेके को समाप्त किये जाने से कम्पनी के कोष 1.71 करोड़ रुपये की सीमा तक अवरूद्ध रहे।

2.1.23 सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ रिन्यूएबिल इनर्जी (एसएसएसएनआईआरई) के भवन को निर्मित करने का कार्य कम्पनी को अगस्त 2001 में 10.82 करोड़ रुपये की लागत पर (सिविल कार्य : 10 करोड़ रुपये एवं इलेक्ट्रिकल कार्य : 0.82 करोड़ रुपये) सौंपा गया। कार्य दिल्ली अंचल की जालंधर इकाई द्वारा किया जाना था। कार्य अप्रैल 2003 तक पूर्ण किया जाना था।

धीमी प्रगति के कारण ग्राहक द्वारा अक्टूबर 2002 में ठेका समाप्त कर दिया गया। इकाई कर्मचारियों द्वारा, धीमी प्रगति का कारण ग्राहक द्वारा डिजाइन/ड्राइंग विलम्ब से दिये जाने के अतिरिक्त मुख्यालय द्वारा विलम्ब से मशीनों एवं शटरिंग सामग्रियों का उपलब्ध कराया जाना, बताया गया। मुख्यालय द्वारा इन कारणों को स्वीकार करते हुए मात्र तीन महीने का विलम्ब उचित माना जिससे यह संकेत मिलता है कि धीमी प्रगति का कारण मुख्यत: इकाई के कर्मचारियों की उदासीनता था। यह पुन: इस तथ्य से भी प्रकट होता है कि इकाई द्वारा 1.10 करोड़ रुपये का मोबिलाइजेशन अग्रिम (50 लाख रुपये ग्राहक द्वारा किया गया तथा शेष कम्पनी के मुख्यालय द्वारा) प्राप्त करने के बावजूद कार्य की प्रगति धीमी बनी रही। ठेका समाप्ति के समय कम्पनी को ग्राहक से 1.71 करोड़ रुपये की राशि वसूल करनी थी। धीमी प्रगति के कारण ठेका समाप्ति के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

यह पुन: देखा गया कि दिल्ली अंचल के महाप्रबन्धक द्वारा, जैसा कि नियमावली के प्रस्तर 68 में वाँछित है, मुख्यालय की पूर्व अनुमति के बिना जून 2001 में 8.5 प्रतिशत वित्तीय प्रभार पर निविदा डाली गयी थी। मुख्यालय द्वारा तथापि कार्येत्तर अनुमोदन इस शर्त पर दी गई थी कि उपरिव्यय 3.5 प्रतिशत तक सीमित रखे जायेंगे। वास्तविक उपरिव्यय फिर भी ठेका समाप्ति तक कार्य पर व्यय के 12.5 प्रतिशत थे। परिणामत: 9 प्रतिशत अधिक उपरिव्यय की धनराशि 20.07 लाख रुपये का अधिक व्यय किया गया। अधिक उपरिव्यय कम्पनी द्वारा नियमित नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि यदि ग्राहक द्वारा 52.37 लाख रुपये की कार्य प्रगति के विरूद्ध 65.39 लाख रुपये के अन्तिम बीजक का भुगतान कर दिया जायेगा तो 13.02 लाख रुपये के लाभ की संभावना है। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि 13.02 लाख रुपये का लाभ प्रगतिगत कार्य के विरूद्ध था और कार्य पर कुल व्यय व प्राप्ति की पूर्ण स्थिति जैसा कि प्रस्तर में वर्णित है, उत्तर में नहीं दी गयी।

दावे की त्रुटिपूर्ण गणना

दावों को सहमति की शर्तों के आधार पर न प्रस्तुत किये जाने के कारण, कम्पनी को 27.73 लाख रुपये की हानि वहन करनी पड़ी।

2.1.24 न्यू ओखला इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (नोयडा) ने नोयडा में विभिन्न श्रेणी के भवन निर्माण हेतु कम्पनी को वास्तविक कार्य निष्पादन की लागत के 4.4 प्रतिशत शुल्क पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया (सितम्बर 2002)। इसके अतिरिक्त, कार्य की लागत का 2 प्रतिशत स्थल सर्वेक्षण, मृदा परीक्षण, ड्राइंग, डिजाइनिंग इत्यादि के लिए नोयडा द्वारा देय था। कम्पनी के पास कई उच्च स्तरीय कार्य निष्पादन के लम्बे अनुभव की पृष्ठभूमि के साथ सुसज्जित वास्तुकारों का दल है। इसके बावजूद कम्पनी ने परियोजना लागत के 0.51 प्रतिशत शुल्क पर आर्किटेक्ट स्टूडियो, लखनऊ को परामर्श वास्तुकार के रूप में नियुक्त करके (दिसम्बर 2002) उनकी सेवायें ली। फरवरी 2004 तक, कम्पनी ने मृदा परीक्षण (2.88 लाख रुपये) तथा शिल्पकार शुल्क (10.71 लाख रुपये) के भुगतान हेतु 13.59 लाख रुपये का बीजक प्रेषित किया। कम्पनी को, बजाय

इसके, संविदा शर्तों के अनुसार 41.32 लाख रुपये का दावा प्रेषित करना चाहिए जो कि कार्य की लागत (फरवरी 2004 तक 20.66 करोड़ रुपये) का 2 प्रतिशत होता है। यह 27.73 लाख रुपये की हानि में परिणामित हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि कम्पनी कार्य की वास्तविक लागत के अधिकतम 2 प्रतिशत सीमा तक भुगतान हेतु ही हकदार थी और बीजक तदनुसार प्रेषित किये गये हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संविदा में स्थल सर्वेक्षण, डिजाइन इत्यादि की लागत के लिये कार्य की वास्तविक लागत के 2 प्रतिशत की दर से भुगतान का प्रावधान था।

प्रगतिगत कार्य

2.1.25 ग्राहक द्वारा पाँच वर्षों से अधिक समय से बीजकों को स्वीकार न करने के कारण 11 कार्यों के 8 करोड़ रुपये के प्रगतिगत कार्य समायोजित नहीं हो सके (मार्च 2003)। जिसके विरूद्ध कम्पनी के पास मात्र 6.82 करोड़ रुपये का अग्रिम उपलब्ध है (**परिशिष्ट-14**)।

इस सम्बन्ध में यह देखा गया कि दिल्ली अंचल के अन्तर्गत नयी दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के चार कार्य मार्च 1992 से 1995-96 के दौरान उन्हें हस्तान्तरित कर दिये गये थे। तथापि 83.49 लाख रुपये के अन्तिम बीजक विलम्ब से जुलाई 2000 में ग्राहक को प्रस्तुत किये गये जो कि ग्राहक द्वारा स्वीकार नहीं किये गये क्योंकि कम्पनी के प्रबन्धन ने सीलिंग लागत की सत्यता की जाँच के लिये विवरण उपलब्ध नहीं कराया था (अगस्त 2004)।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि बीजक ग्राहक को प्रस्तुत किये जा चुके हैं जिनका अनुसरण किया जा रहा है।

निक्षेप कार्य

2.1.26 प्रत्येक कार्य के लिये (अत्यन्त छोटे एवं मरम्मत कार्यों के अतिरिक्त) प्रारम्भिक आगणन के आधार पर सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात विस्तृत आगणन तैयार कर कम्पनी के सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराया जाता है जिसे तकनीकी स्वीकृति कहते हैं। तकनीकि स्वीकृति इस बात का द्योतक है कि प्रस्ताव ढाँचागत रूप से ठीक है, आगणन सही संगणित एवं पर्याप्त आँकड़ों पर आधारित है। जब तक प्रशासनिक एवं तकनीकि स्वीकृति प्राप्त न हो, कार्य आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए। निक्षेप कार्य में अवलोकित कमियाँ आगामी प्रस्तरों में चर्चित है:

तकनीकी स्वीकृति

कम्पनी द्वारा 39.40 करोड़ रुपये का कार्य निष्पादित किया गया जिसके लिये सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति लम्बित थी।

2.1.27 नियमावली के प्रस्तर 320 (24) के अनुसार प्रत्येक कार्य के लिये विस्तृत आगणन तैयार किया जाना चाहिए तथा कम्पनी द्वारा प्रदत्त प्राधिकारों के अनुसार प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक द्वारा कार्यारम्भ के पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया जाना चाहिए। यह देखा गया कि मई 1996 से अगस्त 1999 के दौरान तकनीकी

स्वीकृति के लिए प्रेषित 17.94 करोड़ रुपये की आगणित लागत के चार कार्य प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति के लिये लम्बित थे (मार्च 2004) यद्यपि इनमें से तीन कार्य (लागत 12.32 करोड़ रुपये) कम्पनी के द्वारा पूर्ण किये जा चुके थे। इसके अतिरिक्त, जैसा कि प्रबन्धन ने सूचित किया (अगस्त 2004), देहरादून तथा दिल्ली अंचलों में अप्रैल 2004 तक 37 कार्यों के विरूद्ध 27.08 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका था जिनकी तकनीकी स्वीकृति सम्बन्धित महाप्रबन्धकों के स्तर पर लम्बित थी। लेखा परीक्षा में माँगे गये अन्य क्षेत्रों के महाप्रबन्धकों के स्तर पर लम्बित तकनीकी स्वीकृति का विवरण कम्पनी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

स्वीकृत आगणन एवं प्राप्त कोष से अधिक व्यय

2.1.28 कम्पनी की नियमावली का प्रस्तर 39 व्यय को प्राप्त धन की सीमा तक ही सीमित करने का प्रावधान करता है। यह देखा गया कि दिल्ली, मध्य एवं दक्षिण मध्य अंचलों के अन्तर्गत 50 कार्यों पर ग्राहक से प्राप्त धन से 9.22 करोड़ रुपये अधिक व्यय किये गये जो कि नियमावली के प्रावधानों के विरूद्ध था। नियमावली के प्रावधानों के विरूद्ध अधिक व्यय ग्राहक से धन प्रप्त होने की प्रत्याशा में किया गया था।

पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति की प्रत्याशा में 39 कार्यों पर स्वीकृत आगणन से 12.63 करोड़ रुपये अधिक व्यय किये गये। परिणामत: 12.63 करोड़ रुपये का कोष अवरूद्ध रहा।

पाँच कार्यों पर स्वीकृत लागत से 95.59 लाख रुपये अधिक व्यय किये गये परन्तु पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति हेतु ग्राहकों को प्रस्तुत नहीं किये गये।

उपरोक्त, फील्ड इकाइयों को विभिन्न कार्यों के लिये धन आवंटन पर नियंत्रण के अभाव को इंगित करता है।

कार्यों की समाप्ति

2.1.29 कार्यों की भौतिक पूर्णता के पश्चात, नियमावली के प्रस्तर 588 से 598 के अन्तर्गत वर्णित लेखों के संविलयन एवं उपभोग विवरण तैयार करने सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा करके इन्हें बन्द कर देना होता है।

नियमावली में उपरोक्त संदर्भित प्रस्तरों के प्रावधानों के अन्तर्गत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने की चर्चा निम्नवत् की गई है।

लेखाओं का संविलयन न किया जाना

229 पूर्ण किये जा चुके कार्यों के खातों का संविलयन मुख्यालय के खातों में नहीं हुआ था।

2.1.30 सम्बन्धित कार्यों के पूर्ण होने पर इसके लेखाओं की लेखा परीक्षा के पश्चात, मुख्यालय कार्यों की सम्पत्तियों एवं दायित्वों को पुन: समाधान एवं अनुसरण के लिये मुख्यालय की लेखाओं में संविलित कर लेता है। नियमावली में तथापि, कार्य पूर्ण होने के पश्चात मुख्यालय में संविलयन होने की सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

यह देखा गया कि मार्च 2003 तक पाँच वर्षों में 83 निविदा एवं 538 निक्षेप कार्य पूर्ण हुये थे जिनमें से 229 कार्य मुख्यालय में संविलित नहीं किये गये

जिसके कारण प्रत्येक वर्ष लेखों के तैयार करने एवं बिना किसी कार्य के ही वैधानिक लेखा परीक्षकों को अंकेक्षण शुल्क के भुगतान पर अनावश्यक व्यय करना पड़ा।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि 14 कार्यों का संविलयन हो गया है तथा 62 कार्यों का संविलयन ग्राहक से विवाद होने के कारण नहीं हो सका जबकि शेष कार्य वर्ष 2003-04 की लेखा परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात संविलित कर लिये जायेंगे।

उपभोग विवरणों का तैयार न करना

2.1.31 नियमावली के प्रस्तर 591.सी.5 के संदर्भ में, मुख्यालय में लेखाओं के संविलयन के लिये कार्य बन्दी के समय, इकाइयों द्वारा स्वीकृत विचलन के विस्तृत कारणों सहित सम्पूर्ण कार्य का उपभोग विवरण, महाप्रबन्धकों द्वारा पूर्णतया जाँच किया हुआ, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कोपू ने उपभोग विवरण तैयार न करने/प्रस्तुत न करने के लिये उत्तरदायी कर्मियों को आरोप पत्र निर्गत करने तथा, जिन प्रकरणों में मानकों से अधिक उपभोग किया गया हो, वसूली करने की संस्तुति की थी (सितम्बर 2003)। यह तथापि, देखा गया कि मार्च 2003 तक पाँच वर्षों में पूर्ण हुए 621 कार्यों में से मात्र 392 कार्य मुख्यालय के लेखाओं में संविलित किये गये जिसमें से मात्र 17 प्रकरणों में ही उपभोग विवरण प्रस्तुत किये गये। इन उपभोग विवरणों की जाँच से प्रकट हुआ कि यद्यपि 3 प्रकरणों में अधिक उपभोग नगण्य था, 14 प्रकरणों में 36.88 लाख रुपये की सामग्रियों का अधिक उपभोग था जिसके लिये उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया (अप्रैल 2004)।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि सूचना एकत्रित की जा रही थी एवं लेखा परीक्षा को प्रस्तुत कर दी जायेगी।

सामग्री प्रबन्धन

2.1.32 कम्पनी में सम्पूर्ण प्लाण्ट एवं मशीनरी सूचित एवं असूचित श्रेणियों में विभाजित है। सूचित मशीनरी जिसमें मुख्य प्लाण्ट एवं मशीनरी (लौह शटरिंग सामग्री, कंक्रीट सीमेन्ट मिक्सर, टावर क्रेन इत्यादि) सम्मिलित है, सूचित मशीनरी यूनिट (एलएमयू) के अधिकार में एक जगह पर रखी जाती है जबकि छोटे-छोटे मदों वाली असूचित मशीनरी का क्रय इकाई द्वारा किया जाता है एवं वह उनके संरक्षण में ही रहती है।

प्लाण्ट एवं मशीनरी

सीमेन्ट कंक्रीट मिक्सर का परिहार्य क्रय

कम्पनी ने 15 नये सीसी मिक्सरों का 10.39 लाख रुपये में क्रय किया जबकि मिक्सरों की कम उपयोजित/निष्क्रिय क्षमता थी।

2.1.33 फील्ड इकाइयों में पड़े हुये निष्क्रिय प्लाण्ट एवं मशीनरी की पहचान सुविधाजनक बनाने तथा निवेश की न्यूनतम लागत के साथ उनका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु, जरूरतमन्द इकाइयों को इसके त्वरित स्थानान्तरण हेतु एलएमयू द्वारा विभिन्न प्लाण्ट एवं मशीनरी की क्षमता उपयोग से सम्बन्धित केन्द्रीय आधारभूत आँकड़ें नहीं बनाये गये।

एलएमयू के पास 2001-02 के अन्त तक फील्ड इकाइयों के उपयोग हेतु 314 कंक्रीट सीमेन्ट (सीसी) मिक्सर थे। यह देखा गया कि एक मास में 100 घंटे प्रति मिक्सर उपयोग के मानक के आधार पर 2001-02 में 35 मिक्सर निष्क्रिय पड़े रहे (दिल्ली क्षेत्र : 25 एवं मध्य क्षेत्र : 10)। पर्याप्त प्रबन्धन सूचना प्रणाली के अभाव में, एलएमयू कम उपयोजित/निष्क्रिय क्षमता की पहचान करने में विफल रही एवं वर्ष 2002-03 में फील्ड इकाइयों द्वारा भेजी गई आवश्यकता के आधार पर 10.39 लाख रुपये मूल्य के 15 सीसी मिक्सर क्रय कर लिये जो कि बचाया जा सकता था।

प्रबन्धन ने निष्क्रिय क्षमता के बावजूद सीसी मिक्सर क्रय करने का कोई विश्वसनीय कारण नहीं प्रस्तुत किया परन्तु यह बताया (अगस्त 2004) कि कोष की कमी, कार्य के अभाव, तथा ग्राहकों से विवाद के कारण कार्य रूके होने की वजह से मिक्सर निष्क्रिय थे।

निष्क्रिय प्लाण्ट एवं मशीनरी

2.1.34 यह देखा गया कि 65 प्लाण्ट एवं मशीनरी (1.08 करोड़ रुपये में क्रय किये गये कम्प्रेशर, क्रेन, लोडर, ट्रैक्टर, रोड रोलर, ट्रिपर ट्रक, डी.जी.सेट इत्यादि) पिछले 20-25 वर्षों से मशीनरी मरम्मत एवं निर्माण कार्यशाला, नैनी में निष्क्रिय पड़े हैं जिसके कारण कालातीत होने के साथ-साथ उनकी प्रयोगिक जीवनकाल पूर्णतया समाप्त हो गया था। सर्वेक्षण के प्रतिवेदन (जनवरी 2004) के अनुसार इन प्लाण्ट एवं मशीनरी का अनुमानित वसूली मूल्य अत्यन्त खराब दशा के कारण 53 लाख रुपये था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि जनवरी 2004 में आमंत्रित निविदा में छः मशीनों का विक्रय कर दिया गया था तथा शेष मशीनों के लिये कार्यवाही प्रगति पर थी।

शटरिंग सामग्री

2.1.35 एलएमयू फील्ड इकाइयों के प्रयोग हेतु लौह शटरिंग के क्रय एवं रखरखाव हेतु उत्तरदायी है। काष्ठ शटरिंग का क्रय अंचल कार्यालयों द्वारा अपने अधीनस्थ इकाइयों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। लौह शटरिंग के अभिलेखों का रखरखाव एलएमयू द्वारा किया जाता है तथा काष्ठ शटरिंग के अभिलेखों का रखरखाव सम्बन्धित इकायों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मासिक अनुश्रवण प्रतिवेदन के माध्यम से दोनों लौह एवं काष्ठ शटरिंग की उपलब्धता आच्छादित क्षेत्र के साथ प्रतिवेदित की जाती है जो मुख्यालय पर अनुश्रवण प्रकोष्ठ द्वारा संकलित की जाती है।

कम्पनी के अंचल कार्यालयों द्वारा अनुश्रवण प्रतिवेदन में प्रतिवेदित 2002-03 तक पाँच वर्षों के दौरान शटरिंग सामग्रियों (काष्ठ शटरिंग सामग्रियों सहित) की उपलब्धता एवं उपयोग **परिशिष्ट-15** में संक्षिप्त रूप से दिया गया है। इस सम्बन्ध में निम्न उल्लेखनीय है:

निष्क्रिय स्टील शटरिंग सामग्रियों पर अनियमित किराया भार

2.1.36 शटरिंग सामग्री का क्षमता उपयोग पाँच वर्षों में 40.54 से 64.93 प्रतिशत के मध्य रहा (**परिशिष्ट-15**)। एलएमयू विभिन्न कार्यों पर उपलब्ध कराये गये लौह शटरिंग सामग्रियों पर, बिना उनके वास्तविक उपयोग को विचार किये, किराया वसूल करता है। कम्पनी ने विभिन्न कार्यों पर अप्रयुक्त क्षमता के लिये 2.35 करोड़ रुपये भारित किया जो कार्य की लागत बढ़ने के रूप में परिणामित हुआ।

शटरिंग सामग्रियों का परिहार्य क्रय

कम्पनी ने फील्ड इकाइयों में शटरिंग सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना 2002-03 तक पाँच वर्षों में 9.49 करोड़ रुपये की शटरिंग क्रय की

2.1.37 कम्पनी के पास 2002-03 तक सभी पाँच वर्षों में मानक की तुलना में अधिक प्रयोज्य लौह शटरिंग प्लेट्स, स्टील प्राप्स (**परिशिष्ट-16**) उपलब्ध थे। अधिक लौह शटरिंग सामग्रियों के उपलब्ध होने के बावजूद, कम्पनी ने फील्ड इकाइयों में उनकी उपलब्धता का उचित आंकलन किये बिना पाँच वर्षों में 1.38 करोड़ रुपये की लौह शटरिंग सामग्रियों (**परिशिष्ट-16**) तथा 8.11 करोड़ रुपये की काष्ठ शटरिंग सामग्रियों का क्रय किया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि शटरिंग का क्रय, स्थानापन्न के विरूद्ध एवं तब जबकि फील्ड इकाइयों में आधिक्य नहीं था, किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि क्रय का निर्णय लेते समय लौह शटरिंग की उपलब्धता पर विचार नहीं किया गया तथा एलएमयू एवं मुख्यालय के अनुश्रवण प्रकोष्ठ जहाँ पर फील्ड इकाइयों में शटरिंग की उपलब्धता सम्बन्धी मासिक प्रतिवेदन प्राप्त होती है, के मध्य सामंजस्य नहीं था। पुन: जहाँ अधिक क्रय काष्ठ शटरिंग से सम्बन्धित हैं, क्रय का निर्णय सम्बन्धित अंचलों के महाप्रबन्धकों द्वारा लिया जाता है जो अन्य अंचलों में अधिक शटरिंग की उपलब्धता से अवगत नहीं होते।

लौह शटरिंग सामग्रियों की कमी

2.1.38 एलएमयू लौह शटरिंग सामग्रियों का लेखा जोखा रखने तथा इसके एक इकाई से अन्य इकाई में स्थानान्तरण के लिये उत्तरदायी है। यह देखा गया कि मार्च 2003 तक पाँच वर्षों में, मार्च के अन्त में फील्ड इकाइयों द्वारा आंचलिक कार्यालयों के माध्यम से मुख्यालय को प्रतिवेदित लौह शटरिंग सामग्रियों की उपलब्धता एलएमयू की पुस्तकों में दर्शित उपलब्धता से बहुत कम थी जिससे 2.54 करोड़ रुपये (मार्च 2003) की कीमत की कमी इंगित होती है (**परिशिष्ट-17**)। इसमें फील्ड इकाइयों में 14.75 लाख रुपये की चोरी हो गई स्टील शटरिंग सामग्रियाँ सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में चोरी/कमी के लिये अभी तक (अप्रैल 2004) कोई जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की गई थी।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि लौह शटरिंग का भौतिक सत्यापन एलएमयू द्वारा वार्षिक तौर पर कराया जा रहा था जो कि सही था तथा फील्ड इकाइयों द्वारा अनुसरण रिपोर्ट में प्रतिवेदित भौतिक मात्रायें केवल प्रतीकात्मक थीं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि फील्ड इकाइयों तथा एलएमयू के पुस्तकीय अवशेषों का मिलान करने हेतु कोई समाधान विवरण नहीं बनाया जाता जिससे वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो सके।

सामग्रियों का अन्तर इकाई हस्तान्तरण

2.1.39 नियमावली के प्रस्तर 448 के प्रावधानों के अनुसार, निर्माण सामग्री, शटरिंग सामग्री तथा टुल्स एवं प्लाण्ट का एक कार्य स्थल से दूसरे कार्य स्थल पर हस्तान्तरण अन्तर इकाई हस्तान्तरण (आईयूटी) के माध्यम से होता है जिसके लिये सामग्री के हस्तान्तरण का उचित लेखांकन तथा शेषों का मिलान सुनिश्चित करने हेतु डेबिट एडवाइस भेजना/स्वीकार करना अत्यावश्यक है। इन प्रावधानों का, तथापि, कड़ाई से, अनुपालन नहीं किया गया। 2003 तक पाँच वर्षो में आईयूटी के अन्तर्गत असमाधानित शेष निम्नवत् था:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	डेबिट शेष	क्रेडिट शेष	नेट डेबिट शेष
1998-99	1586.85	1584.59	2.26
1999-00	1667.70	1664.00	3.70
2000-01	1780.21	1777.54	2.67
2001-02	1916.90	1911.81	5.09
2002-03	2071.69	2059.65	12.04

असमाधानित अन्तर इकाई अवशेष 2002-03 तक पिछले पाँच वर्षो में 12.04 करोड़ रुपये तक बढ़ गये थे।

यह दृष्टव्य है कि असमाधानित अन्तर इकाई हस्तान्तरण अवशेष 1998-99 में 2.26 करोड़ रुपये से बढ़कर 2002-03 में 12.04 करोड़ रुपये हो गया। समाधान के लिये कोई कार्यदल नहीं गठित किया गया जिसके परिणामस्वरूप गबन/सामग्रियों का लेखांकन न होना, यदि कोई हो, तो उसका पता नहीं चल सका।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि 2003-04 तक आई यू टी के शेषों के पूर्ण समाधान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

रहतिया प्रबन्धन

2.1.40 नियमावली में स्टील तथा सीमेन्ट छः महीने तथा अन्य सामग्रियों को तीन महीने की आवश्यकता के लिये क्रय किये जाने का प्रावधान है। कम्पनी ने सभी पाँचों वर्षो में रहतिये के स्तर को कुशलतापूर्वक निर्धारित मानक के अन्दर सीमित रखा जैसा कि निम्न सारिणी से स्पष्ट होता है:

(करोड़ रुपये मे)

विवरण	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
प्रयुक्त सामग्री	120.22	98.19	84.38	97.77	124.27
इन्वेन्टरी	14.32	12.54	12.44	12.74	12.92
उपयोग माह के बराबर इन्वेन्टरी	1.43	1.53	1.77	1.56	1.25

पुनः विश्लेषण से तथापि, निम्न तथ्य संज्ञान में आये:

- 31 मार्च, 2003 को 30 कार्यो के विरूद्ध 44.54 लाख रुपये कीमत की सामग्री की कमी थी जिसकी न तो जाँच की गई न तो इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि 0.86 लाख रुपये का समायोजन किया जा चुका था तथा शेष प्रकरणों में उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु जाँच प्रगति पर था।

- 35.49 लाख रुपये मूल्य की मृत रहतिया (अप्रयोज्य) पड़ा थी (जुलाई 2004) जिसका निस्तारण नहीं किया गया था। मृत रहतिये की आयु दर्शाते हुये वर्षवार विवरण उपलब्ध नहीं था।

- रहतिये में 255 कार्यों से सम्बन्धित छोटी-छोटी सामग्रियों की कीमत रु. 5.53 करोड़ सम्मिलित थी, जो पाँच वर्ष पहले पूर्ण हो चुके थे। प्रबन्धन द्वारा इस रहतिये को अन्य कार्य स्थल पर स्थानान्तरित करने या, यदि आवश्यकता न हो तो, निस्तारित करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि अन्य कार्य स्थलों पर सामग्रियों के स्थानान्तरण हेतु निर्देश निर्गत कर दिये गये थे।

देयों का परिशोधन

2.1.41 2002-03 के अन्त तक पाँच वर्षों में किये गये कार्यों के विरूद्ध ग्राहकों से प्राप्त होने वाली धनराशि प्रदर्शित करने वाली देनदारों की स्थिति निम्नवत् है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
निष्पादित कार्यों की कीमत	231.97	192.92	201.23	203.92	242.03
देनदार	38.98	39.19	41.93	40.21	47.37
निष्पादित कार्य की माह की कीमत के संदर्भ में देनदार	2.0	2.4	2.5	2.4	2.3

यह दृष्टव्य है कि 2002-03 तक पाँच वर्षों में कृत कार्य की कीमत के सम्बन्ध में देनदारों की स्थिति 2 से 2.5 माह के मध्य रही जो देयों की त्वरित वसूली के लिये संगठित प्रयास के अभाव को प्रदर्शित करता है।

लेखा परीक्षा में जाँच से प्रकट हुआ कि 47.37 करोड़ रुपये (मार्च 2003) की देनदारियों में शामिल था:

कम्पनी ने पिछले 10 वर्षों से बकाया 7.06 करोड़ रुपयों के देनदारों से वसूली हेतु कोई कार्यदल नहीं गठित किया।

- निक्षेप कार्यों (मार्च 2003) के विरूद्ध 45.47 करोड़ रुपये जो कि ग्राहकों से प्राप्त कोष से अधिक व्यय को प्रदर्शित करता है। नियमावली के प्रस्तर 39 के प्रावधानों के अनुसार निक्षेप कार्यों पर व्यय, सम्बन्धित सरकारी विभागों द्वारा जमा धनराशि तक ही सीमित रखना है। यदि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता तो 45.47 करोड़ रुपये के देनदारों का संचय होने से बचा जा सकता था। इस सम्बन्ध में विफल रहे अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई थी।

- 10 वर्षों से अधिक पहले पूर्ण एवं मुख्यालय पर संविलित (1978-79 से 1992-93) कार्यों के विरूद्ध 7.06 करोड़ रुपये बकाया था। इन बकाया ऋणों की वसूली हेतु कोई कार्यदल नहीं गठित किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि पंचाट के माध्यम से वसूली के लिये कार्यवाही प्रगति पर थी तथा अंचलों के लिये वसूली लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये थे।

गुणवत्ता नियंत्रण

2.1.42 यह देखा गया कि भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा कम्पनी को जुलाई 2003 में 3 वर्ष के लिये डिजाइन (निर्माण एवं शिल्पकारी) तथा सभी प्रकार की इमारतों एवं सड़कों के निर्माण हेतु आईएसओ 9001:2000 की मान्यता प्रदान किया गया। गुणवत्ता नियमावली के अनुसार मानक सुनिश्चित करने के लिये कम्पनी द्वारा सभी महाप्रबन्धकों को सितम्बर 2003 में निर्देश परिचालित किये गये थे जिन्हें फील्ड इकाइयों में अनुपालन सुनिश्चित करना था।

कम्पनी ने तथापि, यह सुनिश्चित करने हेतु तकनीकी लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किया कि मान्यता को यथावत बनाये रखने के लिये बनाये गये तकनीकी मानक से विचलित हुए बिना निर्देशों का अनुपालन इकाइयों द्वारा किया जा रहा था।

मानव शक्ति प्रबन्धन

2.1.43 2002-03 तक मार्च को समाप्त हुए पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी में स्वीकृत क्षमता तथा व्यक्तियों की तैनाती निम्नवत् थी:

वर्ष	स्वीकृत पद			तैनाती की स्थिति			अधिक मानवशक्ति	आधिक्य का स्वीकृत क्षमता की तुलना में प्रतिशतता
	नियमित	मस्टर रोल/वर्कचार्ज	योग	नियमित प्रतिनियुक्तियों को सम्मिलित करते हुए	मस्टर रोल/वर्कचार्ज	योग		
1998-99	1901	1005	2906	1499	2414	3913	1007	34.6
1999-00	1901	1005	2906	1492	2409	3901	995	34.2
2000-01	1901	1005	2906	1477	2382	3859	953	32.8
2001-02	1901	1005	2906	1453	2362	3815	909	31.3
2002-03	1901	1005	2906	1492	2321	3813	907	31.2

पाँच वर्षों में, अधिक कर्मचारियों के कारण वित्तीय भार 19.95 करोड़ रुपये था। अधिक मानवशक्ति मुख्यत: मस्टर रोल तथा वर्क-चार्ज संवर्गों में इन संवर्गों में स्वीकृत क्षमता से अधिक नियुक्ति के कारण थी। अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2.1.44 राज्य सरकार के दिसम्बर 1982 के आदेश के अनुसार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में प्रतिनियुक्ति पर पाँच वर्ष पूर्ण करने पर सभी सरकारी सेवकों को मूल विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया जाना चाहिए। शासकीय आदेश यह भी निर्देश देता है कि पाँच वर्षों के पश्चात प्रतिनियुक्ति भत्ते का भुगतान नहीं किया जायेगा। यह देखा गया कि 31 कर्मचारी उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग/उत्तर प्रदेश जल निगम/राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम/राज्य नियोजन संस्थान/उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग इत्यादि से प्रतिनियुक्ति पर आये थे जो कम्पनी में 6 से 28 वर्षों से लगातार बने हुये हैं (परिशिष्ट-18)। वह अवधि, जब तक इन कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ते का भुगतान किया गया, कम्पनी द्वारा सूचित नहीं की गयी थी इसीलिये अधिक प्रतिनियुक्ति भत्ते का भुगतान, यदि कोई हो तो, उसकी गणना लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि पाँच वर्षों से अधिक प्रतिनियुक्ति भत्ते का भुगतान छः व्यक्तियों को किया गया जो अभी भी कम्पनी में हैं। इन कर्मचारियों को तथा वे कर्मचारी जो विगत में मूल विभाग में प्रत्यावर्तित हो गये या वे कर्मचारी जो अवकाश प्राप्त कर चुके थे, को किये गये अधिक भुगतान की धनराशि कम्पनी द्वारा सूचित नहीं की गई।

आन्तरिक नियंत्रण तथा आन्तरिक लेखा परीक्षा

आन्तरिक नियंत्रण

2.1.45 आन्तरिक नियंत्रण, परिचालन की कुशलता, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा लागू होने वाले कानूनों एवं नियमों के विवेकपूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये बनायी गयी प्रक्रिया है। कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने भी आन्तरिक नियंत्रण विधा में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया था। कम्पनी की नियमावली में भी आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया के लिये प्रावधान है। प्रक्रिया का अनुपालन प्रभावी ढंग से नहीं किया गया क्योंकि बजटीय नियंत्रण की कमी, निष्क्रिय कोषों, तकनीकी स्वीकृति के पहले कार्यारम्भ, प्राप्त कोष तथा स्वीकृत आगणन से अधिक व्यय तथा पुनरीक्षित आगणनों का तैयार न करना आदि के प्रकरण देखे गये जैसा कि पूर्व प्रस्तरों में चर्चा की गयी है। परिणामस्वरूप आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

आन्तरिक लेखा परीक्षा

2.1.46 आन्तरिक लेखा परीक्षा, आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की समुचित कार्यशीलता तथा प्रभावशीलता सुनिश्चित करने तथा त्रुटियों एवं कपटों के खोजने के लिये बनायी गयी प्रणाली है।

कम्पनी का आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागीय तथा सांविधिक लेखाकारों की सेवायें लेकर किया जाता है। कम्पनी की नियमावली के प्रस्तर 875 में आन्तरिक लेखा परीक्षण टोली को एक मुख्य आन्तरिक लेखा परीक्षक के आधीन कार्य करने का प्रावधान है। मुख्य आन्तरिक लेखा परीक्षक का पद अभी सृजित नहीं हुआ (मई 2004)। कम्पनी के आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग में, 2002-03 तक पाँच वर्षों के दौरान मात्र दो से चार लेखा परीक्षक पदस्थ थे जो एक सहायक लेखा नियंत्रक के अधीन थे तथा जो वित्तीय परामर्शदाता को प्रतिवेदित करने के लिये उत्तरदायी थे। पुनः लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि:

- कम्पनी की सभी फील्ड इकाइयों एवं मुख्यालय के लिये लेखा परीक्षा की अवधि तथा आवश्यक मानवशक्ति दर्शाते हुये वार्षिक लेखा परीक्षा योजना तैयार करने की प्रणाली नहीं थी।
- कम्पनी के मुख्यालय के विभिन्न विभागों की लेखा परीक्षा कभी भी नहीं की गई।
- फील्ड इकाइयों की कुल संख्या का लेखा परीक्षित इकाइयों (सांविधिक लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षा सम्मिलित करते हुये) की प्रतिशतता 1998-99 में

58.6 से घटकर 2002-03 में 20.5 रह गयी जैसा कि निम्न सारिणी में दर्शाया गया है:

वर्ष	इकाइयों की कुल संख्या	लेखा परीक्षित इकाइयां			कुल इकाइयों की तुलना में लेखा परीक्षित इकाइयों की प्रतिशतता	अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या
		अपने कर्मचारी	सांविधिक लेखाकार	योग		
1998-99	70	39	2	41	58.6	72
1999-00	65	20	14	34	52.3	150
2000-01	66	13	3	16	24.2	214
2001-02	69	14	5	19	27.5	160
2002-03	78	09	7	16	20.5	170

- मैनुअल के प्रस्तर 156 में वाँछित आन्तरिक लेखा परीक्षा में संज्ञान में आये मुख्य कमियों तथा गम्भीर अनियमितताओं को मुख्यांकित करने वाली 'अपवाद प्रतिवेदन' तैयार नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग को सुदृढ़ करने की कार्यवाही की जा रही थी।

प्रकरण शासन को जून 2004 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2004)।

निष्कर्ष

कम्पनी ने बीच-बीच में अल्प लाभ अर्जित किया, परन्तु प्रत्येक वर्षों में परिचालन हानियाँ थी जो कि लक्ष्यों के निर्धारण में प्रगतिशील विकासोन्मुख दृष्टिकोण के अभाव तथा जो निविदा कार्यों को प्राप्त करने में दयनीय सफलता के कारण कभी भी प्राप्त नहीं किये गये, की वजह से थीं। मानव तथा मूलभूत संरचना सुविधाओं से युक्त होने के बावजूद निविदा में बोली के त्रुटिपूर्ण आंकलन, बैक टू बैक आधार पर कार्य को सौंपने, ग्राहकों की आवश्यकता का अनुपालन न करने के कारण अन्तिम देयकों के निपटान में विलम्ब/विवाद, शटरिंग सामग्रियों के परिहार्य क्रय, शटरिंग सामग्रियों की कमी, देनदारियों के वसूली योग्य न होने तथा अधिक मानव शक्ति होने से लाभ कम हुई।

अपनी कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए, कम्पनी को लक्ष्यों के निर्धारण एवं प्राप्ति हेतु विकासोन्मुख दृष्टिकोण अपनाना तथा वास्तविक बाजार सर्वेक्षण पर आधारित निविदा कार्यों के लिये बोली में सुधार करना, वित्तीय प्रभार को तर्कसंगत करना, कम्पनी के मानव व मशीनरी के अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिये व्यक्तिगत ठेकेदारों को कार्य देना समाप्त करना, उपरिव्यय कम करने के लिये कार्यभार के संदर्भ में मानव शक्ति को तर्कसंगत बनाना तथा प्रणाली सुधार के लिये आन्तरिक नियंत्रण तथा आन्तरिक लेखा परीक्षा को सशक्त बनाने के लिये कार्यकारी नियमावली का अनुपालन प्रवर्तन करना चाहिए।

2.2 उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड के क्रियाकलाप

मुख्य अंश

रूग्ण मिलों को चलाने के लिए मार्च 1971 में निगमित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड ने 1971 से 1989 के दौरान उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अधिग्रहण) अधिनियम, 1971 के अधीन 30 मिलों को अधिग्रहीत किया। सितम्बर 2002 में, 18 मिलों को नयी सृजित सहायक कम्पनी को हस्तान्तरित कर दिया गया। 11 कार्यशील मिलों को कम्पनी के पास छोड़ते हुए एक मिल को उत्तराँचल राज्य को हस्तान्तरित कर दी गयी।

(प्रस्तर 2.2.1)

वर्ष 2000-01 तथा 2003-04 को छोड़कर कम्पनी ने प्रत्येक वर्ष हानि वहन की। इन वर्षों के दौरान प्राप्त लाभ मुख्यत: शासकीय ऋण पर ब्याज को उपलिखित करने के कारण था।

(प्रस्तर 2.2.7)

सहायक कम्पनियों की उपलब्धि दयनीय थी, फलत: 75.89 करोड़ रुपये का अंशपूँजी विनियोग अनुत्पादक रहा।

(प्रस्तर 2.2.9)

गन्ना मूल्य बकाया 110.48 करोड़ रुपये (1999-2000) से 171.69 करोड़ रुपये (2003-04) बढ़ गया जिसके कारण मिलों को गन्ने का सतत् प्रवाह प्रभावित हुआ।

(प्रस्तर 2.2.14)

31 मार्च 2004 को समाप्त हुए पाँच वर्षों के दौरान उत्पादन की प्रत्यक्ष लागत बिक्री प्राप्ति से अधिक थी। फलस्वरूप, कम्पनी को कुल 541.56 करोड़ रुपये की नकद हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.16)

28.02 करोड़ रुपये की कीमत की चीनी की मुक्त बिक्री हेतु कोटा व्यपगत हो गया जिससे कम्पनी के संसाधन एवं आय प्रभावित हुए।

(प्रस्तर 2.2.23)

तैयार चीनी का भण्डार 31 मार्च 2004 तक 550.60 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुँच गया जो कम्पनी के 16.81 माहों की बिक्री के समकक्ष था।

(प्रस्तर 2.2.28)

मानव घण्टों के कम उपयोग के कारण 1998-99 से 2002-03 की अवधि के दौरान 3.56 करोड़ रुपये की धनराशि का व्यय निष्क्रिय मजदूरी पर किया गया।

(प्रस्तर 2.2.29)

प्रस्तावना

2.2.1 उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड (कम्पनी) का निगमन सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन 26 मार्च 1971 को यू पी शुगर अंडरटेकिंग (एक्वीजीशन) अधिनियम, 1971 के अधीन अधिग्रहीत रुग्ण चीनी मिलों के चलाने हेतु किया गया था। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्सरचना बोर्ड (बीआईएफआर) ने कम्पनी को 21 अगस्त 1995 से रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के रूप में घोषित किया। कम्पनी 1997-98 तक 30 चीनी मिलों (1971 से 1989 के मध्य अधिग्रहीत) का नियंत्रण कर रही थी इनमें से 10 मिलें (चार मिलें पेराई सत्र 1998-99 से एवं 6 मिलें पेराई सत्र 1999-2000 से) बन्द थी क्योंकि ये इकाइयाँ सतत् हानियों के कारण अलाभकारी हो गयीं थीं तथा एक मिल[1] उत्तराँचल राज्य को हस्तान्तरित कर दी गई थी (जनवरी 2002)। बीआईएफआर की शर्तो (जुलाई 2001) तथा राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 18 चीनी मिलें (10 बन्द मिलें तथा 8 चालू मिलें) एक नयी सहायक कम्पनी उ0 प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड को सितम्बर 2002 में हस्तान्तरित कर दी गई थीं। इस प्रकार कम्पनी के पास पेराई सत्र 2003-04 तथा आगे 25,200 टन प्रति दिन (टीसीडी[2]) की संस्थापित क्षमता वाली 11[3] कार्यशील चीनी मिलें रह गयी थीं। कम्पनी ने जुलाई 2003 में, इन 11 चीनी मिलों को राज्य सरकार के निर्देश पर पट्टे पर देने का निर्णय लिया। तथापि, कम्पनी/राज्य सरकार ने इन चीनी मिलों को पट्टे पर हस्तान्तरित नहीं किया क्योंकि बीआईएफआर द्वारा अनुमोदन प्रतीक्षित था (अगस्त 2004)।

2.2.2 राज्य में चीनी का उत्पादन वर्ष 2003-04 में 45.51 लाख टन था जिसमें कम्पनी का हिस्सा 2.98 लाख टन अर्थात् राज्य में कुल उत्पादन का 6.55 प्रतिशत था। यद्यपि राज्य में चीनी का उत्पादन 1999-2000 में 45.56 लाख टन से 2003-04 में 45.51 लाख टन हो गया, परन्तु कम्पनी का हिस्सा इस अवधि में 3.64 लाख टन (7.99 प्रतिशत) से 2.98 लाख टन (6.55 प्रतिशत) रहा। कम्पनी विकास नहीं कर सकी क्योंकि कम्पनी द्वारा अधिग्रहीत चीनी मिलें स्वयं उनके अधिग्रहण के समय ही पुरानी/प्रयोगातीत प्लाण्ट एवं मशीनरी तथा बहुत निम्न पेराई क्षमता के साथ रूग्ण थीं। परिणामस्वरूप, कम्पनी की अधिकांश मिलों में उत्पादन लागत उसकी विक्रय प्राप्ति से अधिक थी।

उद्देश्य

2.2.3 कम्पनी के मुख्य उद्देश्य हैं:

- चीनी, गन्ना, शीरा एवं उसके उपोत्पाद सम्बन्धित कार्यों सहित चीनी मिलों का व्यवसाय करना,

1 डोईवाला

2 प्रतिदिन पेराई की गई मात्रा टनों में ।

3 30-1 (उत्तराँचल को हस्तान्तरित)-18 (नयी सहायक कम्पनी को हस्तान्तरित)।

- चीनी मिलों को प्रतिस्थापित करना तथा उनका व्यवसाय करना साथ ही किसी चीनी कम्पनी को अपनी सहायक कम्पनी के रूप में प्रवर्तित करना।

संगठनात्मक ढाँचा

2.2.4 कम्पनी का प्रबन्धन 11 निदेशकों वाले निदेशक मण्डल में निहित है जिसमें राज्य सरकार द्वारा नामित/नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सम्मिलित है। प्रबन्ध निदेशक मुख्य कार्यकारी है जिसे मुख्यालय पर तीन संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, कम्पनी सचिव, निदेशक (वित्त)* निदेशक (तकनीकी), निदेशक (अभियंत्रण), मुख्य गन्ना विकास सलाहकार, तीन महाप्रबन्धक तथा प्रत्येक मिल में एक महाप्रबन्धक की सहायता प्राप्त है।

31 मार्च 2004 को कम्पनी नन्दगंज सिहोरी चीनी कम्पनी लिमिटेड, छाता चीनी कम्पनी लिमिटेड, घाटमपुर चीनी कम्पनी लिमिटेड तथा उ0 प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड नामक चार सहायक कम्पनियों को नियंत्रित (अंशपूँजी ग्रहण करके) कर रही थी। इन सहायक कम्पनियों के नियंत्रणाधीन 22 मिलें थीं, जिनमें से 11 मिलें कार्यशील तथा 11 मिलें अकार्यशील थी।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

2.2.5 कम्पनी के कार्यकलापों की पिछली समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 1976 में की गई। समीक्षा पर सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा 1988-89 में विचार किया गया। कोपू ने अपने 16वें प्रतिवेदन में अन्य के अलावा संस्तुत किया कि (i) सरकार अपनी हानि देने वाली मिलों के निजीकरण हेतु शीघ्र कार्यवाही करेगी और (ii) पुरानी मिलों के पुन:स्थापन तथा आधुनिकीकरण पर अत्यधिक व्यय करने के बावजूद उत्पादन, गुणवत्ता में सापेक्ष वृद्धि तथा लागत में कमी नहीं आई; अत: अलाभकारी पुराने संयन्त्रों/मिलों का परित्याग करके नए संयन्त्रों की संस्थापना और अधिक लाभकारी होगी।

कम्पनी/सरकार द्वारा अपनी दीर्घकालीन रूग्ण एवं घाटा देने वाली इकाइयों के निजीकरण पर अभी (अगस्त 2004) निर्णय लिया जाना है। कम्पनी ने 1986-87 से 1997-98 के बीच 10 मिलों में विस्तार की योजना शुरू की। विस्तार में पुराने संयन्त्रों एवं मशीनरी को नये द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।

वर्तमान समीक्षा में, जो दिसम्बर 2003 से अप्रैल 2004 के दौरान की गई, 31 मार्च 2004 को विद्यमान सभी 11 कार्यशील चीनी मिलों, साथ ही कारपोरेट कार्यालय एवं बिक्री कार्यालयों के अभिलेखों की 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों की अवधि की नमूना जाँच की गई।

कम्पनी के कार्यकलापों की समीक्षा के फलस्वरूप प्राप्त लेखा परीक्षा निष्कर्ष, राज्य सरकार/कम्पनी को जून 2004 में आडिट रिव्यू कमेटी फार स्टेट पब्लिक इन्टरप्राइजेज (एआरसीपीएसई) की मीटिंग में भाग लेने के विशेष अनुरोध के साथ प्रेषित किये गये ताकि सरकार/कम्पनी के विचार भी ध्यान में रखे जा सकें।

* यह निदेशक मण्डल के इतर प्रशासनिक/तकनीकी पद है।

एआरसीपीएसई की मीटिंग कम्पनी के प्रबन्धन के साथ 10 अगस्त 2004 को हुई। मीटिंग में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। समीक्षा को अंतिम रूप देते समय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को संज्ञान में लिया गया है।

गन्ना आपूर्ति नीति तथा चीनी नीति

2.2.6 राज्य गन्ना आपूर्ति नीति (2001-06), मिलों की पेराई क्षमता, किसानों द्वारा गन्ने के उत्पादन तथा मिलों को उनकी आवश्यकतानुसार गन्ने की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य की चीनी मिलों को गन्ने की उपलब्धता के बीच संतुलन बनाए रखने पर विचार करती है। इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार चीनी मिलों के लिए गन्ने की आवश्यकता निर्धारित करती है तथा किसानों द्वारा, जो आवश्यक रूप से एक गन्ना समिति के नियमित सदस्य होंगे, मिलों को गन्ना आपूर्ति का कोटा आवंटित करती है।

भारत सरकार प्रतिवर्ष गन्ना नीति की घोषणा करती है। यह पुन: प्रत्येक मिल की चीनी की पिछली प्राप्ति के आधार पर (8.5 प्रतिशत आधारभूत निम्नतम प्राप्ति पर विचार करते हुए) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबन्ध (3) के अधीन प्रत्येक मिल द्वारा प्रत्येक गन्ना उत्पादकों को भुगतान किए जाने वाले सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) का प्राविधान करती है। राज्य सरकार, तथापि, राज्य की सभी मिलों द्वारा भुगतान किए जाने वाले गन्ना के एक समान राज्य समर्थन मूल्य (एसएपी) घोषित करती है।

उपरोक्त नीतियों के क्रियान्वयन पर चर्चा आगे प्रस्तरों 2.2.11 से 2.2.13, 2.2.21 तथा 2.2.23 में की गई है।

वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम

2.2.7 वर्ष 2000-01 तक कम्पनी के लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका था (अगस्त 2004)। कम्पनी ने, तथापि, 2003-04 तक अनन्तिम लेखे तैयार कर लिए थे। **परिशिष्ट-19 तथा 20** में 31 मार्च 2004 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों की कम्पनी की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम का सारांश है। कम्पनी की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाले मुख्य वित्तीय निदर्शक जैसा कि **परिशिष्टों** से लिया गया है, निम्नवत् है:

(करोड़ रुपये में)

क्र0सं0	विवरण	1999.2000	2000.01	2001.02 (अनन्तिम)	2002.03 (अनन्तिम)	2003.04 (अनन्तिम)
1.	प्रदत्त पूँजी (अंश आवेदन राशि सम्मिलित करते हुए)	480.02	594.93	594.93	594.93	943.47
2.	शुद्ध मूल्य	(-) 911.68	(-) 735.37	(-) 845.68	106.47	485.23
3.	बिक्री की लागत	656.96	633.51	677.13	640.99	532.76
4.	बिक्री	470.92	422.93	427.22	394.86	420.59
5.	शुद्ध लाभ/शुद्ध हानि	(-) 169.82	92.01	(-) 211.41	(-) 207.77	30.20
6.	संचित हानि	1391.11	1299.10	1410.13	488.46	458.24
7.	बिक्री और बिक्री लागत का प्रतिशत	139.51	149.79	158.50	162.33	126.67
8.	सहायक कम्पनियों में निवेश	83.01	83.51	83.51	91.95	92.10

उपरोक्त वित्तीय स्थिति दर्शाती है कि:

कम्पनी ने वर्ष 2000-01 तथा 2003-04 को छोड़कर सभी वर्षों में हानि उठाई। इन वर्षों में लाभ कमाने का मुख्य कारण शासकीय ऋण पर ब्याज का उपलिखित करना था।

- वर्ष 2001-02 के अंत तक संचित हानियों के कारण कम्पनी की प्रदत्त अंशपूँजी का पूरी तरह क्षरण हो गया जिससे इसकी शुद्ध मूल्य ऋणात्मक हो गई। कम्पनी का शुद्ध मूल्य, तथापि, वर्ष 2002-03 के अन्त में सकारात्मक हो गया जो 1,129.45 करोड़ रुपये की संचित हानियों को नवसृजित (सितम्बर 2002) सहायक कम्पनी (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड) को हस्तान्तरित किए जाने के कारण ही था।

 कम्पनी का शुद्ध मूल्य, 2002-03 में 106.47 करोड़ रुपये के सापेक्ष वर्ष 2003-04 में, राज्य सरकार के आदेश पर 348.54 करोड़ रुपये के ऋणों (राज्य सरकार ऋण : 330.29 करोड़ रुपये तथा उ0 प्र0 चीनी विशेष निधि समिति द्वारा ऋण : 18.25 करोड़ रुपये) का अंशपूँजी में परिवर्तन के कारण बढ़ कर 485.23 करोड़ रुपये हो गया।

- परिचालन कार्यकलापों में कम्पनी प्रतिवर्ष हानि वहन कर रही थी क्योंकि चीनी की उत्पादन लागत इसके बिक्री मूल्य से अधिक थी। 2000-01 तथा 2003-04 में लाभ उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश चीनी विशेष निधि समिति तथा वित्तीय संस्थाओं के ऋणों पर वर्ष 2000-01 में 269.22 करोड़ रुपये तथा 2003-04 में 96.50 करोड़ रुपये के ब्याज को उपलिखित करने के कारण था।

ऋण

2.2.8 कम्पनी के वित्त का मुख्य स्रोत राज्य सरकार से प्राप्त ऋण है। 31 मार्च 2004 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों में कम्पनी ने राज्य सरकार से कुल 624.08 करोड़ रुपये का ऋण कम्पनी के कार्यों के प्रबन्धन के लिए प्राप्त किया। ऋण मुख्यत: गन्ने के क्रय हेतु भुगतान करने, वित्तीय संस्थानों के देयों के पुनर्भुगतान तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के अन्तर्गत भुगतान आदि उद्देश्यों हेतु प्राप्त किए गए थे। कम्पनी ने निधि की कमी के कारण राज्य सरकार को ऋण तथा ब्याज की किसी भी किश्त का पुनर्भुगतान नहीं किया। कम्पनी ने गन्ने के क्रय मूल्य के भुगतान तथा चीनी मिलों के अन्य आवर्ती व्ययों हेतु चीनी भण्डार के रेहन के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक (बैंक) के साथ नकद साख प्रबन्ध का भी उपयोग किया। पुनर्भुगतान, चीनी की बिक्री से किया जाता है। अवशेष बकाया एवं नकद साख लेखा में ब्याज देयताओं की वर्षवार स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

नकद साख पर कम्पनी की ब्याज देयता 29.78 करोड़ रुपये (1999-2000) से 44.37 करोड़ रुपये (2003-04) तक भण्डार की अपरिसमापन के फलस्वरूप नकद साख में वृद्धि के कारण बढ़ गई।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वर्ष के अन्त में नकद साख खाते के बकाया शेष	वर्ष के लिए नकद साख खाते पर ब्याज
1999-2000	289.24	29.78
2000-01	380.36	39.07
2001-0 2	404.41	50.77
2002-03	358.27	48.60
2003-04	378.16	44.37

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि ब्याज देयता 1999-2000 में 29.78 करोड़ रुपये से 2003-04 में 44.37 करोड़ रुपये तक बढ़ गयी। ब्याज देयता में वृद्धि चीनी के भण्डार के अपरिसमापन के कारण थी। चीनी का भण्डार 11 मिलों में 1999-2000 में 386.94 करोड़ रुपये (10.53 माह की बिक्री) से 2003-04 में 550.60 करोड़ रुपये (16.81 माह की बिक्री) तक बढ़ गया जिसने कम्पनी की वित्तीय स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2004) कि कम्पनी तथा सरकार के स्तर पर गम्भीर प्रयास किए गए जिसके फलस्वरूप पिछले पाँच वर्षों में 20.74 लाख क्विंटल का अतिरिक्त कोटा अवमुक्त हुआ तथा अतिरिक्त कोटा प्राप्त करने हेतु आगे के प्रयास जारी थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबन्धन, जैसा कि आगे के प्रस्तर 2.2.23 में चर्चा की गई है, 1999-2000 से 2001-02* की अवधि के दौरान सरकार द्वारा अवमुक्त चीनी के सम्पूर्ण कोटे को निस्तारित करने में भी असफल रहा।

सहायक कम्पनियों की दयनीय उपलब्धि

75.89 करोड़ रुपये के विनियोग के विरूद्ध कम्पनी की सहायक कम्पनियों की संचित हानियाँ 2003-04 तक 996.80 करोड़ रुपये तक हो गई।

2.2.9 कम्पनी ने 31 मार्च 2004 को 75.89[1] करोड़ रुपये की राशि का निवेश, समान व्यावसायिक क्रियाएँ यथा सफेद दानेदार चीनी का निर्माण करने वाली अपनी चार सहायक कम्पनियों में किया था। वर्ष 2003-04 तक इन सहायक कम्पनियों का निष्पादन असंतोषजनक रहा क्योंकि जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है कि वे प्रारम्भ से ही परिचालन हानियाँ उठा रही थीं:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	नन्दगंज सिहोरी चीनी कम्पनी लि0, रायबरेली	छाता चीनी कम्पनी लि0, मथुरा	घाटमपुर चीनी कम्पनी लि0, कानपुर देहात	उ0 प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड
कम्पनी द्वारा अंशपूँजी निवेश (31 मार्च 2004 को)	34.43	24.22[2]	8.80[3]	8.44[4]
वर्ष 2003-04 का लाभ/हानि	(-) 13.18	(-) 1.92	(-) 7.98	(-) 425.53
संचित हानि (31 मार्च 2004 को)	159.92	57.74	75.23	703.91
शुद्ध मूल्य (31 मार्च 2004 को प्रदत्त पूँजी जोड़ें मुक्त आरक्षित निधि तथा अधिशेष घटाएँ संचित हानियाँ)	(-) 125.49	(-) 21.56	(-) 66.28	(-) 150.88

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सहायक कम्पनियों की संचित हानि 75.89 करोड़ रुपये के अंशपूँजी निवेश की तुलना में 996.80 करोड़ रुपये की थी, इनमें से

[1] किच्छा चीनी कम्पनी लिमिटेड (एक सहायक कम्पनी) में 16.21 करोड़ रुपये के अंशपूँजी निवेश को छोड़कर जो बिना किसी प्रतिफल के अक्टूबर 2001 में उत्तरांचल राज्य को हस्तान्तरित की गई यह निवेश, तथापि, अब भी कम्पनी के लेखों में दिखाया जा रहा है।

[2] कम्पनी की प्रदत्त पूँजी 36.18 करोड़ रुपये है।

[3] कम्पनी की प्रदत्त पूँजी छाता चीनी कम्पनी लिमिटेड द्वारा विनिवेशित 0.15 करोड़ रुपये सम्मिलित करते हुए 8.95 करोड़ रुपये है।

[4] कम्पनी की अंशपूँजी आवेदन राशि लेकर प्रदत्त पूँजी, अंशपूँजी में परिवर्तित 544.89 करोड़ रुपये के ऋण को सम्मिलित करते हुए, 553.03 करोड़ रुपये है।

घाटमपुर चीनी कम्पनी तथा नन्दगंज सिहोरी कम्पनी को बीआईएफआर के अन्तर्गत क्रमश: जनवरी तथा मई 2002 के निर्णयों के अनुपालन में बन्द किए जाने का आदेश दिया जा चुका है। छाता चीनी कम्पनी का निष्पादन भी इसकी 36.18 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी के विरूद्ध 57.74 करोड़ रुपये की संचित हानि को देखते हुए संतोषजनक नहीं था। इस प्रकार इन कम्पनियों में निवेश अलाभकारी ही रहा, क्योंकि इन सभी वर्षों में कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं किया गया बल्कि निवेश भी पूर्ण रूप से क्षरित हो गया। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपने वर्ष 31 मार्च 2001 के प्रतिवेदन में भी कहा कि इन कम्पनियों में निवेश, मूल्य में स्थायी रूप से, क्षरित हो गया था और उस सीमा तक प्राविधान किया जाना वाँछित था।

प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अगस्त 2004) कि सहायक कम्पनियों के दयनीय निष्पादन का प्रमुख कारण पेराई हेतु मिलों की, आवश्यकतानुसार गन्ने की अनुपलब्धता थी। यह भी कहा गया कि इन मिलों की स्थापना क्षेत्रीय एवं औद्योगिक असंतुलन कम करने हेतु पिछड़े क्षेत्रों में की गई थी।

तथापि, ये मिलें वाँछित उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहीं क्योंकि गन्ने की अनुपलब्धता एवं निरन्तर हानियों के कारण ये मिलें रूग्ण हो गयी तथा इनको बन्द किये जाने के आदेश हो गये।

असंगत गन्ना प्रबन्धन

अपर्याप्त गन्ना विकास

कम्पनी वर्ष 1999-2004 के दौरान कुल अधिप्राप्ति के केवल 10.13 से 11.56 प्रतिशत तक ही अगैती किस्म का गन्ना प्राप्त कर सकी।

2.2.10 कटाई की अवधि के आधार पर गन्ना तीन किस्मों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा अगैती, मध्यम तथा पछैती। अगैती किस्म का गन्ना मिलों के लिए दो कारणें से लाभकारी माना जाता है। प्रथम, मध्यम एवं पछैती किस्मों की तुलना में अगैती किस्म के गन्ने में शर्करा की मात्रा सामान्यत: अधिक होती है। दूसरी, अगैती किस्म के गन्ने की उपलब्धता मिल को पेराई सत्र जल्दी शुरू करने के योग्य बनाती है और जब मध्यम किस्म के साथ यह मिला दिया जाता है, गन्ने की आसानी से आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती है। अगैती किस्म के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार भी अन्य किस्मों की तुलना में अगैती किस्म के गन्ने का राज्य समर्थन मूल्य अधिक घोषित करके गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन प्रदान करती है।

पिछले पाँच वर्षों (1999-2000 से 2003-04) में अपनी 11 मिलों के सम्बन्ध में कम्पनी ने 1,577.53 करोड़ रुपये मूल्य के 1,745.54 लाख क्विंटल गन्ने की अधिप्राप्ति के विरूद्ध गन्ना विकास पर 4.74 करोड़ रुपये का मामूली व्यय (0.30 प्रतिशत) किया।

11 मिलों के सम्बन्ध में गन्ना विकास पर समुचित जोर न होने के कारण, अगैती किस्म के गन्ने का उत्पादन 1999-04 के दौरान 10.13 से 11.56 प्रतिशत के बीच निम्न स्तर पर रहा। यदि कम्पनी ने गन्ने की अधिक पैदावार वाली किस्मों के

विकास हेतु समेकित प्रयास किये होते तो कम्पनी ने चीनी उत्पादन में सुधार कर लिया होता।

कच्चे माल का नियोजन

2.2.11 मिलें आगामी पेराई सत्र के लिए अपनी संस्थापित क्षमताओं पर आधारित गन्ने की अनुमानित आवश्यकता निकालती है और तद्नुसार उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं क्रय का नियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 15 तथा उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं क्रय) नियम, 1954 के नियम 21 के अधीन गन्ना क्षेत्र के आरक्षण हेतु गन्ना आयुक्त को प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। गन्ना आयुक्त विभिन्न मिलों के लिए प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् मिल को गन्ना क्षेत्र आवंटित करता है। आवंटन के पश्चात्, आरक्षित क्षेत्र की गन्ना उत्पादक सहकारी समितियाँ मिल को आपूर्ति किए जाने वाले गन्ने की मात्रा का प्रस्ताव करती हैं (खड़ी फसल की अनुमानित उपज के आधार पर), जो तब मिल द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार स्वीकार कर लिया जाता है। मिल में गन्ने की दैनिक आवश्यकता के अनुसार, मिल प्रबन्धन द्वारा समितियों को तीन दिन पहले माँगपत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। गन्ना उत्पादक मिल गेट/बाह्य प्राप्ति केन्द्रों पर गन्ने की आपूर्ति करते हैं।

गन्ना मूल्य का निर्धारण

2.2.12 प्रत्येक मिल द्वारा गन्ना उत्पादकों को भुगतान किए जाने वाले गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) भारत सरकार द्वारा प्रत्येक सत्र के लिए गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबन्ध (3) के अधीन निर्धारित किया जाता है। राज्य सरकार, तथापि, राज्य की सभी मिलों द्वारा भुगतान किए जाने वाले गन्ने का समरूप राज्य समर्थन मूल्य (एसएपी) की घोषणा करती है। राज्य सरकार द्वारा घोषित एसएपी, भारत सरकार द्वारा घोषित एसएमपी से अधिक था। राज्य सरकार द्वारा घोषित एसएपी वर्ष 1999-2000 से 2003-04 की अवधि के दौरान 85 रुपये से 100 रुपये प्रति क्विंटल के बीच था, जबकि भारत सरकार द्वारा घोषित एसएमपी उसी अवधि के दौरान 56.10 से 82.35 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहा। कम्पनी ने गन्ना उत्पादकों को गन्ना मूल्य का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किया।

गन्ना अधिप्राप्ति

2.2.13 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों में 11 कार्यशील मिलों की उपलब्धि को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

(लाख क्विंटल में)

पेराई सत्र	वास्तविक गन्ना उत्पादन	मिलों की अनुमानित गन्ना माँग	समितियों द्वारा प्रस्तावित गन्ना	प्राप्त गन्ना	समितियों द्वारा प्रस्तावित गन्ने के विरूद्ध कम प्राप्ति (4-5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1999-2000	946.66	407.90	413.39	324.99	88.40
2000-01	981.81	407.40	404.08	330.80	73.28
2001-02	1054.46	416.45	418.28	366.43	51.85

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2002-03	1121.51	416.85	418.03	404.19	13.84
2003-04	1058.84	387.00	402.11	319.13	82.98
योग	**5163.28**	**2035.60**	**2055.89**	**1745.54**	**310.35**

उपरोक्त तालिका से प्रकट होता है कि 11 मिलें मिलकर भी समितियों द्वारा प्रस्तावित गन्ने की मात्रा को उठा नहीं सकीं। परिणामत: कम्पनी, मिलों में 310.35 लाख क्विंटल गन्ने की प्राप्ति एवं पेराई नहीं कर सकी जो चीनी के 26.38 लाख क्विंटल के उत्पादन में गिरावट के रूप में फलित हुआ (8.5 प्रतिशत के निम्नतम प्राप्ति पर गणना की गई), इसके अतिरिक्त एक सत्र में सामान्य दिनों से कम दिनों के लिए मिलों का परिचालन हुआ।

गन्ने की कम प्राप्ति के लेखा परीक्षा में विश्लेषित कारण थे:

कम्पनी 310.35 लाख क्विंटल गन्ना की प्राप्ति एवं पेराई नहीं कर सकी जो कि 26.38 लाख क्विंटल चीनी की उत्पादन गिरावट में फलित हुआ।

- जैसा कि आगे के प्रस्तर 2.2.14 में चर्चा की गई है, मिलों द्वारा गन्ना मूल्य के भुगतान में विलम्ब के कारण गन्ने का निजी मिलों, क्रशरों तथा खाण्डसारी इकाइयों की ओर चले जाना।
- निजी मिलों की तुलना में मिलों द्वारा परिचालन में विलम्ब।
- उन वर्षों में जब गन्ने का सम्पूर्ण उत्पादन कम था, निजी मिलों/क्रशरों/खाण्डसारी इकाइयों द्वारा दी जा रही उच्चतर दरें;
- जैसा कि आगे के प्रस्तर 2.2.20 में चर्चा की गई है, सत्र के दौरान मिल के बारम्बार तथा लम्बी रूकावटों के कारण गन्ना उत्पादकों के लिए लम्बा प्रतीक्षा समय ।

इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि क्षेत्र में पर्याप्त गन्ना उत्पादन था, कम्पनी अपनी आवश्यकतानुसार गन्ना प्राप्त नहीं कर सकी।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2004) कि निम्न पेराई क्षमता कम्पनी की मिलों में पेराई की देरी से शुरूआत, निजी मिलों द्वारा दी जा रही उच्चतर दरें गन्ना प्रबन्धन की सीमा से बाहर थी तथा निजी मिलों, जो क्षेत्र से अधिक गन्ना प्राप्त कर रहीं थीं, की उच्चतर पेराई क्षमता के कारण कम्पनी का आहरण प्रतिशत* निम्नतर था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राज्य के गन्ना आयुक्त मिलों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर गन्ना क्षेत्र का निर्णय करते हैं और मिलें अग्रिम समुचित योजना के द्वारा अपना कार्य पूर्व ही प्रारम्भ कर सकती थीं।

गन्ना मूल्य का बढ़ता हुआ बकाया

2.2.14 नीचे दी गई तालिका वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में बकाया गन्ना मूल्य देय, वर्ष में देय राशि, वर्ष में भुगतान की गई वास्तविक राशि तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बकाया देयों को इंगित करती है:

चीनी के भण्डार के खराब निस्तारण, उच्च बिक्री लागत, इत्यादि के कारण कम्पनी के विरूद्ध गन्ने के मूल्य का बकाया 110.48 करोड़ रुपये (1999-2000) से बढ़कर 171.69 करोड़ रुपये (2003-04) हो गयी।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	गन्ना मूल्य देयों का शेष प्रारम्भिक	वर्ष में गन्ने का क्रय	किया गया भुगतान	गन्ना मूल्य देयों का अवशेष (2+3-4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1999-2000	105.83	338.54	333.89	110.48
2000-01	110.48	357.95	341.95	126.48

* क्षेत्र में कुल गन्ना उत्पादन के सापेक्ष प्राप्त गन्ने का प्रतिशत।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2001-02	126.48	384.35	315.26	195.57
2002-03	195.57	332.11	279.12	248.56
2003-04	248.56	302.55	379.42	171.69

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि गन्ना मूल्य देय 1999-2000 में 110.48 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2003-04 में 171.69 करोड़ रुपये तक हो गये। लेखा परीक्षा द्वारा विश्लेषित गन्ना देयों के अवशेष ऐसे उच्च स्तर पर होने के कारण थे:

- चीनी के भण्डार का खराब निस्तारण जिसके कारण कम्पनी की कार्यशील पूँजी लम्बे अवधि के लिए अवरूद्ध रही।
- सभी पाँच वर्षो में बिक्री से बिक्री की लागत का उच्चतर रहना। परिणामत: विक्रय से सृजित राजस्व भी इसकी बिक्री की लागत को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं था।

लेखा परीक्षा के प्रेक्षणों को स्वीकार करते हुए प्रबन्धन ने बढ़ते हुए बकाये के निम्न अन्य कारण भी बताए (अगस्त 2004):

- राज्य सरकार द्वारा घोषित एसएपी के अनुसार, जो भारत सरकार द्वारा घोषित एसएमपी से उच्चतर स्तर पर निर्धारित है, कम्पनी द्वारा भुगतान के लिए देय गन्ना मूल्य की अतिरिक्त राशि ।
- खुले बाजार में बिक्री हेतु चीनी कोटे का अवमुक्त न किया जाना क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता था।
- चीनी के उच्च रहतिये पर ब्याज का उच्चतर बोझ ।

भारत सरकार द्वारा चीनी कोटे के अवमुक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्धन का उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि कम्पनी जैसा कि आगे के प्रस्तर 2.2.23 में चर्चा की गई है, अपने पक्ष में अवमुक्त चीनी का कोटा भी नहीं बेच सकी।

उत्पादन उपलब्धियाँ

2.2.15 प्रयोगशाला विश्लेषण के आधार पर मिलें प्राप्त गन्ने में चीनी की मात्रा का आंकलन करती हैं। वर्ष 2003-04 तक के पाँच वर्षो में अनुमानित चीनी की मात्रा, वास्तविक प्राप्त चीनी तथा चीनी की हानि का कुल प्रतिशत नीचे दिया है:

विवरण	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
पेरा गया गन्ना (लाख टन)	32.38	32.97	36.54	40.40	31.89
उत्पादित चीनी (लाख टन)	2.87	3.06	3.24	3.59	2.98
गन्ना में चीनी की मात्रा का अनुमानित प्रतिशत	10.21 से 12.03	11.17 से 12.22	10.75 से 11.67	10.55 से 11.80	11.18 से 12.05
प्राप्त चीनी का प्रतिशत	8.86	9.28	8.87	8.89	9.34
विनष्ट चीनी का प्रतिशत	2.21 से 2.83	2.21 से 2.61	2.19 से 2.68	2.15 से 2.79	2.10 से 2.50

11 मिलों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2004 को समाप्त पाँच वर्षो के दौरान गन्ने की पेराई 31.89 से 40.40 लाख टन के बीच विचरित रही। पेरे गए गन्ने की मात्रा

(31.89 लाख टन) 2003-04 में असाधारण रूप से कम थी जो मुख्यत: प्रस्तावित मात्रा की तुलना में निम्नतर गन्ना प्राप्ति के कारण थी।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित का उल्लेख किये जाने योग्य है:

उत्पादन की उच्चतर लागत

2.2.16 नीचे दी गई तालिका 11 मिलों के सम्बन्ध में 1999-2000 से 2003-04 की अवधि के दौरान उत्पादन का औसत प्रत्यक्ष लागत (ह्रास को निकालकर) तथा औसत बिक्री प्राप्ति का सारांश दर्शाती है:

क्रमांक	विवरण	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
(i)	चीनी बिक्री (लाख टन में)	3.33	2.97	2.81	2.86	2.80
(ii)	कच्चे माल की लागत (रुपये प्रति टन)	10079	10192	11091	10821	10964
(iii)	प्रत्यक्ष रूपान्तर लागत (रुपये प्रति टन)	7944	7560	5848	4198	3229
(iv)	उत्पादन की प्रत्यक्ष लागत (रुपये प्रति टन) (ii)+(iii)	18023	17752	16939	15019	14193
(v)	औसत बिक्री प्राप्ति (रुपये प्रति टन)	13237	13402	13479	11482	12243
(vi)	नकद हानि (रुपये प्रति टन) (iv)-(v)	4786	4350	3460	3537	1950
(vii)	कुल नकद हानि (i)x(vi) (करोड़ रुपये में)	159.37	129.20	97.23	101.16	54.60

कम्पनी ने उत्पादन की उच्चतर प्रत्यक्ष लागत के कारण 2003-04 तक के पिछले पाँच वर्षों में चीनी की बिक्री पर 541.56 करोड़ रुपये की नकद हानि उठाई।

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि 1999-2000 से 2003-04 की अवधि के दौरान प्रति टन औसत बिक्री प्राप्ति ने कभी भी उत्पादन की औसत लागत को पूरा नहीं किया। इस प्रकार 1999-2000 से 2003-04 की अवधि के दौरान उत्पादन की कुल प्रत्यक्ष लागत के सन्दर्भ में, 14.77 लाख टन चीनी की बिक्री पर 541.56 करोड़ रुपये की कुल नकद हानि थी। प्रति टन बिक्री प्राप्ति की तुलना में उत्पादन की उच्चतर लागत के उत्तरदायी कारकों पर चर्चा आगे के प्रस्तरों में की गई है।

चीनी की अधिक हानि

मानक के विरूद्ध चीनी की अत्यधिक हानि के कारण कम्पनी ने वर्ष 1999-2004 के दौरान 44.70 करोड़ रुपये की नकद हानि उठाई।

2.2.17 भारत में चीनी कारखानों की कार्यशीलता में सुधार की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ तकनीकी समिति ने पेरे गए गन्ने में 2.2 प्रतिशत (अधिकतम) चीनी हानि के मानक का निर्धारण किया था (मई 1988)। मिलवार पेरे गए गन्ने की मात्रा, गन्ने में चीनी की प्रतिशतता, प्रतिशत में चीनी प्राप्ति एवं चीनी हानि **परिशिष्ट-21** में दर्शायी गई है। परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि पेरे गए गन्ने के 2.2 प्रतिशत के मानक के विरूद्ध वास्तविक चीनी की हानि पेरे गए गन्ने के 2.10 प्रतिशत से 2.83 प्रतिशत के बीच विचरित रही। इसके फलस्वरूप 44.70 करोड़ रुपये मूल्य की चीनी की अधिक हानि हुई।

प्रबन्धन ने न तो चीनी की अत्यधिक हानि के कारणों की जाँच की, न ही उपचारात्मक कार्यवाही की।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2004) कि निम्न क्षमता वाली तथा पुरानी प्रौद्योगिकी की बहुत सी मशीनें विस्तार में रोक ली गई थीं, परिणामस्वरूप कार्य क्षमता निम्न थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा विनिश्चित मानक विस्तारित प्लाण्टों में लागू था तथा 11 मिलों में से चार* ने एक या अधिक वर्षों में इस मानक को प्राप्त कर लिया था।

खोई का अधिक उपभोग

कम्पनी ने खोई के अधिक उपभोग के कारण 1998-03 के वर्षों में 37.93 करोड़ रुपये का अधिक व्यय किया।

2.2.18 कम्पनी की मिलें अपनी निजी कैप्टिव पावर प्लाण्ट में ईधन के रूप में खोई (पेरे जाने के बाद बचा हुआ गन्ने का रेशेदार अपशिष्ट) का प्रयोग करती है। अधिशेष खोई को बाजार में बेचा जाता है। 1974 की चीनी उद्योग के जाँच आयोग प्रतिवेदन के अनुसार सुचारू रूप से संचालित तथा अनुरक्षित फैक्टरी में खोई के रूप में ईधन की आवश्यकता पेरे गए गन्ने के 28 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। खोई का वास्तविक उपभोग, तथापि, मानक से काफी अधिक रहा। खोई के अत्यधिक उपभोग के मुख्य कारण उष्मा बचाने वाले यंत्रों की संस्थापना न होना, नलिकाओं में इन्सुलेशन की कमी तथा निम्न क्षमता के पुराने ब्वायलरों की उपलब्धता थे। यह देखा गया कि मिलों ने न केवल अपने द्वारा उत्पन्न खोई का उपभोग किया वरन् उन्हें अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु बाहर से भी क्रय करना पड़ा (सिवाय सहारनपुर, बिजनौर एवं खड्डा मिलों के जिन्होंने बाहर से क्रय नहीं किया)। फलतः टरबाइन के माध्यम से ऊर्जा के उत्पादन की लागत बढ़ गयी। यह अन्त में चीनी के उत्पादन की लागत वृद्धि के रूप में फलित हुआ। नौ मिलों के सम्बन्ध में, जहाँ सूचना उपलब्ध कराई गयी, वर्ष 2002-03 तक के पाँच वर्षों में मिलों द्वारा बिक्रीत खोई की बिक्री दर के आधार पर 37.93 करोड़ रुपये की खोई का अधिक उपभोग किया गया (परिशिष्ट-22)।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2004) कि दयनीय आर्थिक स्थिति तथा निधि की कमी के कारण ऊर्जा बचाने वाले उपकरण संस्थापित नहीं किए जा सके और उष्मा नलिकाओं में पर्याप्त इन्सुलेशन नहीं किया जा सका जो खोई के बढ़े हुए उपभोग के रूप में फलित हुआ।

इस तथ्य के प्रकाश में कि ईधन की बचत के लिये अथवा मितव्ययिता लाने के लिए मिलों को ऊर्जा सक्षम बनाने हेतु कोई निवारणात्मक कदम नहीं उठाये गये थे, उत्तर मान्य नहीं है।

गन्ने की ढुलाई पर अतिरिक्त व्यय

कम्पनी ने, गन्ने की कीमतों से अनुमत कटौती तक व्यय को सीमित रखने में असफलता के कारण, गन्ने की ढुलाई पर 1999-2004 के दौरान 17.52 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

2.2.19 कम्पनी की मिलों द्वारा गन्ना की प्राप्ति मिल गेट/इस हेतु खोले गए प्राप्ति केन्द्रों पर, जो गन्ना उत्पादकों द्वारा गन्ना की आपूर्ति पर निर्भर करती है, की जाती है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने की कीमत मिल गेट पर गन्ने की आपूर्ति हेतु है। राज्य सरकार, तथापि मिल गेट से प्राप्ति केन्द्रों की दूरी पर ध्यान दिए बिना कीमतों में एक निर्धारित राशि की कटौती की अनुमति देती है। मिलें प्राप्ति केन्द्रों से मिल गेट तक गन्ने की ढुलाई का प्रबन्ध करती है। अतः गन्ने की ढुलाई के व्यय को गन्ने की कीमतों में कटौती के जरिए सृजित निधि तक सीमित रखना चाहिए।

11 कार्यशील मिलों के अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया कि सिवाय सकौती टाण्डा (2002-03) तथा बिजनौर (2002-03 तथा 2003-04) मिलों के 31 मार्च 2004 को समाप्त हुए सभी पाँच वर्षों में प्रबन्धन गन्ने की ढुलाई पर हुए व्यय

* सहारनपुर, अमरोहा, चांदपुर तथा बिजनौर

को राज्य सरकार द्वारा अनुमत कटौती तक नियंत्रित रखने में असफल रहा और 1999-2000 से 2003-04 के दौरान 17.52 करोड़ रुपये का अधिक व्यय किया। यह कच्चे माल की बढ़ी लागत तथा अन्ततः चीनी के उत्पादन की लागत में बढ़ोत्तरी में फलित हुआ।

पुनः, प्राप्ति केन्द्रों से सम्बन्धित मिल तक गन्ने की ढुलाई की दरें निर्धारित करने में मिलों के बीच समन्वय का अभाव था। परिणामतः अमरोहा मिल ने बिजनौर मिल की तुलना में उच्चतर ढुलाई लागत वहन की (50 किमी0 की दूरी पर समान भौगोलिक क्षेत्र में स्थित)। अमरोहा मिल की ढुलाई दरें (प्रति किमी0/क्विंटल) बिजनौर मिल द्वारा दी गई दरों से अधिक उच्चतर थीं जिसके कारण अमरोहा मिल द्वारा 1998-99 से 2002-03 की अवधि के दौरान 1.32 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया। यदि मिलों के बीच समन्वय होता तो यह अधिक व्यय बचाया जा सकता था।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2004) कि राज्य सरकार द्वारा अनुमत कटौती से अधिक किये गये किसी भी व्यय को कम्पनी द्वारा वहन किया जाना था और न्यूनतम दरें प्राप्त करने हेतु कई समाचार पत्रों में निविदा सूचना प्रकाशित की गई और इस प्रकार प्राप्त दरों की तुलना पिछले वर्षों तथा निकटवर्ती इकाई द्वारा दी गई दरों से की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रबन्धन ने कभी भी उच्चतर ढुलाई लागत सीधे या गन्ने की कीमत में कटौती के द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु मामले को सरकार के समक्ष नहीं रखा। पुनः, निविदाओं में प्राप्त दरों की तुलना निकटवर्ती इकाइयों से कदाचित ही की गई जैसा कि अमरोहा इकाई के मामले में बताया गया है।

संयन्त्र की उपलब्धि

2.2.20 वर्तमान में कम्पनी के पास कुल 25,200 टीसीडी की पेराई क्षमता वाली 11 मिलें हैं। चीनी उद्योग चूँकि सामान्यतया मौसमी है, अतः इसका परिचालन सामान्यतः पूर्व क्षेत्र में 150 दिनों तथा पश्चिमी क्षेत्र में 180 दिनों तक सीमित है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ तकनीकी समिति ने मत दी (1988) कि पेराई के दौरान रूकावट की अधिकतम अवधि कुल उपलब्ध घंटों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। नीचे दी गई तालिका सभी 11 मिलों के सम्बन्ध में कुल उपलब्ध घंटों, कार्य किए गए घंटों तथा नुकसान हुए घंटों को इंगित करती है:

विवरण	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	योग
कुल उपलब्ध घण्टे	38129	37672	41913	48038	36199	201951
कार्यशील घण्टे	32173	33015	36473	41664	31901	175226
नुकसान हुए घण्टे						
(i) गन्ने की अनुपलब्धता	1427	673	774	889	591	4354
(ii) यांत्रिक तथा विद्युत कठिनाइयाँ	2019	1886	2413	2688	1810	10816
(iii) सामान्य सफाई	2115	1845	1924	2384	1429	9697
(iv) विविध कारण	395	253	329	413	468	1858
कुल नुकसान हुए घण्टे	5956	4657	5440	6374	4298	26725
उपलब्ध घण्टों से नुकसान हुए घण्टों का प्रतिशत	15.62	12.36	12.98	13.27	11.87	13.23

इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में देखा गया कि:

- नुकसान हुए घंटों का प्रतिशत 10 प्रतिशत के मानक के विरूद्ध 11.87 से 15.62 प्रतिशत तक विचरित रहा।
- गन्ने की अनुपलब्धता नुकसान हुए घंटों के 16.29 प्रतिशत था जो विभिन्न विभागों यथा प्राप्ति, उत्पादन तथा अनुरक्षण के बीच उचित समन्वय के अभाव को इंगित करता है।
- यांत्रिक तथा विद्युत कठिनाइयाँ कुल नुकसान हुए घंटों का 40.47 प्रतिशत थी और यह 1999-2000 से 2003-04 के दौरान मरम्मत एवं अनुरक्षण पर 76.16 करोड़ रुपये व्यय किए जाने के बावजूद थीं।
- विविध कारणों से नुकसान हुए घंटे, कुल नुकसान हुए घंटों का 6.95 प्रतिशत था। कम्पनी द्वारा इसके कारण विश्लेषित नहीं किए गए।

कम्पनी की 5 मिलों का क्षमता उपयोग, वर्ष 1999-2004 के अवधि में, 74.83 से 90.07 प्रतिशत के मध्य विचरित रहा। यह गन्ने की अनुपलब्धता, यांत्रिक एवं विद्युतीय कठिनाइयों के कारण था।

- 11 मिलों में से पाँच* मिलों का क्षमता उपयोग संतोषजनक नहीं था क्योंकि यह सभी पाँच वर्षों में 74.83 से 90.07 प्रतिशत के बीच विचरित रहा (परिशिष्ट-23)। निम्न क्षमता उपयोग का कारण मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल कठिनाइयों के अलावा गन्ने की अनुपलब्धता था।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2004) कि रूकावट के 10 प्रतिशत का मानक नए संयंत्रों के लिए था। पुन:, यह मानक केवल मेकेनिकल ब्रेकडाउन तथा सामान्य सफाई के कारण रूकावट को समाविष्ट करता था।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने रूकावटों के लिए 10 प्रतिशत का प्रावधान नई फैक्टरियों के साथ ही 1973 के मानक विशिष्टयों के आधार पर विस्तारित फैक्टरियों के लिए किया था। पुन:, 10 प्रतिशत का मानक अधिकतम डाउन टाइम के लिए नियत था जो स्वयं में सभी प्रकार की रूकावटों को समाविष्ट करता था।

बिक्री उपलब्धि

2.2.21 दोहरी मूल्य नीति के अन्तर्गत भारत सरकार समय-समय पर मिलों द्वारा उत्पादित कुल चीनी को मुक्त एवं लेवी बिक्री हेतु आवंटन का प्रतिशत घोषित करती है। मुक्त चीनी को खुले बाजार में बेचा जा सकता है, जबकि लेवी चीनी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सरकारी एजेन्सियों को भारत सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित दरों पर बेचा जाना था। मुक्त तथा लेवी चीनी का अनुपात 1999-2000 में 70:30 था और समय-समय पर परिवर्तित होते हुये मार्च 2002 में 90:10 था। स्वतंत्र बाजार में चीनी की बिक्री के लिए मात्रा भारत सरकार द्वारा अपने अवमुक्ति आदेशों द्वारा माह दर माह के आधार पर निर्णीत की जाती है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित लेवी चीनी का कोटा राज्य सरकार को राज्य सरकार की प्रतिनिधि इकाइयों के जरिये अवमुक्त किया जाता है।

कम्पनी के पास मुक्त चीनी की बिक्री की पारदर्शी प्रणाली नहीं थी।

* बुलन्दशहर, मोहद्दीनपुर, अमरोहा, जरवल रोड तथा सिसवा बाजार

अपनी मिलों तथा इसकी सहायिकाओं में उत्पादित चीनी की मुक्त बिक्री के सम्बन्ध में, कम्पनी दैनिक आधार पर चीनी की बिक्री दर निर्धारित करती है तथा बिक्री सम्पूर्ण राज्य तथा नई दिल्ली में नियुक्त विक्रय अभिकर्ताओं के माध्यम से की जाती है। विक्रय अभिकर्ताओं को विक्रय तिथि, उठान की अंतिम तिथि, गुणवत्ता, मात्रा तथा दर इंगित करने वाली बिक्री एडवाइसें निर्गत की जाती हैं। विक्रय अभिकर्ता मिलों को भुगतान करने के पश्चात या तो स्वयं या अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से डिलीवरी लेते हैं। इसके अतिरिक्त, पुरानी चीनी की मुक्त बिक्री नीलामी के द्वारा की जाती है।

यह देखा गया कि नई दिल्ली तथा लखनऊ के बिक्री कार्यालयों के द्वारा मुक्त चीनी बाजार में महाप्रबन्धक (विक्रय) के पर्यवेक्षण में बेची गई। महाप्रबन्धक (विक्रय) ने दूरभाष पर निजी मिलों तथा सहकारी संघ की मिलों में प्रचलित दरों तथा अपने अभिकर्ताओं द्वारा बाजार दर का पता लगाया। तद्नुसार बाजार में उद्धृत करने हेतु चीनी की बिक्री दरें दैनिक आधार पर निर्धारित की गई। इन दरों का प्रस्ताव बिक्री अभिकर्ताओं को दिया गया। इस प्रक्रिया में, अभिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का कोई लिखित अभिलेख, साथ ही किए गए प्रयासों तथा दर निर्धारण में की गई बात-चीत का साक्ष्य नहीं रहता है। इस प्रकार, इस प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ अनुपलब्ध था।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2004) कि चीनी की बिक्री की प्रणाली में पारदर्शिता थी तथा चीनी का विक्रय सभी बिक्री अभिकर्ताओं को सूचित करने के बाद किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पारदर्शिता का अभाव, जैसा कि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किया गया, दूरभाष पर किए गए कार्यकलापों के समर्थन में किसी लिखित अभिलेखीय साक्ष्य के सृजित/उपलब्ध न होने के कारण था। इसे बचाया जा सकता था, यदि संवाद के दूसरे तरीके, जो अभिलिखित साक्ष्य सृजित करते हैं जैसे फैक्स, का प्रयोग किया जाता।

बिक्री प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण पर अलाभकारी व्यय

चीनी की बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'आन लाइन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली' पर 15 लाख रुपये का व्यय अलाभकारी रहा क्योंकि प्रणाली केवल बहुत कम अवधि के लिए परिचालित रही।

2.2.22 बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के विचार से कम्पनी ने चीनी की बिक्री के लिए आन लाइन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली लागू की (मार्च 2000)। कम्प्यूटरों/साफ्टवेयर की संस्थापना पर 15 लाख रुपये का व्यय करने के पश्चात् आन लाइन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली 1 अगस्त 2000 से शुरू की गई परन्तु यह केवल 25 अगस्त 2000 तक ही कार्य कर सकी। इस अवधि में दोनों प्रणालियाँ चालू थीं तथा कुल बिक्री 65,000 बोरों की थी, जिसमें से केवल 8,000 बोरे आन लाइन प्रणाली द्वारा बेचे जा सके तथा शेष बोरे, बिक्री दरों के निर्धारण हेतु दूरभाष पर दरें एकत्रित करने वाली पुरानी प्रणाली द्वारा बेचे गए। वर्तमान में कम्पनी में बिक्री की पुरानी प्रणाली प्रचलित है। इस प्रकार 15 लाख रुपये का व्यय अलाभकारी रहा तथा बिक्री प्रणाली में पारदर्शिता प्राप्त नहीं की जा सकी।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि चीनी की बिक्री की आन लाइन प्रणाली की असफलता के कारण थे: (i) बहुत से अभिकर्ताओं के पास कम्प्यूटर प्रणाली की अभाव, (ii) अभिकर्ताओं का एक स्थान पर न ठहरना तथा (iii) सौदे के निष्पादन में अधिक समय लगना, तत्पश्चात् दूरभाष पर पुष्टीकरण करना ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने नई प्रणाली लाने के पूर्व अभिकर्ताओं द्वारा इसकी स्वीकार्यता का मूल्यांकन नहीं किया।

मुक्त बिक्री कोटे का कालातीत हो जाना

2.2.23 इकाइयों तथा सहायक कम्पनियों में मुक्त बिक्री हेतु उपलब्ध चीनी के लिए चीनी निदेशालय एक माह के दौरान की जाने वाली बिक्री का कोटा अवमुक्त करता है तथा माह के अन्त में अविक्रीत रही मात्रा कालातीत हो जाती है। निम्न तालिका माहवार कोटे का आवंटन, विक्रीत मात्रा तथा व्यपगत मात्रा इंगित करती है:

वर्ष	अवमुक्त कुल कोटा (क्विंटल में)	बिक्रीत मात्रा (क्विंटल में)	कालातीत मात्रा (क्विंटल में)	वर्ष के दौरान प्रति क्विंटल औसत बिक्री प्राप्ति (रुपये में)	कालातीत चीनी की मात्रा का मूल्य (करोड़ रुपये में)
1999-2000	3214324	3129144	85180	1323.70	11.28
2000-01	2720875	2716880	3995	1340.20	0.54
2001-02	2824774	2704607	120167	1347.90	16.20
2002-03	3010847	3016428	शून्य	---	---
2003-04	3276785	3520149	शून्य	---	---
योग			**209342**		**28.02**

उपरोक्त तालिका प्रकट करती है कि 1999-2000 से 2001-02 के दौरान 28.02 करोड़ रुपये मूल्य की 2,09,342 क्विंटल मुक्त चीनी कालातीत हो गयी। मुक्त बिक्री की चीनी की व्यपगत मात्रा 2001-02 के दौरान असाधारण रूप से उच्च थी। यह पुन: चीनी के संचित भण्डार में वृद्धि तथा भण्डार के रखे जाने की लागत में वृद्धि के रूप में फलित हुआ। यह प्रबन्धन द्वारा दयनीय विक्रय प्रयासों को प्रतिबिम्बित करती है।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2004) कि कालातीत मात्राएँ महत्वहीन थीं तथा यह सरकारी नीतियों में परिवर्तन, निजी मिलों द्वारा अत्यधिक बिक्री, ट्रान्सपोर्टरों की हड़ताल तथा प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण थी।

प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष 1999-2000 तथा 2001-02 में क्रमश: 11.28 करोड़ रुपये तथा 16.20 करोड़ रुपये की राशि की कालातीत मात्राएँ सारपूर्ण थीं। आगे, जहाँ सरकारी नीतियों, ट्रान्सपोर्टरों की हड़ताल तथा प्राकृतिक आपदाओं का सम्बन्ध है, ये सम्पूर्ण चीनी उद्योग के लिए सामान्य थी। जहाँ तक निजी मिलों द्वारा अधिक बिक्री का सम्बन्ध है, यह इंगित करने योग्य है कि निजी मिलें जिन परिस्थितियों में अत्यधिक बिक्री कर सकी वे कम्पनी तथा निजी मिलों में समान थी।

शीरे की बिक्री में चूकें

2.2.24 गन्ने के उपोत्पादों में से एक, शीरा, चीनी के उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान उत्पादित किया जाता है। शीरे को निस्तारण के समय तक स्टील के टैंकों तथा आच्छादित राज निर्मित टैंक में भण्डारित किया जाता है और निम्न कारणों से इसका नियमित रूप से निस्तारण करना पड़ता है:

- मिलों में शीरे के भण्डारण हेतु क्षमता, सम्पूर्ण सत्र के उत्पादन को रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
- यदि भण्डार क्षमता (स्टील टैंक तथा आच्छादित राज-निर्मित टैंक) का पूर्ण उपयोग हो जाता है तो पश्चात्वर्ती उत्पादन को कच्चे गड्ढे में भण्डारित करना पड़ता है जो सूक्ष्म जीवाणु रचना तथा बरसाती पानी के मिश्रण आदि के कारण गुणवत्ता में गिरावट की ओर उन्मुख होता है।
- स्टील टैंकों/आच्छादित राज-निर्मित टैंक/कच्चे गड्ढे में भण्डारित शीरे के स्व-प्रज्ज्वलन तथा गर्मी में अत्यधिक गर्म हो जाने के फलस्वरूप स्टील टैंकों के विस्फोट का खतरा।
- नकद प्रवाह का पर्याप्त स्तर बनाए रखने के लिए ।

लेखा परीक्षा ने देखा कि:

- शीरे की सम्पूर्ण मात्रा का निस्तारण नहीं किया जा सका। कुल रहतिये के सापेक्ष, आठ प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक की शीरे की मात्रा, 1999-2000 से 2003-04 के मध्य, निस्तारण के समय, अनिस्तारित पड़ी थी।
- प्रबन्धन ने शीरे की उठान की तिथि तक शीरे के अनुमानित उत्पादन पर विचार करने के बजाय केवल निविदा (शीरे के निस्तारण हेतु) की तिथि तक शीरे के अनुमानित उत्पादन पर विचार किया था। वास्तविक उठान निविदा की तिथि के 20 से 30 दिन के बाद हुई। निस्तारण योग्य शीरे के भण्डार के अशुद्ध आंकलन के कारण इसका परिहार्य संचयन हुआ। इतनी ज्यादा मात्रा को रोके रखे जाने का औचित्य नहीं था।

बड़ी मात्रा में भण्डार के रोके जाने के बाद बिक्री हेतु शीरा अभिचिन्हित किया गया। 28.55 लाख रुपये मूल्य का कच्चा/क्षतिग्रस्त गड्ढे में भंडारित शीरे में गुणात्मक गिरावट हुई।

2.2.25 मिलों ने, अनियमित आधार पर किये गये शीरे की अपर्याप्त मात्रा के निस्तारण के कारण, सम्पूर्ण सत्र में शीरे के भण्डारण की समस्या का लगातार सामना किया। लेखा परीक्षा में देखे गए उदाहरणों पर चर्चा नीचे है:

- खड्डा मिल के मामले में 2002-03 के पेराई सत्र के दौरान 22 अप्रैल 2003 के बाद उत्पादित शीरे को कच्चे गड्ढे में, (30,906 क्विंटल) तथा क्षतिग्रस्त दशा वाली आच्छादित राज-निर्मित गड्ढे में (1,367 क्विंटल) भण्डारित करना पड़ा, जिसमें से 28.55 लाख रुपये मूल्य के (130 रुपये प्रति क्विंटल की दर से) 21,958 क्विंटल शीरे में गुणात्मक गिरावट हुई तथा अनिस्तारित पड़ा रहा (मई 2004)।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2004) कि कच्चे गड्ढे में भण्डारित शीरे को शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित करने के प्रयास किए गए पर ऐसा नहीं हो सका क्योंकि मई/जून 2003 में प्राप्त प्रस्ताव वैध नहीं थे तथा क्रेताओं द्वारा जुलाई 2003 में उद्घृत दरें आकर्षक नहीं थी। कच्चे गड्ढे में भण्डारण के फलस्वरूप शीरे की गुणवत्ता में गिरावट आयी।

- बुलन्दशहर मिल के मामले में 2002-03 के पेराई सत्र के दौरान कच्चे गड्ढे में भण्डारित 39.23 लाख रुपये मूल्य (141 रुपये प्रति क्विंटल पर) का 27,823 क्विंटल शीरा 2 जुलाई 2003 को स्व-प्रज्ज्वलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। बीमा कम्पनी द्वारा बीमा दावा स्वीकार नहीं किया गया (फरवरी 2004)।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2004) कि कच्चे गड्ढे में भण्डारित सम्पूर्ण शीरे को, जो स्व-प्रज्ज्वलन के कारण क्षतिग्रस्त था, 143 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर अप्रैल 2004 में बेचा गया और उपरोक्त में से 5,626.60 क्विंटल केता द्वारा उठा लिया गया। बीमा दावे के अस्वीकार किए जाने के सम्बन्ध में कम्पनी ने कहा कि मामले को बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के समक्ष उठाया गया है।

लेखा परीक्षा ने यद्यपि देखा कि शीरे की अवशेष 22,196.40 क्विंटल मात्रा जिसकी कीमत 31.30 लाख रुपये थी, अब भी बिना उठाए अनिस्तारित पड़ी थी (अगस्त 2004)। इसके उठाये जाने के अवसर बहुत ही कम है।

इसके अतिरिक्त, शीरे के निरन्तर निस्तारण न किए जाने के फलस्वरूप अत्यधिक भण्डारण होने से समय-समय पर शीरे को निस्तारित करने हेतु निविदाएँ आमंत्रित करने के स्थान पर आपात्कालीन आधार पर अपर्याप्त प्रतिस्पर्धा साथ ही माँग एवं आपूर्ति असंतुलन के कारण कम दरों पर बेचना पड़ा था। लेखा परीक्षा द्वारा देखा गया कि खड्डा, सिसवा बाजार, बैतालपुर पिपराइच, रामकोला तथा शाहगंज मिलों में 40,000 क्विंटल शीरे को अप्रैल 2003 में 90 रुपये प्रति क्विंटल पर आपातकालीन आधार पर बेचना पड़ा जबकि उसी अवधि के दौरान निविदा प्रक्रिया द्वारा निर्धारित दरें 135 रुपये से 140 रुपये प्रति क्विंटल के बीच विचरित रही।

चीनी हेतु अपर्याप्त भण्डारण सुविधा

अपर्याप्त भण्डारण क्षमता के कारण कम्पनी को ढुलाई, सुरक्षा, इत्यादि पर 1.35 करोड़ रुपये का खर्च करना पड़ा।

2.2.26 इण्डियन स्टैण्डर्ड कोड आफ प्रेक्टिस फार कांस्ट्रक्शन आफ शूगर गोडाउन्स के अनुसार चीनी के बोरों के भण्डार के लिए चीनी गोदामों की क्षमता का अनुमान मोटे रूप से 100 किग्रा. चीनी के बोरे हेतु 0.150 घनमीटर क्षेत्र आयतन के हिसाब से करना चाहिए। तद्नुसार, चीनी भण्डारण हेतु चीनी गोदामों की क्षमता निर्धारित की जाती है। लेखा परीक्षा में, तथापि, यह देखा गया कि गोदामों की क्षमता चीनी भण्डारण हेतु मिलों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं थी। अत: मिल प्रबन्धन को चीनी के बोरों को अन्य बन्द मिलों के गोदामों में रखने के अलावा चीनी गोदामों में मानक के विरूद्ध उनकी भण्डारण क्षमता से ज्यादा तथा अन्य स्थानों जैसे कार्यशाला, भण्डार एवं ड्रायर हाउस में रखना पड़ा। उपरोक्त के अलावा, बाहरी गोदाम किराए पर लिए गए तथा किराये,

सुरक्षा, आबकारी पर्यवेक्षण प्रभारों तथा ढुलाई पर व्यय किया गया। 31 दिसम्बर 2003 को 10 मिलों के गोदामों की कुल क्षमता 24,92,000 बोरे की थी जिसे विरूद्ध 27,80,269 बोरे गोदामों में तथा अन्य स्थानों पर रखे गए तथा 3,60,554 बोरे किराए पर लिए गए बाहरी गोदामों में भण्डारित किए गए। 31 मार्च 2003 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षो के दौरान कम्पनी ने ढुलाई तथा सुरक्षा आदि पर व्यय के अतिरिक्त किराए पर 1.35 करोड़ रुपये व्यय किए।

यह और देखा गया कि चीनी के लम्बी अवधि के भण्डारण के कारण, मिलों में चीनी भारतीय मानक स्पेशीफिकेशन से निम्न (बीआईएसएस) हो गई और इसको पुनः परिष्कृत करना पड़ा था। इसके फलस्वरूप 31.71 लाख रुपये मूल्य की चीनी की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि लेवी चीनी के न उठने के कारण भण्डारण समस्या उठी तथा निधि की कमी के कारण अतिरिक्त भण्डारण क्षमता निर्मित नहीं की जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अतिरिक्त भण्डारण क्षमता मुक्त बिक्री चीनी की मात्रा को कालातीत होने देने के स्थान पर मुक्त चीनी की बिक्री से प्राप्त निधि से सृजित की जा सकती थी।

भण्डार सामग्री का उच्चतर स्तर

भण्डार एवं अतिरिक्त अवयव

2.2.27 मिलों के कुशलतापूर्वक परिचालन हेतु भण्डार तथा अतिरिक्त अवयव (चूना, सल्फर, लुब्रीकेंट्स, टाट के बोरे, बियरिंग, मशीनरी स्पयर्स आदि) के भण्डार का सर्वोत्तम स्तर पर रखरखाव महत्वपूर्ण है। बढ़ा हुआ रहतिया, निधियों को अवरूद्ध करता है तथा फलतः ब्याज की हानि होती है। 31 मार्च 2004 तक के पाँच वर्षो में फैक्टरी द्वारा वर्ष में खपत किए गए भण्डार तथा अतिरिक्त अवयव और प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अवशेष का मूल्य नीचे दिया गया है:

वर्ष	वर्ष के दौरान भण्डार एवं अतिरिक्त अवयव की खपत (करोड़ रुपये में)	वर्ष की समाप्ति पर भण्डार एवं अतिरिक्त अवयव का अवशेष	मासिक खपत के संदर्भ में अंतिम अवशेष
1999-2000	32.04	19.85	7.43
2000-01	31.18	20.37	7.84
2001-02	32.29	18.67	6.94
2002-03	24.57	11.84	5.78
2003-04	25.42	12.31	5.81

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि भण्डार तथा अतिरिक्त अवयव की भण्डार सामग्री 2001-02 तक उच्च रही तथा वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान सीमान्तक रूप से सुधार हुआ जिसके कारण दुर्लभ स्रोतों की अवरूद्धता हुई। प्रबन्धन ने इस सम्बन्ध में कोई मानक निर्धारित नहीं किये। पुराने एवं निष्प्रयोज्य भण्डार सामग्री की पहचान तो की थी पर स्रोतों का विदोहन करके तरलता प्राप्त करने के लिये कोई कदम नहीं उठाये। इसके अलावा, भण्डार मदों को एबीसी विश्लेषण के अनुसार वर्गीकृत नहीं किया गया। भण्डार के कई मदों के सम्बन्ध में अधिकतम, न्यूनतम तथा पुर्नआदेश स्तर भी नहीं निर्धारित किए गए।

प्रबन्धन ने सूचित किया (अगस्त 2004) कि उन्होंने मिलों में उपलब्ध पुराने एवं निष्प्रयोज्य मशीनरी आइटमों के निस्तारण हेतु एक समिति का गठन कर दिया है तथा इसके निस्तारण के प्रयास किए जा रहे हैं।

तैयार चीनी

2.2.28 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षो की अवधि के दौरान तैयार चीनी के भण्डार का स्तर नीचे तालिका में दिया है:

वर्ष	वर्ष के दौरान चीनी की बिक्री (करोड़ रुपये में)	वर्ष की समाप्ति पर चीनी का अंतिम शेष (करोड़ रुपये में)	मासिक बिक्री के रूप में अंतिम शेष
1999-2000	440.90	386.94	10.53
2000-01	397.99	476.32	14.36
2001-02	394.83	592.46	18.01
2002-03	370.58	509.61	16.50
2003-04	393.13	550.60	16.81

बिक्री में कमी के कारण चीनी का भण्डार 31 मार्च 2004 को 550.60 करोड़ रुपये के स्तर तक बढ़ गया। चीनी का पुराना स्टाक 11.03 करोड़ रुपये कम मूल्य सकेगा।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि पाँच वर्षो के दौरान कम्पनी की बिक्री 10.83 प्रतिशत कम हो गयी जिसके कारण चीनी का भण्डार विचारणीय रूप से बढ़ गया तथा 1999-2000 के दौरान 10.53 माहों की बिक्री के स्तर से 2003-04 के दौरान 16.81 माहों की बिक्री के समकक्ष चिन्तनीय स्तर तक पहुँच गया जिसने कम्पनी की वित्तीय स्थिति को विपरीत रूप से प्रभावित किया। मार्च 2004 के अन्त में चीनी का अंतिम शेष 43.22 लाख बोरे था जिसमें 22.80 लाख बोरों का पुरान स्टाक सम्मिलित था। कम्पनी चीनी के पुराने स्टाक को चालू सत्र की सामान्य बिक्री दर से प्रत्येक विगत वर्ष हेतु 35 रुपये की दर कम करके बेचती है। चीनी के भण्डार में चीनी का पुराना स्टाक कम्पनी के लिए 11.03 करोड़ रुपये कम ला सकेगा।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2004) कि समय-समय पर भारत सरकार से चीनी के अतिरिक्त कोटे को अवमुक्त करने के लिए अनुरोध किए गए हैं और फलस्वरूप 20.74 लाख क्विंटल चीनी का अतिरिक्त कोटा प्राप्त किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जैसा कि पूर्ववर्ती प्रस्तर 2.2.23 में चर्चा की गई है। प्रबन्धन आवंटित किए गए कोटे को भी पूर्णतया निस्तारित करने में असफल रहा।

मानव शक्ति

निष्क्रिय मजदूरी

कम्पनी ने 1998-2003 के दौरान 3.56 करोड़ रुपये का व्यय निष्क्रिय मजदूरी पर किया।

2.2.29 पेराई सत्र में मिलें तीन पालियों में संचालित होती है। 10 मिलों* के सम्बन्ध में यह देखा गया कि 1998-99 से 2002-03 की अवधि के दौरान कुल 1,571.16 लाख उपलब्ध मानव घंटों में से 59.73 लाख मानव घंटे**, जो कुल

* बुलन्दशहर, मोहिद्दीनपुर, रोहनकलां, सकोती टाण्डा, सहारनपुर, अमरोहा, चान्दपुर, बिजनौर, खड्डा तथा सिसवा बाजार

** भारत सरकार द्वारा नियत किये गये मानक के अनुसार, उपलब्ध मानव घण्टों में अनुमन्य 10 प्रतिशत मानव घण्टों की हानि को घटाने के पश्चात् ।

उपलब्ध मानव घंटों का 3.80 प्रतिशत थे, मुख्यत: गन्ने की कमी तथा मशीनरी खराब हो जाने के कारण, निष्क्रिय रहे। जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है, यह 3.56 करोड़ रुपये की सीमा तक के निष्क्रिय मजदूरी के भुगतान में फलित हुआ:

वर्ष	उपलब्ध मानव घण्टे (लाख में)	उपयोग में लाए गए मानव घण्टे (लाख में)	निष्क्रिय मानव घण्टे (लाख में)	निष्क्रिय मजदूरी (करोड़ रुपये में)
1998-99	299.92	252.24	17.69	1.06
1999-2000	290.78	246.10	15.60	0.96
2000-01	304.84	269.75	6.36	0.38
2001-02	318.59	279.77	8.60	0.51
2002-03	357.03	311.09	11.48	0.65
योग	**1571.16**	**1358.95**	**59.73**	**3.56**

अत्यधिक मानव शक्ति

2.2.30 कम्पनी ने मिलों की पेराई क्षमता के अनुसार मजदूरों की संख्या का कोई मानक निर्धारित नहीं किया।

- 11 मिलों में रोहनकलां में यद्यपि पेराई क्षमता सबसे कम (1,300 टीसीडी) थी तब भी मार्च 2003 को समाप्त हुए पिछले सभी पाँच वर्षों के दौरान मानव शक्ति का नियोजन काफी अधिक (894 मजदूर : 2002-03) था, यहाँ तक कि जब इसकी तुलना उच्चतम क्षमता की मिल (अमरोह : 3,000 टीसीडी, 891 मजदूर : 2002-03) से की गई (**परिशिष्ट-24**)।

प्रबन्धन द्वारा मिलों में मानव शक्ति को युक्तिसंगत बनाने हेतु कोई कदम नहीं उठाए गए।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि रोहनकलां में 1998-99 तक कार्बोनेशन प्रक्रिया (श्रमोन्मुखी) के तहत तथा 1999-2000 के बाद में दोहरी सल्फीटेशन प्रक्रिया के तहत चीनी का उत्पादन किया गया। यह भी कहा गया कि कुछ मिलों में (समान क्षमता की) मजदूरों की संख्या अधिक थी क्योंकि इन मिलों में पुराने संयंत्र तथा मशीनों को रोककर विस्तार भी किया गया। इसके अतिरिक्त, मजदूरों की संख्या बाह्य प्राप्ति केन्द्रों आदि की संख्या पर भी निर्भर करती है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि रोहनकलां मिल में दोहरी सल्फिटेशन प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात भी दूसरी मिलों की तुलना में कर्मियों की संख्या ज्यादा थी। सिसवा बाजार मिल (पुराने संयंत्र एवं मशीनों को रोककर सीमान्तक रूप से बढ़ाया गया) की तुलना में सहारनपुर मिल में (जहाँ 2,500 टीसीडी का नया संयंत्र स्थापित किया गया था) श्रमिकों की संख्या अधिक थी। पुन:, बुलन्दशहर एवं सहारनपुर मिलों की तुलना में बिजनौर में अधिप्राप्ति केन्द्रों की संख्या कम होने पर भी, मिल में वर्ष 1999-2003 के मध्य कर्मियों की संख्या अधिक थी।

आन्तरिक नियंत्रण एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक नियंत्रण

2.2.31 आन्तरिक नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यचालन दक्षता, वित्तीय विवरण की विश्वसनीयता तथा लागू कानून एवं अधिनियमों से अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। लेखा परीक्षा के द्वारा देखा गया कि कम्पनी में लेखा दिशा-निर्देशिका तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा दिशा-निर्देशिका को छोड़कर कोई आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान नहीं थी। लेखापरीक्षा द्वारा पुनः यह देखा गया कि:

- विक्रय प्रणाली के सम्बन्ध में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली अत्यन्त कमजोर थी, विशेषकर चीनी की बिक्री कीमतों के निर्धारण में पारदर्शिता का अभाव था जैसा कि पूर्ववर्ती प्रस्तर 2.2.21 में वर्णन किया गया है।
- विधिक लेखा परीक्षकों द्वारा यह इंगित किया गया था कि रोहनकलां तथा सहारनपुर इकाइयों के सम्बन्ध में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली, आकार तथा व्यापार की प्रकृति के अनुरूप नहीं थी। तीन* अन्य इकाइयों के सम्बन्ध में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को भण्डार की खरीद, पुर्जो को सम्मिलित करते हुए तथा लोगों के आवागमन के प्रकरण में पर्याप्त नहीं पाया गया था, एवं
- कम्पनी अधिनियम की धारा 292अ के अनुपालन के अन्तर्गत सितम्बर 2001 में गठित की गई 'आडिट कमेटी' को विधिक लेखा परीक्षकों के साथ आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली पर समय-समय पर चर्चा करनी थी, परन्तु कोई भी चर्चा नहीं की गई।

आन्तरिक लेखा परीक्षा

2.2.32 आन्तरिक लेखा परीक्षा एक ऐसी प्रणाली है जो आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का उचित कार्यान्वयन एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करती है और त्रुटियों तथा छल-कपट को ढूँढ़ निकालती है। कम्पनी की आन्तरिक लेखा परीक्षा विभागीय तौर पर कराई जा रही है। प्रारम्भ में प्रत्येक इकाई की सतत् लेखा परीक्षा हेतु एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई थी। कम्पनी के विस्तार के फलस्वरूप इन आन्तरिक लेखा परीक्षकों में से कुछ को पदोन्नत कर लेखा विभाग में तैनात कर दिया गया था। इसकी वजह से आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा की क्षमता में कमी आई। फलस्वरूप आन्तरिक लेखा परीक्षा की अवर्तिता में काफी कमी आई और यह अप्रभावी हो गई। कम्पनी के विधिक लेखा परीक्षकों द्वारा भी यह सूचित किया गया कि आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली कम्पनी के आकार एवं प्रकृति के अनुकूल नहीं थी तथा इसकी आवृत्ति को बढ़ाने की आवश्यकता थी।

प्रबन्धन द्वारा सूचित किया गया (अगस्त 2004) कि वित्तीय संसाधनों की कमी एवं भर्ती पर लगी रोक के कारण अतिरिक्त मानवशक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकता था।

* सहारनपुर, बिजनौर और सकोटी टाण्डा।

मामला सरकार को जून 2004 में सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2004)।

निष्कर्ष

कम्पनी की उपलब्धियाँ उत्पादन की अत्यधिक बढ़ी हुई लागत से प्रभावित था, जो कि उत्पादन में अत्यधिक शर्करा हानि, ऊर्जा का अपव्यय जिसके कारण खोई की अधिक खपत होती है तथा अधिक श्रमशक्ति के कारण था। कम्पनी की बिक्री घट रही थी तथा चीनी का भण्डार चिन्ताजनक स्तर पर पहुँच गया था जिसके कारण भण्डारण की समस्या हो रही थी।

प्रबन्धन के द्वारा, कम्पनी की उपलब्धियों को सुधारने के लिये एवं मिलों की कार्यक्षमता सुधारने के लिये कार्यावरोध को कम से कम स्तर पर सीमित करते हुए शर्करा की प्राप्ति में सुधार, गन्ने की सुदृढ़ आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये गन्ना उत्पादकों को समय से गन्ने के मूल्य का भुगतान करते हुए, समेकित प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। पुनः रहतिये के निस्तारण के लिए प्रयास तथा श्रमशक्ति को तर्कसंगत किये जाने की आवश्यकता है। आन्तरिक नियंत्रण एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

2.3 उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड में कोष प्रबन्धन

मुख्य अंश

कम्पनी के कोष अन्तर्वहन के मुख्य स्रोत ऊर्जा की बिक्री, उपदान और राज्य सरकार, वित्तीय संस्थानों तथा विश्व बैंक से लिये गये ऋण थे। इस कोष का प्रयोग मुख्यत: पूँजीगत कार्यों पर व्यय, परिचालन और अनुरक्षण, पावर के क्रय तथा ऋणों और ब्याज की पुनर्अदायगी पर किया जाता है।

(प्रस्तर 2.3.1)

देयों की वसूली में विलम्ब अथवा नहीं किये जाने के कारण, 31 मार्च 2003 तक राजस्व निर्धारण के विरूद्ध, बकाये की राशि 6,930.50 करोड़ रुपये तक बढ़ गयी।

(प्रस्तर 2.3.6)

आवश्यकता के अनुरूप कोष के आहरण में विफलता के कारण कम्पनी ने परिहार्य ब्याज दायित्व के रूप में 2.50 करोड़ रुपये की देयता वहन की।

(प्रस्तर 2.3.7)

मेरठ परिक्षेत्र में पारेषण और वितरण संजाल को सुदृढ़ करने हेतु 'नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड' से लिये गये 80.40 करोड़ रुपये के ऋण की राशि को स्थायी जमा के रूप में रखने के परिणामस्वरूप 3.16 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.3.8)

प्रस्तावना

2.3.1 पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के विद्युत पारेषण और वितरण के कार्य को अधिग्रहण करने के लिए नवम्बर 1999 में उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) का निगमन हुआ। इसने 14 जनवरी, 2000 से कार्य करना प्रारम्भ किया। पुन:, यूपीपीसीएल के विद्युत वितरण के कार्य का अधिग्रहण करने हेतु कम्पनी अधिनियम की धारा 617 के अधीन 1 मई 2003 को राज्य सरकार ने चार वितरण कम्पनियों* का निगमन किया। यूपीपीसीएल के वितरण कार्य को इन कम्पनियों ने 12 अगस्त 2003 से अधिग्रहण किया।

कोष प्रबन्धन के अन्तर्गत कोष के अन्तर्वहन/बहिर्गमन और ऐसी वित्तीय आवश्यकताओं का प्रक्षेपण सम्मिलित है जो रोकड़ और साख नियंत्रण की स्वस्थ पद्धति की स्थापना से सम्बन्धित है ताकि कार्यशील पूँजी की माँग सहित अतिरिक्त उधारी की आवश्यकता का निर्धारण किया जा सके अथवा अतिरेक कोष को विनियोजित किया

* मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा।

जा सके। कम्पनी के कोष अन्तर्वहन के मुख्य स्रोत ऊर्जा का विक्रय, सेवा संयोजन शुल्क, उपदान, अनुदान, अंशपूँजी तथा उधारी से प्राप्त राजस्व है। कोष बहिर्गमन के अन्तर्गत, पूँजीगत कार्यों पर व्यय, स्थापना व्यय, परिचालन और अनुरक्षण, ऊर्जा क्रय, स्टोर्स तथा स्टॉक तथा ऋण एवं ब्याज के पुनर्भुगतान से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित है।

संगठनात्मक ढाँचा

2.3.2 वित्तीय स्रोतों के सृजन और प्रबन्धन के कार्य अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक में विहित है जिसकी सहायता के लिए मुख्यालय स्तर पर निदेशक (वित्त), निदेशक (वितरण) और निदेशक (पारेषण) तथा क्षेत्र स्तर पर मुख्य आंचलिक प्रबन्धक, आंचलिक लेखा अधिकारी तथा खण्डीय अभियन्ता होते है।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

2.3.3 पूर्ववर्ती यूपीएसईबी के रोकड़ प्रबन्धन की अन्तिम समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), वर्ष 1994-95 में सम्मिलित किया गया था। सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा इस प्रतिवेदन पर अभी तक (अगस्त 2004) विचार नहीं किया गया है। वर्तमान समीक्षा में अप्रैल 2000 से मार्च 2003 की अवधि के दौरान कम्पनी के कोष के संग्रहण, प्रशासन और उपयोजन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का समावेश किया गया है।

कार्पोरेट आफिस स्तर पर रखे गये अभिलेखों एवं निर्माण, परिचालन और पारेषण तथा वितरण संजाल के अनुरक्षण में लगे हुए 465 खण्डों में से 11 खण्डों को दिसम्बर 2003 से मई 2004 तक की अवधि के दौरान हुई लेखा परीक्षा में समीक्षित किया गया।

कोष प्रबन्धन पर समीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त लेखा परीक्षा बिन्दुओं को राज्य सरकार/कम्पनी प्रबन्धन को जून 2004 में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों हेतु लेखा परीक्षा समीक्षा समिति (एआरसीपीएसई) की बैठक में भाग लेने के लिये विशेष आग्रह के साथ प्रतिवेदित किया गया था ताकि समीक्षा को अन्तिम रूप देने से पहले सरकार/प्रबन्धन के दृष्टिकोणों को समेकित किया जा सके। ए आर सी पी एस ई की बैठक विशेष सचिव (प्रतिनिधि-राज्य सरकार) और कम्पनी के अधिशासियों के साथ, 9 अगस्त 2004 को आयोजित की गयी। समीक्षा को अन्तिम रूप देने के दौरान सदस्यों द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोणों को संज्ञान में लिया गया है।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

2.3.4 तीन वर्ष (2000-01 से 2002-03) की अवधि के दौरान कोष के अन्तर्वहन तथा बहिर्गमन से सम्बन्धित व्यवहारों की समीक्षा के परिणामों को अधोलिखित प्रस्तरों में वर्णित किया गया है।

कोष के स्रोत एवं उपयोजन

2.3.5 वर्ष 2000-01 से 2002-03 की अवधि के दौरान कम्पनी के कोष के स्रोतों और इनके अनुप्रयोग तथा कार्यशील पूँजी के ब्यौरों को निम्नलिखित सारिणी में प्रस्तुत किया गया है:

(करोड़ रुपये में)

कार्यशील पूँजी	2000-01	2001-02	2002-03	Total
वर्ष के प्रारम्भ में	(-) 1680.68	(-)1717.27	(-)2326.56	
वर्ष के अन्त में	(-)1717.27	(-)2326.56	(-)2250.19	
अ. कोषों के स्रोत: वृद्धि/कमी (-)				
(1) आवेदन राशि सहित अंशपूँजी	588.00	282.21	225.90	1096.11
(2) संचय एवं आधिक्य	142.92	252.73	(-)181.62	214.03
(3) उधारियाँ	1547.34	(-) 262.37	1368.78	2653.75
(4) विनियोग	-	-	60.02	60.02
योग (अ)	**2278.26**	**272.57**	**1473.08**	**4023.91**
ब. अनुप्रयोग: वृद्धि/कमी (-)				
(1) चालू कार्य सहित स्थायी सम्पत्तियाँ	633.72	(-) 179.82	572.36	1026.26
(2) परिचालन में प्रयुक्त कोष	1681.13	1061.68	824.35	3567.16
योग (ब)	**2314.85**	**881.86**	**1396.71**	**4593.42**
स. कार्यशील पूँजी में वृद्धि/कमी (-)	**(-) 36.59**	**(-) 609.29**	**76.37**	**(-) 569.51**
योग (ब+स)	**2278.26**	**272.57**	**1473.08**	**4023.91**

वर्ष 2002-03 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान परिचालन में कुल 3567.16 करोड़ रूपये के कोष की हानि हुई।

- इस सारिणी से परिलक्षित हो जायेगा कि वर्ष 2002-03 के दौरान कम्पनी विभिन्न स्रोतों से कुल 4,023.91 करोड़ रुपये के कोष का सृजन कर सकी। जिसके सापेक्ष कम्पनी ने स्थायी सम्पत्तियों के सृजन पर 1,026.26 करोड़ रुपये तथा राजस्व घाटे के वित्तीयन पर 3,567.16 करोड़ रुपये प्रयुक्त किये थे। परिणामत: सृजित कोष एवं उपयोजित कोष के मध्य 569.51 करोड़ रुपये का अन्तर प्रकट हुआ।
- सृजित कोष की तुलना में उपयोजित अधिक कोष की पूर्ति चालू दायित्वों में वृद्धि तथा चल सम्पत्तियों में कमी के द्वारा की गयी। इसके प्रभाव से कम्पनी की कार्यशील पूँजी में कमी हो गयी और यह वर्ष 2000-01 के प्रारम्भ में (-) 1,680.68 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2002-03 के अन्त तक (-) 2,250.19 करोड़ रुपये हो गयी।
- सामान्यत: परिचालन से प्राप्त आधिक्य को किसी भी वाणिज्यिक इकाई के कोष का प्रमुख स्रोत माना जाना चाहिए। इसके विपरीत वर्ष 2000-01 से 2002-03 की अवधि के दौरान कम्पनी में परिचालन घाटा, कोष के अनुप्रयोग का प्रमुख मद रहा।

कोष की खराब स्थिति, जैसा कि उपर्युक्त विवेचन किया गया है, के प्रमुख उत्तरदायी कारकों का अग्रगामी अनुच्छेदों में विश्लेषण किया गया है:

वसूली का दयनीय निष्पादन

निर्धारित प्रक्रिया के क्रियान्वयन के अभाव के कारण वर्ष 2002-03 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान वसूली योग्य देयों की राशि 6,930.50 करोड़ रुपये तक पहुँच गयी।

2.3.6 राजस्व संग्रहित कर रही इकाइयों को त्वरित राजस्व वसूली करने के सम्बन्ध में तत्कालीन यूपीएसईबी ने (अक्टूबर 1976 से अक्टूबर 1995) की अवधि के दौरान निर्देश जारी किये थे। निर्देशों के अनुसार, उत्तर प्रदेश उपक्रम बकाया वसूली अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात् विद्युत बिल में उल्लिखित देय तिथि के बाद एक सप्ताह के अन्दर दोषी उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति बन्द कर दी जानी चाहिए। अदत्त देयों की, जिलाधीश द्वारा भू-राजस्व के बकाये के रूप में, वसूली करने हेतु अधिनियम की धारा 5 के अधीन वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) जारी किया जाता है। जिन उपभोक्ताओं के चेकों को बैंकों द्वारा अनादृत कर दिया जाता है, ऐसे उपभोक्ताओं को उपलब्ध चेक द्वारा भुगतान की सुविधा को तत्काल बन्द कर देना चाहिए।

निम्न सारिणी में कम्पनी के वाणिज्यिक विवरणों के अनुसार, वर्ष 2002-03 तक तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ताओं को विक्रीत ऊर्जा से सम्बन्धित देयों/राजस्व के निर्धारण और वसूली को प्रस्तुत किया गया है:

(करोड़ रुपये मे)

क्र.सं.	विवरण	2000-01	2001-02	2002-03
क	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया	5,699.44	6,539.09	6,748.77
ख	वर्ष के दौरान निर्धारण	6,696.52	6,534.50	6,750.42
ग	वर्ष के दौरान वसूली योग्य कुल राजस्व	12,395.96	13,073.59	13,499.19
घ	**वर्ष के दौरान राजस्व की वसूली तथा परित्याग**			
	(i) वसूली	5,240.65	5,097.79	5,135.95
	(ii) परित्याग	--	434.72	1,432.74
	कुल	**5,240.65**	**5,532.51**	**6,568.69**
ङ	वर्ष के अन्त में बकाया*	7,155.31	7,541.08	6,930.50
च	परित्याग रहित वसूली का बकाया सहित कुल वसूली योग्य राजस्व से प्रतिशत	42.28	38.99	38.05

उक्त सारिणी से स्पष्ट होगा कि कम्पनी अपने बकायों का पचास प्रतिशत भी वसूली नहीं कर पायी। लेखा परीक्षा के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि उपभोक्ताओं से बकायों की वसूली की दयनीय स्थिति का कारण निर्धारित प्रक्रिया का क्रियान्वयन न किया जाना, यथा: दोषी उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति बन्द करना, चेक भुगतान की सुविधा समाप्त करना (चेक अनादरण की स्थिति में) तथा भू-राजस्व के बकाये की भाँति देयों की वसूली हेतु जिलाधीशों को वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) निर्गमन में विलम्ब था। इस प्रकार, वसूली योग्य बकाये की राशि वर्ष 2000-01 में 12,395.96 करोड़ रुपये से वर्ष 2002-03 तक बढ़कर 13,499.19 करोड़ रुपये तक पहुँच गयी। पुन: कुछ बकायों के अशोध्य हो जाने के कारण कम्पनी को वर्ष 2001-02 तथा

* केस्को तथा उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड के बकायों के स्थानान्तरण के कारण वर्ष के अन्त की बकाया राशि वर्ष के आरम्भ की बकाया राशि से भिन्न हो गई।

2002-03 के दौरान क्रमश: 434.72 करोड़ रुपये तथा 1,432.74 करोड़ रुपये की बकाये की राशि को अपलिखित करना पड़ा।

लेखा परीक्षा से यह भी ज्ञात हुआ कि वाणिज्यिक विवरणों के अनुसार, वर्ष 2001-03 के अन्त में बकाये की राशि क्रमश: 7,155.31 करोड़ रुपये, 7,541.08 करोड़ रुपये और 6,930.50 करोड़ रुपये के विरूद्ध, उन्हीं वर्षो में, वित्तीय विवरणों के अनुसार बकाये की राशि क्रमश: 6,967.81 करोड़ रुपये, 8,039.10 करोड़ रुपये तथा 7,647.11 करोड़ रुपये थी। इन राशियों का अभी तक (मई 2004) तक मिलान नहीं किया गया है। कम्पनी ने अवधि अनुसार देनदारों का विश्लेषण भी नहीं किया था।

प्रबन्धन का कहना था (अगस्त 2004) कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के विघटन के समय विद्युत विक्रय से सकल प्राप्य राशि 5,274 करोड़ रुपये थी तथा इस राशि में से 4,345 करोड़ रुपये अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के रूप में माने गये। यह भी कहा गया कि तत्पश्चात् अशोध्य ऋणों में आगे कोई वृद्धि नहीं हुई।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, 1,867.46 करोड़ रुपये के बकायों के अपलेखन के अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा अप्रैल 2000 से मार्च 2003 की अवधि के दौरान 4,345 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 176.61 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

ऋणकोष पर परिहार्य ब्याज का भुगतान

आवश्यकता के अनुरूप, कोष के आहरण में विफलता के कारण, कम्पनी ने ब्याज के रूप में 2.50 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय किया।

2.3.7 विभिन्न उपकेन्द्रों तथा पारेषण लाइनों के निर्माण एवं अभिवृद्धि योजनाओं से सम्बन्धित विभिन्न कार्यो हेतु पीएफसी से ऋणकोष के आहरण के लिये कम्पनी ने विद्युत सब स्टेशन तथा डिजाइन सर्किल द्वितीय, लखनऊ को अधिकृत किया था। कम्पनी के कार्य व्यवहार के अनुसार, केवल सम्बन्धित योजनाओं में अनुप्रयोग हेतु ऋण राशि को पृथक बैंक में रखा जाना था। आहरित ऋण राशि को उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिकृत क्षेत्रीय कार्यालयों को स्थानान्तरित/प्रेषित किया जाना था। रोकड़बही तथा बैंक विवरणों की जाँच से प्रकट हुआ कि मुख्यालय स्तर पर बैंक खाते में, जनवरी 2000 से दिसम्बर 2003 की अवधि के दौरान, 0.95 करोड़ रुपये से 9.37 करोड़ रुपये तक की राशि शेष के रूप में पड़ी हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किये बिना ही पीएफसी से ऋण राशि आहरित की गयी थी। लेखा परीक्षा ने विश्लेषित किया कि यदि कम्पनी ने क्रियान्वयन नीति की माँग के अनुरूप ऋण राशि आहरित की होती तो उक्त ऋण राशि पर 14 प्रतिशत वार्षिक देय ब्याज की दर से 2.50 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान को बचाया जा सकता था जैसा कि निम्न सारिणी में वर्णित है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष का अन्त	अवधारित न्यूनतम मासिक शेषों का वार्षिक योग	औसत मासिक अवरूद्ध राशि	14 प्रतिशत की दर से ब्याज की हानि
(1)	(2)	(3)	(4)
मार्च 2000	16.15	1.35	0.19
मार्च 2001	88.48	7.37	1.03

(1)	(2)	(3)	(4)
मार्च 2002	38.51	3.21	0.45
मार्च 2003	50.09	4.17	0.58
मार्च 2004	20.95	1.75	0.25
	214.18	**17.85**	**2.50**

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि पीएफसी की वित्तीयन पद्धति के अनुसार, कुछ उचित राशि रखना आवश्यक था ताकि फर्मो/आपूर्तिकर्ताओं के बिलों का तत्काल भुगतान किया जा सके। इसके अतिरिक्त, इस खाते में रखी गयी राशि केवल पीएफसी से ली गयी ऋण राशि ही नहीं थी, अपितु उस खाते से ओ एण्ड एम एवं निक्षेप कार्यो की माँग को भी पूरा किया गया।

यह प्रत्युत्तर निम्नलिखित तथ्यों के आलोक में ग्राह्य नहीं था:

- अवधारित किये जाने वाले कोष के न्यूनतम स्तर का निर्धारण नहीं कियां गया था।
- अवरूद्ध रही धनराशि, प्रत्येक माह के दायित्वों का भुगतान करने के बाद की थी।

उच्च ऋण दर पर प्राप्त किये गये ऋण कोष को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर स्थायी जमा के रूप में रखकर कम्पनी ने 3.16 करोड़ रुपये की हानि वहन की।

2.3.8 नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (एनसीआरपीबी) की वित्तीयन योजना के अन्तर्गत, क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा, मेरठ क्षेत्र के पारेषण एवं वितरण संजाल के सुदृढ़ीकरण की योजना को संचालक मण्डल ने 299.90 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर 26 दिसम्बर 2001 को अनुमोदित किया। उक्त योजना के वित्तीयन हेतु एनसीआरपीबी ने मार्च 2002 में स्वीकृति प्रदान की। निम्नलिखित व्यय सारिणी के अनुसार, योजना का कार्य मार्च 2006 तक पूर्ण किया जाना था:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	पारेषण संजाल पर व्यय	वितरण संजाल पर व्यय	कुल व्यय
2001-02	49.64	57.60	107.24
2002-03	54.81	50.52	105.33
2003-04	29.29	22.17	51.46
2004-05	5.87	20.17	26.04
2005-06	-	9.83	9.83
योग	**139.61**	**160.29**	**299.90**

कुल लागत के 75 प्रतिशत का वित्तीयन 10 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पर 'नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (एनसीआरपीबी) द्वारा किया जाना था और शेष 25 प्रतिशत लागत राज्य सरकार/कम्पनी द्वारा वहन की जानी थी। तद्नुसार, प्रथम वर्ष के व्यय की पूर्ति हेतु मार्च 2002 में 80.40 करोड़ रुपये की ऋण राशि तथा 26.81 करोड़ रुपये की समता पूँजी की राशि क्रमश: 'एनसीआरपीबी' तथा राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी। ऋण और समता राशि का अनुप्रयोग, विशेष रूप से मेरठ परिक्षेत्र में पारेषण तथा वितरण संजाल के सम्पुष्टिकरण हेतु किया जाना था।

'एनसीआरपीबी' से 80.40 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त करने के बाद, कम्पनी ने इस राशि को जुलाई 2003 तक सावधि जमा खाते में रखा। 10 प्रतिशत की उच्च ब्याज दर वाले ऋण कोष की राशि को 3.25 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत निम्न ब्याज दर वाली 'सावधि जमा' में रखना, तर्कसंगत वित्तीय प्रबन्धन नहीं था। प्रबन्धन का कहना था कि कम्पनी ने ऐसा करके, 5.57 करोड़ रुपये का ब्याज अर्जित किया था और जुलाई 2003 तक अन्य स्रोतों के द्वारा कार्य सम्पन्न किया गया था।

लेखा परीक्षा द्वारा विश्लेषित किया गया कि अन्य स्रोतों से कार्य सम्पन्न करना और ऋण कोष की राशि को सावधि जमा रखना इस बात का द्योतक था कि कम्पनी को वास्तव में उधारी की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, कम्पनी ने 3.16 करोड़ रुपये के परिहार्य ब्याज भार को वहन किया (दिया गया ब्याज 8.73 करोड़ रुपये घटाया प्राप्त ब्याज 5.57 करोड़ रुपये)।

2.3.9 कम्पनी द्वारा नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी), पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) और न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) को ऊर्जा क्रय के भुगतान हेतु साख पत्र (एलसी) की सुविधा उठायी गयी। विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत साख पत्र की सीमा निम्नवत् थी:

बैंक का नाम	स्वीकृत सीमा (करोड़ रुपये में)	स्वीकृति/नवीनीकरण की तिथि
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	55	28.06.02
पंजाब नेशनल बैंक	20	7.10.03
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	70	13.10.03

लेखा परीक्षा द्वारा विश्लेषित किया गया कि कम्पनी को वर्ष 2000-04 के दौरान 5 करोड़ रुपये की सीमा तक नकद साख (सीसी) की सुविधा भी उपलब्ध थी। साख पत्र के अधीन अधिविकर्ष पर ब्याज दर (17 प्रतिशत) की अपेक्षा, सामान्य ब्याज दर (15 प्रतिशत) पर नकद साख (सीसी) सीमा के अधीन अधिविकर्ष लिया जाना सस्ता था। कम्पनी, तथापि नकद साख सीमा (सीसी लिमिट) को बढ़वा नहीं पायी। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनपीसीआईएल और पीजीसीआईएल को, पावर क्रय के भुगतान हेतु, कम्पनी ने जनवरी 2000 से जनवरी 2004 तक की अवधि के दौरान, 17 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर साख पत्र पर लिये गये अधिविकर्ष पर 39.20 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान किया। इस प्रकार कम्पनी 2 प्रतिशत की ब्याज दर (17 प्रतिशत-15 प्रतिशत) से अतिरिक्त 4.62 करोड़ रुपये के ब्याज की राशि को बचा सकती थी, यदि वह नकद साख की सीमा को 5 करोड़ रुपये से 145 करोड़ रुपये (साख पत्र की सीमा) तक बढ़वा लेती।

नकद साख की सीमा बढ़वाने में असफल रहने के कारण, कम्पनी 4.62 करोड़ रुपये के देय ब्याज की बचत नहीं कर सकी।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि नकद साख की सीमा की स्वीकृति, बैंक के विवेकाधीन होती है जो केवल सरकारी गारण्टी पर ही प्रदान की जाती है और कम्पनी ने इस हेतु प्रयास किया था लेकिन नीतिगत मामला होने के कारण, नकद साख सीमा (सीसी लिमिट) हेतु सरकारी गारण्टी निर्गत नहीं की गयी।

उत्तर इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार्य नहीं है कि (i) राज्य सरकार ने वर्ष 2002-03 के दौरान ऋण प्राप्त करने हेतु 148.26 करोड़ रुपये की गारण्टी प्रदान की थी, (ii) साख पत्र/नकद साख (एलसी/सीसी) प्राप्त करने हेतु गारण्टी प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार से अनुरोध करते समय (दिसम्बर 2001), कम्पनी ने साख पत्र पर सृजित अधिविकर्ष की अपेक्षा नकद साख पर सृजित अधिविकर्ष के तुलनात्मक लाभ के बारे में स्पष्ट नहीं किया था, तथा (iii) गारण्टी प्रदान करने विषयक प्रकरण को दिसम्बर 2001 के बाद कम्पनी ने शासन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया।

ऊर्जा क्रय बिलों के भुगतान में विलम्ब

कम्पनी 8.16 करोड़ रुपये की छूट प्राप्त करने में विफल रही। इसके अतिरिक्त ऊर्जा क्रय बिलों के भुगतान में विलम्ब के कारण 124.43 करोड़ रुपये की अधिभार की देयता भी वहन की।

2.3.10 पावर क्रय अनुबन्ध (पीपीए), जो कि 18 दिसम्बर 2000 को हस्ताक्षरित हुआ था, की शर्तों के अनुसार कम्पनी, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीजेवीएनएल) से ऊर्जा क्रय कर रही थी। पीपीए के उपबन्ध-11 के अनुसार, देय तिथि के बाद अदत्त रही राशि पर कम्पनी द्वारा 2 प्रतिशत की दर से विलम्ब अधिभार का भुगतान किया जाना था। कम्पनी द्वारा देय तिथि के अन्दर भुगतान करने पर, यूपीजेवीएनएल द्वारा, ऐसी राशि पर 2.5 प्रतिशत की दर से छूट प्रदान की जाती थी।

लेखा परीक्षा से ज्ञात हुआ कि कम्पनी 29 मई 2001 से 21 फरवरी 2004 की अवधि में सम्बन्धित पावर क्रय के 35 बिलों की 326.46 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान देय तिथि के अन्दर करने में विफल रही। इस प्रकार, पीपीए की शर्तों के अनुसार बिलों पर प्राप्य 2.5 प्रतिशत की दर से 8.16 करोड़ रुपये की छूट, कम्पनी प्राप्त नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त फरवरी 2004 की अवधि तक कम्पनी 2 प्रतिशत वार्षिक की दर से 124.43 करोड़ रुपये के अधिभार का भुगतान करने के लिये भी दायी हो गई थी।

प्रबन्धन का कहना था (अगस्त 2004) कि यूपीजेवीएनएल और यूपीपीसीएल सरकारी कम्पनियाँ थी, तथा यह निर्णय लिया गया था कि पीपीए के छूट और अधिभार विषयक उपबन्ध को हटा दिया जायेगा। यूपीईआरसी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आदेश अब तक निर्गत नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2004)।

उपदान और अनुदान

2.3.11 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामान्यत: गाँवों के विद्युतीकरण, विद्यमान पारेषण तथा वितरण संजाल के सुधार एवं विस्तार हेतु पूँजीगत उपदान तथा अनुदान प्रदान करती है। गाँवों में प्रकाश और पंखे वाले संयोजनों तथा निजी नलकूपों से प्राप्य कम प्रशुल्क से उत्पन्न राजस्व अन्तराल की पूर्ति हेतु, राजस्व उपदान प्रदान किया जाता है। मार्च 2003 तक गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने उपदान और अनुदान के रूप में 2,280.01 करोड़ रुपये निर्गत किये। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत हैं:

उपदान की आंशिक अवमुक्ति

2.3.12 उत्तर प्रदेश सरकार ने नवम्बर 2001 से मार्च 2002 की पाँच माह की अवधि के दौरान, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के 'प्रकाश तथा पंखे' वाले उपभोक्ताओं से वसूली योग्य राजस्व तथा अल्प प्रशुल्क के कारण उत्पन्न अन्तराल की पूर्ति हेतु 122 करोड़ रुपये के उपदान स्वीकृत किये (नवम्बर 2001)।

लेखा परीक्षा से प्रकट हुआ कि शासन द्वारा केवल 22 करोड़ रुपये का आंशिक उपदान, माह नवम्बर 2001 के लिए अवमुक्त किया (नवम्बर 2001)। माह दिसम्बर 2001 से मार्च 2002 से सम्बन्धित 100 करोड़ रुपये के अवशेष अनुदान को बिना किसी अभिलेखित कारण के राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त नहीं किया गया। कम्पनी ने यह मामला राज्य सरकार के समक्ष कभी भी प्रस्तुत नहीं किया। इसने यूपीपीसीएल की अर्थोपाय स्थिति को इस सीमा तक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

बैंकिंग

2.3.13 कम्पनी की राजस्व प्राप्तियाँ, विद्युत वितरण खण्डों (ईडीडी) द्वारा संग्रह की जाती हैं जिन्हें उसी दिन कम्पनी के उस प्राप्ति खाते में प्रेषित कर दिया जाना चाहिए, जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थानीय शाखाओं के स्तर पर परिचालित किया जाता है। स्थानीय शाखाओं में जमा उक्त राशि को प्रत्येक सप्ताह तीन बार अर्थात् प्रत्येक मंगलवार, वृहस्पतिवार और शनिवार को कम्पनी के लखनऊ स्थित मुख्य प्राप्ति खाते में टेलीग्राफिक ट्रान्सफर, मेल ट्रान्सफर और डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा हस्तान्तरित कर दिया जाना था।

लेखा परीक्षा से ज्ञात हुआ कि ईडीडी द्वारा वसूल किये गये राजस्व को कम्पनी के शाखा प्राप्ति खाते में प्रेषित करने तथा उक्त कोष को बैंक द्वारा, कम्पनी के मुख्य प्राप्ति खाते में प्रेषित करने में विलम्ब हुआ था। इस स्थिति को आगामी अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है।

राजस्व प्रेषण में विलम्ब

2.3.14 दो ईडीडी के अभिलेखों की परीक्षण जाँच से ज्ञात हुआ कि कम्पनी ने राजस्व के प्रेषण में 3 से 28 दिनों तक का विलम्ब किया था जिसका विवरण निम्न है:

बैंकों को राजस्व के प्रेषण में विलम्ब के कारण कम्पनी ने 10.28 लाख रुपये की हानि वहन की।

कमांक	इकाई का नाम	अवधि	विलम्ब से प्रेषित राशि (करोड़ रुपये)	विलम्बित दिनों की संख्या
1	ई0डी0डी0, रायबरेली	01/03 से 03/04	13.70	3 से 28
2.	ई0डी0डी0, महाराजगंज	02/03 से 02/04	4.37	3 से 21

बैंकों को राजस्व प्रेषण में विलम्ब करने के कारण 14 प्रतिशत वार्षिक दर से 10.28 लाख रुपये के ब्याज का नुकसान हुआ था। बैंकों को उक्त प्रेषण में विलम्ब करने हेतु जिम्मेदार कार्मिकों पर प्रबन्धन ने उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया था।

बैंकों द्वारा कम्पनी के मुख्य प्राप्ति खाते में कोष प्रेषण में विलम्ब

कम्पनी के मुख्य खाते में बैंकों द्वारा विलम्ब से प्रेषण के फलस्वरूप कम्पनी को 13.13 लाख रुपये की हानि वहन करनी पड़ी।

2.3.15 तीन ईडीडी के अभिलेखों के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि कम्पनी के खातों में उपलब्ध कोष को बैंकों द्वारा मुख्यालय स्तर पर परिचालित खाते में नियमित रूप से तीन बार प्रति सप्ताह प्रेषित नहीं किया गया। इसके बजाय बैंकों ने बैंक शेषों की अग्रलिखित राशियों को अवधारित करने के बाद, मुख्यालय स्तर के बैंक खाते में साप्ताहिक आधार पर प्रेषित किया। अवधारित राशियाँ इस प्रकार थीं 0.87 से 35.09 लाख रुपये (ईडीडी प्रथम, झाँसी, अवधि मार्च 2002 से मई 2003), 0.16 से 19.99 लाख रुपये (ईडीडी उरई, जनवरी 2002 से जनवरी 2003), 0.95 से 53.14 लाख रुपये (विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय, अलीगढ़ जनवरी 2000 से मार्च 2003) और 0.04 लाख रुपये से 272.42 लाख रुपये (ईयूडीडी-प्रथम, मेरठ जनवरी 2002 से अप्रैल 2003)। उपर्युक्त सभी मामलों में 2 से 4 दिनों का विलम्ब हुआ था।

प्रेषण में विलम्ब के परिणामस्वरूप 13.13 लाख रुपये के ब्याज का नुकसान हुआ क्योंकि कम्पनी नकद साख पर ब्याज का भुगतान करती रही है। यह भी ज्ञात हुआ कि कम्पनी के कोष का समय से हस्तान्तरण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में खण्ड ने प्रभावी ढंग से बैंकों के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया और न ही ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में दावा किया।

बैंक शेष के मिलान न होने के कारण, राजस्व का अवरूद्ध होना

2.3.16 राजस्व संग्राहक प्रखण्ड (ईडीडी और ईयूडीडी), ऊर्जा के विक्रय से राजस्व वसूल कर इस राशि को प्रतिदिन शाखा प्राप्ति खाता में जमा कर देते हैं। शाखा प्राप्ति खाता रखने वाले बैंक, लखनऊ स्थित कम्पनी के मुख्य प्राप्ति खाते में, बैंक शेषों को हस्तान्तरित कर देते हैं। ऐसे लेनदेनों को जिन्हें अभिलेखित नहीं किया गया है को चिन्हित करने एवं सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिये समय से बैंक समाधान विवरण तैयार करना आवश्यक था। प्रखण्डों के अभिलेखों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि बैंक विवरण में प्रदर्शित कम्पनी के कोष कम्पनी के खाते में प्रदर्शित बैंक शेषों की तुलना में कम थे। बैंक शेषों में अन्तर 1 से 5 वर्षों से बना रहा, जिसका विवरण निम्न है:

(करोड़ रुपये में)

इकाई का नाम	अवधि	प्राप्ति खाते में बैंक शेष की स्थिति	
		रोकड़बही के अनुसार (अ)	बैंक बही के अनुसार (ब)
(1)	(2)	(3)	(4)
ईयूडीडी-II, नायेडा	फरवरी 2003	5.54	1.69
ईयूडीडी (आर0बी0) रामबाग	मार्च 2003	1.10	0.25
ईडीडी-II, मिर्जापुर	मार्च 2003	0.40	0.28
ईयूडीडी-II, मेरठ	जनवरी 2004	0.27	0.00
ईडीडी, रायबरेली	अक्टूबर 2000	0.10	0.08
ईडीडी, महाराजगंज	जून 2001	0.34	0.06
ईडीडी, राबर्ट्सगंज	अक्टूबर 2002	2.24	0.19
ईयूडीडी, म्योहाल	जून 2003	0.14	0.06
योग		**10.13**	**2.61**
अन्तर (अ-ब)			**7.52**

कम्पनी की बहियों तथा बैंक विवरणों के अनुसार शेषों में अन्तर तथा अपूर्ण लेखांकन से सम्बन्धित बिन्दु जिन्हें लेखा परीक्षा में चिन्हित किया गया था, के प्रकरण अधोलिखित है:

- सितम्बर 2002 से जुलाई 2003 की अवधि के दौरान आठ प्रखण्डों से सम्बद्ध उपभोक्ताओं से विद्युत बिलों के भुगतान के एवज में प्राप्त 3.46 करोड़ रुपये के चेकों को समाधान की तिथि तक भुनाया नहीं जा सका था। यह भी ज्ञात हुआ कि प्रखण्डों में इन न भुनाये गये चेकों के बारे में कोई विवरण, यथा उपभोक्ता का नाम, चेक संख्या, तिथि एवं प्रत्येक चेक में अंकित धनराशि इत्यादि उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण उपभोक्ता के खाते को डेबिट नहीं किया जा सका।

- ईयूडीडी नोयडा को जून 2001 में सृजित किया गया। प्राप्ति खाते का बैंक समाधान सितम्बर 2002 से प्रारम्भ हुआ। 1.82 करोड़ रुपये के अन्तर राशि को बैंक द्वारा अगस्त 2002 तक क्रेडिट नहीं किया गया था जिसे प्रखण्ड द्वारा अभिलेखों में कोई कारण अंकित किये बिना अगस्त 2004 तक असमाधानित छोड़ दिया गया था।

- कामर्शियल तथा रेवेन्यू मैनुअल (अध्याय 8) के प्रस्तर 6.8 के अनुसार, यदि बैंक द्वारा किसी उपभोक्ता की कोई चेक अनादृत कर दी जाती है तो चेक द्वारा भुगतान करने की सुविधा उपभोक्ता से वापस ले ली जाती है और उसका खाता डेबिट कर दिया जाता है।

 तीन* प्रखण्डों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि सितम्बर 2002 से जुलाई 2003 तक उपभोक्ताओं से प्राप्त 38.97 लाख रुपये के चेक बैंक द्वारा अनादृत कर दिये गये और इस आशय की प्रविष्टि न तो रोकड़बही में और न ही उपभोक्ता के खातों में की गयी।

 दोनों अभिलेखों में प्रदर्शित शेषों में अन्तर विद्यमान होने के कारण, कम्पनी के कोष के दुरुपयोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

- लेखा परीक्षा से यह भी ज्ञात हुआ कि विद्युत वितरण खण्ड (ईडीडी) फतेहपुर द्वारा, अप्रैल 2001 से मार्च 2003 की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं से 16.10 करोड़ रुपये की धनराशि के 143 चेक स्वीकार किये गये जो बाद में अनादृत हो गये। कुछ मुख्य उपभोक्ताओं से सम्बन्धित लगातार अनादृत चेकों का विवरण निम्नवत् है:

उपभोक्ता का नाम	अनादृत चेकों की संख्या	अवधि	धनराशि (लाख रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
सिगमा कास्टिंग लिमिटेड, फतेहपुर	23	02/02 से 05/03	410.09
कुन्दन कास्टिंग लिमिटेड, फतेहपुर	28	10/99 से 05/03	525.66
पनम कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, फतेहपुर	08	10/99 से 01/03	32.91
माया एग्रो, फतेहपुर	07	12/99 से 03/2000	45.62
ग्लोबल एलॉयज स्टील, फतेहपुर	03	09/01 से 04/02	20.73
शारदा स्टील प्लाण्ट, फतेहपुर	06	02/00 से 08/02	24.05

* इयूडीडी, नोयडा (11.29 लाख रुपये), इयूडीडी, रामबाग (18.99 लाख रुपये) एवं इयूडीडी, उन्नाव (8.69 लाख रुपये)

चेक अनादरण की स्थिति में, प्रखण्ड द्वारा, उपभोक्ता खाता डेबिट करने के अतिरिक्त, रोकड़बही में प्रतिकूल प्रविष्टि की जानी थी। कम्पनी की रोकड़बही में 31 जुलाई 2002 को प्रदर्शित बैंक शेष 8.13 करोड़ रुपये (ईडीडी, फतेहपुर) के विरूद्ध, वास्तविक बैंक शेष केवल 59.79 लाख रुपया था जो इस बात का द्योतक था कि प्रखण्ड ने न तो रोकड़बही में प्रतिकूल प्रविष्टि की और न ही उपभोक्ता खाते को डेबिट किया था। इस प्रकार उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों के नियमित भुगतान न करने के बावजूद विद्युत प्रयोग करने का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

प्रबन्धन का कहना था (अगस्त 2004) कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

विविध प्राप्य- धनराशियाँ

कर्मचारियों से प्राप्य- राशियाँ

1973 से 2003 की अवधि से कर्मचारियों के विरूद्ध विविध अग्रिमों से सम्बन्धित 5.40 करोड़ रुपये असमायोजित/बिना वसूली पड़े रहे।

2.3.17 कर्मचारियों को प्रदत्त असमायोजित रोकड़ अग्रदाय/अग्रिमों, स्टोर्स में कमी/गैर लेखांकन जिसकी जाँच प्रतीक्षित थी को कर्मचारियों से वसूली हेतु उनके विरूद्ध विविध अग्रिम के रूप में रखा गया और खातों में कर्मचारियों से प्राप्य राशियों के रूप में प्रदर्शित किया गया। कर्मचारियों से प्राप्य ये राशियाँ 31 मार्च 2000 को 41.95 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2003 तक 49.56 करोड़ रुपये हो गयी थी। कर्मचारियों से प्राप्य राशियों के विरूद्ध कोई महत्वपूर्ण वसूली नहीं हो सकी जिसके कारण कम्पनी के कोष अवरूद्ध रहे।

11* प्रखण्डों के लेखा परीक्षा से ज्ञात हुआ कि विविध अग्रिम की असमायोजित तथा वसूल न की गयी राशि 1973 से 2003 तक 5.40 करोड़ रुपये तक पहुँच गयी थी। यह इस बात का संकेत था कि वसूलियों को सम्पादित करने अथवा प्राप्य राशि के मिलान के लिए प्रबन्धन के द्वारा प्रभावी प्रयास में कमी थी।

जमानत राशि की वसूली में विलम्ब

2.3.18 यूपीईआरसी द्वारा निर्गत, उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति (वितरण संहिता) 2002 के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को दो माह की अनुमानित ऊर्जा खपत के बराबर की राशि जमानत के रूप में देना होगा।

2.81 करोड़ रुपये की अतिरिक्त जमानत राशि की वसूली उपभोक्ताओं से की जानी थी।

2002-03 तक, तीन वर्षों के दौरान, ऊर्जा विक्रय से प्राप्त राजस्व, दो माह के ऊर्जा विक्रय का औसत तथा कम्पनी को प्राप्त जमानत राशि को निम्न सारिणी में प्रस्तुत किया गया है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2000-01	2001-02	2002-03
ऊर्जा विक्रय से प्राप्त राजस्व	6315.99	6375.40	6087.54
जमानत जमा के रूप में रखी जाने वाली दो माह के ऊर्जा विक्रय की औसत राशि	1052.67	1062.57	1014.59
कम्पनी को उपभोक्ताओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी जमानत राशि (वार्षिक खाता के अनुसार)	653.43	656.65	682.57
जमानत जमा की राशि में कमी	399.24	405.92	332.02

* इडीडी-राबर्ट्सगंज, इडीडी-शामली, इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स प्रखण्ड-कानपुर, इडीडी-महराजगंज, इडीडी-कुशीनगर, इडीडी-कन्नौज, विद्युत स्टोर प्रखण्ड-गाजियाबाद, इडीडी I-इलाहाबाद, इयूडीडी II-मेरठ, इडीडी-चाँदपुर, और इडीडी I-सहारनपुर ।

- उक्त सारिणी से देखा जा सकता है कि दो माह के औसत ऊर्जा विक्रय राशि की तुलना में, उपलब्ध जमानत राशि 2002-03 तक तीन वर्षों के दौरान 332.02 करोड़ रुपये से 405.92 करोड़ रुपये से कम थी।
- लेखा परीक्षा (2003-04) में ज्ञात हुआ कि पाँच प्रखण्डों* के दो माह के औसत ऊर्जा खपत के आधार पर उपभोक्ताओं से 2.81 करोड़ रुपये की अतिरिक्त/प्रारम्भिक जमानत राशि वसूल की जानी थी। उक्त राशि की वसूली अभी तक (अगस्त 2004) प्रतीक्षित है।

समता और पूँजी अनुदान का अपवर्तन

2.3.19 विशिष्ट उद्देश्यों यथा: गाँवों के विद्युतीकरण, निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण, बन्ध-पत्रों के भुगतान एवं कोयला मूल्यों को चुकता करने हेतु राज्य सरकार समय-समय पर कम्पनी को समता पूँजी तथा पूँजी अनुदान की राशि अवमुक्त कर रही थी। दिसम्बर 2000 के दौरान, यूपीआरवीयूएनएल को कोयला मूल्यों के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा, कम्पनी को 50 करोड़ रुपये की समता राशि अवमुक्त की गयी।

लेखा परीक्षा में ज्ञात हुआ कि प्राप्त समता पूँजी की राशि में से कम्पनी ने 26 करोड़ रुपये एनटीपीसी तथा यूपीजेवीएनएल को ऊर्जा क्रय के भुगतान हेतु तथा 2 करोड़ रुपये जीपीएफ ट्रस्ट को भुगतान हेतु, उपयोग किया। इसने राज्य सरकार द्वारा समता राशि अवमुक्त किये जाने तथा राज्य नियोजन एवं बजट के आधारभूत उद्देश्य को विफल कर दिया।

आन्तरिक लेखा परीक्षा

2.3.20 आन्तरिक लेखा परीक्षा, आन्तरिक नियंत्रण का भाग है जिसका प्रयोग, अनियमितताओं, कपट, गड़बड़ी और गबन इत्यादि का पता करने तथा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों, नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है। कम्पनी ने तत्कालीन यूपीएसईबी से आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली अंगीकृत किया था जिसमें प्रत्येक परिमण्डल स्तर पर लेखा परीक्षा तंत्र स्थापित किया गया था। कम्पनी ने आन्तरिक लेखा परीक्षा नियमावली तैयार नहीं की थी। समय-समय पर निर्गत आदेशों/सर्कुलरों में आन्तरिक लेखा परीक्षा इकाई के क्षेत्र, कर्तव्यों और दायित्वों को परिभाषित किया गया था। प्रत्येक वर्ष, एक माह तक प्रत्येक इकाई की विस्तृत जाँच की जाती थी।

आन्तरिक लेखा परीक्षा इकाई के पास पर्याप्त संख्या में मानव संसाधन उपलब्ध नहीं था। परिणामस्वरूप, क्षेत्र इकाइयों की लेखा परीक्षा वार्षिक आधार पर नियमित रूप से नहीं की जा सकी। अत: जैसा कि नमूना जाँच में देखा गया, आच्छादित व्यवहारों की अवधि चार वर्ष तक थी। क्षेत्र इकाइयों को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निर्गत करने में 6

* ईडीडी-II, आजमगढ़, ईडीडी-II, सहारनपुर, ईडीडी-फतेहपुर, इयूडीडी-अलीगढ़ तथा ईडीडी-हाथरस ।

माह तक का विलम्ब हुआ था (एक पखवाड़े की निर्धारित अवधि के विरूद्ध)। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया कि कम्पनी के आकार और व्यवसाय की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

यूपीएसईबी के विघटन के समय, लेखा परीक्षा इकाई की पुर्नगठित संरचना हेतु निम्नलिखित प्रस्तावित था:

- आन्तरिक लेखा परीक्षण के क्षेत्र को ठीक-ठीक निर्धारित किये जाने की आवश्यकता थी।
- आन्तरिक लेखा परीक्षा इकाई को स्वतंत्र प्रस्थिति प्रदान किया जाना था।
- आन्तरिक लेखा परीक्षा के पास अपनी नियमावली होनी चाहिए।
- लेखा परीक्षा से लेखा शाखा में अधिकारियों/कर्मचारियों का अन्तर स्थानान्तरण किया जाता था जिससे प्रणाली की प्रभावशीलता प्रभावित होती थी।
- व्यवसाय के आकार एवं क्षेत्र के अनुसार, अधिकारियों/कर्मचारियों की विद्यमान संख्या पर विचार किया जाना आवश्यक था इत्यादि ।

इन प्रस्तावों का लागू किया जाना अभी तक अपेक्षित था।

प्रकरण शासन के समक्ष जून 2004 में प्रस्तुत कर दिया गया था; प्रत्युत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2004)।

निष्कर्ष

प्रबन्धन, उपभोक्ताओं से वसूली योग्य देयों को वसूल करने में विफल रहा। ऊर्जा क्रय के बिलों के विलम्ब से भुगतान के लिये अधिभार के रूप में अतिरिक्त दायित्व वहन करना पड़ा। पुनः परिहार्य ब्याज भार वहन करने के कारण कम्पनी के संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। राजस्व जमा का कम्पनी के खाते में समय से प्रेषण तथा कम्पनी के केन्द्रीय खाते में कोष का त्वरित स्थानान्तरण प्रबन्धन द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

कम्पनी द्वारा संसाधनों की उत्पत्ति एवं उपयोग से सम्बन्धित प्रणाली को सम्पुष्ट करने के साथ इसे दृढ़ता से लागू करना चाहिए ताकि पारेषण और वितरण संजाल के परिचालन में मितव्ययिता और सर्वत्र कुशलता लायी जा सके।

2.4 उत्तर प्रदेश में ऊर्जा प्रणाली सुधार पर समीक्षा

मुख्य अंश

ऊर्जा प्रणाली को वाणिज्यिक रूप से सक्षम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (यूपीएसईबी) को पुर्नसंस्थापित करते हुए (जनवरी 2000) उत्पादन, पारेषण व वितरण क्षेत्रों को नवसृजित कम्पनियों में स्थानान्तरित कर दिया। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने वितरण क्षेत्र में सुधार को लागू किया।

(प्रस्तर 2.4.1, 2.4.3 तथा 2.4.6)

उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत मीटरीकृत करने के लक्ष्य के सापेक्ष, अगस्त 2004 तक यूपीपीसीएल 89.18 लाख उपभोक्ताओं में से 42.83 लाख उपभोक्ताओं (48 प्रतिशत) को मीटर नहीं उपलब्ध करा सकी।

(प्रस्तर 2.4.16)

विश्व बैंक द्वारा पोषित क्रयादेशों में मूल्य समायोजन प्रावधान सम्मिलित न करने के फलस्वरूप इलेक्ट्रानिक मीटरों के क्रय में यूपीपीसीएल ने 52 करोड़ रुपये की हानि वहन की।

(प्रस्तर 2.4.18)

पूर्व-क्रीत 10.435 लाख मीटरों की संस्थापना न किये जाने के कारण स्कन्ध वाहक मूल्य के मद में यूपीपीसीएल ने 23.63 करोड़ रुपये की हानि वहन की।

(प्रस्तर 2.4.21)

प्रणाली उच्चीकरण कार्यों (यथा सेवा लाइनों की पुन:स्थापना, कैपिसिटर बैंकों की संस्थापना, लाइनों का निर्माण आदि) से सम्बन्धित लक्ष्य प्राप्ति में चूक के फलस्वरूप 7.10 करोड़ रुपये के समेकित लाभ से वंचित होना पड़ा।

(प्रस्तर 2.4.26 से 2.4.29)

ऊर्जा प्रणाली सुधार, कमियों से बाधित रहा जिनमें निर्धारित लक्ष्य तक पारेषण व वितरण हानियों को न घटाया जाना एवं वसूली हेतु अपर्याप्त प्रयास थे।

(प्रस्तर 2.4.32 व 2.4.36)

प्रस्तावना

2.4.1 पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् (यूपीएसईबी) की स्थापना अप्रैल, 1959 में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 5(1) के अन्तर्गत की गई थी। यूपीएसईबी प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण व वितरण सम्बन्धित गतिविधियों का प्रबन्ध कर रहा था। 5,886 एमडब्ल्यू की संस्थापित क्षमता के विरूद्ध मात्र 3300 एमडब्ल्यू ऊर्जा का उत्पादन किया गया। राज्य सरकार ऊर्जा की लगातार कमी के प्रति अत्यधिक उद्विग्न थी तथा वर्ष 1999 में, उत्तर प्रदेश सरकार

(जीओयूपी) ने अपनी ऊर्जा प्रणाली सुधार नीति घोषित की। नीति अभिलेखानुसार, यूपीएसईबी की समेकित वाणिज्यिक हानियाँ 31 मार्च 1997 तक 7,000 करोड़ रुपये थी (राज्य अनुदान के अतिरिक्त) तथा नकद दायित्व 4,200 करोड़ रुपये की सीमा तक थे। यूपीएसईबी की शुद्ध आस्तियाँ अप्रैल 1997 से जनवरी 2000 तक 1,526. 26 करोड़ रुपये से 2,685.95 करोड़ रुपये की सीमा में थी। नीति के अन्तर्गत ऊर्जा प्रणाली सुधार के अधोलिखित मुख्य बिन्दु प्रारम्भ किये गए:

- यूपीएसईबी का स्वायत्त व पृथक लेखा योग्य संघटकों में पुनर्गठन;
- उपभोक्ताओं के हितों तथा ऊर्जा क्षेत्र की दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति की रक्षा के निमित्त स्वतंत्र नियामक संस्था का गठन;
- क्रमवार समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार परिसम्पत्तियों के स्वामित्व का सार्वजनिक निगमित संस्थाओं को सम्पूर्ण हस्तान्तरण; तथा
- दर सूची का औचित्यीकरण ।

राज्य में ऊर्जा प्रणाली सुधार एवं पुनर्गठन के उद्देश्य थे कि मूल्य प्रभावी, उत्तम गुणवत्ता की ऊर्जा सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को राज्य के सामाजिक उत्थान व आर्थिक विकास के निमित्त प्रदान की जाये, ऊर्जा विभाग को वाणिज्यिक रूप से इतना सक्षम बनाया जाय कि वह उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखते हुए राज्य बजट पर भार न बने ।

पुनर्गठन तथा निगमीकरण

2.4.2 सुधार के पूर्व ऊर्जा क्षेत्र में तीन इकाइयाँ अर्थात् यूपीएसईबी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) तथा उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीजेवीएनएल) थीं। सुधार के पश्चात् उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत दो अन्य कम्पनियों, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (केस्को) तथा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) का गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत क्रमश: जुलाई 1999 तथा नवम्बर 1999 में किया गया।

2.4.3 यूपीएसईबी के पारेषण/वितरण, जल विद्युत तथा ताप विद्युत उत्पादन के कार्य क्रमश: यूपीपीसीएल व केस्को को (पारेषण/वितरण), यूपीजेवीएनएल (तापीय विद्युत उत्पादन) तथा यूपीजेवीएनएल (जल विद्युत उत्पादन) को हस्तान्तरित कर दिये गए (जनवरी 2000)। यूपीपीसीएल का वितरण कार्य पुन: चार वितरण कम्पनियों मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को हस्तान्तरित किया गया (अगस्त 2003) जिनका गठन (मई 2003) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत हुआ था।

2.4.4 उत्तर प्रदेश ऊर्जा प्रणाली सुधार हस्तान्तरण योजना, 2000 के अनुसार, यूपीएसईबी की परिसम्पत्तियाँ, हित, अधिकार व दायित्व उत्तर प्रदेश शासन में विहित थे जिन्हें फिर से यूपीपीसीएल, यूपीजेवीएनएल तथा यूपीजेवीएनएल में

पुनर्विहित कर दिया गया। 14 जनवरी 2000 को पुनर्गठन के समय यूपीएसईबी की परिसम्पत्तियाँ व दायित्व 36,262.24 करोड़ रुपये थे इसके समक्ष 14 जनवरी 2000 को यूपीपीसीएल, यूपीआरयूवीएनएल तथा यूपीजेवीएनएल में पुनर्विहित किये गये सम्पत्तियों एवं दायित्वों की राशि मात्र 15,243 करोड़ रुपये थी। परिसम्पत्तियों व दायित्वों में 21,019.24 करोड़ रुपये की कमी का कारण, अप्रयोज्य, अमूर्त परिसम्पत्तियों, आस्थगित लागत, ऊर्जा विक्रय के बदले में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्य राशि, अन्य व्यावसायिक प्राप्तियाँ संचय के मद में दायित्व, अनुदान व उत्तर प्रदेश शासकीय ऋण का अपलेखन थे। इस प्रकार पुनर्विहित किये गये सम्पत्ति तथा दायित्व का न तो पुनः मूल्यांकन किया गया था और न ही वह पूर्ववर्ती यूपीएसईबी के खातों के अवशेषों से मेल खाता था।

संगठनात्मक ढाँचा

2.4.5 नवसृजित ऊर्जा कम्पनियों के प्रमुख अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक (सीएमडी/एमडी) हैं तथा निदेशक मण्डल में तीन से पाँच तक निदेशक हैं। मुख्यालय में सीएमडी/एमडी की सहायतार्थ मुख्य महाप्रबन्धक होते हैं जिनकी सहायतार्थ मुख्यालय व क्षेत्रों में क्रमशः महाप्रबन्धक व उप महाप्रबन्धक होते हैं। क्षेत्रों में खण्डों के अध्यक्ष अधिशासी अभियन्ता होते हैं।

सुधार कार्य समूह के रूप में मुख्य सचिव (ऊर्जा) को अध्यक्ष बनाते हुए तथा सदस्यों के रूप में ऊर्जा प्रणाली कम्पनियों के सीएमडी/एमडी सहित एक क्रियान्वयन कार्य बल का गठन किया गया। बाद में इस संगठन को परियोजना सुधार अनुश्रवण संगठन (आरपीएमओ) के रूप में नामित किया गया। इस संगठन के प्रमुख एक मुख्य महाप्रबन्धक थे जो कि मुख्य सचिव के नेतृत्व में गठित एक संचालक समिति के समग्र दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत सुधार क्रियान्वयन प्रक्रिया की प्रगति के देख-रेख व अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी थे।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

2.4.6 चूँकि ऊर्जा उत्पादन व पारेषण से सम्बन्धित ऊर्जा प्रणाली सुधार कार्यक्रम, 1999 अभी क्रियान्वयन की प्रारम्भिक अवस्था में ही था, लेखा परीक्षा का क्षेत्र मुख्यतः यूपीपीसीएल द्वारा कृत वितरण कार्यों में सुधार पर ही केन्द्रित रहा।

उत्तर प्रदेश में ऊर्जा प्रणाली सुधार पर समीक्षा से फलित लेखा परीक्षा के निष्कर्ष इस विशेष अनुरोध के साथ जून 2004 में शासन/प्रबन्धन को प्रतिवेदित किये गए थे कि राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों हेतु गठित लेखा परीक्षा समीक्षा समिति (एआरसीपीएसई) की बैठकों में भाग लिया जाये ताकि समीक्षा को अंतिम स्वरूप प्रदान किये जाने के पूर्व शासन/प्रबन्धन के विचार बिन्दुओं को भी सन्निहित किया जा सके। विशेष सचिव (राज्य सरकार के प्रतिनिधि) तथा कम्पनी अधिशासियों के साथ एआरसीपीएसई की बैठक 9 अगस्त 2004 को हुई थी। सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों को समीक्षा के अन्तिमीकरण के दौरान संज्ञान में लिया गया है।

सुधार प्रक्रिया

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

2.4.7 उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया (फरवरी 2000) जिसके द्वारा उत्पादन, पारेषण व वितरण कार्यों में सुधार प्रक्रिया तथा योजनाएँ निम्नवत् निहित थीं:

उत्पादन	• विद्यमान तापीय व जल विद्युत गृहों के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण हेतु भारत सरकार (जीओआई) द्वारा सहायता; • जल विद्युत एवं तापीय विद्युत विकास; तथा • ग्रामीण विद्युतीकरण
पारेषण	• महत्वपूर्ण पारेषण कार्यों के निर्माण हेतु भारत सरकार से सहायता।
वितरण	• सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा हेतु 30 सितम्बर 2000 तक समस्त 11 केवी पोषकों पर प्रणाली हानि में कमी लाने के लिये मीटरों का संस्थापन; • 31 दिसम्बर 2001 तक समस्त उपभोक्ताओं का सौ प्रतिशत मीटरीकरण; • 31 मार्च 2001 तक 20 चुने हुए शहरों में आन लाइन बिलिंग; • वितरण प्रणाली का उच्चीकरण; • पृथक वितरण लाभ केन्द्रों का गठन जो कि वितरण में वाणिज्यिक सार्थकता लायेंगे; तथा • यदि वाणिज्यिक सार्थकता नहीं प्राप्त होती है तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वितरण का निजीकरण।

एमओयू में निहित सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन अग्रगामी प्रस्तरों में वर्णित है:

सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन

परामर्श सेवायें

2.4.8 विविध सुधार प्रक्रिया हेतु परामर्श देने के लिए प्राईसवाटरहाउसकूपर्स डेवलपमेण्ट एसोशिएट्स, यूके (पीडब्ल्यूसी) को सलाहकार के रूप में नामित किया गया था (2000) जिनका कुल परामर्श शुल्क 5.27 करोड़ रुपये था और जिसे जून 2002 में 13.53 करोड़ रुपये में परिवर्तित किया गया था। अप्रैल 2003 तक परामर्शदाता को समेकित रूप से 11.34 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा के प्रेक्षण अग्रगामी प्रस्तरों में वर्णित हैं:

परामर्श सेवाओं के बिन्दुओं की प्राप्ति में विफलता

2.4.9 परामर्शदाता को अध्ययन व अन्य आख्यायें (दी जा सकने योग्य) कम्पनी को प्रस्तुत करनी थी ताकि सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन हो सके। परामर्शदाताओं ने आपरेटिंग मैनुअल के बिना ही वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रारूप (एआरआर) की साफ्ट कापी प्रस्तुत की (26 जून 2001)। कम्प्यूटर आधारित इस प्रारूप का उपयोग डिस्काम्स द्वारा किया जाना था जिनका संचालन आपरेटिंग मैनुअल के अभाव में सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त, अधोलिखित आख्याओं का प्रस्तुतिकरण भी परामर्शदाताओं द्वारा किया जाना था (अगस्त 2004)।

परामर्शदाता (पीडब्ल्यूसी) ने सभी आख्यायें प्रस्तुत नहीं कीं तथा उनके भुगतानों को कृत कार्य से समबद्ध नहीं किया गया।

- अप्राप्त दायित्वों के वित्त पोषण हेतु तरजीही विकल्पों का विश्लेषण और तरजीही विकल्प के क्रियान्वयन में सहायता;

- चार वृत्तों के अध्ययन पर आधारित राजस्व सुधार की आवश्यकताओं को रेखित करने वाली गुणात्मक आख्या;
- समग्र आपूर्ति दर सूची के मापदण्ड; तथा
- कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड के निजीकरण पर प्रपत्र;
- डिस्काम्स के प्रबन्ध निदेशकों तथा बोर्ड को शक्तियों के सौंपे जाने पर आख्या; तथा
- राजस्व की कमी की पूर्ति हेतु उपायों से सम्बन्धित सुझाव जिनसे संक्रमण अवधि के दौरान परिचालन व्ययों की पूर्ति हो सके।

वार्षिक राजस्व आवश्यकता के निर्माण पर परिहार्य व्यय

2.4.10 परामर्शदाता के साथ हुआ अनुबन्ध कम्पनी के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के निर्माण को सम्मिलित करता था तथा इसमें भावी दर सूची के प्रारूप का विकास भी निहित था जिसका उपयोग वितरण कम्पनियों द्वारा राजस्व आगणनों में किया जाना था। परामर्शदाता ने प्रारूप की साफ्ट प्रति का निर्माण किया और उसे आपरेटिंग मैनुअल के बिना ही जून 2001 में कम्पनी को प्रस्तुत कर दिया।

पीडब्ल्यूसी को प्रदत्त कार्य को संज्ञान में लेने की विफलता के फलस्वरूप केस्को ने 45.21 लाख रुपये का परिहार्य व्यय वहन किया।

बावजूद इस तथ्य के, कि प्रथमत: एआरआर का अन्तिमीकरण परामर्शी द्वारा होना था और तत्पश्चात् कम्प्यूटरीकृत प्रारूप का उपयोग वितरण कम्पनियों द्वारा होना था, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी, कानपुर (केस्को) ने 2000-01 तथा 2001-02 अवधि के एआरआर निर्माण हेतु एस बी आई कैपिटल मार्केट, नई दिल्ली (एससीएम) को नियुक्त कर लिया (अप्रैल 2000)। एससीएम ने इन दोनों वर्षों का एआरआर बनाया और उन्हें 45.21 लाख रुपये का भुगतान (जिसमें 2 लाख रुपये का सर्विस टैक्स और जेब खर्च के लिये 3.21 लाख रुपये सम्मिलित था) किया गया (अक्टूबर 2000 व अप्रैल 2001)।

इस प्रकार, यूके के परामर्शदाता को प्रदत्त कार्य को संज्ञान में लिये जाने में विफलता के फलस्वरूप केस्को ने 45.21 लाख रुपये का परिहार्य व्यय वहन किया।

स्वतंत्र नियामक इकाई का सृजन

2.4.11 अन्य बातों के साथ, उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) के गठन, विद्युत पारेषण व आपूर्ति के क्षेत्र में इसके कार्य व दर सूची निर्धारण भी प्रावधानित था।

यूपीईआरसी का गठन विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998* की धारा 17 के अन्तर्गत 10 सितम्बर 1998 में हुआ था। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत यूपीईआरसी को आयोग के रूप में माना गया था तथा अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति सुधार अधिनियम के अन्तर्गत मानी गई थी। यूपीईआरसी ने

* बाद में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82(1) से बदल दिया गया।

अप्रैल 2000, सितम्बर 2001, नवम्बर 2002 तथा सितम्बर 2003 में चार दर सूची आदेश निर्गत किये गये थे। इन चार दर सूची आदेशों के निर्गमन के बावजूद भी, बिक्रीत प्रति यूनिट औसत लागत 2002-03 के दौरान (3.61 रुपये) औसत प्रति यूनिट विक्रय मूल्य (3.08 रुपये) से अधिक बनी रही।

निजीकरण

2.4.12 ऊर्जा प्रणाली के विभिन्न खण्डों का निजीकरण, सुधार का एक उद्देश्य था। दिसम्बर 2003 में राज्य सरकार ने एक नई ऊर्जा नीति सृजित की, जिसमें अन्य बातों के साथ एक मुख्य उद्देश्य के रूप में सभी खण्डों, यथा उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यवसाय एवं मरम्मत तथा रखरखाव में निजी भागीदारी भी समावेशित थी। मेसर्स पी डब्ल्यू सी और अर्न्स एण्ड यंग को 1000 एमडब्ल्यू अनपरा 'सी' ऊर्जा परियोजना संस्थापन हेतु एक निजी वित्त पोषक को तलाशने हेतु परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया। सुधारेत्तर अवधि में ऊर्जा उत्पादन, पारेषण व वितरण क्षेत्रों में किसी निजी कम्पनी का पदार्पण नहीं हुआ था।

पुनर्गठन के पश्चात् वित्तीय उपलब्धि

2.4.13 ऊर्जा प्रणाली सुधार (वितरण कार्य) केवल यूपीपीसीएल तथा केस्को तक सीमित रहे। न तो यूपीपीसीएल और न ही केस्को लाभ केन्द्र बन सके क्योंकि ये कम्पनियाँ सुधारेत्तर अवधि में भी हानियाँ ही वहन करती रहीं। यूपीपीसीएल की हानियाँ वर्ष 1999-2000 में 141.66 करोड़ रुपये, 2000-01 मे 2,211.14 करोड़ रुपये, 2001-02 में 1,400.30 करोड़ रुपये तथा 2002-03 में 1,319.24 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च 2003 को 5,072.34 करोड़ रुपये की संचित हानियों के कारण प्रदत्त पूँजी (4,707.45 करोड़ रुपये) का पूर्ण रूप से क्षरण हो चुका था। हानियों का कारण प्रत्येक वर्ष में उच्च टी एण्ड डी हानियाँ, बिक्री के सापेक्ष अल्प वसूली तथा अ-मीटरीकृत उपभोक्ता थे। शुद्ध मूल्य जो कि 3,553.49 करोड़ रुपये थी (31 मार्च 2000 को) के समक्ष 31 मार्च 2003 को यह नकारात्मक (67.04 करोड़ रुपये) हो गई। इस प्रकार वित्तीय स्थिति के पुनर्उद्धार करने का सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

नवसृजित/पुनर्गठित ऊर्जा कम्पनियाँ स्वपोषित व पृथक लेखा योग्य इकाइयाँ मानी जाती थीं ताकि वे अपनी वाणिज्यिक सक्षमता प्राप्त कर सकें। राज्य पोषित ऊर्जा उत्पादन कम्पनियाँ यथा यूपीजेवीएनएल तथा यूपीआरवीयूएनएल को ऊर्जा क्रय देयों का भुगतान करने में यूपीपीसीएल की विफलता ने उनकी वित्तीय विषमता व आर्थिक संकट को और बढ़ा दिया। ये देनदारियाँ 31 मार्च 2000 तक यूपीआरवीयूएनएल एवं यूपीजेवीएनएल के मामले में क्रमशः 1,241.35 करोड़ रुपये तथा 140.73 करोड़ रुपये तक बढ़ गयी थीं।

पुनर्गठन के पश्चात् कार्यचालन उपलब्धि

2.4.14 ऊर्जा क्षेत्र में विकास, अपनी अक्षमता के कारण अधिक हानि वाले पोषकों में दर्शाये जा रहे भिन्नता का समाधान, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटरों पर उपभोग की गई

ऊर्जा का शुद्ध मापन, उपभोक्ताओं का मीटरीकरण करने में विफल रहीं तथा उपभोक्ताओं को वितरित की गई ऊर्जा की सकल मात्रा के अनुरूप बीजकों के निर्गमन में भी विफलता रहीं। इन कमियों को दूर करने के लिए यूपीपीसीएल ने ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्यक्रम बनाया और हाई एक्यूरेसी क्लास इलेक्ट्रानिक मीटरों के क्रय व संस्थापन हेतु दो योजनाओं तथा वितरण प्रणाली के उच्चीकरण हेतु एक योजना का क्रियान्वयन किया। इनका वर्णन अग्रगामी प्रस्तरों में है:

समस्त 11 केवी पोषकों पर मीटर संस्थापन

2.4.15 भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार समस्त 11 केवी पोषकों पर मीटरों का संस्थापन किया गया था। ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार उच्च हानि वाले पोषकों को चिन्हित किया गया था। तथापि सुधारात्मक कार्यवाही हेतु हानियों को आगे विश्लेषित करने का प्रयास नहीं किया गया। अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह परिलक्षित हो कि इन क्षेत्रों में छापा मारने व जाँच अभियान हेतु विशेष निर्देश दिये गये हों। 30 नवम्बर 2002 की तुलना में 31 दिसम्बर 2003 तक 30 प्रतिशत से अधिक हानियों वाले 11 केवी पोषकों की संख्या बढ़ गई, जैसा कि अधोलिखित तालिका में दिया गया है:

माह	कुल पोषक (संख्या)	उच्च हानि पोषकों की संख्या				
		30-40%	40-50%	50-60%	60% से अधिक	30% से अधिकका योग
नवम्बर 2002	6921	1462	344	129	46	1981
मार्च 2003	7008	1468	310	44	118	1940
दिसम्बर 2003	7059	1531	331	76	98	2036

लेखा परीक्षा ने देखा कि दिसम्बर 2003 की समाप्ति तक 39 पोषकों की हानियाँ 71 से 78 प्रतिशत थी। इस प्रकार, पोषकवार ऊर्जा हानि में कोई सुधार नहीं था जिससे स्पष्ट हुआ कि सुधार प्रक्रिया से वाँछित परिणाम नहीं मिले।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि जिन खण्डों में हानियाँ अधिक हैं वहाँ के कार्मिकों पर दायित्व निर्धारण किया जा रहा है इसके अतिरिक्त, उच्च हानि क्षेत्रों में विद्युत चोरी कम करने के निमित्त अनेक अन्य उपाय भी किये जा रहे हैं।

उपभोक्ता बिन्दु पर शत-प्रतिशत मीटर संस्थापन

2.4.16 यूपीईआरसी ने आगणित किया कि 2000-01 के अन्त में 81.42 लाख उपभोक्ताओं के समक्ष 54.20 लाख उपभोक्ताओं (कुल उपभोक्ताओं का 63.5 प्रतिशत) के पास या तो मीटर नहीं थे या त्रुटिपूर्ण मीटर थे। एमओयू के अनुसार, 31 दिसम्बर 2001 तक उपभोक्ता बिन्दु पर 100 प्रतिशत मीटर संस्थापन हो जाना चाहिये था। कम्पनी ने कहा (अगस्त 2004) कि 89.18 लाख उपभोक्ताओं में से 42.83 लाख उपभोक्ता (48 प्रतिशत) अभी भी अ-मीटरीकृत थे। इस प्रकार, 2.5 वर्षों के पश्चात् भी 100 प्रतिशत मीटरीकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। इसके कारण निर्धारित तिथि को मार्च 2004 तक बढ़ाना आवश्यक हो गया, किन्तु वाँछित लक्ष्य फिर भी प्राप्त नहीं हुआ। उपभोक्ताओं के अ-मीटरीकरण से फलित हानि की चर्चा आगामी प्रस्तर 2.4.23 में की गई है।

विश्व बैंक ऋण के अन्तर्गत मीटरों के क्रय व संस्थापन की योजना

2.4.17 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल मीटरों द्वारा ऊर्जा उपभोग के त्रुटिपूर्ण मापन से हुई राजस्व हानि बचाने के लिए, 7.85 लाख इलेक्ट्रानिक मीटरों (3 फेज : 3 लाख, सिंगल फेज: 4.70 लाख व ट्राई-वेक्टर : 0.15 लाख) के क्रय व संस्थापन के लिये 249.64 करोड़ रुपये की योजना 1998-99 में बनाई गई थी। 1999-2000 से प्रारम्भ होने वाली इस योजना का समापन 2001-02 तक होना था (2002-03 तक बढ़ाया गया)। इस योजना का वित्त पोषण विश्व बैंक ऋण से 208.19 करोड़ रुपये तथा अवशेष 41.45 करोड़ रुपये कम्पनी के निजी वित्तीय स्रोतों से होना था। योजना के क्रियान्वयन से 88.07 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होनी थी।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि मीटरों के क्रय व संस्थापन में यूपीपीसीएल ने हानि वहन की जैसा कि अग्रगामी प्रस्तरों में वर्णित है।

विश्व बैंक ऋण के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक मीटरों का क्रय

2.4.18 कम्पनी ने 3 लाख मीटरों (तीन फेज चार तार वाले इलेक्ट्रानिक मीटर, बक्से सहित) के क्रय हेतु वैश्विक निविदायें आमंत्रित की (16 दिसम्बर, 1999) जिनके खुलने की तिथि 8 फरवरी 2000 (जिसे 18 अप्रैल 2000 तक बढ़ाया गया) थी। पाँच फर्मो (भारत : 4 व चीन : 1) ने अपने प्रस्ताव दिये जिन्हें बढ़ायी गयी तिथि 18 अप्रैल 2000 को खोला गया। कम्पनी ने चीन के न्यूनतम निविदादाता को तीन लाख मीटरों के क्रय का आदेश दिया (नवम्बर 2000) जिसकी दर यू एस डालर 80.50 प्रति मीटर बीमा व ढुलाई पोर्ट क्लीयरेन्स व अन्य हेतु 100 रुपये अतिरिक्त सहित थी (कुल लागत : यू एस डालर 2,41,50,000 एवं 3,00,00,000 रुपये)। 3 लाख मीटरों की मात्रा को 3.45 लाख मीटरों तक बढ़ाया गया (दिसम्बर 2000)। 3.45 लाख मीटरों की आपूर्ति तीन लाटों (प्रत्येक लाट 1. 15 लाख मीटरों की मात्रा में थी) में किये जाने हेतु तीन अनुबन्ध किये गये (फरवरी 2001)। आपूर्ति की अवधि अनुबन्ध तिथि से 25 माह (मार्च 2003) तक थी। अगस्त 2001 से प्रारम्भ हुई आपूर्ति फरवरी 2003 तक पूर्ण हुई। क्रय के लिये खोले गए लेटर आफ क्रेडिट के सापेक्ष पूर्ण भुगतान (10 प्रतिशत अग्रिम, 80 प्रतिशत जहाजरानी हेतु तथा 10 प्रतिशत माल प्राप्ति पर) कर दिया गया।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि कम्पनी उन अनुबन्धों में मूल्य समायोजन धारा को समाहित करने में विफल रही जहाँ आपूर्ति अवधि 18 माह से अधिक (25 माह तक) रही हो। दीर्घकालीन संविदाओं में यह आवश्यक था जिससे इलेक्ट्रानिक मीटरों के मूल्यों में गिरावट की वैश्विक विधा से जनित हानि से बचा जा सके। इन मीटरों का मूल्य उसी फर्म द्वारा मार्च 2002 के उत्तरवर्ती पैकेज में यूएस डालर 41 तक (यूएस डालर 80.50 से) कम कर दिया गया था। उस समय तक कम्पनी ने 1,12,200 मीटर की आपूर्ति प्राप्त कर ली थी तथा अवशेष 2,32,800

मीटर बाद में फरवरी 2003 तक प्राप्त किये गये थे। इससे, अवशेष मात्रा पर 43.54 करोड़[1] रुपये की हानि फलित हुई।

इसी प्रकार, 5.40 लाख सिंगल फेज इलेक्ट्रानिक मीटरों की जून 2001 से मार्च 2003 के दौरान अधिप्राप्ति में कम्पनी ने उसी फर्म से 3,00,212 मीटरों की अवशेष मात्रा मार्च 2002 के बाद क्रय करने में यू एस डालर 5.95 की दर से 8.46 करोड़ रुपये की हानि वहन की जो कि आदेश देने के समय (जून/जुलाई 2000) के मूल्य (यू एस डालर 21.40) तथा बाद में मार्च 2002 में क्रय किये गये मीटरों के मूल्य (यू एस डालर 15.45) में अन्तर से थी।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि आईईईएमए के दिशा-निर्देशों के अनुसार विविध अनुबन्धों में मूल्य समायोजन धारा का समावेश किया गया था किन्तु उनमें मीटर आच्छादित नहीं थे। इसके अतिरिक्त, किसी एजेन्सी द्वारा मीटरों के विभिन्न पुर्जो की लागत अलग-अलग नहीं बताई गई थी जिसके कारण मूलभूत कच्चे माल या पुर्जो के मूल्य परिवर्तन के आधार पर लागत का समायोजन हो पाता। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समय-समय पर माँगे जाने पर आपूर्तिकर्ता ने कम्पनी को मूलभूत कच्चे माल या पुर्जो के मूल्य (आपूर्तिकर्ता के नाम सहित) उपलब्ध कराये थे तथा विश्व बैंक के दिशा-निर्देशों में भी यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित था कि 18 महीनों से अधिक आपूर्ति अवधि वाले प्रत्येक अनुबन्ध में मूल्य समायोजन धारा समाविष्ट की जायेगी।

मूल्य समायोजन धारा समाहित करने में विफलता के फलस्वरूप कम्पनी ने इलेक्ट्रानिक मीटरों के क्रय में 52 करोड़ रुपये की हानि वहन की।

इस प्रकार, प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कम्पनी की विफलता से 52 करोड़ रुपये की हानि हुई।

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित योजना में प्रावधान से अधिक मात्रा में इलेक्ट्रानिक मीटरों का क्रय

2.4.19 इलेक्ट्रानिक मीटरों की विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित योजना में 7,70,000 इलेक्ट्रानिक मीटरों का क्रय समाहित था (15,000 ट्राई वेक्टर मीटर अतिरिक्त) जिनकी लागत 179.40 करोड़ रुपये थी। तथापि, कम्पनी ने 14.355 लाख मीटर[2] क्रय किये (जून 2001 से अप्रैल 2004) जिनकी लागत 247.94 करोड़ रुपये थी। इसके फलस्वरूप, योजना में समाहित 179.40 करोड़ रुपये लागत की तुलना में 68.54 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, द्वितीय चरण में (अक्टूबर 2003 से अप्रैल 2004 तक) 5.50 लाख मीटरों का क्रय इस आधार पर किया गया कि प्रथम चरण में क्रीत 8.855 लाख मीटरों के पश्चात् विश्व बैंक ऋण में निधि अवशेष थी। दिया गया स्पष्टीकरण मान्य नहीं था, क्योंकि प्रथम चरण में ही मीटरों की लागत 13.67 करोड़ रुपये[3] अधिक थी। द्वितीय चरण में 5.50 लाख मीटरों का उत्तरोत्तर क्रय कदापि औचित्यपूर्ण नहीं था, क्योंकि प्रथम

कम्पनी ने इलेक्ट्रानिक मीटरों की खरीद में विश्व बैंक योजना में प्रावधानित लागत की तुलना में 68.54 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

1 (यू एस डालर 80.50 घटाया यू एस डालर 41=यू एस डालर 39.50X2,32,800 मीटर) = यू एस डालर 91,95,600X47.35 रुपये (यू एस डालर की न्यूनतम परिवर्तन दर) = 43.54 करोड़ रुपये।

2 प्रथम चरण : 8.855 लाख मीटर 193.07 करोड़ रुपये मूल्य के तथा द्वितीय चरण : 5.50 लाख मीटर 54.87 करोड़ रुपये मूल्य के (कुल योग : 247.94 करोड़ रुपये)।

3 193.07 करोड़ रुपये घटाया 179.40 करोड़ रुपये।

चरण में क्रीत मीटरों में से 103.04 करोड़ रुपये के 3.40 लाख मीटर मार्च 2004 तक अप्रयुक्त पड़े थे।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि 255 करोड़ रुपये का विश्व बैंक ऋण मीटरों के क्रय हेतु दिया गया था और तद्नुसार जुलाई 2004 तक 14.50 लाख मीटर खरीदे और 11.36 लाख मीटर संस्थापित किये गये थे। यह भी कहा गया कि मीटरों का बदलाव एक समय लगने वाली प्रक्रिया थी जिसका उपभोक्ताओं ने विरोध किया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 1999 की विश्व बैंक परियोजना मात्र 249.64 करोड़ रुपये थी जिसमें मीटरों की लागत 179.40 करोड़ रुपये समाहित थी। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2004 की प्रगति आख्या के अनुसार 5.475 लाख मीटरों, न कि 11.36 लाख मीटरों का संस्थापन किया गया था। विश्व बैंक ऋण पर 13.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय था। रहतिये को रखने की भारी लागत को देखते हुए, पूर्व-क्रीत मीटरों के संस्थापन में अतिशय विलम्ब का औचित्य नहीं था।

पीएफसी ऋण के अन्तर्गत मीटरों के क्रय व संस्थापन की योजना

2.4.20 विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत वर्तमान मीटरों को इलेक्ट्रानिक मीटरों से बदलने के अतिरिक्त, कम्पनी ने एक अन्य योजना निरूपित की (2000-01) जिसके अन्तर्गत पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) की वित्तीय सहायता से 11.31 लाख इलेक्ट्रानिक मीटर क्रय करके 15 बड़े शहरों में घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटरों को इलेक्ट्रानिक मीटरों से बदला जाना था (अप्रैल 2001 से दिसम्बर 2002 के दौरान)। योजना की लागत 134.90 करोड़ रुपये थी (123.90 करोड़ रुपये मीटर लागत सहित); मीटर लागत का 80 प्रतिशत (99.08 करोड़ रुपये) पीएफसी द्वारा वित्त पोषित था (14 प्रतिशत ब्याज पर) तथा अवशेष धनराशि की व्यवस्था कम्पनी के आन्तरिक स्रोतों से की जानी थी। योजना के अनुसार उच्च शुद्धता श्रेणी के मीटरों से मापित खपत में वृद्धि से फलित अनुमानित लाभ 57.96 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आगणित था।

कम्पनी ने 16.60 करोड़ रुपये धनराशि (एक्स-वर्क्स मूल्य, व्यापार कर ढुलाई व बीमा रहित) का कार्यादेश (फरवरी 2001) सार्थक इण्टरप्राइजेज, इलाहाबाद को 31,734 तीन फेज ओमनीगेट मेक के इलेक्ट्रानिक मीटरों की आपूर्ति हेतु दिया था। इन मीटरों को आपूर्ति योजना के अनुसार विभिन्न भण्डार खण्डों में प्राप्त किया गया।

संस्थापन के दौरान उपभोक्ता खण्डों ने मीटरों की अनेक त्रुटियों, यथा साफ्टवेयर में समस्या, डिस्प्ले सिस्टम की गड़बड़ी, मीटरों का मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर 16.65 प्रतिशत सुस्त चलना और संस्थापन पर मीटरों का खराब हो जाना आदि, की रिपोर्ट की थी। ये मीटर सम्बन्धित टेस्ट खण्डों में पड़े थे क्योंकि त्रुटियों के कारण खण्डों ने इन मीटरों का संस्थापन बन्द कर दिया था। लेखा परीक्षा में इन मीटरों के संस्थापन, अ-संस्थापन, टेस्ट खण्डों में पड़े रहने की स्थिति का आँकलन नहीं किया जा सका, क्योंकि कम्पनी के पास संकेन्द्रित सूचना उपलब्ध नहीं थी।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2004) कि इंगित अनियमितताओं की जाँच की जायेगी व कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

मीटरों का संस्थापन

कम्पनी ने, इन्वेन्ट्री रखने की लागत पर 23.63 करोड़ रुपये की हानि वहन की।

2.4.21 कम्पनी ने विश्व बैंक ऋण से 14.355 लाख मीटर (2001-03) तथा पीएफसी ऋण से 9.64 लाख मीटर (दिसम्बर 2003 तक) क्रय किये थे तथापि यह क्रमश: 5.46 लाख मीटर (जुलाई 2004) तथा 8.10 लाख मीटर मात्र (मार्च 2004) ही संस्थापित कर सकी थी। 174.51 करोड़ रुपये* की धनराशि 10.435 लाख नग मीटरों में अवरूद्ध रही थी। फलस्वरूप 10.435 लाख मीटरों की इन्वेण्ट्री रखने की लागत के मद में 23.63 करोड़ रुपये** की हानि हुई।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2004) कि जुलाई 2004 तक कुछ और मीटरों (विश्व बैंक : 1,578 मीटर तथा पीएफसी : 34,000 मीटर) का संस्थापन किया गया था तथा अवशेष मीटर भी दो माह के अन्दर संस्थापित हो जायेंगे।

आवश्यकता के बिना मीटरिंग क्यूबिकल्स व मीटर बक्सों का क्रय

2.4.22 कम्पनी ने 1.16 करोड़ रुपये मूल्य के 60, 33 केवी पिल्फर रेजिस्टेन्ट मीटरिंग क्यूबिकल्स तथा 30,000 एमएस मीटर बक्से क्रय किये थे (फरवरी 2002)। यह देखा गया कि क्यूबिकल्स का हस्तान्तरण उन जनपदों में भी किया गया जहाँ 33 केवी के कोई उपभोक्ता नहीं थे तथा मीटर, बक्सों के क्रय की भी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि नए इलेक्ट्रानिक मीटर, बक्सों के साथ ही क्रय किये गये थे। इस प्रकार बिना आवश्यकता क्यूबिकल्स व मीटर बक्सों के क्रय से कोष अवरूद्ध हुये।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2004) कि इन मामलों की जाँच की जायेगी एवं कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

उपभोक्ताओं के मीटरीकृत न किये जाने के कारण हानि

उपभोक्ताओं के अ-मीटरीकरण के कारण कम्पनी ने तीन खण्डों में 17.31 करोड़ रुपये की हानि वहन की।

2.4.23 मीटरों के संस्थापन हेतु ऊर्जा प्रणाली सुधार योजना में यह समाहित था कि बदलाव में खाली होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटरों को ग्रामीण क्षेत्रों में अ-मीटरीकृत श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये उपयोग में लाया जायेगा। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि अकेले वाराणसी परिक्षेत्र में ही नगरीय क्षेत्रों से उतारे गये 0.62 लाख मीटर टेस्ट/भण्डार खण्डों में पड़े थे और उनका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं किया गया था। अन्य मामलों में ये विवरण उपलब्ध नहीं थे।

लेखा परीक्षा में यह भी देखा गया कि 2002-04 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में मीटरीकृत व अ-मीटरीकृत घरेलू व वाणिज्यिक श्रेणियों के उपभोक्ताओं से वसूल किये गये विक्रीत प्रति यूनिट से यह संकेत मिलता था कि अ-मीटरीकृत

* 158.57 करोड़ रुपये (14.355 लाख मीटर घटाया 5.46 लाख मीटर=8.895 लाख मीटर) जोड़ा 15.94 करोड़ रुपये (9.64 लाख मीटर घटाया 8.10 लाख मीटर=1.59 लाख मीटर)=174.51 करोड़ रुपये (8.895 लाख मीटर जोड़ा 1.54 लाख मीटर=10.435 लाख मीटर)।

** इन्वेण्ट्री रखने की लागत : (13.5 प्रतिशत की दर से 158.57 करोड़ रुपये पर 21.40 करोड़ रुपये जोड़ा 14 प्रतिशत की दर से 15.94 करोड़ रुपये पर 2.23 करोड़ रुपये)।

उपभोक्ताओं (स्थिर दर सूची) से अतिअल्प वसूली थे। तीन खण्डों (वाराणसी, गोरखपुर व गाजीपुर) की नमूना जाँच में यह पाया गया कि मीटरों के द्वारा विक्रीत ऊर्जा मात्रा के सापेक्ष अ-मीटरीकृत उपभोक्ताओं को स्थिर दर से उतनी ही मात्रा में विक्रीत ऊर्जा पर 17.31 करोड़ रुपये की हानि फलित हुई थी।

2002-04 की अवधि के दौरान मीटरीकृत उपभोक्ताओं के मामले में प्रति यूनिट वसूली दर 66 पैसे से 192 पैसे के मध्य थी। जिसके सापेक्ष अ-मीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में वसूली दर 26 पैसे से 116 पैसे के मध्य थी। मीटरीकृत वाणिज्यिक घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में यही दर 217 पैसे से 452 पैसे की श्रेणी में थी जिसके सापेक्ष अ-मीटरीकृत उपभोक्ताओं के मामले में दर 53 पैसे से 377 पैसे की श्रेणी में थी। अ-मीटरीकृत उपभोक्ताओं से कम वसूली की दर का कारण मीटरीकरण के अभाव में वास्तविक उपभोग के बीजक जारी करने में, कम्पनी की असमर्थता थी।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि प्रारम्भ में यह निर्णय लिया गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटरों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किया जायेगा जहाँ अ-मीटरीकृत आपूर्ति थी। चूँकि ये मीटर बहुत पुराने थे तथा इनकी अंशशोधन व मरम्मत पर अत्यधिक व्यय की आवश्यकता थी, अत: ग्रामीण क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रानिक मीटरों का उपयोग बेहतर समझा गया। उतारे गये इलेक्ट्रो मैकेनिकल मीटरों को उपयोग करने का निर्णय डिस्काम्स के प्रबन्ध निदेशकों द्वारा नगरीय क्षेत्रों से उतारे गये मीटरों की स्थिति पर आधारित होना था। प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मीटरों के क्रय व संस्थापन की योजना में यह स्वत: प्रावधानित था कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मीटरों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में अ-मीटरीकृत श्रेणी के उपभोक्ताओं पर किया जायेगा जिससे राजस्व में और अधिक वृद्धि होगी।

20 नगरों में आन लाईन बीजकीकरण

2.4.24 एमओयू के अनुसार, 20 चयनीकृत नगरों में कम्प्यूटरीकरण द्वारा आन लाईन बीजकीकरण 31 मार्च 2001 तक पूर्ण हो जाना था; तो भी अब तक लेसा के अन्तर्गत केवल एक नगर अर्थात् लखनऊ में आन लाईन बीजकीकरण प्रारम्भ किया जा सका है। वर्ष 2003 में, हस्तधारित यंत्रों (कम्प्यूटरों) द्वारा बीजकीकरण का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था क्योंकि अन्य प्रान्तों जैसे आन्ध्र प्रदेश व कर्नाटक में यह प्रणाली 100 प्रतिशत बीजकीकरण व वसूली सुनिश्चित करने में अत्यधिक उपयोगी पायी गई थी। इस बीजकीकरण प्रणाली के प्रारम्भ करने तथा उसके परिणाम अभी देखे जाने थे (सितम्बर 2004)।

विश्व बैंक ऋण के अन्तर्गत प्रणाली सुधार योजना कार्य

2.4.25 आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, प्रणाली हानियों को कम करने, प्रणाली अतिभारिता को कम करने और संयोजित भार व द्वितीयक वितरण प्रणाली क्षमता के अन्तर को भरकर बढ़ती हुई भार की माँग को पूर्ण करने कि लिए; कम्पनी ने प्रणाली उच्चीकरण की योजना (जिसमें आपूर्ति लाइनों का पुनर्गठन, कैपेसिटर बैंकों का संस्थापन, लाइनों का निर्माण, प्रवर्तकों का

संस्थापन, वितरण प्रणाली का जीर्णोद्धार निहित था) 157.46 करोड़ रुपये लागत से तैयार की (1999)। मई 2001 से जनवरी 2004 के दौरान लागू होने वाली इस योजना से 58.24 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का लाभ फलित होना था (**परिशिष्ट-25**)।

मार्च 2004 तक प्रणाली सुधार कार्यो की भौतिक उपलब्धियों में कमी का प्रतिशत 31.5 से 100 के मध्य रहा जैसा कि **परिशिष्ट-26** में इंगित है। कमियों से फलित हानि का वर्णन अग्रगामी प्रस्तरों में किया गया है।

आपूर्ति लाइनों के पुनर्गठन की धीमी प्रगति

2.4.26 ढीले संयोजनों, जलने-बुझने, लाइन हानियों, अनधिकृत संयोजनों को पहचानने में कठिनाई, ऊर्जा की चोरी, दुरुपयोग कार्यो, कण्डक्टरों की क्षमता के ह्रास एवं कण्डक्टरों को टूटने से बचाने आदि के उद्देश्य से, विश्व बैंक वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत लो टेन्शन सिस्टम के सुधार की योजना में 5,720 वितरण खम्भों पर आपूर्ति लाइन का पुनर्गठन समाहित था जिसकी लागत प्रति खम्भा 0.16 लाख रुपये की दर से 9.15 करोड़ रुपये थी। इन खम्भों के संस्थापन व लाइनों के पुनर्गठन द्वारा, योजना में 2.77 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष मूल्य की 11.56 एम यू ऊर्जा का लाभ अनुमानित था। कम्पनी ने नवम्बर 2002 से जनवरी 2004 के दौरान 5,657 खम्भों के संस्थापन हेतु अनुबन्ध निष्पादित किये। कम्पनी फरवरी 2004 के अन्त तक मात्र 967 खम्भों का संस्थापन व पुनर्गठन कर सकी। विलम्ब के कारण, लो टेन्शन वाले आपूर्ति खम्भों का चिन्हांकन, ठेकेदारों को खम्भों की आपूर्ति तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य की स्वीकृति न होना था।

कैपेसिटर बैंकों के संस्थापन में कमी

2.4.27 भार बिन्दुओं पर कैपेसिटर बैंकों का संस्थापन, पावर फैक्टर को उच्चीकृत कर लाइन हानियों को कम करता है, यंत्र की भार वाहक क्षमता और प्रणाली के वोल्टेज प्रोफाइल को सुधारता है। इस निमित्त, विश्व बैंक ऋण द्वारा वित्त पोषित 6.05 करोड़ रुपये की लागत से 93 नए 11 केवी कैपेसिटर बैंक 2.4 एम वी ए आर प्रति क्षमता (223.2 एमवीएआर) के संस्थापित किये जाने थे। कैपेसिटर बैंकों के संस्थापन से प्रणाली उच्चीकरण द्वारा 1.58 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष मूल्य की 15. 81 एमयू ऊर्जा की बचत होनी थी। विभिन्न चरणों में यह कार्य नवम्बर 2002 से जनवरी 2004 तक पूर्ण होना था। फरवरी 2004 तक कम्पनी 0.50 लाख रुपये की लागत के मात्र 2 नग कैपेसिटर बैंक (4.8 एमवीएआर) संस्थापित कर सकी थी। विलम्ब का कारण निर्माण कार्यो का अपूर्ण रह जाना, क्षेत्रों का चिन्हांकन न किया जाना, कण्ट्रोल स्विच आदि की ठेकेदार को आपूर्ति न किया जाना तथा कुछ मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य का अनुमोदन न किया जाना था।

33 केवी लाइनों के निर्माण में कमी

2.4.28 लाइन हानियों को कम करने, लाइनों व उप-संस्थानों को अतिभारिता से बचाने तथा वोल्टेज प्रोफाइल को नियमित करने के लिये, 7.43 करोड़ रुपये की योजना में 186 किमी 33 केवी लाइनों (6.07 करोड़ रुपये) व 22, 33 केवी बे (1.36 करोड़ रुपये) का निर्माण निहित था। इससे 5.93 करोड़ रुपये मूल्य की

24.72 एमयू ऊर्जा की बचत प्रतिवर्ष होनी थी। यह निर्माण नवम्बर 2002 से जनवरी 2004 के मध्य पूरा किया जाना था। तथापि, फरवरी 2004 के अन्त तक 4.01 करोड़ रुपये की लागत से (संस्थापन व्यय) मात्र 66.38 किमी 33 केवी लाइनों (36 प्रतिशत) को पूर्ण किया जा सका। विलम्ब का कारण ठेकेदारों को सामग्री की आपूर्ति न किया जाना, क्षेत्रों को चिन्हांकित न किया जाना, गोरखपुर परिक्षेत्र में ठेकेदारों को 10 किमी लम्बे क्षेत्र का कब्जा न दिया जाना और रेलवे लाइनों को पार कराने हेतु रेलवे से अनुमति न प्राप्त किया जाना था।

लो-टेन्शन और 11 केवी लाइनों के निर्माण में कमी

प्रणाली उच्चीकरण के कार्य, लक्ष्यों की प्राप्ति में चूक से बाधित हुए जिनसे 7.10 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.4.29 11 केवी पोषकों की अतिभारिता विभाजित करने के लिये वितरण प्रणाली उच्चीकृत करने की एक योजना में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 63.10 करोड़ रुपये की लागत से 1,704.65 किमी लाइनों (11 केवी लाइनें : 1,306.15 कि मी तथा लो-टेन्शन लाइनें : 398.5 कि मी) का निर्माण समाहित था। लाइन हानियों को कम करने से 20.28 करोड़ रुपये (90 प्रतिशत से ऊपर) मूल्य की 84.52 एमयू ऊर्जा की बचत का लाभ प्रतिवर्ष अनुमानित था। 1,694.15 किमी लाइनों के निर्माण का अनुबन्ध नवम्बर 2002 से जनवरी 2004 के मध्य पूर्ण हो जाना था। विलम्ब का कारण क्षेत्र का परिवर्तन/चिन्हांकित न किया जाना, कार्य का अनुमोदन न किया जाना (झाँसी परिक्षेत्र), ठेकेदारों को सामग्री आपूर्ति न किया जाना तथा ठेकेदारों का उपलब्ध न होना (कानपुर परिक्षेत्र) थे।

खम्भों के संस्थापन, कैपेसिटर बैंकों के संस्थापन और 33 केवी एवं लो टेन्शन/ 11 केवी लाइनों के निर्माण में विभिन्न अवधियों के विलम्ब हुए थे जिसके कारण (फरवरी 2004 तक) 7.10 करोड़ रुपये के लाभ का अर्जन नहीं किया जा सका जो कि कम्पनी को यूनिटों की बिक्री से प्राप्त होता यदि इन कार्यों का निष्पादन योजनानुसार हुआ होता।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2004) कि प्रणाली सुधार कार्यों का निष्पादन दिसम्बर 2004 तक हो जाना था। यह भी कहा गया कि सघन आबादी वाले क्षेत्रों में पहुँच न होने तथा सड़कों की कटान व मार्गों की समस्या के कारण कुछ विलम्ब हुए थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि योजना में नवम्बर 2002 से जनवरी 2004 तक चरणबद्ध तरीके से कार्य निष्पादन विनिहित था। कार्यों के निष्पादन में विलम्ब के कारणों को, जैसे कि वे सम्बन्धित मामलों में इंगित किये गए, क्रियाकलापों के सावधानी पूर्वक अनुश्रवण से प्रबन्धित किये जा सकते थे।

विश्व बैंक योजनान्तर्गत क्रीत सामग्री का उपयोग न होना

विश्व बैंक योजनान्तर्गत क्रीत सामग्री उपयोग में न लेने के कारण कम्पनी ने वहन लागत के रूप में 3.15 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की हानि वहन की।

2.4.30 लखनऊ भण्डार मण्डल के तीन खण्डों (14 भण्डार खण्डों में से) के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि 23.33 करोड़ रुपये मूल्य की 24 सामग्री (केबिल, वितरण खम्भे, 11 केवी आरएमयू आदि) उपयोग में आये बिना ही जनवरी 2004 के अन्त तक लखनऊ, बरेली व फैजाबाद के भण्डारों में पड़े थे; इसमें से 7.15 करोड़ रुपये मूल्य की पाँच सामग्री की सम्पूर्ण मात्रा उपयोग में आये बिना ही विगत दो वर्षों से अधिक अवधि से पड़ी थी जिससे

मुख्यालय व निष्पादन इकाइयों के मध्य समन्वय का अभाव परिलक्षित हुआ। इन सामग्री पर रहतिया वहन लागत प्रतिवर्ष 3.15 करोड़ रुपये आगणित हुई।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2004) कि विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत क्रीत समस्त सामग्री दिसम्बर 2004 के अन्त तक उपयोजित हो जायेगी।

विश्व बैंक परियोजना हेतु क्रीत सामग्री का अपवर्तन

विश्व बैंक ऋण अनुबन्ध के उल्लंघन में 2.33 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री को अन्य कार्यों पर अपवर्तित कर दिया गया।

2.4.31 23.33 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री उपयोग में लाये बिना पड़ी होने, जैसा कि विगत प्रस्तर में वर्णित है, के अतिरिक्त, 3.25 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री का विविध अन्य कार्यों (जिनमें डिपाजिट कार्य सम्मिलित हैं जिनकी लागत उपभोक्ताओं से वसूल की गई थी) हेतु अपवर्तन विद्युत भण्डार खण्ड, लखनऊ द्वारा सितम्बर 2002 से जनवरी 2004 के दौरान कर लिया गया था। यह अपवर्तन मई 2000 से विश्व बैंक ऋण अनुबन्ध की धारा 3.01(क) का उल्लंघन था जिसमें उन कार्यों, जो परियोजना के निष्पादन को बाधित करते हों, को रोका जाना प्रावधानित था।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2004) कि कतिपय स्टील ट्यूबलर पोलों एवं प्रवर्तकों का उपयोग प्रणाली सुधार कार्यों तथा डिपाजिट कार्यों में किया गया था किन्तु इनकी भरपाई अग्रगामी क्रय से कर ली जायेगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी भी आधार पर किसी सामग्री का अन्य कार्यों में अपवर्तन नहीं किया जाना था। अपवर्तित की गई सामग्री में विभिन्न आकार के केबिल, कण्डक्टर, ज्वाइंटिंग किट्स सहित स्टील ट्यूबलर पोल व प्रवर्तक भी थे जिनका मूल्य 92.81 लाख रुपये था। इस प्रकार 2.33 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री अपवर्तित एवं भरपाई हुए बिना रह गई।

ऊर्जा प्रणाली सुधारों का प्रभाव

पारेषण व वितरण हानियाँ

2.4.32 ऊर्जा प्रणाली सुधार प्रक्रिया में उच्च टी एण्ड डी हानियों को कम करके वाणिज्यिक सार्थकता को सुधारना समाहित था। इसे प्राप्त करने के लिए यूपीईआरसी ने प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये थे। टी एण्ड डी हानियों का लक्ष्य वर्ष 2000-01 के लिए 36.5 प्रतिशत, 2001-02 के लिए 32.5 प्रतिशत, 2002-03 के लिए 29.5 प्रतिशत व 2003-04 के लिए 26 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। तथापि, यूपीपीसीएल इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी और 2002-03 तक के तीन वर्षों के दौरान वास्तविक उपलब्धियाँ 32 से 38 प्रतिशत तक परिसीमित रहीं। वर्ष 2003-04 की वास्तविक टी एण्ड डी हानियाँ लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गई। इसके अतिरिक्त 28.84 प्रतिशत पोषकों (7,059 पोषकों में) पर हानियाँ दिसम्बर 2003 के अन्त तक 30 प्रतिशत से अधिक व 78 प्रतिशत तक थीं (पूर्वगामी प्रस्तर 2.4.15)। इससे परिलक्षित होता है कि सुधार प्रक्रिया से वाँछित परिणाम नहीं प्राप्त हुए थे। कम्पनी की स्वीकारोक्ति (पूर्वगामी प्रस्तर 2.4.16) के अनुसार 48 प्रतिशत उपभोक्ताओं पर मीटरीकरण में विफलता के चलते, वितरण पोषकों पर इतनी अधिक हानियों के बावजूद कोई

कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई। लक्ष्यों की प्राप्ति न हो सकने के कारण मार्च 2003 के अन्त तक राजस्व हानि 840.22 करोड़ रुपये आगणित की गई।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि यांत्रिक मीटरों को इलेक्ट्रानिक मीटरों से बदलने, नंगे तारों को इन्सुलेटेड तारों से बदलने और वितरण प्रवर्तकों को मीटरीकृत करने जैसे उपायों के अतिरिक्त, उच्च हानियों वाले खण्डों पर दायित्व निर्धारण किया जा रहा है।

उपभोक्ता संतुष्टिकरण

2.4.33 वर्ष 2001-02 के सापेक्ष वर्ष 2002-03 में सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर विद्युत आपूर्ति के औसत घण्टों में गिरावट आई थी सिवाय ग्रामीण व औद्योगिक उपभोक्ताओं को छोड़कर, जहाँ विद्युत आपूर्ति में मामूली सुधार हुआ था। इस प्रकार, उपभोक्ता सेवा में वाँछित सीमा तक सुधार नहीं हुआ।

ऊर्जा उपभोग का तिर्यक अनुदान

2.4.34 कतिपय श्रेणी के उपभोक्ताओं, मुख्यत: घरेलू व कृषि श्रेणी पर लागू दर सूची अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं (औद्योगिक व वाणिज्यिक) की तुलना में कम थी। फलत: एक श्रेणी के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत सस्ती दर पर अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं, जिनको उच्चतर दर पर विद्युत प्रदान की गई, की कीमत पर प्रदान की गयी; इस प्रकार विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को तिर्यक अनुदान मिला। सुधार प्रक्रिया में वितरण की वाणिज्यिक सार्थकता समाहित थी तथापि तिर्यक अनुदान अद्यतन (मार्च 2004) जारी रहा, जैसा कि अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है:

(प्रतिशत में)

विवरण	1999-2000		2000-01		2001-02		2002-03	
	आपूर्तित ऊर्जा	निर्धारित राजस्व	आपूर्तित ऊर्जा	निर्धारित राजस्व	आपूर्तित ऊर्जा	निर्धारित राजस्व	आपूर्तित ऊर्जा	निर्धारित राजस्व
घरेलू	34.1	23.0	33.3	22.3	36.58	22.99	34.40	22.10
वाणिज्यिक	8.3	12.8	7.6	12.1	7.7	11.53	10.65	16.06
औद्योगिक	24.4	43.0	19.5	35.8	18.0	31.67	18.02	32.76
सार्वजनिक प्रकाश	1.8	1.1	1.2	1.2	1.45	1.90	1.74	1.62
निजी नलकूप व सीवेज पम्पिंग	2.5	2.9	2.4	3.0	2.24	4.45	2.26	2.70
उपकर्षण	4.1	7.2	3.6	6.1	2.93	4.66	2.38	4.75
कृषि	22.4	8.4	19.7	9.6	19.83	9.97	20.81	9.71
थोक में आपूर्ति	1.7	0.1	2.3	0.1	0.26	0.14	9.06	9.68
विविध	0.7	1.5	10.4	9.8	11.01	12.69	0.68	0.62

प्रवृति विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि विविध श्रेणियों में विक्रीत ऊर्जा व निर्धारित ऊर्जा में अत्यधिक अन्तर है और यह तथ्य औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा कम उपभोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित था। विशेषज्ञ समूह की आख्या* में चरणबद्ध रूप से तिर्यक अनुदान को क्रमश: दूर किया जाना वाँछित था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि ऊर्जा प्रणाली में तिर्यक अनुदान की विधा तथ्यत: सम्पूर्ण देश में व्याप्त है जो कि अभी कुछ समय तक जारी रहेगी क्योंकि

* भारत की ऊर्जा क्षेत्र पर आख्या का पृष्ठ 304।

अल्प-आय समूह के उपभोक्तागण इस स्थिति में नहीं हैं कि वे आपूर्तित ऊर्जा का सम्पूर्ण मूल्य भुगतान कर सकें। उत्तर इस तथ्य को परिलक्षित करता है कि औद्योगिक विकास की गति जो कि ऊर्जा प्रणाली सुधार के उद्देश्यों में से एक है, तिर्यक अनुदान की भारिता से तब तक बाधित रहेगी जब तक अन्तर को न्यूनतम नहीं किया जायेगा।

संग्रहण क्षमता

यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित संग्रह लक्ष्यों की अ-प्राप्ति के फलस्वरूप 1,413.54 करोड़ रुपये की राजस्व संग्रह में कमी परिलक्षित हुई।

2.4.35 संग्रहण क्षमता, निर्धारित राजस्व व संग्रहित राजस्व के प्रतिशत को निरूपित करती है। यूपीईआरसी ने संग्रहण क्षमता के जो लक्ष्य निर्धारित किये, वे 2000-01 में 86.23 प्रतिशत, 2001-02 में 85 प्रतिशत तथा 2002-03 में 88 प्रतिशत थे। यूपीपीसीएल इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। लक्ष्यों की वास्तविक उपलब्धियाँ 2000-01 एवं 2001-02 में 78 प्रतिशत, तथा 2002-03 में 76 प्रतिशत थीं। 2003-04 के लक्ष्य व उपलब्धियाँ प्रस्तुत नहीं किये गये। इन वर्षो में लक्ष्यों को प्राप्त न करने के फलस्वरूप 1,413.54 करोड़ रुपये की राजस्व हानि आगणित की गई।

लेखा परीक्षा में राजस्व संग्रहण सम्बन्धित अधोलिखित प्रेक्षण किये गये:

अपर्याप्त वसूली कार्यवाही के कारण बकाया वृद्धि

2.4.36 नवम्बर 2003 के अन्त तक 1,04,566 उपभोक्ताओं के मामले में समेकित बकाया राशि 391.56 करोड़ रुपये थी। 33 खण्डों के अभिलेखों के अग्रतर विश्लेषण से परिलक्षित हुआ कि 598 उपभोक्ताओं से 5.86 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूल नहीं की जा सकी क्योंकि पते गलत थे (2.21 करोड़ रुपये), उपभोक्ताओं के पास सम्पत्ति नहीं थी (0.98 करोड़ रुपये), उपभोक्ता लापता थे (2.07 करोड़ रुपये) तथा अन्य कारण (0.60 करोड़ रुपये)।

बकाये में वृद्धि के कारण थे: (i) दोषियों का पता लगाने तथा विच्छेदन की तत्काल कार्यवाही व वसूली प्रमाण पत्र निर्गमन में विफलता, (ii) बकाये को प्रतिभूति जमा धनराशि तक परिसीमित करने में विफलता, (iii) बकाया वृद्धि पर कार्यवाही सुनिश्चित करने वाले उप-खण्डीय स्तर के प्रमुख कार्मिकों की दायित्व निर्धारण में विफलता (iv) परामर्शदाताओं की सेवाओं का लाभ उठाने में विफलता, बावजूद इसके, कि राजस्व संग्रहण हेतु नीति निर्धारण तत्वों का गठन उनकी दायित्व सीमा के अन्दर आता था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2004) कि उपभोक्ताओं के डाटाबेस में आमूलचूल परिवर्तन अपेक्षित था तथा अभिलेखों से अ-विद्यमान उपभोक्ताओं को हटाना था। हस्तधारित यंत्रों द्वारा बीजकीकरण तथा निजी एजेन्सियों द्वारा दोषियों के विच्छेदन की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की जा चुकी थी। कम्पनी के अभिलेख 20-25 वर्षो की अवधि के हैं और उपभोक्ताओं के अभिलेखों को ठीक करने के बाद ही वसूली लागू करना सम्भव हो सकेगा। उत्तर, सुधार प्रक्रिया प्रारम्भ होने के चार से अधिक वर्षो बाद भी उपभोक्ताओं के अभिलेखों को ठीक करने की प्रक्रिया में विफलता को परिलक्षित करता है।

प्रकरण शासन को जून 2004 में प्रतिवेदित था; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2004)।

निष्कर्ष

यूपीएसईबी और विद्यमान ताप एवं जल विद्युत उत्पादन कम्पनियों का विघटन, निगमन व पुनर्गठन तथा मीटरीकरण/प्रणाली सुधार के क्षेत्र में प्रस्तावित विविध योजनायें, इनके वित्तीय तथा संचालन क्रियाकलापों में कोई सकारात्मक परिवर्तन न कर सकीं। यूपीपीसीएल की शुद्ध मूल्य नकारात्मक हो गई। पारेषण व वितरण हानियाँ अधिक ही बनी रहीं, संग्रहण क्षमता में सुधार नहीं हुआ और अधिकांश उपभोक्ता समूहों में ऊर्जा की उपलब्धता कम होती गई।

सुधार की विविध योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब, कुप्रबन्धन व समन्वय का अभाव, बीजकीकरण और वसूली सम्बन्धित अपर्याप्त/अनपेक्षित कार्यवाही के फलस्वरूप उन लाभों की प्राप्ति नहीं हुई जो कि सुधार कार्यक्रम में समाहित थे।

ऊर्जा प्रणाली की कार्य पद्धति में सुधार के लिये, कम्पनी को निष्ठापूर्वक तथा पूर्णतया समयबद्ध रूप से सुधार कार्यक्रम निष्पादित करने होंगे।

अध्याय-3

3. व्यवहारिक लेखा परीक्षा प्रेक्षण

इस अध्याय में सरकारी कम्पनियों एवं निगमों के द्वारा किये गये व्यवहारों के नमूना जाँच के दौरान पायी गई महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित है।

सरकारी कम्पनियाँ

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

3.1 अवधि ऋण योजना का दोषपूर्ण कार्यान्वयन

कम्पनी, योजना के दोषपूर्ण कार्यान्वयन परिपालन एवं लाभार्थियों से ऋण की अल्प वसूली के कारण, एनएमडीएफसी को समय से ऋण की अदायगी न कर सकी, जिसके कारण 55.16 लाख रुपये की छूट जब्त हो गई एवं 1.13 करोड़ की निर्धारित क्षतिपूर्ति एवं 3.03 करोड़ रुपये के दाण्डिक ब्याज की देनदार बनी।

कम्पनी वित्तीय संस्थानों से प्राप्त कोष/निधि से प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को वित्तीय सहायता देने के कार्य में लगी थी। सदस्यों को ऋण व्यवहार्य आर्थिक परियोजनाओं को लगाने के लिये दिये जाते थे जिससे उनका सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से उत्थान हो सके। कम्पनी ने 1995-96 से 2002-03 के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्तीय निगम (एनएमडीएफसी) से 97.41 करोड़ रुपये का ऋण अल्पसंख्यकों के लिये अवधि ऋण योजना के कार्यान्वयन हेतु लिया। मार्च 1995 में निष्पादित ऋण अनुबंध की शर्तो में अन्य शर्तो के साथ-साथ प्रावधान था कि ऋण कम से कम 4.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष का ब्याज दर पर होगा एवं समय से भुगतान करने के लिये 0.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

कम्पनी ने अप्रैल 1995 से मार्च 2003 तक 26,292 लाभार्थियों को 102.05 करोड़ रुपये के अवधि ऋण (स्वयं के स्रोतों से 4.64 करोड रूपये को सम्मिलित करते हुए) वितरित किये। कम्पनी, एनएमडीएफसी को ऋण धनराशि समय से नहीं चुका सकी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी 1.13 करोड़ रुपये की निर्धारित क्षतिपूर्ति एवं 3.03 करोड़ रुपये के दाण्डिक ब्याज को देने के लिये उत्तरदायी हो गयी।

लेखा परीक्षा में छः जिलों (बाराबंकी, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, मेरठ, वाराणसी) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। इन जिलों में कम्पनी ने 2,931 लाभार्थियों को 11.23 करोड़ रुपयों के अवधि ऋण, मार्च 2003 तक वितरित किये और 10 करोड़ रुपये की वसूली योग्य धनराशि में से केवल 3.24 करोड़ रुपये ही वसूल कर पाई। योजना का दोषपूर्ण कार्यान्वयन खराब वसूली का कारण था।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि योजना के दोषपूर्ण कार्यान्वयन के निम्न कारण थे:

- ऋण धनराशि 5.13 करोड़ रुपये आहरित करने वाले 1,384 ऋणियों के परिसर, सात वर्षों की समाप्ति पर भी न तो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (डीएमडब्ल्यूओ) और न ही कम्पनी के किसी अधिकारी द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किये गये।

- 1,547 मामलों में भौतिक सत्यापन वाँछित 45 दिन के अन्तर्गत करने के विपरीत एक से सात वर्षों की देरी से किया गया।

- योजना की वाँछनीयता के विपरीत किसी भी ऋणी ने वितरित ऋण धनराशि से बनाई गई अस्तियों पर बीमा सुरक्षा नहीं ली।

- 1.28 करोड़ रुपये के ऋण से संबंधित 319 ऋणियों ने परियोजनायें स्थापित ही नहीं कीं वरन् ऋण धनराशि का प्रयोग निजी कार्यों के लिये किया।

- 65.90 लाख रुपये, जो 147 ऋणी के सम्बन्ध में थे, वह स्वीकृत के अन्यथा दूसरी परियोजनाओं में प्रयोग किये गये।

- कम्पनी को 58 ऋणियों, जिनको 21.70 लाख रुपये ऋण दिये गये थे, का पता ठिकाना ज्ञात नहीं था।

- योजना के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में तीन ऋणियों को 1.21 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। यद्यपि वे सरकारी नौकरी में थे।

- कम्पनी के नियमों के अनुसार प्रयुक्त/अप्रयुक्त प्राप्ति पंजिका को मुख्यालय को लौटाना होता था। कम्पनी के मुख्यालय ने 1991 से 2002 के दौरान 1,136 प्राप्ति पंजिकायें (प्रत्येक 50 पन्नों वाली) को बाह्य तैनात कर्मचारियों को जारी की जिसे की वे लाभार्थियों को ऋण की वसूली की रसीद देने में प्रयोग कर सकें। लेखा परीक्षा में पाया गया कि 1,136 प्राप्ति पुस्तकों के 51,246 अप्रयुक्त पन्ने (58,419 पन्नों में से) बाह्य तैनात कर्मचारियों द्वारा मुख्यालय को नहीं लौटाये गये थे। प्रबन्धन ने इस गंभीर चूक की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया जो कि बाह्य तैनात कर्मचारियों द्वारा धन के गबन का कारण बन सकता था।

- कम्पनी ने 10 बाह्य अधिकारियों (दो नियत वेतन पर) की नियुक्ति ऋण की संस्तुति एवं वसूली के लिये की (जिनमें से छः मुख्यालय पर अन्य कार्यों के लिये तैनात कर दिये गये)। आठ नियत वेतन कर्मचारियों (एक क्षेत्रीय अधिकारी एवं अन्य सहायक संवर्ग में) की नियुक्ति भी, जिले में मण्डल प्रभारी के पद पर ऋण स्वीकृति हेतु बनी कमेटी में कम्पनी के प्रतिनिधियों के रूप में की गयी थी। यद्यपि क्षेत्रीय अधिकारियों की नियुक्ति विशेष रूप से ऋण की वसूली के अनुश्रवण के लिये की गई

थी, तथापि प्रबंधन ने उनके कर्तव्यों में लापरवाही के सुस्पष्ट सबूतों के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की।

इस प्रकार प्रबंध की स्वीकृतिपूर्व समुचित सर्वेक्षण सुनिश्चित करने, लाभार्थियों के चुनाव में निर्धारित जाँचों को ध्यान में रखने, उनकी परिसम्पत्तियों की जाँच करने, उचित अनुवर्तन एवं समय से ऋण की वसूली करने में निष्क्रियता के कारण, कम्पनी को 4.71 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय, छूट की हानि, निर्धारित क्षतिपूर्ति की देनदारी एवं दाण्डिक ब्याज के रूप में करना पड़ा। अवधि ऋण योजना के दोषपूर्ण कार्यान्वयन के कारण कम्पनी लाभार्थियों के विस्तार को उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उठान हेतु बढ़ा नहीं पाई।

प्रकरण प्रबन्धन एंव शासन को सूचित किया गया (मई 2004); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2004)।

द प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड

3.2 अविवेकी कोष प्रबंधन से हानि

वित्तीय संस्थानों से आवश्यकता से पहले और अधिक ऋण लेने के कारण कम्पनी ने ब्याज के रूप में 83.37 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया गया।

कम्पनी वित्तीय संस्थानों (आईआईबीआई, सिडबी, आईडीबीआई आदि) से उधार लेकर मध्यम एवं बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कम्पनी जिसकी अर्थोपाय स्थिति प्रतिकूल थी, को उधार की लागत निम्नतम स्तर पर रखने के उद्देश्य से आवश्यकतानुरूप ही धन उधार लेना चाहिये था।

बन्ध-पत्रों के भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए कम्पनी ने 1999-2000 और 2000-01 में 10.23 प्रतिशत से 11.25 प्रतिशत तक की परिवर्तित ब्याज दर वाले दीर्घ अवधि स्थायी और आवर्ति जमा (एफडीआर्स/आरडी) में 43 करोड़ रुपये विनियोजित किये। लेखा परीक्षा ने देखा (जुलाई 2003) कि इसी अवधि में कम्पनी पर वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण (अंशों के रेहन पर) का 15 करोड़ रुपये से 52 करोड़ रुपये के बीच का अदत्त शेष था और भारतीय औद्योगिक विनियोजन बैंक लिमिटेड (आईआईबीआई) से भी कम्पनी ने दिसम्बर 2000 में 9 करोड़ रुपये की 13 प्रतिशत ब्याज दर वाली नई ऋण ली। इस प्रकार ऋण लिये गये धन को ऊँची ब्याज दर वाली ऋण का बकाया होते हुए भी कम ब्याज दर वाले सावधि, आवर्ती जमा योजनाओं में विनियोजित करना युक्तिपूर्ण नहीं था। यह स्थिति वित्तीय संस्थानों से समय से पूर्व एवं आवश्यकता से अधिक धन ऋण लेने के कारण बनी थी। इससे, ऋण पर दिये गये ब्याज एवं निम्नवत विवरणानुसार सावधि/आवर्ती जमा पर मिले ब्याज में अंतर के कारण 83.37 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ:

संस्था का नाम	मासिक निवेश	निवेश की तिथि	परिपक्वता तिथि	प्राप्त ब्याज (लाख रुपये में)	दर (प्रतिशत)	दिया गया ब्याज (लाख रुपये में)	दर (प्रतिशत)	हानि (लाख रुपये में)
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	एक करोड़ रूपये प्रति माह, 21 महीनों के लिये (आवर्ती जमा)	26.4.2001	26.1.2003	197.46	10.23	250.25	13	52.79
देना बैंक	एक करोड़ रूपये प्रति माह, 16 महीनों के लिये (आवर्ती जमा)	14.2.2000	14.6.2001	129.33	11.00	147.33	13	18.00
विजया बैंक	छः करोड़ रूपये 13 महीनों के लिये (सावधि जमा)	9.1.2001	9.2.2002	76.69	11.25	89.27	13	12.58
								83.37

उत्तर में प्रबंधन ने अन्य बातों के साथ कहा (जुलाई 2004) कि (i) बन्ध-पत्रों के निष्पादन दायित्व को पूरा करने और कोष की तरलता को बनाये रखने के लिये निदेशक मण्डल ने प्रत्येक महीने निश्चित कोष राशि को पृथक करना निर्देशित किया था; (ii) चालू खाते में न्यूनतम शेष रखना ही बैंकों में सावधि/आवर्ती जमा रखने का आधार एवं सर्वप्रथम कारण था। (iii) देय तिथि पर बन्ध-पत्रों के निष्पादन और बन्ध-पत्रधारकों को ब्याज के भुगतान हेतु तरलता बनाये रखने के लिये ओवरड्राफ्ट सुविधा ली जाती थी एवं (iv) निगम ने 3.01 करोड़ रुपये (शुद्ध) का ब्याज अर्जित किया जो कि कोषों के उचित एवं निकट देखभाल के कारण ही संभव हो सका। प्रबंध का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बन्ध-पत्रों के निष्पादन दायित्व को जब पूरा किया जाना था उस अवधि का कम्पनी को पता था और उस निष्पादन दायित्व को पूरा करने के लिए समय-समय पर भुगतान अनुरूप कोषों को सावधि/आवर्ती जमा में रखना चाहिये था। विशाल धनराशि को दीर्घावधि सावधि/आवर्ती जमा योजनाओं में रखना कम्पनी के वित्तीय हित के विपरीत था क्योंकि दीर्घावधि सावधि एवं आवर्ती जमा योजनाओं में निवेशित कोष उधार लिये गये कोष थे। जहाँ तक शुद्ध ब्याज की आमदनी का प्रश्न है, सावधि/आवर्ती जमाओं पर प्राप्त ब्याज, ओवरड्राफ्ट पर दिये गये ब्याज से सम्बन्धित नहीं है क्योंकि ओवरड्राफ्ट का प्रयोग बीच-बीच में तभी किया गया था जब वित्तीय समस्या थी।

उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड

3.3 श्रम पर अतिरिक्त व्यय

कम्पनी ने डीआरडीए के कार्य निष्पादन में श्रम लागत पर 58.39 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

कम्पनी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के कार्य करती थी, जैसे कि खडंजा/कच्चा पहुँच मार्ग, पुलिया, प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण, हाथ वाले नल को लगाना आदि, जिसके लिये धन डीआरडीए से सीधे इस शर्त पर आवंटित होता था कि कम्पनी कार्यों को खुद करेगी और बाहर के ठेकेदारों को नहीं लगायेगी। डीआरडीए, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की दर सूची (एसओआर)

पर आधारित कार्य के अनुमानित लागत, जिसमें लागत का 10 प्रतिशत ठेकेदार का लाभ समाहित होता है (कुल लागत में श्रम लागत, सामग्री लागत और लागत के प्रत्येक अवयव यथा, श्रम लागत और सामग्री लागत पर 10 प्रतिशत का लाभ, शामिल है) की संस्वीकृति प्रदान करती है तथा दो किश्तों में अग्रिम देती है। भुगतान, किये गये कार्य की मात्रा में दर सूची (एसओआर) के गुणा करने पर प्राप्त धनराशि पर निर्भर करता है। इस प्रकार कम्पनी, जो कि डीआरडीए के कार्यों में स्वयं एक ठेकेदार थी, ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ को रखने की आवश्यकता थी जिससे वह श्रमिकों को कार्य पर लगाने व उनको भुगतान करते समय अपनी अप्रत्यक्ष लागत एवं व्यापार कर का भुगतान कर सके।

लेखा परीक्षा में (जो कि श्रम पक्ष की जाँच एवं वर्तमान विचार-विमर्श तक ही सीमित हैं) यह देखा गया कि चार इकाइयों (आगरा, कानपुर, बस्ती एवं इटावा), में कम्पनी ने 2001-02 से 2002-03 के दौरान 1,253 कार्य जिनकी लागत 35.88 करोड़ थी, बाजार से श्रमिकों को लेकर पूरे किये। इन चार इकाइयों की कुल लागत 35.88 करोड़ में 8.31 करोड़ श्रम लागत एवं 27.57 करोड़ की सामग्री लागत थी। श्रम लागत पर ठेकेदार का 10 प्रतिशत लाभ (सामग्री लागत पर ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ को छोड़ते हुये) 75.56 लाख रुपये था। कुल 8.31 करोड़ रूपये के श्रम लागत में ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ को घटाने पर श्रम लागत 7.56 करोड़ रुपये था। कम्पनी ने श्रमिकों को 7.56 करोड़ रूपये के श्रम लागत के विपरीत 8.14 करोड़ रुपये का भुगतान किया, परिणामत: 58.39 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ, जो कि या तो अधिक श्रमिकों को लगाने या उनको अधिक दर से भुगतान करने के कारण हुआ।

उत्तर में प्रबंध ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा (जुलाई 2004) कि कानपुर, बस्ती एवं इटावा इकाइयों के लिये एसओआर मूल्यों में ठेकेदार का लाभ प्रतिशत शामिल नहीं थी और श्रमिकों को किये गये भुगतान में ठेकेदार का लाभ शामिल नहीं था। आगरा इकाई के संदर्भ में श्रमिकों को किया गया भुगतान एसओआर दर के समान था जिसमें ठेकेदार का लाभ शामिल नहीं था। प्रबंध का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एसओआर मूल्य जिस पर कम्पनी ने कार्य किये थे, में ठेकेदार का लाभ शामिल था।

3.4 गलत विकल्प के चुनाव के कारण व्यापार कर का अतिरिक्त भुगतान

कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 3एफ के अन्तर्गत उपलब्ध सस्ते विकल्प के स्थान पर व्यापार कर की मिश्रित योजना चुनने के कारण 56.30 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया।

कम्पनी सामान्यतया डीआरडीए का कार्य बिना किसी सेन्टेज (लाभ) को प्रभारित किये करती है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (अधिनियम) में कार्य संविदाओं पर व्यापार कर निर्धारण के लिये दो विकल्प हैं। अधिनियम की धारा 3एफ, ठेकेदारों द्वारा अर्जित लाभ की राशि, जो श्रम एवं सेवाओं से सम्बन्धित है, को घटाने के बाद आये कार्य के मूल्य का पाँच प्रतिशत व्यापार कर के भुगतान

को प्राविधानित करता है। दूसरे विकल्प के रूप में, धारा 7डी में किये गये कार्य के मूल्य पर एक प्रतिशत की मिश्रित दर से कर के लिये प्राविधानित करता है, पर यह ग्राहक से वसूली योग्य नहीं था।

चूँकि डीआरडीए के कार्यों में सेन्टेज नहीं होता है, कुल कार्य की लागत, कर भुगतान किये गये सामग्री की लागत, श्रम लागत एवं मशीनरी के मरम्मत व रखरखाव के कुल खर्च को प्रदर्शित करता है। अधिनियम की धारा 3एफ के अंतर्गत व्यापार कर के निर्धारण में ये सभी लागतें, किये गये कार्य के मूल्य में से पूरी तरह घटायी जा सकतीं थीं। इस तरह अधिनियम की धारा 7डी की तुलना में धारा 3एफ के अंतर्गत व्यापार कर का निर्धारण कम्पनी के लिये लाभकारी था।

लेखा परीक्षा मे देखा गया (अगस्त 2003) कि कम्पनी की तीन इकाइयों (लखनऊ, मेरठ तथा बस्ती) ने डीआरडीए के कार्य किये (1999-03) एवं 78.91 करोड़ रुपये मूल्य के कार्य पर, व्यापार कर निर्धारण के लिये मिश्रित योजना को चुना। कम्पनी ने अधिनियम की धारा 7डी के अंतर्गत व्यापार कर निर्धारण के लिये मामले प्रस्तुत किये एवं उसी के अनुरूप कर का भुगतान किया। इससे 56.30 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यापार कर का भुगतान हुआ (धारा 7डी के अंतर्गत 78.91 लाख रुपये के विरूद्ध धारा 3एफ में 22.61 लाख रुपये)।

उत्तर में प्रबंधन ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा (जुलाई 2004) कि धारा 3एफ के अंतर्गत कर का निर्धारण इसलिये नहीं किया जा सका क्योंकि डीआरडीए के कार्य मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में होते थे जिनमें अनिबंधित विक्रेताओं से खरीद की जाती थी और धारा 3एफ के अंतर्गत कर का निर्धारण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न अभिलेखों का रखरखाव करना पड़ता है। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कम्पनी की नियमावली की प्रस्तर संख्या 179, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर और उसमे भी अनिबंधित विक्रेताओं से इस आशय का प्रमाण-पत्र लेने के बाद कि वे कर का भुगतान करेंगे या उन्हें कर का भुगतान करने से छूट है, अनुबन्धित विक्रेताओं से खरीद को निषेध करती है। इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा द्वारा संज्ञान में लाये जाने पर निदेशेक मण्डल में 2004-05 से धारा 3एफ के अंतर्गत कर का निर्धारण करने का निर्णय ले लिया है।

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम लिमिटेड

3.5 कार्य न करने के कारण हानि

ग्राहक द्वारा कम्पनी का 59.78 लाख रुपये का दावा, खराब गुणवत्ता एवं कार्य पूरा करने की धीमी दर के कारण रोक लिया गया।

वाण सागर नहर निर्माण मण्डल-I, मिर्जापुर, सिंचाई विभाग (ग्राहक) के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा वाण सागर नहर के सिरसी भरौंदा फीडर के 5.50 किमी से 9.30 किमी के बीच में कंक्रीट अस्तर लगाने का कार्य कम्पनी को 2.23 करोड़ रुपये

के संविदा मूल्य पर दिया गया (मई 2001)। संविदा के अनुसार कार्य किसी उप-ठेकेदार को नहीं दिया जाना था। कार्य 8 मई 2001 से प्रारम्भ करके 25 जून 2002 तक पूरा करना था जिसमे असफल रहने पर संविदा मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से दण्ड कम्पनी से वसूल किया जाना था।

कम्पनी ने, संविदा की शर्तो के विरूद्ध एवं ग्राहक से पूर्व अनुमति लिये बिना कार्य को एस के ट्रेडर्स, लखनऊ को 1.98 करोड़ रुपये दे दिया। उप-ठेकेदार के साथ किये गये अनुबन्ध (सितम्बर 2001) के अनुसार ग्राहक द्वारा की गई कोई भी कटौती (आयकर को छोड़कर), उप-ठेकेदार को देय रकम में से काटी जा सकती थी।

लेखा परीक्षा में देखा गया (नवम्बर 2003) कि ग्राहक ने कम्पनी को खराब गुणवत्ता एवं कार्य करने की धीमी दर के कारण, नोटिस निर्गत किया। कम्पनी ने खराब कार्य के लिये उप-ठेकेदार को कोई नोटिस नहीं दिया और उससे कार्य छोड़ देने के लिये कहा। कम्पनी ने कार्य विभाग स्तर पर शुरू किया (अप्रैल 2002) और जून 2003 तक 68.97 लाख रुपये मूल्य का 23 प्रतिशत कार्य पूरा किया। ग्राहक ने केवल 9.19 लाख रुपये दिये। इस प्रकार, 59.78 लाख रुपये ग्राहक पर बकाया रहे। चूँकि किया गया कार्य केवल 23 प्रतिशत था, ग्राहक ने संविदा को रद्द कर दिया (अगस्त 2003) और निर्धारित समय में शेष कार्य पूरा न करने के कारण 22.25 लाख रुपये का दण्ड आरोपित किया (कुल कार्य की लागत का 10 प्रतिशत)। इस प्रकार ग्राहक ने 59.78 लाख रुपये की देय धनराशि का भुगतान नहीं किया और इसे दण्ड व खराब कार्य के एवज में रख लिया।

प्रबंधन ने लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण को स्वीकारते हुए कहा (अगस्त 2004) कि इकाई के अधिकारियों की दूरदर्शिता की कमी के कारण, हानि अवश्यभावी थी। साथ ही यह भी कहा कि ग्राहक ने सावधि जमा रसीद (प्रतिभूति के रूप में रखी गई) को दण्ड के विरूद्ध जब्त नहीं किया है। प्रबन्ध का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ग्राहक ने 68.97 लाख रुपये के विपत्रों में से 59.78 लाख रुपये के विपत्र रोक रोक लिये हैं।

3.6 कोष का अनियमित निवेश

सरकार के आदेश का उललंघन करते हुए सिटी कोआपरेटिव बैंक के सावधि जमा में कोष के निवेश के कारण कम्पनी को 25 लाख रुपये की हानि हुई।

राज्य सरकार द्वारा मई 2000 दिये गये निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्देशित किया गया कि आधिक्य कोष को उन अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा में रखा किया जाये जो (अ) 100 करोड़ रुपये शुद्ध मूल्य रखते हो (ब) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित पूंजी तरलता नियमों को पूरा करते हों और (स) किसी प्रतिष्ठित साख निर्धारण एजेन्सी द्वारा साख निर्धारित हो।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया (सितम्बर 2003) कि कम्पनी ने बैंक की शुद्ध मूल्य को विनिश्चित किये बिना जिसका प्रावधान मई 2000 के सरकार के आदेश

में किया गया था, असूँचीकृत सिटी कोआपरेटिव बैंक (सीसीबी) की सावधि जमा में 25 लाख रुपये नवम्बर 2000 में 46 दिन के लिये निवेशित किये (परिपक्वता तिथि 6 जनवरी 2001), जिसे अगले 46 दिन के लिये फिर बढ़ा दिया गया (परिपक्वता तिथि 21 फरवरी 2001)। परिपक्वता तिथि पर कम्पनी द्वारा भुगतान की मांग करने पर, सीसीबी भुगतान नहीं कर सकी क्योंकि उसकी वित्तीय स्थिति खराब थी और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियामक अधिनियम, 1994 की धारा 35ए के अंतर्गत उस पर किसी भी देनदारी का भुगतान रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने सीसीबी में गम्भीर अनियमितताओं को देखते हुए उसके समापन के आदेश जारी कर दिये। परिणामस्वरूप, परिपक्वता तिथि के दो वर्ष छः महीने बाद भी, कम्पनी का 25 लाख रुपये का सावधि जमा का भुगतान नहीं हो सका। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने सीसीबी के समापन के आदेश दे दिये थे इसलिये इसके भुगतान की सम्भावना क्षीण थी।

इस प्रकार बैंक की शुद्ध मूल्य को ध्यान में रखे बिना, जिसका प्रावधान मई 2000 के सरकार के आदेश में था, बैंक में निवेश करने से ब्याज के अतिरिक्त 25 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रबंधन ने उत्तर में लेखा परीक्षा के प्रेक्षण को स्वीकारते हुए कहा (अप्रैल एवं अगस्त 2004) कि सरकार द्वारा जिला सहकारी बैंक या अन्य सहकारी बैंकों में निवेश करने पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बैंक में निवेश (नवम्बर 2000), सरकार के आदेश (मई 2000) के निर्गत होने के बाद किया गया जिसमें कम्पनी को अपने आधिक्य कोष को बैंक में जमा करने के पूर्व आदेश में निर्धारित शर्तों (शुद्ध मूल्य, पूंजी तरलता और साख निर्धारण) को पूरा करना था।

3.7 कार्य में देरी/पूरा न करने के कारण हानि

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना (यूपीएचएसडीपी) द्वारा दिये गये कार्य को करने में देरी/न करने के कारण कम्पनी को 10.22 लाख रुपये की हानि हुई, इसके अतिरिक्त उसे तीन वर्षों के लिये निविदा भेजने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया।

कम्पनी को उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना (ग्राहक), लखनऊ के मुख्य अभियन्ता द्वारा 51.09 लाख रुपये की लागत पर चन्दौली में संयुक्त अस्पताल का निर्माण, मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं विस्तार का कार्य सौंपा गया (अगस्त 2001)। ग्राहक के साथ किये गये अनुबंध (अक्टूबर 2001) की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त था कि कार्य 3 अक्टूबर 2001 को प्रारम्भ होगा और 2 जुलाई 2002 को समाप्त होगा। कम्पनी द्वारा निर्धारित समय में कार्य पूर्ण न करने की दशा में, संविदा मूल्य का 20 प्रतिशत (अधिकतम) क्षतिपूर्ति के रूप में आरोपित किया जा सकता था।

लेखा परीक्षा में देखा गया (अक्टूबर 2003) कि विलम्ब से काम पूरा करने पर कठोर दण्ड के प्रावधानों के बावजूद, कम्पनी ने कार्य पूरा करने के लिये ग्राहक से उचित रूप से समन्वयन नहीं किया, यूपीएचएसडीपी द्वारा माँगे गये बार ग्राफ (अप्रैल 2002 तक) को नहीं भेज सकी और विभागीय स्तर पर कार्य प्रारम्भ करने में देरी की। बाद में कम्पनी ने कार्य प्रारम्भ करने की निर्धारित तिथि अक्टूबर 2001 के विरूद्ध इस कार्य को एक उप ठेकेदार को सौंप दिया (अप्रैल 2002)। उप ठेकेदार ने फिर भी जून 2002 तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया। परिणामस्वरूप, ग्राहक ने संविदा को रद्द कर दिया (जून 2002) और 10.22 लाख रुपये का दण्ड (संविदा मूल्य का 20 प्रतिशत) आरोपित किया। ग्राहक ने 8.90 लाख रुपये की बैंक प्रतिभूति को भी भुना लिया जो कि कम्पनी द्वारा कार्यकुशलता और अतिरिक्त सुरक्षा के लिये जमा की गई थी और पूरे दण्ड की वसूली के लिये शेष 1.32 लाख रुपये की भी माँग की। इसके अतिरिक्त ग्राहक ने कम्पनी की खराब कार्यकुशलता के कारण यूपीएचएसडीपी की परियोजनाओं के लिये निविदा भरने से भी तीन वर्ष के लिये निषेधित कर दिया और मध्यस्थ को मामला भेजने की कम्पनी की माँग को इस आधार पर नकार दिया कि मामला समय बाधित हो गया था।

देर से/काम पूरा न होने के कारण कम्पनी तीन वर्षों के लिये निविदा भरने से बाधित हो गई जिससे कम्पनी की छवि खराब हुई, इसके अतिरिक्त उक्त कार्य निष्पादन में 10.22 लाख रुपये की हानि हुई (8.90 लाख रूपये ग्राहक द्वारा पहले ही वसूल किया जा चुका था और 1.32 लाख रूपये कम्पनी को भुगतान करना था)।

मामला प्रबंधन को और सरकार को जून 2004 में संदर्भित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित हैं (सितम्बर 2004)।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

3.8 व्यापार कर का परिहार्य व्यय

कम्पनी ने 86.48 लाख रुपये का व्यापार कर का परिहार्य भुगतान किया।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 में यह प्रावधानित करता है कि कोई भी खरीददार व्यापारी जिसके पास, अधिनियम की धारा 4बी की उपधारा (2) के अन्तर्गत वैध मान्यता प्रमाण-पत्र है, 1 दिसम्बर 1998* से ईधन की खरीद पर व्यापार कर की 2.5 प्रतिशत की रियायती दर का लाभ उठा सकता है बशर्ते ईधन का क्रय विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने हेतु किया गया हो। व्यापार कर के रियायती दर को लेने के लिये फार्म III-बी में एक उद्घोषणा विक्रेता व्यापारी को जारी की जाती है।

* सूचना संख्या टी आई एस-2-2383/XI-9(251)/97-यूपी एक्ट -15-48आदेश 1998 दिनांक 23 नवम्बर 1998।

लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मार्च 2004) कि यद्यपि हरदुआगंज ताप विद्युत गृह सितम्बर 1995 से ही धारा 4-बी के अंतर्गत एक वैध मान्यता प्रमाण पत्र धारक था, फिर भी उसने इण्डियन आयल कारपोरेशन (आईओसी) से मई 1999 से दिसम्बर 2000 के बीच खरीदे गये 4,502.43 किलोलीटर (4.94 करोड़ रुपये मूल्य का) हल्का डीजल तेल (एलडीओ) खरीदने पर व्यापार कर की रियायती दर (2.5 प्रतिशत) का लाभ नहीं उठाया। परिणामस्वरूप, व्यापार कर का भुगतान 2.5 प्रतिशत के बजाय 20 प्रतिशत की दर से किया गया जिससे 86.48 लाख रुपये का व्यापार कर का परिहार्य भुगतान किया गया। कम्पनी द्वारा मामला आईओसी को संदर्भित (अक्टूबर 2003) किया गया जिसने बताया कि 2001 तक के समय का बिक्री कर का निर्धारण पहले ही किया जा चुका था और उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिक्री कर की वापसी का मामला कम्पनी बिक्री कर प्राधिकरण को संदर्भित कर सकती थी। फिर भी कम्पनी अपने बिक्री कर अधिवक्ता की सलाह के अनुसार बिक्री कर की वापसी का मामला बिक्री कर प्राधिकरण को संदर्भित नहीं कर सकी।

उत्तर में प्रबंध ने कहा (अगस्त 2004) कि वे अधिक भुगतान किये गये व्यापार कर की वापसी के लिये आईओसी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की योजना बना रहें है।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.9 शीर्ष समय उल्लंघन के दण्ड के अनियमित संशोधन के कारण हानि

शीर्ष समय उल्लंघन के दण्ड बिलों के अनियमित संशोधन के कारण कम्पनी को 8.22 करोड़ रुपये की हानि हुई।

प्रदेश सरकार की अधिसूचना (अप्रैल 1984) के अनुसार, असतत् प्रविधि के उपभोक्ता जो शीर्ष समय के प्रतिबन्धों का उल्लंघन क्रमशः पहली, दूसरी, तीसरी एवं तीन बार से ज्यादा करते हैं, उनके संयोजन क्रमशः 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन एवं स्थायी रूप से विच्छेदन हेतु उत्तरदायी होंगे। पुनः उपभोक्ता से प्रत्येक उल्लंघन के लिये 100 केवीए तक 50 रुपये प्रति केवीए की दर से, 100 केवीए के ऊपर एवं 500 केवीए तक 30 रुपये प्रति केवीए की दर से (कम से कम रुपये 5,000) और 500 केवीए से ऊपर के लिये 20 रुपये प्रति केवीए की दर से (कम से कम 15,000 रुपये) दण्ड भी लेना होगा। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के अक्टूबर 1998 के आदेश साथ ही स्पष्टीकरण में भी इस बात पर जोर दिया गया कि स्मृति पढ़ने वाले यंत्र (एमआरआई) द्वारा रिकार्ड किये गये प्रत्येक शीर्ष समय उल्लंघन को एक अलग उल्लंघन माना जायेगा। बाद में, मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) ने अप्रैल 1999 में उपभोक्ता की पहली एमआरआई रिपोर्ट को पूरे महीने के लिये केवल एक ही

उल्लंघन मानने के निर्देश जारी किये। कम्पनी की दर सूची एचवी-2, जो कि 16 सितम्बर 2001 से लागू था, में अनुबन्धित भार पर 75 रुपये प्रति केवीए की दर से चूक की संख्या के अनुसार दण्ड का प्रावधान था। नई मूल्य सूची अधिसूचित करते समय, कम्पनी ने यह विशेष तौर पर स्पष्ट किया कि यह इस विषय पर पिछले सभी आदेशों एवं निर्देशों का अधिलंघन करेगी।

विद्युत वितरण खण्ड, फतेहपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (अगस्त 2003) के दौरान पाया गया कि सात वृहत एवं भारी ऊर्जा उपभोक्ताओं ने मई 2002 से अक्टूबर 2002 के मध्य में शीर्ष समय प्रतिबन्धों का 53 से 107 बार उल्लंघन किया। खण्ड फिर भी उपभोक्ताओं को आपूर्ति रोकने में असफल रहा और मूल्य सूची के प्रावधानों के अनुसार 8.54 करोड़ रुपये का दण्ड अधिरोपित किया (सितम्बर 2001 में निर्गत मूल्य सूची के आधार पर निकाले गये)। बाद में खण्ड ने (अक्टूबर/नवम्बर/दिसम्बर 2002) मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) के पूर्व वर्णित अप्रैल 1999 के आदेश के आधार पर प्रथम एमआरआई रिपोर्ट को महीने का एक उल्लंघन मानते हुए दण्ड की राशि को संशोधित कर 32.37 लाख रुपये कर दिया।

क्योंकि उल्लंघन की घटना 16 सितम्बर 2001 के बाद घटित हुई थी (उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेशों के अनुरूप निर्गत नवीन मूल्य सूची के लागू होने का दिनांक), अत: इस विषय से सम्बन्धित निर्गत सभी पिछले आदेशों की प्रयोज्यनीयता नहीं रह गई थी। इसके अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) द्वारा अप्रैल 1999 में निर्गत आदेश अपने आप में भी सरकारी अधिसूचना (अप्रैल 1984) के प्रावधानों के विरूद्ध थे क्योंकि मुख्य अभियन्ता इसमें छूट देने के लिये सक्षम नहीं थे।

इस प्रकार 16 सितम्बर 2001 से प्रभावी मूल्य सूची को लागू न करने और दण्ड बिलों के अनियमित संशोधन से कम्पनी को 8.22 करोड़ रुपये की हानि हुई।

मामला प्रबंधन और शासन को जून 2004 में संदर्भित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित हैं (सितम्बर 2004)।

3.10 अस्वीकार्य भार घटक छूट को उपभोक्ताओं को दिया जाना

कम्पनी ने अस्वीकार्य भार घटक छूट उपभोक्ताओं को दिया जिससे 62.33 लाख रुपये की हानि हुई

यूपीईआरसी द्वारा निर्गत दर सूची एचवी-2 जो कि 16 सितम्बर 2001 से प्रभावी थी की प्रस्तर संख्या 8(अ) के अनुसार, भार घटक छूट संविदाकृत कुल भार के उस उपभोग के विद्युत व्यय पर देय होगी जो निर्धारित केवीएएच* प्रति केवीए की

* किलो वाट एम्पीयर आवर

दर से अधिक होगी। यह छूट उन उपभोक्ताओं को देय नहीं होगी जिनकी वास्तविक माँग उनके संविदा भार से अधिक होगी।

शहरी विद्युत वितरण खण्ड-II/विद्युत वितरण खण्ड-II , गोरखपुर के रिकार्डों की जाँच में पता चला कि चार उपभोक्ताओं* ने जनवरी 2002 से अगस्त 2003 के दौरान अपनी संविदा माँग से 5 केवीए से 435 केवीए तक अधिक विद्युत का उपभोग किया। खण्डों ने संविदा भार से अधिक भार का उपयोग किये जाने पर प्रभार लागू करते समय 62.33 लाख रुपये की भार घटक छूट को भी दिया, जो कि देय नही था।

इस प्रकार अदेय भार घटक छूट को देने के कारण कम्पनी को 62.33 लाख रुपये की हानि हुई।

मामला प्रबंधन और शासन को फरवरी 2004 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2004)।

3.11 उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ

उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ दिये जाने के कारण 51.41 लाख रुपये का बकाया संचित हुआ

विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) नियमन, 1984 के पैरा 19 (ix) के अनुसार, खण्ड अधिकारी को यह अधिकार था कि वह उन उपभोक्ताओं की चेक से भुगतान करने की सुविधा को स्थगित कर सकता था जिनके चेक पहले अनादृत हो चुके थे। नियमन की शर्त 19 (vi) में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई उपभोक्ता नियत तिथि पर भुगतान नहीं करता है तो नियत तिथि की समाप्ति के पश्चात् उसका कनेक्शन काट दिया जायेगा और बकाया को भू-राजस्व की तरह वसूल किया जायेगा।

विद्युत वितरण खण्ड-II, बलिया के अभिलेखों की जाँच (सितम्बर 2003) से पता चला कि जून 1999 में 6.52 लाख रुपये की तीन चेकें अनादृत होने के पश्चात् भी, खण्ड ने अगस्त 1999 से अगस्त 2000 के दौरान किसान शीत गृह, बलिया की 27.26 लाख रुपये की 11 चेकें स्वीकार कर ली (बाद में अनादृत)। इसी प्रकार अगस्त 2000 में, 3.03 लाख रुपये की तीन चेकें अनादृत होने के बाद भी, खण्ड ने मनीषा शीत गृह, बलिया से मार्च 2001/मई 2001 तथा अप्रैल 2002/मई 2002 में 9.21 लाख रुपये की छः चेकें स्वीकार कर लीं (बाद में अनादृत)। खण्ड देय तिथि निकल जाने के पश्चात इन उपभोक्ताओं की आपूर्ति भी बन्द नहीं कर सका जिसकी आवश्यकता ऊपर वर्णित प्रावधानों में थी। किसान शीत गृह, बलिया का जनवरी 2001 और मनीषा शीत गृह, बलिया का मई 2002 में, देर से आपूर्ति विच्छेछित करने के कारण क्रमशः 33.22 लाख रुपये एवं 18.19

* शहरी विद्युत वितरण खण्ड-II, गोरखपुरः जालान कान कास्ट लिमिटेड (32.70 लाख रूपये), अंकुर उद्योग (प्रा) लिमिटेड (12.91 लाख रूपये), गोविन्द मिल्स लिमिटेड (6.33 लाख रूपये) और विद्युत वितरण खण्ड-II, गाोरखपुरः महाबीर जूट मिल्स (प्रा) लिमिटेड (10.39 लाख रूपये)।

लाख रुपये के बकाया संचित हो गये। इस प्रकार लगातार भुगतान न करने के बावजूद खण्ड अधिकारी द्वारा, चेक द्वारा भुगतान सुविधा रद्द न करने और विद्युत आपूर्ति न काटने के कारण 51.41 लाख रुपये का बकाया संचित हो गया।

उत्तर में प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2004) कि स्थायी विच्छेदन के बाद, अन्तिम बिल के राशि का वसूली प्रमाण पत्र किशन शीत गृह के लिये निर्गत किया गया (अक्टूबर 2003) जिसके सम्बन्ध में उपभोक्ता ने वसूली प्रमाण पत्र के बराबर की धनराशि साझीदारों से वसूल करने के लिये सिविल न्यायालय में याचिका दायर की, जो कि न्यायालय में विचाराधीन थी। मनीषा शीत गृह के सम्बन्ध में प्रबंधन ने कहा कि स्थायी विच्छेदन के पश्चात्, 20.19 लाख रुपये का वसूली प्रमाण-पत्र उपभोक्ता के विरूद्ध निर्गत किया गया (जुलाई 2004) जिसके विरूद्ध उपभोक्ता ने 2 लाख रुपये जमा कर दिये थे।

3.12 शुल्क का गलत लागू करना

शुल्क के गलत लागू करने के कारण 26.70 लाख रुपये के राजस्व का कम निर्धारण हुआ।

9 अगस्त 2000 से लागू शुल्क के अनुसार, लिए गए अस्थायी प्रवृत्ति के कनेक्शन जो कि निर्माण उद्देश्यों जिनमें सिविल कार्य शामिल हैं, की बिलिंग, दर सूची एलएमवी-9 के अनुसार होती है। इस दर सूची (एलएमवी-9) के अंतर्गत प्रभार की दर और न्यूनतम प्रभार, निर्धारित सूची दर पर 25 प्रतिशत जोड़कर होगी।

नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, रामबाग, इलाहाबाद के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि नैनी, इलाहाबाद में यमुना नदी के ऊपर पुल के निर्माण के लिये, हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्टशन कम्पनी लिमिटेड (संविदा भार: 500 केवीए) और ह्यूनडाँय इंजीनियरिंग कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (संविदा भार: 300 केवीए) के साथ एचवी-2 दर सूची के अंतर्गत क्रमश: नवम्बर और दिसम्बर 2000 में अनुबंध किये गये। चूँकि कनेक्शन अस्थायी प्रवृत्ति के थे और निर्माण कार्य (सिविल कार्य) के लिये थे, अत: अनुबंध एचवी-2 में न होकर एलएमवी-9 की दर सूची पर होना चाहिये था और सम्बन्धित सूँची मे प्रभार की दर में 25 प्रतिशत जोड़कर बिल करना था। अनुबंध को गलत तरीके से निष्पादित करने के कारण उपभोक्ताओं को दिसम्बर 2000 से अप्रैल 2003 के दौरान 26.70 लाख रुपये का कम बिल भेजा गया (हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी : 16.62 लाख, ह्यूनडाँय इंजीनियरिंग: 10.08 लाख)।

प्रबंधन और शासन को जनवरी 2004 में मामला संदर्भित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित हैं (सितम्बर 2004)।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.13 शीर्ष समय उल्लंघनों के लिये दण्ड में अनियमित कमी

शीर्ष समय उल्लंघन के लिये दण्ड में अनियमित कमी के कारण कम्पनी को 44.36 लाख रुपये की हानि हुई।

राज्य सरकार की अधिसूचना (अप्रैल 1984) के अनुसार, असतत प्रक्रिया के उपभोक्ता जो कि शीर्ष समय निषेधों का उल्लंघन पहली, दूसरी, तीसरी और तीसरी बार के बाद करते हैं, क्रमश: 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन एवं स्थायी रूप से संयोजन विच्छेदन हेतु उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता से प्रति उल्लंघन पर 100 केवीए अनुबन्धित भार तक 50 रुपये प्रति केवीए, अनुबन्धित भार 100 केवीए से ऊपर एवं 500 केवीए तक 30 रुपये प्रति केवीए (कम से कम 5,000 रुपये) और संविदा भार 500 केवीए से अधिक के लिये 20 रुपये प्रति केवीए (न्यूनतम 15,000 रुपये तक) की दर से दण्ड भी लगाया जाना था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के अक्टूबर 1998 के आदेश एवं स्पष्टीकरण में भी इस बात पर जोर दिया गया कि स्मृति पढ़ने वाले यंत्र (एमआरआई) द्वारा रिकार्ड किये गये प्रत्येक उल्लंघन को एक अलग उल्लंघन माना जायेगा।

नगरीय विद्युत वितरण खण्ड-I, अलीगढ़ में सात बड़े और भारी उपभोक्ताओं ने अप्रैल 2000 से सितम्बर 2001 के दौरान 89 से 181 बार शीर्ष समय उल्लंघन किया और सरकारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ताओं की आपूर्ति को स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया जाना चाहिये था। फिर भी खण्ड, उपभोक्ताओं की आपूर्ति को विच्छेदित करने में असमर्थ रहा और उनके विरूद्ध 47.56 लाख रुपये के दण्ड का निर्धारण किया (विच्छेदन/पुन: संयोजन व्यय छोड़कर)। लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया (मार्च 2004) कि सम्भाग ने बाद में (जनवरी 2003) दण्ड को 47.56 लाख रुपये से घटाकर 3.20 लाख रुपये कर दिया जो कि मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) के निर्देशों (अप्रैल 1999) पर आधारित था जिसमें पहली एमआरआई रिपोर्ट को उस महीने के लिये केवल एक ही उल्लंघन मानने के लिये प्रावधानित था। ये निर्देश, उपरोक्त सरकारी अधिसूचना के विरूद्ध थे और मुख्य अभियन्ता इनमें ढील देने का प्राधिकारी नहीं था। इससे 44.36 लाख रुपये की हानि हुई।

मामला प्रबंधन एवं शासन को जून 2004 में संदर्भित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2004)।

3.14 अबाधित आपूर्ति के लिये दरों को लागू न किया जाना

शीर्ष समय उल्लंघन के मामले में अबाधित आपूर्ति के लिये लागू दरों को न लगाये जाने के कारण कम्पनी को 78.85 लाख रुपये की हानि हुई।

बड़े और भारी विद्युत उपभोक्ताओं पर लागू दरों, जो कि यूपीईआरसी द्वारा निर्गत दर सूची एचवी-2 के अनुसार 16 सितम्बर 2001 से प्रभावी थी, के अनुसार, वे

उपभोक्ता जो कि शीर्ष समय/निषेधित समय विद्युत आपूर्ति के लिये चुनाव नहीं करते थे उनको इस समय के दौरान उनकी संविदा माँग के 15 प्रतिशत से अधिक की विद्युत का उपयोग नहीं करने दिया जाना था। निषेधित समय के दौरान 15 प्रतिशत से अधिक की विद्युत उपयोग की स्थिति में प्रत्येक गलती के लिये 75 रुपये प्रति केवीए की दर से दण्ड लगाया जाना था। गलती के महीने में उपभोक्ता को उपरोक्त दण्ड के अतिरिक्त अबाधित आपूर्ति की दर से बिल निर्गत किया जाना था।

विद्युत वितरण खण्ड, उरई के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया (जुलाई 2003) कि छः बड़े उपभोक्ताओं, जिन्होंने शीर्ष समय के दौरान विद्युत आपूर्ति की माँग नहीं की थी, ने 16 सितम्बर 2001 से अगस्त 2002 तक निषेधित समय के दौरान अपने संविदा माँग के 15 प्रतिशत से अधिक विद्युत उपयोग की। लेखा परीक्षा ने देखा कि खण्ड ने शीर्ष समय उल्लंघन के लिय 3.44 करोड़ रुपये का दण्ड लगाते समय, अबाधित आपूर्ति के लिये लागू दरों के अनुसार 84.72 लाख रुपये का बिल निर्गत नहीं किया।

उत्तर में प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2004) कि सम्बन्धित फर्मो को बिल भेजे गये थे (जनवरी 2004) जिसके विरूद्ध 5.87 लाख रुपये, जो कि दो उपभोक्ताओं के लिये निर्धारित थे, की पूरी वसूली की जा चुकी है। इस प्रकार चार अन्य उपभोक्ताओं से बकाया की वसूली न कर पाने के कारण, कम्पनी को 78.85 लाख रुपये की हानि हुई।

3.15 शीर्ष समय उल्लंघन के लिये दण्ड का बिल निर्गत न करना

शीर्ष समय उल्लंघन के लिये बिल निर्गत न करने के कारण, कम्पनी को 46.65 लाख रुपये की हानि सहनी पड़ी।

बड़े और भारी विद्युत उपभोक्ताओं पर लागू दर सूची एचवी-2, जो कि यूपीईआरसी द्वारा निर्गत और 9 नवम्बर 2002 से प्रभावी थी, के अनुसार वे उपभोक्ता जो शीर्ष समय/निषेधित समय के दौरान विद्युत आपूर्ति के लिये चुनाव नहीं करते हैं, उनको इस समय के दौरान उनकी संविदा माँग के 15 प्रतिशत से अधिक को विद्युत का उपयोग नहीं करने दिया जाना था। यदि इस निषेधित समय के दौरान 15 प्रतिशत से अधिक की विद्युत उपयोग की जाती थी तो एसी प्रत्येक घटना के लिये 50 रुपये प्रति केवीए की दर से दण्ड देय थी। उपर्युक्त वर्णित दण्ड के अतिरिक्त, गलती के महीने में उपभोक्ता को अबाधित आपूर्ति के उपभोक्ताओं पर लागू दर के अनुसार बिल निर्गत किया जाना था। शीर्ष समय उल्लंघन के ध्यान में रखने के लिये उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने प्रदेश सरकार द्वारा बताये समय प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से फरवरी तक 17.00 बजे से 21.00 बजे तक एवं मार्च से सितम्बर तक 18.00 बजे से 22.00 बजे तक को जारी किया (सितम्बर 2002)।

विद्युत वितरण खण्ड-II, अलीगढ़ के अभिलेखों की नमूना जाँच में देखा गया (मार्च 2004) कि, पालीवाल एलॉय प्राइवेट लिमिटेड ने 24 नवम्बर 2002 से 28 फरवरी 2003 के दौरान 40 बार शीर्ष समय उल्लंघन किया। दर सूची के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता को, शीर्ष समय उल्लंघन का निषेध करने के लिये 36 लाख रुपये के साथ-साथ 10.65 लाख रुपये जो कि दर सूची में अन्तर का भाग है, के लिये बिल भेजा जाना चाहिये था। खण्ड के अधिशासी अभियन्ता ने उपभोक्ता को शीर्ष समय उल्लंघन के लिये बिल इस आधार पर नहीं भेजा कि शीर्ष समय का प्रारम्भ जो कि 17.00 बजे से था, को यूपीपीसीएल ने 17.30 बजे कर दिया था (दिसम्बर 2000)। अधिशासी अभियन्ता का तर्क इसलिये सही नहीं है क्योंकि शीर्ष समय उल्लंघन के दौरान शीर्ष समय का प्रारम्भ 17.00 बजे से ही था जैसा कि यूपीपीसीएल के सितम्बर 2002 के निर्देश में था। इस प्रकार शीर्ष समय उल्लंघन के लिये उपभोक्ता को बिल न भेजने के कारण कम्पनी को 46.65 लाख रुपये की हानि हुई।

मामला प्रबन्धन एवं शासन को मई 2004 में संदर्भित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित हैं (सितम्बर 2004)।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.16 शीर्ष समय उल्लंघन के लिये दण्ड एवं दरों के अन्तर पर बिल का न भेजा जाना

शीर्ष समय उल्लंघन के लिये दण्ड का बिल न भेजने के कारण कम्पनी को 1.24 करोड़ रुपये की हानि हुई।

यूपीईआरसी द्वारा निर्गत दर सूची एचवी-2 {पैरा-4 के अन्तर्गत नोट (स)}, जो कि 9 नवम्बर 2002 से प्रभावी थी, के अनुसार, वे उपभोक्ता जो शीर्ष समय के दौरान विद्युत आपूर्ति के लिये चुनाव नहीं करते हैं, शीर्ष समय के दौरान अपने संविदा भार के 15 प्रतिशत से अधिक का उपभोग नहीं कर सकेंगे। यदि उपभोक्ता शीर्ष समय के दौरान 15 प्रतिशत से अधिक विद्युत उपभोग करते हैं, तो उनको, इस निषेध के समय के लिये उनके संविदा भार पर 50 रुपये प्रति केवीए की दर से उल्लंघन के दिनों के लिए दण्ड देना होगा। उल्लंघन के महीने में उपभोक्ता को उस दर से बिल निर्गत किया जायेगा जो कि अबाधित आपूर्ति श्रेणी पर लागू होती है और यह उपर्युक्त वर्णित दण्ड के अतिरिक्त होगी।

आईटीआई लिमिटेड, मनकापुर (गोण्डा), जो कि ईडीडी, गोण्डा का एक वृहत एवं भारी विद्युत उपभोक्ता था और इसका संविदा भार 7000 केवीए का था, ने 1 जनवरी 2003 से बाधित आपूर्ति श्रेणी में विद्युत उपयोग करने के लिये चुनाव किया (अबाधित आपूर्ति की तुलना में कम दर था)।

लेखा परीक्षा ने देखा (अगस्त 2003) कि उपभोक्ता ने जनवरी 2003 से जून 2003 के दौरान 32 बार शीर्ष समय निषेध का उल्लंघन किया। परन्तु खण्ड ने शीर्ष समय उल्लंघन के लिये दर के दण्ड आरोपित नहीं किया (1.12 करोड़ रुपये) और बाधित आपूर्ति श्रेणी में लागू दर के अन्तर के लिये भी बिल नहीं किया (0.12 करोड़ रुपये) जिसके कारण उपभोक्ता को जनवरी 2003 से जून 2003 के दौरान 1.24 करोड़ रुपये का बिल नहीं भेजा गया।

उत्तर में खण्ड ने कहा कि संविदा भार का 15 प्रतिशत अर्थात 1,050 केवीए, 52 एम्पियर के लगभग बराबर होगा (यथार्थ रूप से 55.11 एम्पियर निकाला गया) और शीर्ष समय के दौरान 52 एम्पियर से अधिक भार कभी नोटिस नहीं किया गया। उत्तर मान्य नहीं है, इस तथ्य के प्रकाश में कि 132 केवी सब स्टेशन, मनकापुर* के लाग सीट में लिखित भार और खण्ड को जैसा सूचित किया गया, उससे यह स्पष्ट है कि जनवरी 2003 से जून 2003 के दौरान 55.11 एम्पियर से अधिक का भार लिया गया।

मामला प्रबन्धन एवं शासन को अप्रैल 2004 में संदर्भित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2004)।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.17 विद्युत चोरी का कम आंकलन

कम्पनी ने एक उपभोक्ता को विद्युत चोरी का कम आंकलन करके 10 लाख रुपये का अनुचित लाभ दिया।

1 जुलाई, 2002 से प्रभावी उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड 2002 (वितरण कोड), के अध्याय 6 के पैरा 6.17.1 के अनुसार चोरी की दशा में उपभोक्ता पर लागू दर के तीन गुना का दण्ड देय होगा जो कि एलएफएचडी** नियम के अनुसार गणना की गयी यूनिटो पर देय होगा और इसमें चोरी की अवधि में मीटर द्वारा दर्शाये गये उपभोग को घटा दिया जायेगा। भारी उपभोक्ताओं की दशा में यूनिटों का यह आंकलन, संविदा भार या जाँच के दौरान पाये गये जुड़े भार का 75 प्रतिशत, जो कम हो, के आधार पर किया जायेगा। उपर्युक्त वर्णित वितरण कोड 'जुड़े हुये भार' को पुन: इस प्रकार परिभाषित करता है कि यह उपभोक्ता के परिसर में लगी हुई सभी विद्युत उपयोग करने वाली मशीनों जो कि एक साथ प्रयोग की जा सकती है, पर उत्पादक द्वारा निर्धारित भार के योग के बराबर होगा।

* जहाँ से 11 केवी आईटीआई फैक्टरी का स्वतन्त्र पोषक निकलता है।

** जहाँ 'एल' के डब्ल्यू में भार को दर्शाता है, 'एफ' गुणक (0.75) को दर्शाता है, 'एच' प्रतिदिन आपूर्तित घन्टों को दर्शाता है और 'डी' चोरी की अवधि या 180 दिन जो भी कम हो, उसको दर्शाता है।

जे. के. बर्फ फैक्ट्री, हापुड़ जो कि विद्युत वितरण खण्ड, हापुड़ के अन्तर्गत एक बड़ा विद्युत उपभोक्ता है, का संविदा 111 केवीए का तीन संपीडकों के साथ (दो संपीडक 29.4 केडब्ल्यू तथा एक 54 के डब्ल्यू) था, के यहाँ अधिशासी अभियन्ता और उसकी टीम के द्वारा छापा मारा गया (6 अप्रैल 2003) और यह पाया कि उपभोक्ता अपने तीन में से एक संपीडक (29.84 केडब्ल्यू) को सीधे ट्रांसफार्मर से जोड़कर, मीटर को बाईपास करते हुये विद्युत की चोरी में संलिप्त था।

खण्ड अधिकारी को अपनी जाँच रिपोर्ट में, सारी विद्युत उपभोग करने वाले मशीनों के आधार पर जुड़े हुये भार को बताना था जो कि जाँच के समय पर पाई गई थी। इसके बजाय जाँच रिपोर्ट में उपभोक्ता के परिसर में तीन संपीडकों (29.84 केडब्ल्यू के दो एवं 54 केडब्ल्यू का एक) को जुड़ा दिखाया गया। तीनों संपीडकों का कुल जुड़ा भार 113.68 केडब्ल्यू आता है। इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित कोड के अनुसार उपभोक्ता पर जुड़े हुये भार (113.68 केडब्ल्यू) के कम से कम 75 प्रतिशत (85.26 केडब्ल्यू) पर दण्ड की गणना होनी चाहिये क्योंकि यह संविदा भार (111 केवीए या 94.35 केडब्ल्यू) से कम था। इस प्रकार जुड़े हुये भार के 75 प्रतिशत के आधार पर दण्ड की गणना किये जाने पर 17.98 लाख रुपये होता है जिसमें विद्युत ड्यूटी एवं लो-टेंशन (एलटी) चार्ज शामिल हैं।

लेखा परीक्षा मे देखा गया (मार्च 2004) कि महाप्रबंधक (वितरण), मेरठ ने 17.98 लाख रुपये के दण्ड के आंकलन के बजाय 40 बीएचपी का एक संपीडक मानते हुये 29.84 केडब्ल्यू के भार के आधार पर 7.98 लाख रुपये का ही बिल भेजा। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता पर 10 लाख रुपये कम निर्धारण किया गया।

प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2004) कि अतिरिक्त राशि का बिल निर्गत कर दिया गया था; वसूली प्रतीक्षित था क्योंकि उपभोक्ता ने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था जिसके विरूद्ध कम्पनी ने अपील दायर कर दी थी।

मामला शासन को जून 2004 में संदर्भित किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित हैं (सितम्बर 2004)।

कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड

3.18 शीर्ष समय उल्लंघन के लिये दण्ड के अनुचित रूप से माफ करने के कारण हानि

अनुचित रूप से दण्ड माफ करने के कारण कम्पनी को 18.10 लाख रुपये की हानि हुई।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेशों से निर्गत बड़े व भारी विद्युत उपभोक्ताओं पर 16 सितम्बर 2001 से लागू दर सूची एच.वी.-2 के पैरा 4 के अन्तर्गत नोट (4) के अनुसार वे उपभोक्ता जो शीर्ष समय/निषिद्ध समय के दौरान विद्युत आपूर्ति के लिये चुनाव नहीं करते हैं, को उनकी संविदा माँग के 15

प्रतिशत से अधिक का विद्युत प्रयोग नहीं कर सकेंगे। निषिद्ध समय के दौरान 15 प्रतिशत से अधिक विद्युत उपयोग करने पर जितनी बार यह गलती होगी उस अनुसार 75 प्रति केवीए की दर से संविदा के अनुसार कुल भार पर दण्ड लगाया लायेगा। इसके अतिरिक्त गलती के महीने में उपभोक्ता को उस दर से बिल भेजा जायेगा जो कि अबाधित उपभोक्ताओं पर लागू हैं। इसके अतिरिक्त दर आदेश में किसी भी प्राधिकारी द्वारा किसी भी दशा में शीर्ष समय दण्ड की छूट प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं था।

कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया (अगस्त 2003) कि नौ बड़े एवं भारी उपभोक्ता जिन्होंने शीर्ष समय के दौरान आपूर्ति के लिये विकल्प नहीं दिया था, उन्होंने सितम्बर 2001 से नवम्बर 2002 तक शीर्ष समय के दौरान उनके संविदा माँग के 15 प्रतिशत से अधिक विद्युत का उपभोग किया जिस पर 28.64 लाख रुपये के दण्ड लगाये गये। फिर भी कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक ने दर आदेश के प्रावधानों के विरूद्ध इन उपभोक्ताओं पर लगे दण्ड में से 23.87 लाख रुपये इस आधार पर छोड़ दिया कि उपभोक्ता को शीर्ष समय की जानकारी नहीं थी, उल्लंघन नाममात्र था, उपभोक्ता के विद्युत मीटर द्वारा दर्शाये गये समय व भारतीय मानक समय में अन्तर था और कि उपभोक्ताओं को दण्ड देना उचित नहीं होगा। परिणामस्वरूप इन उपभोक्ताओं को 23.87 लाख रुपये कि सीमा तक अनुचित लाभ मिला।

लेखा परीक्षा द्वारा संज्ञान में लाये जाने पर मामला कम्पनी की निदेशक मण्डल को दिनांक 10 जून 2004 की बैठक में प्रस्तुत किया गया। मण्डल ने मामले पर विस्तार से चर्चा की और आदेश दिया कि (i) उन मामलों में जहाँ उपभोक्ता के विद्युत मीटरों के समय व भारतीय मानक समय में अन्तर है, उपभोक्ता को केवल उस समय का फायदा देना चाहिये जितने समय उसका मीटर तेज या धीमी पाया गया (ii) शीर्ष समय दण्ड को इस आधार पर नहीं छोड़ना चाहिये कि उपभोक्ता को इसकी जानकारी नहीं थी या निषेध समय के दौरान भार का कम प्रयोग किया गया। निदेशक मण्डल ने आगे भी आदेश दिया कि प्रत्येक उपभोक्ता के मामले को फिर से जाँचा जाये और छोड़े गये दण्ड को पुनरीक्षित किया जाय। मण्डल के निर्देशों के अनुसार, कम्पनी ने मामलों की पुन: जाँच की और सभी नौ उपभोक्ताओं को 29.34 लाख रुपये (सरचार्ज सहित) के बदले हुए बिल भेजे (जुलाई 2004)।

प्रबन्धन ने निदेशक मण्डल के उक्त आदेशों व परिणामित बिल निर्गमन को सूचित करते समय कहा (सितम्बर 2004) कि इन उपभोक्ताओं में से एक उपभोक्ता की आपूर्ति पुनरीक्षित दण्ड (0.93 लाख रुपये) का भुगतान न करने के कारण विच्छेदित कर दी गयी है, एक उपभोक्ता ने परिवर्तित दण्ड का 50 प्रतिशत (0.39 लाख रुपये) जमा कर दिया था और सात अन्य उपभोक्ताओं ने पुनरीक्षित दण्ड बिल, जो कि 28.02 लाख रुपये (सरचार्ज सहित) के हैं, के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है और न्यायालय के निर्देशों पर

पुनरीक्षित दण्ड बिलों के 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की राशि जो कि कुल 9.92 लाख रुपये हैं, जमा कर दिया है।

यदि दर के प्राविधानों के अनुसार बिल निर्गत कर दिया गया होता तो 18.10 लाख रूपये की (न्यायालय के आदेश के उपरान्त जमा राशि को घटाने के बाद दण्ड की शेष राशि) वसूली न हो पाने की स्थिति तथा विवाद से बचा जा सकता था।

सांविधिक निगम

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

3.19 आवंटियों को अनुचित लाभ

अनुमोदित लागत नीति के अन्तर्गत निर्धारित दरों से कम दरों पर फ्लैटों की बिक्री करने के कारण परिषद को 3.02 करोड़ रुपये की हानि हुई

प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्तमान सदस्यों को निवास प्रदान करने का निश्चय किया (जनवरी 2000) और विधायक आवास स्ववित्त पोषित नीति, 2000, के निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (परिषद) को सौंपी। इस उद्देश्य के लिये परिषद ने 29,773 वर्गमी0 भूमि उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेंटस लिमिटेड (यूपीआईएल), लखनऊ के कार्यशाला प्रक्षेत्र में अधिग्रहीत की (फरवरी 2000)। परिषद ने प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास विभाग को 8.09 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किया। इसी बीच परिषद ने विधानसभा और विधानपरिषद के सदस्यों से अनुमानित लागत 6.35 लाख रूपये से 7.30 लाख रूपये प्रति फ्लैट की दर से फ्लैटों के पंजीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये (फरवरी 2000)। पंजीकरण की शर्तो में यह भी प्रावधान था कि सम्पत्ति की वास्तविक लागत निर्धारित होने के बाद यदि कोई अतिरिक्त धनराशि होगी तो वह देय होगी। यूपीआईएल के परिसर में 9,734 वर्गमी0 क्षेत्रफल के भूखण्ड पर 80 तीन शयिका फ्लैट और 22 दो शयिका फ्लैट का एक आवासीय परिसर बनाया गया। परिसर 10.94 करोड़ रुपये की लागत (इसमें उपरिव्यय, भूमि की लागत एवं उसका विकास खर्च शामिल करते हुए) पर पूरा हुआ (अगस्त 2001) और आवंटियों को स्वामित्व दे दिया गया।

परिषद की अनुमोदित लागत नीति के अनुसार फ्लैटों की लागत निम्न थी:

(रु. लाख में)

फ्लैट का प्रकार	लागत प्रति फ्लैट	फ्लैटों की कुल लागत
80, प्रति तीन शयिका फ्लैट	10.946	875.68
4, 88.46 वर्गमीटर भू-क्षेत्र के दो शयिका फ्लैट	8.890	35.56
18, 101.10 वर्गमीटर भू-क्षेत्र के दो शयिका फ्लैट	10.160	182.88
	योग	1094.12

पंजीकरण की शर्तों के अनुसार परिषद ने आवंटियों से अतिरिक्त लागत वसूल नहीं की। इसके बजाय परिषद ने सरकार के निर्देशों (जनवरी 2002) के अनुसार फ्लैटों के विक्रय मूल्य का निर्धारण निम्न प्रकार से किया।

(रूपये लाख में)

फ्लैट का प्रकार	प्रति फ्लैट विक्रय मूल्य	फ्लैटों का कुल विक्रय मूल्य
80, प्रति तीन शयिका फ्लैट	7.975	638.00
4, 88.46 वर्गमीटर भू-क्षेत्र के दो शयिका फ्लैट	6.328	25.31
18, 101.10 वर्गमीटर भू-क्षेत्र के दो शयिका फ्लैट	7.150	128.70
	योग	792.01

इस प्रकार परिषद ने सरकार के निर्देशों के अनुसार निर्धारित मूल्यों पर फ्लैटों का विक्रय किया और 3.02 करोड़ रूपये की क्षति उठाई (10.94 करोड़ रूपये घटाया 7.92 करोड़ रूपये)।

उत्तर में (जून 2004) प्रबंधन ने, लागत निर्धारण एवं फ्लैटों के विक्रय मूल्य के कम निर्धारण के कारण हुई कम वसूली से सम्बन्धित विवरण देते हुए कहा कि कम ली गई धनराशि की क्षतिपूर्ति बचे हुए व्यावसायिक भूखण्ड की बिक्री से होगी। प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि परिषद अपनी अनुमोदित लागत नीति से विचलित हुई और उसे फ्लैटों की बिक्री पर हानि हुई।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

3.20 कोषों का अनियमित विनियोग

सिटी कोआपरेटिव बैंक में सरकार के आदेश का उल्लंघन करते हुए सावधि जमा में कोषों के विनियोग के कारण निगम को 8.37 करोड़ रुपये की हानि हुई।

मई 2000 के राज्य सरकार के आदेश के तहत, राज्य सरकार की कम्पनियाँ एवं निगम अपने अतिरिक्त कोषों का विनियोग उन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/संस्थानों के स्थाई/सावधि जमा में करेंगे जिनका न्यूनतम शुद्ध मूल्य 100 करोड़ रुपये हो, रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया के पूँजी पर्याप्तता मानकों को पूरा करते हों और जिनका किसी प्रतिष्ठित साख निर्धारण करने वाली संस्था द्वारा साख निर्धारण किया गया हो। इसके अलावा, ऐसे विनियोगों के लिये निगम के निदेशक मण्डल का अनुमोदन भी आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2004 में यह पाया कि निगम ने, राज्य सरकार द्वारा मई 2000 में निर्गत आदेश के अनुसार बैंक के शुद्ध मूल्य की आवश्यकता को पहले ही सुनिश्चित किये बिना, गैर अनुसूचित सिटी कोआपरेटिव बैंक में सितम्बर 2000 से मार्च 2001 के दौरान, तीन से सात माह तक की परिपक्वता अवधियों एवं 9.5 प्रतिशत से 11.5 प्रतिशत तक की विभिन्न ब्याज दरों और मार्च 2001 से सितम्बर 2001 तक परिपक्व होने वाली सावधि जमाओं में 8 करोड़ रुपये जमा किये। बैंक की वित्तीय स्थिति, गम्भीर रूप से खराब हो गयी और इसी कारण से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने मार्च 2001 से सिटी कोआपरेटिव बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1994 की धारा 35ए के अधीन, रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना किसी भी दायित्व के निस्तारण पर प्रतिबन्ध लगा दिये। बैंक द्वारा गम्भीर

अनियमितताओं को किये जाने की वजह से रिजर्व बैंक ने बैंक के समापन का आदेश दिया। परिणामस्वरूप निगम का सावधि जमा का 8 करोड़ रुपये परिपक्वता अवधि के तीन वर्ष व्यतीत होने के बाद बिना नगदीकरण हुआ पड़ा रहा। इसके नगदीकरण की सम्भावनाएँ भी दूरस्थ थीं, चूँकि रिजर्व बैंक ने इसके समापन का आदेश दे दिया था।

इस प्रकार, मई 2000 के सरकारी आदेश में वाँछित शुद्ध मूल्य की आवश्यकता सुनिश्चित किये बिना बैंक में विनियोग के परिणामस्वरूप 8.37 करोड़ रुपये की हानि (मूलधन: 8 करोड़ रुपये व ब्याज 0.37 करोड़ रुपये), जो परिपक्वता अवधि तक आगणित की गई, हुई।

उत्तर में प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2004) कि निगम विभिन्न बैंकों में उनके द्वारा देय ब्याज दर, निगम के एसएलआर (सांविधिक तरलता अनुपात) बन्धपत्र में अंशदान के सम्बन्ध के आधार पर अपने अतिरिक्त कोष को रखता है और सीसीबी ने तीन करोड़ रूपये का निवेश निगम के बन्धपत्र में किया था। उत्तर स्वीकार्य नही हैं क्योंकि सरकार के मई 2000 के निर्देशों का पालन नही किया गया। पुन: सीसीबी का निगम के बन्धपत्रों में निवेश, निगम का सीसीबी में निवेश से कम था और यह प्रतिभूति के रूप में उपलब्ध नही होगा क्योंकि सीसीबी के परिसमापन का आदेश किया जा चुका था।

मामला सरकार को जून 2004 मे संदर्भित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित हैं (सितम्बर 2004)।

3.21 ऋण के वितरण में ऋणी को अनुचित लाभ

बैंक द्वारा कार्यशील पूँजी के स्वीकृति और वितरण को सुनिश्चित किये बिना ऋण की स्वीकृति देने के कारण निगम के 2.21 करोड़ रुपये के देय बिना वसूल हुए पड़े रहे।

निगम ने मार्च 1997 में वीगो एग्रो प्रोसेसर, कानपुर को निर्जलीकृत सब्जियाँ व फल बनाने की एक इकाई के निर्माण के लिये 95 लाख रुपये का सावधि ऋण संस्वीकृत किया था। ऋण, भूमि व भवन, यंत्र-संयंत्र, अन्य सम्पत्तियों व प्रवर्तकों की व्यक्तिगत प्रतिभूति की सम्यक गिरवी से सुरक्षित था। निगम ने जनवरी 1998 से सितम्बर 1998 के दौरान 93.12 लाख रुपये इकाई को वितरित किये।

लेखा परीक्षा मे पाया गया कि बैंक द्वारा आवश्यक कार्यशील पूँजी सहायता के वितरण व संस्वीकृति न होने के कारण, इकाई वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं कर सकी। इकाई ने निगम के देयों के पुर्नभुगतान में प्रारम्भ से ही चूक की, जो फरवरी 2002 में 220.73 लाख रुपये तक बढ़ गया था (मूलधन 56.91 लाख रुपये, ब्याज 163.70 लाख रुपये तथा व्यय 0.12 लाख रुपये मिलाकर)। निगम ने ऋणी द्वारा देयों के निस्तारण की प्रतिबद्धता के आधार पर नवम्बर 1999 में निर्गत वसूली प्रमाण-पत्र फरवरी 2002 में वापस ले लिया। ऋणी ने फिर भी अपने प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं किया। इतने पर भी, निगम ने सम्पत्तियों की विद्यमानता

सुनिश्चित करने के लिए एवं निगम के हितों की रक्षा करने के लिए न तो इकाई का भौतिक अधिग्रहण किया और न ही इकाई का सामयिक निरीक्षण किया। परिणामस्वरूप, जब फरवरी 2002 में इकाई का अधिग्रहण किया गया, यह पाया गया कि 91.31 लाख रुपये के मूल्य के यंत्र-संयंत्र व अन्य भवन सामग्री इकाई से गायब थी, जिसके लिये फरवरी 2002 में प्राथमिकी दर्ज की गई। शेष सम्पत्तियाँ 37 लाख रुपये में बेची गई (अक्टूबर 2002)।

इस प्रकार, बैंक द्वारा कार्यशील पूँजी सहायता की संस्वीकृति और वितरण को सुनिश्चित किये बिना ऋण बाँटने, बाद में इकाई के सामयिक निरीक्षण में असफलता व इकाई के अधिग्रहण में देरी, 2.21 करोड़ रुपये के अप्राप्य देयों के रूप में परिणामित हुई।

उत्तर में, प्रबन्धन ने सितम्बर 2004 में कहा कि: (i) पक्षकार को किया गया वितरण निगम के मानकों व प्रचलन के अन्तर्गत था, (ii) मूल्यांकन ज्ञापन में कार्यशील पूँजी की संस्वीकृति की कोई भी पूर्व शर्त नहीं लगाई गई थी, (iii) इकाई, प्रवर्तकों की व्यक्तिगत समस्याओं के कारण नहीं चल सकी, परिणामस्वरूप भारी अतिदेय संचित हो गये, (iv) इकाइयों का निरीक्षण समय-समय पर किया गया था। जबाव स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम की वितरण पुस्तिका प्रावधानित करती है कि ऋणी को बैंक द्वारा कार्यशील पूँजी ऋण, अवधि ऋण वितरण कर सकने से पहले स्वीकृत किया जाना चाहिए था। प्रबन्धन, भुगतानों में चूक के बाद इकाइयों के तत्काल अधिग्रहण में भी असफल रहा।

3.22 इकाई के अधिग्रहण में हुई देरी के कारण हानि

इकाई के अधिग्रहण में हुई देरी के कारण निगम के 2.06 करोड़ रुपये के देय बिना वसूल हुए पड़े रहे।

निगम ने डॉयसन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को एच एसिड जिसे सामान्यत: डाई इण्टरमीडिएट के रूप में जाना जाता है, के निर्माण के लिए एक इकाई की स्थापना के लिए 1.41 करोड़ रुपये वितरित किये (मार्च 1998)। ऋण पट्टे पर भवन, यंत्र संयंत्र, समपार्श्विक प्रतिभूति (मकान नं केजी-65, गाजियाबाद) की जमानत और निदेशकों की व्यक्तिगत प्रतिभूर्ति द्वारा सुरक्षित था।

लेखा परीक्षा में पाया गया (फरवरी 2004) कि इकाई ने प्रारम्भ से ही निगम के देयों के भुगतान में चूक की। जुलाई 1999 में इकाई के निदेशकों ने निगम के गाजियाबाद क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक को यह कहते हुए एक पत्र लिखा कि वे आयात नीति के उदारीकरण के परिणामस्वरूप उत्पाद के विपणन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण इकाई चलाने में असमर्थ हैं। उन्होंने निगम से इकाई को "जैसी है जहाँ है" के आधार पर अधिग्रहीत करने का अनुरोध भी किया और देयों की समाप्ति के लिए इसके निस्तारण का अनुरोध किया, तथापि निगम ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की। डेढ़ वर्ष बाद फरवरी 2001 में जब देय राशि 211.28 लाख रुपये (मूलधन: 141.30 लाख रुपये और ब्याज: 69.98 लाख रुपये) पहुँच गई,

तब इकाई का अधिग्रहण किया गया। समपार्श्विक प्रतिभूति (मकान संख्या केजी-65, गाजियाबाद) 29 लाख रुपये में बेची गई (मार्च 2001)। अधिग्रहण करते समय 37.55 लाख रुपये मूल्य के यंत्र-संयंत्र गायब पाये गये जिसके लिए फरवरी 2001 में प्राथमिकी दर्ज करायी गई। इकाई की शेष सम्पत्तियाँ फरवरी 2002 में 67.25 लाख रुपये में बेची गई। कुल 205.99 लाख रुपये (मूलधन: 141.30 लाख रुपये व ब्याज: 64.69 लाख रुपये) के देयों की वसूली के लिए 'वसूली प्रमाण-पत्र' निर्गत किया गया (अप्रैल 2002) परन्तु उसे जिलाधिकारी ने इस अभ्युक्ति के साथ वापस (अगस्त 2002) कर दिया कि ऋणी के नाम में कोई भी चल/अचल सम्पत्ति नहीं थी।

इस प्रकार देयों के भुगतान के सम्बन्ध में ध्यान देने में निगम की असफलता एवं इकाई के अधिग्रहण में देरी 37.55 लाख रुपये की सम्पत्तियों के हटाये जाने एवं 2.06 करोड़ रुपये के देयों के वसूल न होने में परिणामित हुई। 2.06 करोड़ रुपये के देयों की वसूली की सम्भावनाएँ दूरस्थ थी क्योंकि निगम के पास उपलब्ध समस्त प्रतिभूतियाँ बेची जा चुकी थी तथा जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र बिना कार्यवाही के वापस कर दिया गया था क्योंकि कोई भी चल/अचल सम्पत्ति निदेशकों के नाम में नहीं थी।

उत्तर में प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2004) कि निगम द्वारा मानकों व प्रचलन के अनुसार यथासंभव सर्वश्रेष्ठ प्रयास किये गये थे तथा इकाई की असफलता उस दशा में पूर्वानुमान न किये जा सकने वाले बाजार के प्रभावों के कारण थी, जिनकी वजह से हानियाँ हुई तथा वह निगम के नियंत्रण से बाहर थीं। जबाव स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसएफसी एक्ट की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार प्रबन्धन, इकाई द्वारा नोटिस प्राप्ति की तिथि के 15 दिनों की निर्धारित अवधि के व्यतीत होने के बाद तुरन्त इकाई का अधिग्रहण करने में असफल रहा था। ऋणी द्वारा देयों के भुगतान में असफल होने पर 9 मई 2000 को नोटिस इकाई को निर्गत किया गया था।

उत्तर प्रदेश वन निगम

3.23 बादलों से भरे/बरसाती मौसम में तेंदू पत्तों के एकत्रीकरण के कारण हानि

निगम के निर्देशों का उल्लंघन कर बादलों से भरे/बरसाती मौसम में तेंदू पत्तों के एकत्रीकरण के कारण निगम को 1.37 करोड़ रुपये की हानि हुई।

फरवरी 2001 में निगम द्वारा तेंदू पत्तियों के एकत्रीकरण, परिवहन व भंडारण के लिये निर्गत निर्देश के अनुसार अच्छी श्रेणी की पत्तियों का एकत्रीकरण गहन जाँच के बाद किया जाना चाहिए और पत्तियाँ किसी बादल से भरें/बरसाती दिन में एकत्र नहीं की जानी चाहिए। आगे यह नियत करती हैं कि फड़ (तेंदू पत्तों के एकत्रीकरण का स्थान) में एकत्र एवं संसाधित की गई पत्तियों को एकत्रीकरण के 10 दिन के अन्दर सम्बन्धित गोदामों को भेज देना चाहिए। नियमित अन्तरालों पर

संसाधित पत्तियों के समय से परिवहन को निश्चित करने के लिए, संबंधित प्रभागीय लागिंग प्रबन्धक (डीएलएम्स) 10 दिनों की विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर संसाधित पत्तियों के परिवहन के लिए उपयुक्त नियोजन व परिवहन प्रबन्ध करने के लिए अधिकृत थे।

2002 सत्र के लिए तेंदू पत्तियों के एकत्रीकरण से संबंधित, डीएलएम, ओबरा (इलाहाबाद क्षेत्र) के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2004) में पता चला कि प्रभाग ने, निगम की निर्देश पंक्तियों का उल्लंघन कर 2002 सत्र के दौरान 10,64,963 किग्रा की तेंदू पत्तियों को बादलों से भरे/बरसाती दिनों में एकत्र किया। परिणामस्वरूप, पत्तियों की श्रेणी बहुत खराब हो गई और उसे बी ग्रेड में वर्गीकृत करना पड़ा और इसी कारण से प्रभाग ने ग्रेड ए की तेंदू पत्तियों की औसत बिक्री दर 23.76 रु. प्रति किग्रा के विपरीत 10.43 रु. प्रति किग्रा की औसत दर से बेचा। इस प्रकार, निगम के निर्देशों का पालन न होने से, 10,64,963 किग्रा पत्तियों की बिक्री में 1.37 करोड़ रुपये की हानि परिणामित हुआ।

मामला प्रबन्धन व सरकार को जून 2004 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2004)।

सामान्य

3.24 राज्य सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयूज) द्वारा लेखों को अन्तिम रूप देने में हुई देरी

लेखों को अन्तिम रूप देने के लिए वैधानिक प्रावधान

3.24.1 प्रत्येक सरकारी कंपनी के लिए विधायिका के प्रति वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय लेखा तैयार करना आवश्यक होता है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धाराओं 166, 210, 230, 619 व 619-बी के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी कम्पनियों के खातों को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अन्दर अंतिम रूप देना आवश्यक होता है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 619ए(3) के प्रावधान के अनुसार, राज्य सरकार के लिये भी प्रत्येक सरकारी कंपनी की कार्य प्रणाली और मामलों पर वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) के 3 माह के अन्दर एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करवाना और उस पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन व टिप्पणियों की एक प्रति के साथ विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत कराना आवश्यक होता है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के संबंध में, उनके लेखें संबंधित एक्ट के प्रावधानों अनुसार तैयार किये जाते हैं, अंकेक्षित किये जाते हैं व राज्य विधान मण्डल को प्रस्तुत किये जाते हैं। अधिनियम की धारा 168 व 210, समय से लेखों को अंतिम रूप देने से संबंधित प्रावधानों में से किसी का भी अनुपालन न होने पर सजा एवं दण्ड जैसी कठोर कार्यवाहियों को अनुबद्ध करती है।

वार्षिक लेखे तैयार करने के लिए प्रबन्धन/सरकार का उत्तरदायित्व

3.24.2 कम्पनी अधिनियम की धारा 210(1), सहपठित धारा 216 व 218 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के निदेशक मण्डल को, लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन व अन्य विनिर्दिष्ट परिशिष्टों के साथ वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों अर्थात् आर्थिक चिट्ठे एवं लाभ हानि लेखों की अंकेक्षित प्रति, प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा में रखना आवश्यक होता है। संबंधित प्रशासनिक विभागों के लिए भी, पर्यवेक्षण करना और यह निश्चित करना कि लेखों को अंतिम रूप दे दिया गया है और निर्धारित अवधि में उसे सार्वजनिक उद्यमों द्वारा अंगीकार कर लिया गया है, आवश्यक होता है।

वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया

3.24.3 कम्पनियों द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखें, इसके निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं और तब भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किये जाते हैं। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के प्रावधान के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कम्पनियों के खातों की पूरक लेखा परीक्षा करते हैं और ऐसे लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ, अंगीकार करने के लिए कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में रखे जाते हैं।

लेखों को अंतिम रूप देने में देरी के कारण शामिल जोखिम

3.24.4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों का सच्चा व उचित चित्रण करने के लिए, वार्षिक लेखों का रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। लेखों का बाकी रहना, सरकार को न तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सही वित्तीय स्थिति का आंकलन करने देती हैं और न ही उनकी कार्य प्रणाली सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाने देती है। इसके अतिरिक्त, लेखों को अंतिम रूप देने में देरी, प्रणाली को कपट के जोखिम व सार्वजनिक धन के क्षरण के लिए खोल देती है।

बकायों की स्थिति

3.24.5 30 सितम्बर 2004 को राज्य की 93 सरकारी कम्पनियों (48 कार्यरत, 41 अकार्यरत व 4 मानी गई सरकारी कम्पनियाँ) में से, केवल दो* कार्यरत कम्पनियों व एक** मानी गई सरकारी कम्पनी ने ही देय तिथि, अर्थात् 30 सितम्बर 2004 के अन्दर वर्ष 2003-04 के अपने लेखों को अंतिम रूप दिया था। सातों वैधानिक निगमों में से एक ने भी वर्ष 2003-04 के लिए अपने खातों को देय तिथि, अर्थात् 30 सितम्बर 2004 के अन्दर, अंतिम रूप नहीं दिया था।

* उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड व अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड

** अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड

30 सितम्बर 2004 को 83 सरकारी कम्पनियों (41 कार्यरत, 39 अकार्यरत व तीन मानी गई सरकारी कम्पनियाँ) ने अपने खातों को नियत अवधि के अन्दर अंतिम रूप नहीं दिया था और खाते एक से उन्नतीस वर्षों से बकायों में थे; 83 कम्पनियों में से 41 कार्यरत कम्पनियों के खाते एक से 15 वर्षों से बकायों में थे, 30 अकार्यरत कम्पनियों के खाते एक से 29 वर्षों से अवशेष थे, नौ* अकार्यरत कम्पनियों के खाते, जो समापन में थीं, एक से 18 वर्षों से बकाये में थे (परिसमापनाधीन अकार्यरत कम्पनियों के संबंध में, लेखों के बकाया उनके परिसमापन में जाने की तिथि तक लिए गये थे)। तीन मानी गई सरकारी कम्पनियों के खाते एक से 25 वर्षों से बकायें थें। सत्रह कार्यरत सरकारी कम्पनियों को, लेखों के बकाया होने के कारणों के विश्लेषण के लिए चयनित किया गया था (**परिशिष्ट-27**)।

खातों को अंतिम रूप देने में हुई देरी के कारण

खातों को अंतिम रूप देने में हुई देरी के निम्नलिखित कारण थे:

वार्षिक साधारण सभा को आयोजित करने में हुई देरी

3.24.6 31 मार्च 2004 को, 17 कम्पनियों के संबंध में, पाँच वर्ष की अवधि के लिए खातों को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में संक्षिप्त विवरण (नवीनतम अंतिम खातों तक) **परिशिष्ट-28** में दिया गया है। **परिशिष्ट-28** का पुनर्विलोकन यह प्रकट कर देगा कि 17 कम्पनियों के संबंध में एक वार्षिक साधारण सभा व उसके बाद होने वाली वार्षिक साधारण सभा के मध्य समयान्तराल एक से 44 महीनों तक था।

निदेशक मण्डल द्वारा खातों के अनुमोदन में देरी

3.24.7 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 215(3) के अधीन, आर्थिक चिट्ठा और लाभ-हानि लेखें, निदेशक मण्डल की ओर से हस्ताक्षर होने से पहले और सांविधिक लेखा परीक्षकों को, उस पर उनकी रिपोर्ट के लिए भेजने से पहले, निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित होना होता है। निदेशक मण्डल द्वारा लेखों के अनुमोदन में हुई कोई भी देरी, लेखों को अंतिम रूप देने में देरी का कारण बनती है। लेखों को संकलित कराने का उत्तरदायित्व निदेशक मण्डल का है।

यह पाया गया है कि कम्पनियों के निदेशक मण्डल द्वारा, प्रथम वर्ष व उसके बाद वाले वर्ष के लेखों के अनुमोदन में लिया गया समय दो से 54 महीने था। खातों के अनुमोदन में देरी, मुख्यत: इन कम्पनियों में योग्य कर्मचारियों की कमी के कारण खातों की तैयारी में हुई देरी के कारण हुई थी।

* परिसमापनाधीन दो अकार्यरत सरकारी कम्पनियों ने परिसमापन की तिथि तक अपने खातों को अंतिम रूप दे दिया था।

सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा लेखों के प्रमाणन में देरी

3.24.8 सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कम्पनियों के लेखा परीक्षण को पूर्ण करने के लिए एक से 59 महीनों तक का समय लिया। ऐसी देरी का कारण कम्पनियों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों को माँगी गई सूचनायें प्रदान न करना था। यदि कम्पनियाँ वैधानिक लेखा परीक्षकों से उनकी नियुक्ति के बाद सहयोग करती व समयबद्ध कार्यक्रम बनातीं तो ऐसी देरी टाली जा सकती थी।

अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा में खातों को अंगीकार में हुई देरी

3.24.9 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 171 के अनुसार, कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा, कम से कम 21 दिन अथवा यदि मत डालने वाले सभी सदस्य सहमति दें, तो उससे कम अवधि, की लिखित सूचना देकर बुलाई जा सकती है। इस प्रकार, एक सरकारी कम्पनी सीएजी की टिप्पणी मिलने के अधिकतम 30 दिनों के अन्दर अपनी वार्षिक साधारण सभा कर सकती थी।

कम्पनियाँ 30 दिनों के अन्दर अपनी वार्षिक साधारण सभा करने में असफल रहीं। कम्पनियों ने अपनी वार्षिक साधारण सभा करने में एक से 33 माह लिए। इसने बकाया लेखों के निपटारे को विपरीत प्रभावित किया।

वे मामले जिनमें असाधारण देरी थीं अथवा जहाँ खातों को अंतिम रूप देने में देरी के विशिष्ट कारण थें, **परिशिष्ट-29** में दिये गये हैं।

बकायों के निपटारे के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम

3.24.10 सरकार कम्पनियों पर अपना नियंत्रण, संबंधित प्रशासनिक विभाग व वित्त विभाग के माध्यम से प्रयोग करती है। 'सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो' (बीपीई) एक नोडल एजेंसी है, जो वित्त विभाग की ओर से कम्पनियों के कार्य की समीक्षा करती है।

इन कम्पनियों के पार्षद सीमा नियम व अन्तर्नियमों के अनुसार, सरकार को कम्पनी के हित में निर्देश निर्गत करने का अधिकार है। इन दायित्वों को पूरा करने के लिए सरकार से ऐसा सुनिश्चित करने के लिये कि कम्पनियों के लेखों को समय से अंतिम रूप दे दिया जाये, ठोस कदम उठाना अपेक्षित था।

अवशेषों के समापन के लिए लेखा परीक्षक द्वारा दी गई सहायता

3.24.11 चूक करने वाली कम्पनियों की सूची, महालेखाकार द्वारा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के महानिदेशक और राज्य सरकार के मुख्य सचिव को प्रत्येक तीन माह में भेजी जाती थीं।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने अपने प्रधान सचिव की अध्यक्षता में, 5 मार्च 2004 को महालेखाकार के प्रतिनिधि और कम्पनियों के अधिशासियों/प्रतिनिधियों के साथ एक सभा आयोजित की और शीघ्रातिशीघ्र लेखों को अंतिम रूप देने के लिए समयबद्ध

कार्यक्रम तैयार किया। बीपीई ने लेखों को अंतिम रूप देने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तय किया।

यह पाया गया था कि समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने से पहले, बकाया लेखों को अंतिम रूप देने में इन कम्पनियों की असफलता का कारण निर्धारित करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया था। लक्ष्य तिथियाँ प्रबन्धन से मिले आश्वासन के आधार पर तय की गयी थी। यह देखा गया था कि समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार, मार्च 2004 से मई 2004 की अवधि के दौरान 20 लेखों को अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए था, जबकि केवल सात लेखों को अंतिम रूप दिया गया था।

निष्कर्ष

सरकारी कम्पनियों ने समय से लेखों को तैयार करने के वैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया और इन कम्पनियों के प्रबन्धन की तरफ से ढिलाई थी, जो लेखों के बकायों के बड़े संग्रह के रूप में फलित हुआ और फलस्वरूप इन कम्पनियों में किया गया निवेश लेखा परीक्षा के क्षेत्र से बाहर रहा और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

3.25 राज्य सार्वजनिक उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का क्रियान्वयन

सरकारी आदेशों के अनुरूप परिलब्धियों की गणना न करने एवं अपात्र कर्मचारियों को स्वेच्छिक सेवा निवृति (वीआरएस) दे देने के कारण राज्य सार्वजनिक उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों को 1.46 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया गया।

सार्वजनिक उद्यमों में अधिक मानवश्रम को कम करने के दृष्टिकोण से, राज्य सरकार ने जून 1993 में सार्वजनिक उद्यमों के उन कर्मचारियों के लिए, जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी अथवा जिन्होंने 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी, वीआरएस लागू की। सरकार के आदेश में व्यवस्था थी कि योजना सार्वजनिक उद्यमों द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभाग के पूर्वानुमोदन से लागू की जा सकती थीं।

योजना की प्रमुख बातें और उससे होने वाले लाभ, जो वीआरएस का विकल्प लेने वालों को हो सकते थे, निम्नलिखित थे:

- सीपीएफ नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों के अंशदायी भविष्य निधि में पड़ी हुई धनराशि।
- सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के नियमों के प्रावधानों के अनुसार अवकाश नगदीकरण।
- ग्रेच्यूटी अधिनियम अथवा सार्वजनिक उद्यमों/निगमों में लागू योजना के अनुसार ग्रेच्यूटी की धनराशि।

- सेवा शर्तों के अनुसार, एक या तीन महीनों के सूचना के स्थान पर एक या तीन माह का वेतन, जैसा भी मामला हो।

- उपरोक्त के अतिरिक्त, वीआरएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारी, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए डेढ़ माह की परिलब्धियाँ (वेतन व महँगाई भत्ता) या वीआरएस के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति लेते समय शेष सेवा के लिए आगणित परिलब्धियाँ, दोनों में से जो कम हो, के मुआवजे के रूप में अनुग्रह धनराशि के अधिकारी थे।

- वीआरएस का विकल्प लेने वालों के संबंध में परिलब्धियों में केवल वेतन व महँगाई भत्ते को शामिल किया जाना था परन्तु उसमें अंतरिम सहायता की धनराशि शामिल नहीं की जानी थी।

- योजना दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, ठेका व कार्य प्रभारित प्रतिष्ठानों व मौसमी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं थी।

योजना 13* सार्वजनिक उद्यमों में लागू की गई थी। उनमें से सात सार्वजनिक उद्यमों की परीक्षण जाँच की गई थीं। लेखा परीक्षा ने पाया (मार्च 2004) कि 4 सार्वजनिक उद्यमों के संदर्भ में वीआरएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों को, नीचे दी गई सारणी के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभों के रूप में 1.46 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया गया था:

कम्पनी का नाम	वीआरएस चुनने वाले कर्मचारियों की संख्या	वर्ष जिसमें वीआरएस चुना गया	आधिक्य में दी गयी रकम (रुपये लाख में)	अभ्युक्तियाँ
यूपी इन्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (यूपीआईएल)	244	1999-2000	68.87	अन्तरिम राहत, विशेष भत्ता और व्यक्तिगत वेतन परिलब्धियों में जोड़े गये थे यद्यपि ग्राह्य नहीं थे।
उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड (यूपीएसएससीएल) (हरदोई और बस्ती इकाइयों में)	567	1999-2000	52.84	अन्तरिम राहत परिलब्धियों में जोड़ी गयी थी यद्यपि ग्राह्य नहीं थी।
उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएआईसीएल)	191	2000-2004	17.56	अन्तरिम राहत की दो किश्तें यद्यपि ग्राह्य नहीं थी फिर भी भुगतान की गयी; 17.56 लाख रुपये में से 15.90 लाख रुपये लेखा परीक्षा के दृष्टांत पर अब तक कम्पनी द्वारा वसूले गये हैं।
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीईसी)	आठ नियमित और सात स्थिर मजदूरी वाले कर्मचारी	2000-2001	6.62	नियमित कर्मचारियों ने 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी।
		योग	**145.89**	

* यू पी स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन, यू पी स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम, इंडियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड, यू पी स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, यू पी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, यू पी एक्सपोर्ट कारपोरेशन, यू पी स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन, यू पी स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, यू पी इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, यू पी स्टेट शुगर कारपोरेशन और उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड ।

- यूपीआईएल के प्रबन्धन ने कहा (जून 2004) कि वीआरएस की धनराशि की गणना 8 जून 1993 के सरकारी आदेश के अनुसार की गई थी और भुगतान की स्वीकृति, सचिव, औद्योगिक विकास एवं वित्त विभाग द्वारा दी गई थी। आगे उन्होंने कहा कि यदि अंतरिम सहायता, विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन भुगतान के लिए नहीं जोड़े गये होते तो कर्मचारी आंदोलित हो गये होते।

- यूपीएसएससीएल के प्रबन्धन ने कहा (जून 2004) कि सरकार ने 300 रुपये प्रति माह अतिरिक्त स्थाई भत्ते के रूप में स्वीकृत किया था, न कि अंतरिम सहायता के रूप में, इसलिए वीआरएस के अन्तर्गत लाभों की गणना करते समय यह परिलब्धियों में शामिल थे।

- यूपीएआईसीएल के प्रबन्धन ने, लेखा परीक्षा के तर्क को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2004) कि 15.90 लाख रुपये की धनराशि वसूल कर ली गई है व शेष धनराशि (1.66 लाख रुपये) देय धनराशि में से वसूल कर ली जाएगी।

- यूपीईसी के प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2004) कि कम्पनी के कर्मचारियों को वीआरएस के अन्तर्गत भुगतान सचिव, लघु उद्योग व निर्यात सम्वर्द्धन व वित्त विभाग से अनुमति लेकर किया गया था। आगे उन्होंने कहा कि वीआरएस के अन्तर्गत भुगतान की गई धनराशि छँटनी पर (31 अगस्त 2001 से) देय धनराशि की तुलना में कम थी।

यूपीआईएल व यूपीएसएससीएल के प्रबंधनों के जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिनांक 15 जून 1999 व 28 नवम्बर 2000 के सरकारी आदेशों में साफ तौर पर परिभाषित था कि परिलब्धियों में केवल वेतन व महँगाई भत्ता शामिल होगा। यूपीईसी के प्रबंधन का जवाब भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भुगतान वीआरएस के प्रावधानों के विपरीत था और भुगतान करने से पहले वीआरएस की शर्तों में छूट देने के लिए (जो कि कम से कम 10 वर्ष की सेवा है या 40 वर्ष की उम्र है और स्थाई वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए वीआरएस की अस्वीकार्यता) सरकार से अनुमति नहीं ली गई थी।

3.26 ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों की आंतरिक लेखा परीक्षा/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमियाँ

आंतरिक नियंत्रण, यह तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्रबंधकीय यंत्र है कि प्रबंधकीय उद्देश्य, कुशल, प्रभावी व समुचित तरीके से प्राप्त किए जा रहे हैं। आंतरिक नियंत्रण की एक अच्छी प्रणाली में, अन्य बातों के साथ-साथ, संगठन के अन्दर क्रियात्मक उत्तरदायित्वों का उचित बँटवारा, लेखांकन आँकड़ों की प्रमाणिकता व विश्वसनीयता निश्चित करने के लिए उचित संचालन व लेखांकन क्रियाविधियाँ, संचालनों में और सम्पत्तियों की सुरक्षा में कुशलता, कार्मिकों की उनके उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों की अनुरूपता में गुणवत्ता,

एक व्यक्ति के काम की दूसरे के द्वारा समीक्षा जिससे, साँठ-गाँठ की अनुपस्थिति में, कपट या गलती की सम्भावना न्यूनतम हो जाती है।

2000-2001 से 2003-04 की अवधि से संबंधित आठ ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के अभिलेख जाँचे गये थे और इन कम्पनियों से प्राप्त सूचना की संवीक्षा की गई थी। लेखा परीक्षा ने आंतरिक लेखा परीक्षा/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियाँ पायी:

लेखों की बहियों का रख-रखाव

3.26.1 तीन कम्पनियों (यूपीपीसीएल, यूपीजेवीएनएल, व यूपीआरवीयूएनएल) में स्थाई सम्पत्तियों के संख्यात्मक विवरण, खरीद का वर्ष, स्थिति, पहचान व ह्रास की ओर संकेत करते हुए पूरे विवरण दर्शाने वाले पूर्ण अभिलेख, नहीं रखे गये थे। ऐसे विवरणों के अभाव में, सम्पत्तियों व दायित्वों का वास्तविक भौतिक सत्यापन व मूल्यांकन संभव नहीं था। यूपीपीसीएल में विविध देनदारों का आयु के अनुरूप वर्गीकरण नहीं किया गया था।

यूपीपीसीएल के प्रबन्धन ने कहा (फरवरी 2005) कि संख्यात्मक विवरण, खरीद का वर्ष, स्थान, पहचान और ह्रास को दर्शाने के लिए स्थायी परिसम्पत्तियों के रजिस्टर का अद्यतन किया जाना प्रगति में था।

प्राप्ति पुस्तकों के लेखांकन और प्राप्ति पुस्तकों के माध्यम से वसूल किये गये राजस्व की देख-रेख व इसका कम्पनी के खाते में जमा होना एक प्रभावी नियंत्रण के लिये आवश्यक था। यह पाया गया था कि यूपीपीसीएल में संग्रह करने वाले अभिकर्ताओं को प्राप्ति पुस्तकों के निर्गमन पर एवं उसकी वापसी पर समुचित नियंत्रण नहीं था क्योंकि प्राप्ति पुस्तकों के निर्गमन व उसकी वापसी का कोई मिलान नहीं किया गया था। कई मामलों में, संग्रह करने वाले अभिकर्ताओं द्वारा संग्रह की गई धनराशि एक दिन से आठ माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद जमा की गई थीं। कम्पनी की आंतरिक लेखा परीक्षा ने, जनवरी 2004 में, देर से सूचना दी कि ईयूडीडी-II, मेरठ में, राजस्व का प्रभारी अधिकारी (एईआर), राजस्व की रक्षा के लिए निर्धारित जाँच नहीं कर रहा था। परिणामस्वरूप, रोकड़िये (राजस्व) द्वारा मई 2000 से जनवरी 2001 के दौरान वसूल की गई 47.28 लाख रुपये की धनराशि, राजस्व रोकड़बही में प्रविष्ट नहीं की गई थीं। इस प्रकार, रोकड़िये द्वारा रखी गई 47.28 लाख रुपये की धनराशि कम्पनी के खाते तक नहीं पहुँची। कम्पनी द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है (अगस्त 2004)।

बैंक शेषों का मिलान

3.26.2 दुर्विनियोग, कपट आदि रोकने हेतु प्रभावी वित्तीय नियंत्रण प्रयोग में लाने के लिए उपयुक्त अन्तराल पर कम्पनी की पुस्तकों के शेषों का बैंक शेषों के साथ मिलान आवश्यक था। लेखा परीक्षा ने इस संबंध में निम्नलिखित अवलोकन किया:

बैंक खातों (यूपीआरवीयूएनएल) का ठीक तरह से व नियमित रूप से मिलान नहीं किया गया था। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन में, कम्पनी की पुस्तकों में एसबीआई, ओबरा के नकद साख खाते में 91.38 लाख रुपये की धनराशि डेबिट शेष के रूप में दर्शायी गई थीं जबकि बैंक के प्रमाण-पत्र के अनुसार, वहाँ शून्य शेष था। 1982 से खाता अकार्यशील पड़ा था। अनपरा थर्मल पावर स्टेशन में, 1981 से एक बड़ी संख्या में प्रविष्टियाँ समायोजन के लिए लंबित पड़ी थीं परन्तु कोई मिलान नहीं किया गया था (अप्रैल 2004)। हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन के मामले में, एसबीआई में वितरण खाता 1.46 करोड़ रुपये का शेष प्रदर्शित कर रहा था, जबकि कम्पनी की पुस्तकों में, यह 34 लाख रुपये का अन्तर रखते हुए 1.12 करोड़ रुपये लिया गया था। अन्तर 1983 से चला आ रहा था।

यूपीआरवीयूएनएल के प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2004) कि 34 लाख रूपये में से 27 लाख रूपयों का मिलान कर लिया गया था तथा शेष राशि के मिलान के लिए प्रयत्न किया जा रहा था।

इकाइयों के मध्य के लेन-देनों का मिलान

3.26.3 रोकड़ व सामग्री से संबंधित इकाइयों के मध्य के लेन-देनों का सामयिक मिलान व समाधान, एक तरफ तो पूर्ण व सही लेखांकन को निश्चित करने के लिए व दूसरी तरफ दुर्विनियोग रोकने के लिए, आवश्यक था। लेखा परीक्षा में यह देखा गया था कि अन्तर-कार्यालयीन खातों का नियमित व सामयिक आधार पर मिलान नहीं किया जा रहा था। अन्तर-कार्यालयीन खातों के मिलान बहुत बकाया में थे। इकाइयों के मध्य के लेन-देनों की स्वीकृति/समाधान की अनुपस्थिति में, इसकी वास्तविकता व प्रामाणिकता स्थापित नहीं की जा सकी।

यूपीआरवीयूएनएल के प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2004) कि स्थानान्तरण योजना के अन्तर्गत प्राइसवाटरहाउसकूपर (परामर्शदात्री) के द्वारा उपलब्ध कराये गये राशि का विवरण न होने के कारण, स्थानान्तरित डेबिट/क्रेडिट पत्रों को स्वीकार किये जाने की स्थिति का विनिश्चय नही किया जा सका और पूर्ववर्ती यूपीएसईबी से सम्बन्धित पुराने बकाये प्रविष्टियों को समायोजित किये जाने का प्रयास किया जा रहा था।

भण्डार लेखांकन

3.26.4 यूपीपीसीएल के खातों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदनों से यह अवलोकित हुआ कि माल व भण्डार से संबंधित अभिलेख समुचित नहीं थे और 31 मार्च 2003 को समाप्त हाने वाले वर्ष के दौरान भण्डार व अतिरिक्त पुर्जो का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। यूपीआरवीयूएनएल में, पुराने/अप्रचलित/निष्क्रिय स्टॉक का पूर्ण विवरण नहीं रखा गया था। भण्डार, अतिरिक्त पुर्जे व कच्चे माल का स्टॉक प्रबन्धन द्वारा नियमित अन्तरालों पर भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया था। यूपीजेवीएनएल में, भण्डार व अतिरिक्त पुर्जे का स्टॉक वर्ष 2002-03 के दौरान, प्रबन्धन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया था और कम्पनी के पास असेवायोग्य व क्षतिग्रस्त भण्डार के निर्धारण हेतु नियमित प्रक्रिया नहीं थीं। केस्को में, अप्रचलित व निष्प्रयोज्य स्टॉक निर्धारित नहीं किया गया था। लेखा परीक्षा में अवलोकन किया गया कि:

- यूपीआरवीयूएनएल की विभिन्न परियोजनाओं में 129.12 करोड़ रुपये मूल्य के भण्डार पाँच वर्षो से भी अधिक समय से पड़े हुए थे (मार्च 2004) परन्तु उसके निस्तारण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।
- पनकी, परीछा व हरदुआगंज परियोजना के तोल सेतु सामान्यत: खराब/बेकार रहें। अत: परीछा परियोजना में प्राप्त कोयले की मात्रा की गणना बीजक आधार पर की गई थी जबकि अन्य दो परियोजनाओं में अनुमानित आधार पर।

देयों की वसूली न होना, वसूली प्रमाण-पत्रों का असमुचित अनुश्रवण

3.26.5 भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910* की धारा 24 के अनुसार, विद्युत देयों का भुगतान बिल में वर्णित देय तिथि के अन्दर करना होता है। चूक की दशा में, सात दिनों के बाद आपूर्ति विच्छेदित कर दी जाती है और उत्तर प्रदेश विद्युत उपक्रम (देय वसूली) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अधीन (30 दिन का नोटिस देकर) एक माँग नोटिस भेज देना होता है। यदि भुगतान तब भी प्राप्त नहीं होता है, इसी अधिनियम की धारा 5 के अधीन जिलाधिकारी को एक वसूली प्रमाण-पत्र, देयों को भू-राजस्व की भाँति वसूल करने हेतु भेजना होता है।

डिस्कॉम्स में मार्च 2004 के अन्त में चूककर्त्ताओं की संख्या 3,599.53 करोड़ रुपये के अदत्त देयों के साथ 30,91,739 थी। लेखा परीक्षा में पाया गया कि केवल 75.48 करोड़ रुपये की 68,093 चूककर्त्ताओं से वसूल हो सके।

लेखा परीक्षा मे यह आगे पाया गया था कि डिस्काम्स ने उपभोक्ताओं के सही विवरण नहीं बना रखे थे, परिणामस्वरूप बहुत से वसूली प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा एक या अधिक कारणों से जैसे गलत पता, उपभोक्ता का पता न लगना और उपभोक्ता के पास कोई सम्पत्ति न होना आदि, के कारण वापस कर दिये गये थे।

लेखा परीक्षा समिति

3.26.6 यह अवलोकित किया गया था कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के अनुक्रम में पीवीवीएनएल, पीएवीवीएनएल और एमवीवीएनएल में लेखा परीक्षा समिति नहीं बनाई गई थी। 1999-2000 के वार्षिक खातों पर, बैंक खातों के मिलान और सम्पत्तियों और दायित्वों के आँकड़ों, स्टॉक/स्थाई सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन आदि से संबंधित लेखा परीक्षा समिति (यूपीपीसीएल) की संस्तुतियाँ, अभी भी लागू की जानी थी। यूपीआरवीयूएनएल में, लेखा परीक्षा समिति ने वर्ष (2003-04) के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ कोई भी सभा नहीं की।

आन्तरिक लेखा परीक्षा

3.26.7 आन्तरिक लेखा परीक्षा, आन्तरिक नियंत्रण का एक भाग है जिसे अनियमितताओं, कपटों, हेरा-फेरियों व गबनों आदि का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है और यह देखने के लिए कि समय-समय पर निर्गत नियमों व अनुदेशों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। यूपीपीसीएल व डिस्कॉम्स का अपनी आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रभाग था। उर्जा क्षेत्र की अन्य कम्पनियाँ

* विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा विस्थापित।

(यूपीआरवीयूएनएल, यूपीजेवीएनएल व केस्को) कि अपनी आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं थी। इन कम्पनियों में आन्तरिक लेखा परीक्षा शासपत्रित लेखाकारों की फर्मो के द्वारा की जा रही थी। 2002-03 की अपनी प्रतिवेदनों में सांविधिक लेखा परीक्षकों ने उल्लिखित किया था कि व्यापार के आकार व स्वभाव को देखते हुए आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को अधिक मजबूत करने की आवश्यकता थी (यूपीपीसीएल व यूपीजेवीएनएल) और सामयिकता, संचालन का सम्पूर्ण प्रबन्ध व कम्पनी की प्रणाली, कम्पनी (यूपीआरवीयूएनएल) के आकार के अनुरूप संतोषजनक व उपयुक्त नहीं थी। यूपीपीसीएल ने आन्तरिक लेखा परीक्षा नियम पुस्तिका तैयार नहीं की थी।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का निर्गत होना व अनुपालन कार्यवाही

3.26.8 पीवीवीएनएल में, लेखा परीक्षा की सामयिकता दर्शाती हुई कोई चक्र-पंजिका नहीं रखी गयी थी और बकाया प्रस्तरों की स्थिति प्रबंधन को नहीं भेजी जा रही थी। यह पाया गया कि अक्टूबर 2003 से मार्च 2004 के दौरान, की गई लेखा परीक्षा के संबंध में संबंधित इकाइयों (16 इकाइयाँ) से प्रारंभिक आपत्तियों के उत्तर के अभाव में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निर्गत नहीं किए गये थे। डीवीवीएनएल में, 1978-79 से 2002-03 के दौरान निर्गत 426* लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, इकाइयों से उत्तर के अभाव में बकाया थे। पीएवीवीएनएल में 1978-79 से 2003-04 के दौरान निर्गत 1144 लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में से, 1118 प्रतिवेदन जवाब/उपचारात्मक कार्यवाही के अभाव में बकाया थे।

यूपीपीसीएल में मई 1996 में बकाया प्रस्तरों को निपटाने के लिए, एक प्रस्तर निस्तारण समिति बनाई गई थी। समिति को इस संबंध में एक साप्ताहिक सभा आयोजित करनी थी। यह पाया गया था कि सभाएँ नियमित रूप से आयोजित नहीं की गई थी तथा दिसम्बर 2001 से जनवरी 2004 के दौरान 113 सभाओं के स्थान पर केवल 13 सभाएँ आयोजित की जा सकी थी।

3.27 लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुपालन कार्यवाही

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सरकार के विभागों व विभिन्न कार्यालयों में रखे गये खातों एवं अभिलेखों के प्रारंभिक निरीक्षण से शुरू हुई संवीक्षा प्रक्रिया की चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी से उचित व समय से प्राप्त उत्तर को उल्लिखित करें।

वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-02 व 2002-03 के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, क्रमशः मई 2001 अगस्त 2002, सितम्बर 2003 व जुलाई 2004 में रखी गई थी। 17 विभागों से संबंधित 164 प्रस्तर/समीक्षाएँ वर्ष 1999-2000 से 2002-03 की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में परिलक्षित/वर्णित थे। 81

* यूपीएसईबी के टुकड़े होने और यूपीपीसीएल का वितरण का कार्य चार वितरण कम्पनियों को स्थानान्तरण किये जाने के बाद डीवीवीएनएल व पीएवीवीएनएल को हस्तान्तरित खण्डों से संबंधित पूर्ववर्ती यूपीएसईबी व यूपीपीसीएल की अवधि के दौरान निर्गमित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को मिलाकर ।

प्रस्तरों/समीक्षाओं के संबंध में, 30 सितम्बर 2004 तक कोई उत्तर निम्नवत विवरण के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ था:

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कुल प्रस्तर/समीक्षायें	सम्बन्धित विभागों की संख्या	प्रस्तर/समीक्षाओं की संख्या जिनके लिये उत्तर नहीं प्राप्त हुए थे
1999-2000	45	9	9
2000-01	39	12	9
2001-02	38	8	24
2002-03	42	10	39
योग	**164**		**81**

विभागानुसार विश्लेषण **परिशिष्ट-30** में दिया गया है। मुख्यत: उर्जा और उद्योग व औद्योगिक विकास विभाग उत्तर न भेजने के लिए उत्तरदायी थे।

सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का बकाया अनुपालन

3.27.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रति वर्ष राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखने का उद्देश्य सर्वोत्तम रूप से तभी पूरा हो सकता था यदि कोपू समयबद्ध कार्यक्रम के अन्दर इन प्रतिवेदनों की जाँच करती और सुधारात्मक कार्यवाहियों को प्रभाव में लाने के लिए विभागों/सार्वजनिक उद्यमों को संस्तुतियाँ निर्गत करती। यह न केवल संबंधित विभागीय अधिकारियों की विधान मण्डल के प्रति सामयिक जवाबदेही तय करती बल्कि प्रतिवेदनों में लाये गये विभिन्न बिन्दुओं पर आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही को भी गति प्रदान करती।

वर्ष 1993-94 से 2002-03 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में, 391 प्रस्तर व 52 समीक्षाएँ परिलक्षित थीं। इनमें से 93 प्रस्तर व चार समीक्षाओं की चर्चा 30 सितम्बर 2004 तक कोपू द्वारा की गई थी। वर्ष 1993-94 से 1998-99 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में परिलक्षित 45 प्रस्तरों व एक समीक्षा के संबंध में कोपू द्वारा दी गई संस्तुतियाँ प्राप्त हो गई है। विभागों के उत्तर/इन संस्तुतियों पर अनुपालन कार्यवाही प्रतीक्षित है (सितम्बर 2004)।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित निरंतर अनियमितताओं के मामलों पर की गई कार्यवाही

3.27.2 राज्य कोपू द्वारा, निरंतर प्रकृति के प्रस्तरों पर विचार-विमर्श में सुविधा व सहायता देने के दृष्टिकोण से, संबंधित लेखा परीक्षित संगठन द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाही को सत्यापित करने के लिए, एक अभ्यास किया गया है। उसका सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में परिणाम **परिशिष्ट-31** में और संवैधानिक निगमों के सम्बन्ध में **परिशिष्ट-32** में दिखाया गया है।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट प्रस्तरों व समीक्षाओं का उत्तर

3.28 लेखा परीक्षा के दौरान संज्ञान में आये और वहीं निस्तारित नहीं किये गये लेखा परीक्षा अवलोकन, सार्वजनिक उद्यमों के प्रमुख को और राज्य सरकार के संबंधित विभागों को, निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सम्प्रेषित कर दिये जाते हैं। सार्वजनिक उद्यमों के प्रमुखों को, निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर, संबंधित विभागों के प्रमुखों के माध्यम से छ: सप्ताह की अवधि के अन्दर उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। मार्च 2004 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनें यह दर्शाती थी कि 67 सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित 13,113 प्रस्तर सितम्बर 2004 के अन्त तक बकाया

थे; इनमें से 2,409 प्रस्तर सन्निहित करने वाले 502 निरीक्षण प्रतिवेदन 5 वर्षो से अधिक समय से अनुत्तरित थे। 30 सितम्बर 2004 को, बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षा अवलोकनों का विभागानुसार विवरण **परिशिष्ट-33** में दिया गया है।

इसी प्रकार से सार्वजनिक उद्यमों की कार्यप्रणाली पर प्रारूप प्रस्तर और समीक्षाएँ, प्रधान सचिव, वित्त और संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को, तथ्यों व आँकड़ों की पुष्टि व उस पर छः सप्ताह की अवधि के अंदर उनकी टिप्पणियाँ माँगते हुए अर्द्धसरकारी पत्र से अग्रसारित किये जाते हैं। फिर भी, यह अवलोकित किया गया कि जनवरी 2004 से जून 2004 के दौरान विभिन्न विभागों को अग्रसारित किये गये 26 प्रारूप प्रस्तरों व चार प्रारूप समीक्षाओं में से, सरकार ने **परिशिष्ट-34** में दिये गये विवरण के अनुसार अभी तक (सितम्बर 2004) 24 प्रारूप प्रस्तरों व चार प्रारूप समीक्षाओं का उत्तर नहीं दिया था।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि (ए) उन अधिकारियों के विरूद्ध जो निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप प्रस्तरों/समीक्षाओं के उत्तर भेजने में असफल रहें, कार्यवाही के लिए प्रक्रिया विद्यमान हैं, (बी) एक समयबद्ध कार्यक्रम में हानि/बकाया अग्रिम/अधिभुगतान को वसूल करने के लिए कार्यवाही और (सी) लेखा परीक्षा आपत्तियों के जवाब देने की प्रणाली नवीनीकृत कर दी गई हैं।

(बीरेन्द्र कुमार)
महालेखाकार
(वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा)
उत्तर प्रदेश

लखनऊ
दिनांक 06 MAY 2005

प्रतिहस्ताक्षरित

वि. ना. कौल

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 19 मई 2005

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2004 को अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बजट बर्हिगमन, बजट से प्राप्त ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.4, 1.5, 1.6 व 1.20 में संदर्भित)

{स्तम्भ 3(अ) से 4(र) के आंकड़े लाख रुपये में हैं}

क्रम सं0	क्षेत्र एवं कम्पनी/निगम का नाम	चालू वर्ष के अन्त तक प्रदत्त पूँजी (कोष्ठक के आंकड़े अंशपूँजी आवेदन धनराशि को और डैश शून्य राशि को इंगित करते है)					वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशपूँजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण*	2003-04 की समाप्ति पर बकाया ऋण**			2003-04 के लिए ऋण/ अंशपूँजी अनुपात (गत वर्ष) 4(र)/3(य)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनियाँ	अन्य	योग	समता अंशपूँजी	ऋण		सरकारी	अन्य	योग	
(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
	कृषि एवं समवर्गीय												
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	3667.17 (-)	332.83 (-)	– (-)	– (-)	4000.00 (-)	–	250.00	–	750.00	-	750.00	0.19:1 (0.13:1)
2.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	38.25 (-)	– (-)	– (-)	32.95 (0.21)	71.20 (0.21)	–	654.87	-	654.87	-	654.87	9.17:1 (-)
3.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	50.50 (-)	– (-)	– (-)	12.60 (1.81)	63.10 (1.81)	–	–	–	–	-	-	– (-)
4.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	15.30 (-)	- (-)	- (-)	8.19 (2.00)	23.49 (2.00)	-	-	-	-	-	-	- (-)
5.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एवं ट्यूबवेल्स कार्पोरेशन लिमिटेड)	540.00 (447.00)	100.00 (-)	- (-)	- (-)	640.00 (447.00)	-	-	-	-	-	-	- (-)
6.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	150.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	150.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
7.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	107.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	107.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
8.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	125.00 (-)	- (-)	- (-)	67.00 (-)	192.00 (-)	125.00	1500.00	-	1500.00	-	1500.00	7.81:1 (-)
	क्षेत्रवार योग	**4693.22 (447.00)**	**432.83 (-)**	**- (-)**	**120.74 (4.02)**	**5246.79 (451.02)**	**125.00**	**2404.87**	**-**	**2904.87**	**-**	**2904.87**	**0.51:1 (0.12:1)**
	उद्योग												
9.	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	596.05 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	596.05 (-)	-	-	-	898.89	125.00	1023.89	1.72:1 (1.72:1)
10	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	573.94 (-)	- (-)	- (-)	-	573.94 (-)	-	-	-	191.40	-	191.40	0.33:1 (0.33:1)

* बाण्ड, ऋणपत्र, अन्तर-निगम जमा शामिल है।

** 2003-04 के अन्त में बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋण को दर्शाता है।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
11.	यू पी एस आई सी पौट्रीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	76.25 (-)	- (-)	76.25 (-)	-	-	-	82.50	40.00	122.50	1.61:1 (1.61:1)
	क्षेत्रवार योग	**1169.99** **(-)**	**-** **(-)**	**76.25** **(-)**	**-** **(-)**	**1246.24** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**1172.79**	**165.00**	**1337.79**	**1.07:1** **(1.07:1)**
	इलेक्ट्रानिक्स												
12.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	8765.98 (742.50)	- (-)	- (-)	- (-)	8765.98 (742.50)	-	625.00	-	7819.00	-	7819.00	0.82:1 (0.75:1)
13.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	117.00 (-)	- (-)	117.00 (-)	-	-	-	-	20.00	20.00	0.17:1 (0.17:1)
14.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	124.08 (240.00)	50.63 (-)	174.71 (240.00)	-	-	-	-	153.29	153.29	0.37:1 (0.37:1)
15.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	5792.51 (-)	- (-)	5792.51 (-)	-	-	-	-	970.00	970.00	0.17:1 (0.17:1)
	क्षेत्रवार योग	**8765.98** **(742.50)**	**-** **(-)**	**6033.59** **(240.00)**	**50.63** **(-)**	**14850.20** **(982.50)**	**-**	**625.00**	**-**	**7819.00**	**1143.29**	**8962.29**	**0.57:1** **(0.53:1)**
	वस्त्र												
16.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	3190.52 (2176.00)	- (-)	- (-)	- (-)	3190.52 (2176.00)	-	325.00	-	-	1392.83	1392.83	0.26:1 (0.26:1)
17.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	8864.84 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	8864.84 (-)	-	-	-	1758.00	-	1758.00	0.20:1 (0.20:1)
	क्षेत्रवार योग	**12055.36** **(2176.00)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**12055.36** **(2176.00)**	**-**	**325.00**	**-**	**1758.00**	**1392.83**	**3150.83**	**0.22:1** **(0.22:1)**
	हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स												
18.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	3644.49 (-)	1062.95 (-)	- (-)	- (-)	4707.44 (-)	-	4831.00	-	7506.72	-	7506.72	1.59:1 (0.61:1)
	क्षेत्रवार योग	**3644.49** **(-)**	**1062.95** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**4707.44** **(-)**	**-**	**4831.00**	**-**	**7506.72**	**-**	**7506.72**	**1.60:1** **(0.61:1)**
	निर्माण												
19.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड	1000.00 (-)	(-)	- (-)	-(-)	1000.00 (-)	-	-	1601.00	1006.00	3476.00	4482.00	4.48:1 (2.88:1)
20.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
21.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	300.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	300.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**1400.00** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**1400.00** **(-)**	**-**	**-**	**1601.00**	**1006.00**	**3476.00**	**4482.00**	**3.20:1** **(2.06:1)**
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास												
22.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	7689.31 (500.00)	6676.54 (-)	-	-	14365.85 (500.00)	-	-	1368.77	-	4865.84	4865.84	0.33:1 (0.41:1)
23.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	15.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	15.00 (-)	-	-	-	-	37.83	37.83	2.52:1 (2.52:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
24.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड)	910.00 (322.82)	- (-)	- (-)	- (-)	910.00 (322.82)	100.00	-	550.00	-	3745.02	3745.02	.3.04:1 (3.47:1)
	क्षेत्रवार योग	**8614.31 (822.82)**	**6676.54 (-)**	**- (-)**	**- (-)**	**15290.85 (822.82)**	**100.00**	**-**	**1918.77**	**-**	**8648.69**	**8648.69**	**0.54:1 (0.63:1)**
	सर्वजनिक वितरण												
25.	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	500.00 (50.39)	- (-)	- (-)	- (-)	500.00 (50.39)	-	-	-	1350.35	-	1350.35	2.46:1 (2.46:1)
	क्षेत्रवार योग	**500.00 (50.39)**	**- (-)**	**- (-)**	**- (-)**	**500.00 (50.39)**	**-**	**-**	**-**	**1350.35**	**-**	**1350.35**	**2.46:1 (2.46:1)**
	चीनी												
26.	उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड	59066.92 (35280.49)	- (-)	- (-)	- (-)	59066.92 (35280.49)	-	-	-	4372.01	-	4372.01	0.05:1 (0.06:1)
27.	छाता शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	3618.28 (-)	- (-)	3618.28 (-)	-	-	-	400.00	31.85	431.85	0.12:1 (0.12:1)
28.	नन्दगंज-सिहोरी शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	3404.05 (-)	- (-)	3404.05 (-)	-	-	815.04	-	2777.80	2777.80	0.82:1 (0.58:1)
29.	घाटमपुर शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	879.85 (-)	15.00 (-)	894.85 (-)	-	-	691.97	7.46	3209.34	3216.80	3.59:1 (2.82:1)
30.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	843.70 (54459.42)	-	-	-	843.70 (54459.42)	-	80.00	-	80.00	-	80.00	0.001:1 (-)
	क्षेत्रवार योग	**59910.62 (89739.91)**	**- (-)**	**7902.18 (-)**	**15.00 (-)**	**67827.80 (89739.91)**	**-**	**80.00**	**1507.01**	**4859.47**	**6018.99**	**10878.46**	**0.07:1 (0.11:1)**
	पर्यटन												
31.	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1512.53 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1512.53 (-)	-	-	-	48.33	-	48.33	0.03:1 (0.03:1)
	क्षेत्रवार योग	**1512.53 (-)**	**- (-)**	**- (-)**	**- (-)**	**1512.53 (-)**	**-**	**-**	**-**	**48.33**	**-**	**48.33**	**0.03:1 (0.03:1)**
	विद्युत												
32.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	179706.62 (33585.00)	- (-)	- (-)	- (-)	179706.62 (33585.00)	-	11275.00	25782.98	52295.34	107723.47	160018.81	0.75:1 (0.78:1)
33.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	37288.44 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	37288.44 (-)	-	-	-	6465.00	-	6465.00	0.17:1 (1.26:1)
34.	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	470744.96 (109610.96)	- (-)	- (-)	- (-)	470744.96 (109610.96)	35389.45	22298.94	110991.00	105572.82	220929.65	326502.47	0.56:1 (0.60:1)
35.	कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.07 (-)	- (-)	5999.93 (-)	- (-)	6000.00 (-)	-	-	-	-	11000.00	11000.00	1.83:1 (2.25:1)
36.	यू0पी0एस0आई0डी0सी0 पावर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	5.07 (-)	- (-)	5.07 (-)	-	-	-	-	-	-	- ()
37.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	34619.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	34619.00 (-)	34619.00	250.00	29085.00	250.00	29085.00	29335.00	0.85:1 (-)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
38.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	15543.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	15543.00 (-)	15543.00	500.00	35846.00	500.00	35846.00	36346.00	2.34:1 (-)
39.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	54000.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	54000.00 (-)	54000.00	375.00	33481.00	375.00	33481.00	33856.00	0.63:1 (-)
40.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	11515.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	11515.00 (-)	11515.00	375.00	39081.00	375.00	39081.00	39456.00	3.43:1 (-)
	क्षेत्रवार योग	**803417.09 (143195.96)**	**- (-)**	**6005.00 (-)**	**- (-)**	**809422.09 (143195.96)**	**151066.45**	**35073.94**	**274266.98**	**165833.16**	**477146.12**	**642979.28**	**0.67:1 (0.68:1)**
	वित्तपोषण												
41.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2407.51 (516.50)	- (-)	- (-)	- (-)	2407.51 (516.50)	-	-	-	4047.73	856.00	4903.73	1.68:1 (1.77:1)
42.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	11057.50 (-)	- (-)	- (-)	2500.00 (-)	13557.50 (-)	-	-	56284.93	1750.00	66756.46	68506.46	5.05:1 (0.77:1)
43.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2999.95 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2999.95 (-)	-	-	-	707.97	6447.76	7155.73	2.39:1 (2.39:1)
	क्षेत्रवार योग	**16464.96 (516.50)**	**- (-)**	**- (-)**	**2500.00 (-)**	**18964.96 (516.50)**	**-**	**-**	**56284.93**	**6505.70**	**74060.22**	**80565.92**	**4.14:1 (1.19:1)**
	विविध												
44.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	634.27 (-)	90.00 (-)	- (-)	- (-)	724.27 (-)	-	-	-	743.68	-	743.68	1.03:1 (1.03:1)
45.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
46.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	350.00 (200.00)	- (-)	- (-)	- (-)	350.00 (200.00)	-	-	-	-	-	-	- (-)
47.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	35.00 (36.00)	- (48.03)	- (-)	- (-)	35.00 (84.03)	-	-	-	-	-	-	- (-)
48.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड)	42.54 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	42.54 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**1161.81 (236.00)**	**90.00 (48.03)**	**- (-)**	**- (-)**	**1251.81 (284.03)**	**-**	**-**	**-**	**743.68**	**-**	**743.68**	**0.48:1 (0.52:1)**
	योग-अ (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)	**923310.36 (237927.08)**	**8262.32 (48.03)**	**20017.02 (240.00)**	**2686.37 (4.02)**	**954276.07 (238219.13)**	**151291.45**	**43339.81**	**335578.69**	**201508.07**	**572051.14**	**773559.21**	**0.65:1 (0.64:1)**
ब. कार्यरत सांविधिक निगम													
	परिवहन												
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	25211.49	6925.29	-	-	32136.78	-	-	8437.22	940.00	21786.97	22726.97	0.71:1 (0.48:1)
	क्षेत्रवार योग	**25211.49**	**6925.29**	**-**	**-**	**32136.78**	**-**	**-**	**8437.22**	**940.00**	**21786.97**	**22726.97**	**0.71:1 (0.48:1)**

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
	वित्तपोषण												
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	11450.78	-	-	6477.68	17928.46	-	-	-	-	111728.00	111728.00	6.23:1 (6.42:1)
	क्षेत्रवार योग	**11450.78**	**-**	**-**	**6477.68**	**17928.46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**111728.00**	**111728.00**	**6.23:1 (6.42:1)**
	कृषि एवं समवर्गीय												
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	558.25 (220.70)	558.25 (-)	- (-)	- (-)	1116.50 (220.70)	-	-	-	-	11062.43	11062.43	8.27:1 (9.23:1)
	क्षेत्रवार योग	**558.25 (220.70)**	**558.25**	**-**	**-**	**1116.50 (220.70)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11062.43**	**11062.43**	**8.27:1 (9.23:1)**
	वन												
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम	-	-	-	-	-	-	-	1750.00	-	1750.00	1750.00	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1750.00**	**-**	**1750.00**	**1750.00**	**- (-)**
	विविध												
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- (-)
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	12331.07	644.14	12975.21	- (-)
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	-	-	-	-	-	-	200.00	-	165.05	-	165.05	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200.00**		**12496.12**	**644.14**	**13140.26**	**- (-)**
	योग-ब (सभी क्षेत्रवार सांविधिक निगम)	**37220.52 (220.70)**	**7483.54 (-)**	**- (-)**	**6477.68 (-)**	**51181.74 (220.70)**	**-**	**200.00**	**10187.22**	**13436.12**	**146971.54**	**160407.66**	**3.12:1 (3.03:1)**
	कुल योग (अ+ब)	**960530.88 (238147.78)**	**15745.86 (48.03)**	**20017.02 (240.00)**	**9164.05 (4.02)**	**1005457.81 (238439.83)**	**151291.45**	**43539.81**	**345765.91**	**214944.19**	**719022.68**	**933966.87**	**0.75:1 (0.77:1)**
स.	अकार्यरत कम्पनियाँ												
	कृषि एवं समवर्गीय												
1.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	209.85 (-)	63.00 (-)	- (-)	- (-)	272.85 (-)	_	-	_	61.11	_	61.11	0.22:1 (0.22:1)
2.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	22.73 (-)	- (-)	- (-)	8.11 (0.22)	30.84 (0.22)	-	-	-	169.70	-	169.70	5.46:1 (5.46:1)
3.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	640.68 (-)	- (-)	- (-)	64.25 (-)	704.93 (-)	-	-	-	122.48	-	122.48	0.17:1 (0.17:1)
4.	उत्तर प्रदेश पौल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशैलिटीज लिमिटेड	44.00 (121.75)	6.00 (121.75)	- (-)	- (-)	50.00 (243.50)	-	_	_	109.75	_	109.75	0.37:1 (0.37:1)
	क्षेत्रवार योग	**917.26 (121.75)**	**69.00 (121.74)**	**- (-)**	**72.36 (0.22)**	**1058.62 (243.72)**	**-**	**-**	**-**	**463.04**	**-**	**463.04**	**0.36:1 (0.23:1)**
	उद्योग												
5.	मोहम्मदाबाद पीपुल्स टेनरी लिमिटेड	3.06 (-)	- (-)	- (-)	2.55 (-)	5.61 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
6.	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेस (प्राईवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	1.63 (-)	- (-)	1.63 (-)	-	-	-	-	3.00	3.00	1.84:1 (1.84:1)
7.	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	562.59 (-)	- (-)	- (-)	187.41 (-)	750.00 (-)	-	-	-	37.50	-	37.50	0.05:1 (0.05:1)
8.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	177.72	15.50 (9.00)	193.22 (9.00)	-	-	_	554.62	1149.26	1703.88	8.43:1 (8.43:1)
9.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	527.86 (-)	10.00 (-)	- (-)	- (-)	537.86 (-)	-	-	-	194.23	-	194.23	0.36:1 (0.36:1)
10.	कान्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	2921.72 (-)	1702.23 (-)	4623.95	-	-	-	-	13885.08	13885.08	3.00:1 (3.00:1)
11.	दि टरपेन्टाईन सब्सीडियरी इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड (दि इण्डियन टरपेण्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	15.56 (-)	- (-)	15.56 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
12.	इण्डियन बौबिन कम्पनी लिमिटेड	2.74 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2.74 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
13.	उत्तर प्रदेश एक्स्काट प्राईवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	4.85 (-)	- (-)	4.85 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
14.	उत्तर प्रदेश टायर एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल् डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	183.16 (-)	- (-)	183.16 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**1096.25 (-)**	**10.00 (-)**	**3304.64 (-)**	**1907.69 (9.00)**	**6318.58 (9.00)**	**-**	**-**	**-**	**786.35**	**15037.34**	**15823.69**	**2.50:1 (2.50:1)**
	इलेक्ट्रानिक्स												
15.	अपट्रान सेमपैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	2.55 (-)	- (-)	2.55 (-)	-	-	-	-	2.77	2.77	1.09:1 (1.09:1)
16.	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	5.25 (-)	- (-)	5.25 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**- (-)**	**- (-)**	**7.80 (-)**	**-**	**7.80 (-)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.77**	**2.77**	**0.36:1 (0.36:1)**
	वस्त्र												
17.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	16079.37 (4653.00)	- (-)	- (-)	- (-)	16079.37 (4653.00)	-	-	-	8945.00	-	8945.00	0.43:1 (0.43:1)
18.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	16.20 (-)	- (-)	26.00 (-)	- (-)	42.20 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
19.	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	375.54 (-)	- (-)	375.54 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**16095.57 (4653.00)**	**- (-)**	**401.54 (-)**	**- (-)**	**16497.11 (4653.00)**	**-**	**-**	**-**	**8945.00**	**-**	**8945.00**	**0.42:1 (0.42:1)**

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
	हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स												
20.	हैण्डलूम इन्टेसिव डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	2.00 (-)	- (-)	2.00 (-)	-	-	-	208.67	-	208.67	104.34:1 (104.34: 1)
	क्षेत्रवार योग	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**2.00** **(-)**	**-** **(-)**	**2.00** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**208.67**	**-**	**208.67**	**104.34:1** **(104.34:** **1)**
	खनन												
21.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	5640.48 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	5640.48 (-)	-	-	-	1949.61	-	1949.61	0.35:1 (0.35:1)
22.	विन्ध्याचल अब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	3.73 (-)	3.87 (-)	7.60 (-)	-	-	-	-	84.42	84.42	11.11:1 (11.11:1)
	क्षेत्रवार योग	**5640.48** **(-)**	**-**	**3.73** **(-)**	**3.87** **(-)**	**5648.08** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**1949.61**	**84.42**	**2034.03**	**0.36:1** **(0.36:1)**
	क्षेत्र विकास												
23.	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	123.30 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	123.30 (-)	-	-	-	5.00	-	5.00	0.04:1 (0.04:1)
24.	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	129.80 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	129.80 (-)	-	-	-	35.00	-	35.00	0.27:1 (0.27:1)
25.	बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	1.22 (-)	- (-)	1.22 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
26.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	67.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	67.00 (-)	-	-	-	65.93	-	65.93	0.98:1 (0.98:1)
27.	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	125.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	125.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
28.	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	70.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	70.00 (-)	-	-	-	85.79	-	85.79	1.22:1 (1.22:1)
29.	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	-	-	-	5.00	-	5.00	0.05:1 (0.05:1)
30.	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	93.56 (-)	- (-)	- (-)	32.47 (-)	126.03 (-)	-	-	-	88.24	-	88.24	0.70:1 (0.73:1)
31.	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
32.	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	70.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	70.00 (-)	-	-	-	30.00	-	30.00	0.43:1 (0.43:1)
33.	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	25.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	25.00 (-)	-	-	-	64.60	-	64.60	2.58:1 (2.58:1)
34.	गंडक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	46.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	46.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**949.66** **(-)**	**-** **(-)**	**1.22** **(-)**	**32.47** **(-)**	**983.35** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**379.56**	**-**	**379.56**	**0.39:1** **(0.39:1)**
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास												
35.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	45.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	45.00 (-)	-	-	-	125.00	-	125.00	2.78:1 (2.78:1)
	क्षेत्रवार योग	**45.00** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**45.00** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**125.00**	**-**	**125.00**	**2.78:1** **(2.78:1)**

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
	सीमेण्ट												
36.	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	6828.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	6828.00 (-)	-	-	-	12476.52	-	12476.52	1.83:1 (1.83:1)
	क्षेत्रवार योग	**6828.00** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**6828.00** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**12476.52**	**-**	**12476.52**	**1.83:1** **(1.83:1)**
	ड्रग, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल												
37.	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	18.75 (-)	- (-)	- (-)	3.27 (-)	22.02 (-)	-	-	-	533.00	-	533.00	24.21:1 (24.21:1)
38.	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	658.73 (-)	- (-)	658.73 (-)	-	-	-	1102.00	-	1102.00	1.67:1 (1.67:1)
	क्षेत्रवार योग	**18.75** **(-)**	**-** **(-)**	**658.73** **(-)**	**3.27** **(-)**	**680.75** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**1635.00**	**-**	**1635.00**	**2.39:1** **(2.40:1)**
	वित्त पोषण												
39.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	77.77 (-)	- (-)	-	65.68 (-)	143.45 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
40.	अपलीज फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	5.87 (-)	105.87 (-)	-	-	-	-	414.76	414.76	3.92:1 (3.92:1)
	क्षेत्रवार योग	**77.77** **(-)**	**-** **(-)**	**100.00** **(-)**	**71.55** **(-)**	**249.32** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**414.76**	**414.76**	**1.66:1** **(-)**
	विविध												
41.	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	818.22 (-)	- (-)	- (-)	0.20 (-)	818.42 (-)	-	-	-	301.43	-	301.43	0.37:1 (0.38:1)
	क्षेत्रवार योग	**818.22** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**0.20** **(-)**	**818.42** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**301.43**	**-**	**301.43**	**0.37:1** **(0.38:1)**
	कुल योग-(स)	**32486.96** **(4774.75)**	**79.00** **(121.75)**	**4479.66** **(-)**	**2091.41** **(9.22)**	**39137.03** **(4905.72)**	**-**	**-**	**-**	**27270.18**	**15539.29**	**42809.47**	**0.97:1** **(0.96:1)**
	कुल योग (अ+ब+स)	**993017.84*** **(242922.53)**	**15824.86** **(169.78)**	**24496.68** **(240.00)**	**11255.46** **(13.22)**	**1044594.84*** **(243345.55)**	**151291.45**	**43539.81**	**345765.91**	**242214.37***	**734561.97**	**976776.34***	**0.76:1** **(0.78:1)**

टिप्पणी: उन कम्पनियों को छोड़कर, जिन्होने वर्ष 2003-2004 के लेखों को अन्तिम रूप दिया था (क्रम सं0 अ-3 व 13) आंकड़े अनन्तिम है और जैसा कम्पनी/निगमों ने दिये है।

* राज्य सरकार का निवेश 14,781 करोड़ रूपये (अन्य: 7,865.62 करोड़ रूपये) था। वित्त लेखा 2003-04 के अनुसार यह 14,266 करोड़ रूपये है। अन्तर का समाधान किया जा रहा है।

परिशिष्ट–2

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अन्तिम रूप दे दिया गया, के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.22 व 1.23 में सन्दर्भित)

(स्तम्भ 7 से 12 एवं 15 के आंकड़े लाख रुपये में)

क्रम सं0	क्षेत्र एवं कम्पनियों/निगमों के नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ(+)/ हानि(–)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ(+)/ हानि(–)	नियोजित पूँजी (अ)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत	वर्षों के अनुसार लेखों का बकाया	आवर्त	श्रम शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ															
	कृषि एवं समवर्गीय														
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	29.03.1967	2001-02	2004-05	(-)770.35	220.11	4000.00	(-)6985.81	451.11	(-)244.88	-	2	37008.17	1884
2.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी और गन्ना विकास	27.08.1975	2001-02	2003-04	(-)64.82		71.20	(-)420.73	323.22	(-)64.82	-	2	12.77	21
3.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी और गन्ना विकास	27.08.1975	2003-04	2004-05	(-)20.15		63.10	(-)85.11	119.30	(-)5.12	-	-	26.39	14
4.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी और गन्ना विकास	27.08.1975	2002-03	2004-05	(-)8.54		23.43	(-)25.45	341.17	8.31	2.44	1	43.46	29
5.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कार्पोरेशन लिमिटेड)	सिंचाई	26.05.1976	2001-02	2003-2004	50.62	(-)200.00	640.00	(-)1343.95	(-)726.43	50.62	-	2	22884.08	779
6.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	कृषि	30.03.1978	2001-02	2004-05	2.16		150.00	(-)1.45	36376.98	2.16	0.01	2	1135.72	568
7.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	मत्स्य	27.10.1979	1996-97	2003-04	21.56		100.00	(-)256.79	262.24	21.56	8.22	7	321.66	268
8.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	कृषि	15.02.2002	*									2		
	क्षेत्रवार योग					**(+)74.34 (-)863.86**		**5047.73**	**(-)9119.29**	**(+)37874.02 (-)726.43**	**(+)82.65 (-)314.82**	**--**		**61432.25**	**3563**
	उद्योग														
9.	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	ग्रामीण व लघु उद्योग	01.06.1958	1995-96	2003-04	(-)57.50	17.74	596.05	(-)839.16	1194.87	78.42	6.56	8	9020.98	237
10.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन	12.02.1974	2000-01	2002-03	26.16		573.94	(-)685.60	531.10	31.36	9.42	3	360.44	50

* प्रथम लेखे अप्राप्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
11.	यू पी एस आई सी पौट्रीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ग्रामीण व लघु उद्योग	27.04.1976	1990-91	1998-99	(-) 47.05	-	76.26	(-) 272.71	(-) 54.51	(-) 28.61	-	13	16.50	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					**(+)26.16 (-)104.55**		**1246.25**	**(-)1797.47**	**(+)1725.97 (-)54.51**	**(+)109.78 (-)28.61**	**4.86**		**9397.92**	**287**
	इलेक्ट्रानिक्स														
12.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	इलेक्ट्रानिक्स	20.03.1974	2001-02	2003-04	(-)79.28		7751.31	(-)49.30	7542.10	(-)79.28	-	2	175.72	47
13.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स	10.04.1977	2003-04	2004-05	(-)116.04	-	117.00	(-)861.59	193.73	(-)62.44	-	-	298.00	121
14.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स	01.02.1979	October 2002 to September 2003	2004-05	(-)122.22	-	414.71	(-)590.49	906.97	88.85	9.80	-	20.86	अनुपलब्ध
15	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स	18.10.1979	1995-96	1997-98	(-)3212.23	-	5315.59	(-) 19693.43	5206.05	(-) 406.07	-	8	9715.47	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					**(-)3529.77**		**13598.61**	**(-)21194.81**	**(+)13848.85**	**(+)88.85 (-)547.79**	**-**		**10210.05**	**168**
	वस्त्र														
16.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	वस्त्र	20.08.1974	2002-03	2004-05	(-)690.17		3190.52	(-)8821.56	(-)866.83	(-)333.15	-	1	3426.54	1100
17.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	वस्त्र	20.08.1976	2002-03	2003-04	(-)642.21		8864.85	(-)9336.86	3922.19	(-)562.71	-	1	16346.65	6932
	क्षेत्रवार योग					**(-)1332.38**		**12055.37**	**(-)18158.42**	**(+)3922.19 (-)866.83**	**(-)895.86**	**-**		**19773.19**	**8032**
	हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स														
18.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	ग्रामीण व लघु उद्योग	09.01.1973	1990-91	2002-03	(-)92.02		1325.49	(-)1407.55	5944.77	44.34	0.75	13	12592.72	2374
	क्षेत्रवार योग					**(-)92.02**		**1325.49**	**(-)1407.55**	**5944.77**	**44.34**	**0.75**		**12592.72**	**2374**
	निर्माण														
19.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	18.10.1972	2000-01	2004-05	235.71	(-)45.01	1000.00	1441.88	4538.84	422.29	9.30	3	28086.05	7110
20.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	01.05.1975	2002-03	2004-05	184.49	(-)670.00	100.00	863.35	1519.06	184.49	12.14	1	24203.36	1451
21.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	27.03.1987	2002-03	2003-04	265.86	(-)21.68	300.00	615.81	921.10	452.83	49.16	1	756.48	152
	क्षेत्रवार योग					**(+)686.06**		**1400.00**	**(+)2921.04**	**(+)6979.00**	**(+)1059.61**	**15.18**		**53045.89**	**8713**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास														
22.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	25.03.1975	1996-97	2003-04	8.98		5922.62	727.55	13477.97	8.98	0.07	7	529.71	562
23.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	25.06.1976	2002-03	2004-05	106.55		15.00	765.32	756.86	106.55	14.08	1	12669.88	627
24.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड)	हरिजन एवं समाज कल्याण	26.04.91	1997-98	2004-05	34.02	28.52	810.00	27.89	2022.84	95.69	4.73	6	124.92	15
	क्षेत्रवार योग					**(+)149.55**		**6747.62**	**(+)1520.76**	**(+)16257.67**	**(+)211.22**	**12.30**		**13324.51**	**1204**
	सार्वजनिक वितरण														
25.	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	खाद्य एवं रसद	22.10.1974	1988-89	2003-04	(-)204.64	4.05	327.50	(-)300.48	548.59	(-)101.90	-	15	3090.21	765
	क्षेत्रवार योग					**(-)204.64**		**327.50**	**(-)300.48**	**548.59**	**(-)101.90**	**-**		**3090.21**	**765**
	चीनी														
26.	उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	26.03.1971	2000-01	2004-05	9201.07	(-)3279.00	59066.77	(-)129909.66	15730.58	23597.34	150.01	3	45089.85	813
27.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी एवं गन्ना विकास	18.04.1975	2000-01	2004-05	(-)293.21	63.66	2407.54	(-)3651.26	2445.41	(-)87.07	-	3	232.00	240
28.	नन्दगंज-सिहोरी शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी एवं गन्ना विकास	18.04.1975	1999-2000	2004-05	(-)959.32		3404.05	(-)10221.79	(-)2174.39	(-)279.39	-	4	1419.48	787
29.	घाटमपुर शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी एवं गन्ना विकास	30.05.1986	2001-02	2004-05	(-)662.64	13.44	894.86	(-)5555.34	(-)1749.80	(-)196.82	-	2	1045.48	693
30.	उत्तर प्रदेश स्टेट चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	16.05.2002	*									2		
	क्षेत्रवार योग					**(+)9201.07 (-)1915.17**		**65773.22**	**(-)149338.05**	**(+)18175.99 (-)3924.19**	**(+)23597.34 (-)563.28**	**161.62**		**47786.81**	**2533**
	पर्यटन														
31.	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	पर्यटन	05.08.1974	2002-03	2004-05	(-)154.50		1512.53	(-)913.30	860.36	(-)153.00	-	1	1264.01	603
	क्षेत्रवार योग					**(-)154.50**		**1512.53**	**(-)913.30**	**(+)860.36**	**(-)153.00**	**-**		**1264.01**	**603**

* प्रथम लेखे अप्राप्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	विद्युत														
32.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	ऊर्जा	22.08.1980	2002-03	2004-05	(-) 20302.57	902.00	179706.62	(-)87300.14	2333.91	14075.12	63.07	1	283963.39	12000
33.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	15.04.1985	2002-03	2004-05	(-)308.09		37288.44	(-)13443.24	31458.52	43.87	0.14	1	5606.72	792
34.	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	ऊर्जा	30.11.1999	2002-03	2004-05	(-)83961.70		435355.46	(-)507234.41	569227.50	(-)46208.00	-	1	661020.57	अनुपलब्ध
35.	कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	21.07.1999	2000-01	2004-05	(-)7746.79		6000.00	(-)7746.79	21371.31	(-)6090.92	-	3	61081.64	2531
36.	यू0पी0एस0आई0डी0सी0 पावर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	11.04.2000	2002-03	2004.-05	0.09		5.07-	-	-	-	-	1	-	-
37.	दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	01.05.2003	*											
38.	मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	01.05.2003	*											
39.	पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	01.05.2003	*											
40.	पूर्वाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	01.05.2003	*											
	क्षेत्रवार योग					**(+)0.09 (-)112319.15**		**658355.59**	**(-)615724.58**	**(+)624391.24**	**(+)14118.99 (-)52298.92**	**-**		**1011672.32**	**15323**
	वित्त पोषण														
41.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	29.03.1961	2001-02	2003-04	1653.94		2407.51	1646.67	10072.76	2284.70	22.68	2	4838.58	718
42.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	29.03.1972	2002-03	2004-05	(-)4693.86	2511.00	13557.50	(-)36191.16	88357.35	3896.23	4.41	1	4888.09	320
43.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	17.11.1984	1991-92	2003-04	(-)25.62		357.50	(-)25.39	820.67	(-)25.62	-	12	26.15	24
	क्षेत्रवार योग					**(+)1653.94 (-)4719.48**		**16322.51**	**(+)1646.67 (-)36216.55**	**(+)99250.78**	**(+)6180.93 (-)25.62**	**6.20**		**9752.82**	**1062**

* प्रथम लेखे अप्राप्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	विविध														
44.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन	20.01.1966	1999-2000	2003-04	(-)306.90		704.27	(-)1842.75	71.89	(-)240.91	-	4	984.45	150
45.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	नियोजन	15.03.1977	2001-02	2004-05	2.94		100.00	(-)70.09	29.91	2.94	9.83	2	229.15	125
46.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	वक्फ	27.04.1987	1995-96	2004-05	1.17	-	150.00	3.12	60.61	1.17	1.93	8	14.98	20
47.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	17.03.1988	1998-99	2003-04	(-)15.56	-	25.00	(-)67.02	133.53	(-)15.56	-	5	19.76	43
48.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड)	हरिजन एवं समाज कल्याण	23.05.1989	2000-01	2004-05	273.21		42.54	810.50	852.64	273.21	32.04	3	3180.63	132
	क्षेत्रवार योग					**(+)277.32 (-)322.46**		**1021.81**	**(+)813.62 (-)1979.86**	**(+)1148.58**	**(+)277.32 (-)256.47**	**1.82**		**4428.97**	**470**
	योग- (अ सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)					**(-)113489.45**		**784734.23**	**(-)849248.27**	**(+)825356.05**	**(-)9415.24**	-		**1257771.67**	**45097**
ब. कार्यरत सांविधिक निगम															
	परिवहन														
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	01.06.1972	2002-03*	2004-05	(-) 5518.44		32136.78	(-)90439.29	(-)43056.75	(-)3548.06	-	1	7124.12	45960
	क्षेत्रवार योग					**(-) 5518.44**		**32136.78**	**(-)90439.29**	**(-)43056.75**	**(-)3548.06**			**7124.12**	**45960**
	वित्त पोषण														
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	औद्योगिक विकास	01.11.1954	2002-03[1]	2004-05	(-) 7018.21		17928.46	(-)71216.23	138050.00	7188.20	5.21	1	9298.43	1006
	क्षेत्रवार योग					**(-)7018.21**		**17928.46**	**(-)71216.23**	**138050.00**	**7188.20**	**5.21**		**9298.43**	**1006**
	कृषि एवं समवर्गीय														
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	सहकारिता	19.03.1958	2002-03	2004-05	1113.47	(-)50.00	1116.50	7599.17	22758.68	2878.30	12.65	1	16795.03	1947
	क्षेत्रवार योग					**1113.47**		**1116.50**	**7599.17**	**22758.68**	**2878.30**	**12.65**		**16795.03**	**1947**
	वन														
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम	वन	25.11.1974	1998-99	1999-2000	(+)2930.30	-	-	35245.27	35756.00	2930.00	8.19	5	16284.00	2858
	क्षेत्रवार योग					**(+)2930.30**	**-**	**-**	**35245.27**	**35756.00**	**2930.00**	**8.19**		**16284.00**	**2858**
	विविध														
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	आवास	03.04.1966	1997-98	2003-04	1615.80	-	-	5429.30	17625.01	2767.98	15.70	6	7341.08	3724
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	नगर विकास	06.06.1975	2001-02	2003-04	89.47	(-)9718.00		(-) 12535.40	565879.31	2778.86	0.49	2	20450.62	16623

* लेखा परीक्षा के अन्तर्गत

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	खाद्य एवं रसद	05.05.1965	1998-99	2004-05	102.81			264.14	(-)807.38	149.30	-	5	7491.22	1562
	क्षेत्रवार योग					**(+)1808.08**			**(+)5693.44 (-)12535.40**	**(+)583504.32 (-)807.38**	**(+)5696.14**	**0.98**		**35282.92**	**21909**
	योग- (ब सभी सांविधिक निगम)					**(-)6684.80**		**51181.74**	**(-)125653.04**	**(+)736204.87**	**(+)15144.58**	**2.06**		**84784.50**	**73680**
	कुल योग (अ+ब)					**(-)120174.25**		**835915.97**	**(-)974901.31**	**(+)1561560.92**	**(+)5729.34**	**0.39**		**1342556.17**	**118777**
स. अकार्यरत कम्पनियाँ															
	कृषि एवं समवर्गीय														
1.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	पशुपालन	05.03.1975	1996-97	2004-05	(-)84.56		272.85	(-)515.99	308.30	(-)73.79	-	7	107.07	अनुपलब्ध
2.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	कृषि	27.08.1975	2002-03	2004-05	(-)18.38	-	30.84	(-)54.75	152.67	(-)14.19	-	1	4.53	19
3.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	06.04.1977	1984-85	1994-95	(-) 66.57	-	190.76	(-) 255.33	80.72	(-) 51.97	-	19		330
4.	उत्तर प्रदेश पौल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशैलिटीज लिमिटेड	पशुपालन	07.12.1974	1997-98	2003-04	(-)22.89		50.00	(-)61.68	368.97	(-)22.41	-	6	92.02	32
	क्षेत्रवार योग					**(-)192.40**		**544.45**	**(-)887.75**	**(+)910.66**	**(-)162.36**	**-**		**203.62**	**381**
	उद्योग														
5.	मोहम्मदाबाद पीपुल्स टैनरी लिमिटेड	नियोजन	21.12.1964	1976-77	1992-93	(-) 0.01	-	5.61	(-) 4.26	1.35	(-) 0.01	-	27		अनुपलब्ध
6.	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेस (प्राईवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ग्रामीण व लघु उद्योग	28.06.1972	1974-75	1984-85	(-) 0.81	-	0.92	(-) 0.81	6.79	(-) 0.81	-	29	0.39	अनुपलब्ध
7.	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	उद्योग व औद्योगिक विकास	28.12.1972	1991-92	1995-96	10.71	-	750.00	(-) 6482.96	1114.18	36.32	3.26	12	631.34	अनुपलब्ध
8.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग व औद्योगिक विकास	1.01.1975	1999-2000	2002-03	(-)181.25		193.22	(-)4147.39	(-)1417.50	192.86	-	4	962.47	259
9.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन	12.02.1974	1994-95	2003-04	(-)39.69		537.86	(-)763.99	232.61	(-)25.12	-	9	74.21	अनुपलब्ध
10.	कान्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग व औद्योगिक विकास	12.04.1985	1997-98	2002-03	-	-	4623.95	-	8387.22	-	-	01.04.02 से समापन के अंतर्गत	कम्पनी निर्माणाधीन अवस्था में ही परिसमापन में चली गई।	अनुपलब्ध

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
11.	दि टरपेन्टाईन सब्सीडियरी इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड (दि इण्डियन टरपेण्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की सहायक)	उद्योग व औद्योगिक विकास	11.07.1939	1977-78	-	(-)1.91	-	15.56	-	11.64	(-)0.47	-	01.04.1978 से समापन के अंतर्गत		-
12.	इण्डियन बौबिन कम्पनी लिमिटेड	वस्त्र	22.02.1964	10.03.1988 to 09.09.1988	-	-	-	-	-	-	-	-	01.09.1973 से समापन के अंतर्गत		-
13.	उत्तर प्रदेश एब्स्काट प्राईवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग व औद्योगिक विकास	28.06.1972	1975-76	-	(-)1.55	-	4.85	_	12.39	(-)0.41	-	19.04.1986 से समापन के अंतर्गत		अनुपलब्ध
14.	उत्तर प्रदेश टायर एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग व औद्योगिक विकास	14.01.1976	1992-93	-	(-) 217.08	-	183.16	(-) 996.09	(-) 405.96	209.53	-	09.01.1996 से समापन के अंतर्गत	138.08	-
	क्षेत्रवार योग					**(+)10.71 (-)442.30**		**6315.13**	**(-)12395.50**	**(+)9766.18 (-)1823.46**	**(+)438.71 (-)26.82**	**5.19**		**1806.49**	**259**
	इलेक्ट्रानिक्स														
15.	अपट्रान सेमपैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स	23.05.1977	1979-80	1983-84	(-) 0.78	-	2.55	(-) 3.37	1.86	(-) 0.36	-	10.06.1996 से समापन के अंतर्गत	0.05	अनुपलब्ध
16.	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स	31.03.1978	*	_	_	_	5.25	_	_	_	_	10.06.1996 से समापन के अंतर्गत	Under Construction	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					**(-)0.78**		**7.80**	**(-)3.37**	**1.86**	**(-)0.36**	**-**		**0.05**	**-**
	वस्त्र														
17.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	वस्त्र	02.12.1969	1998-99	2004-05	(-)4005.00	-	16079.37	(-)22061.07	1966.71	(-)2765.27	-	5	7544.75	अनुपलब्ध
18.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	वस्त्र	05.12.1975	1990-91	2002-03	(-)17.98		26.00	(-)33.50	53.25	(-)16.13	-	13	475.42	74
19.	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	वस्त्र	14.06.1976	1994-95	-	(-) 165.77	-	375.54	(-) 1195.91	(-) 49.09	85.35	-	20.2.1996 से समापन के अंतर्गत	26.72	-
	क्षेत्रवार योग					**(-)4188.75**		**16480.91**	**(-)23290.48**	**(+)2019.96 (-)49.09**	**(+)85.35 (-)2781.40**	**-**		**8046.89**	**74**

* प्रारम्भ से ही लेखे पूर्ण नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्टस														
20.	हैण्डलूम इन्टेसिव डेवलपमेण्ट प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ग्रामीण व लघु उद्योग	13.09.1976	1989-90	2001-02	(-)15.09	12.78	2.00	75.71	299.86	(-)4.04	-	1*	1750.24	62
	क्षेत्रवार योग					**(-)15.09**		**2.00**	**75.71**	**299.86**	**(-)4.04**	**-**		**1750.24**	**62**
	खनन														
21.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग व औद्योगिक विकास	23.03.1974	2000-01	2004-05	68.95		5640.48	(-)4454.88	622.02	68.95	11.08	3	407.02	3
22.	विन्ध्याचल अब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग व औद्योगिक विकास	05.12.1985	1987-88	1995-96	(-) 11.78	-	0.002*	(-)11.30	0.79	(-) 10.86	-	28.11.02 से समापन के अंतर्गत	0.22	
	क्षेत्रवार योग					**(+)68.95 (-)11.78**		**5640.48**	**(-) 4466.18**	**622.81**	**(+)68.95 (-)10.86**	**9.33**		**407.24**	**3**
	क्षेत्र विकास														
23.	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	30.03.1971	1991-92	1997-98	(-) 8.72	_	123.30	(-)129.27	(-) 0.98	(-) 8.71	-	12	46.21	अनुपलब्ध
24.	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	30.03.1971	1987-88	1994-95	(-)13.64	-	114.80	(-)107.90	19.02	(-)13.64	-	16	130.37	अनुपलब्ध
25.	बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	क्षेत्रीय विकास	02.03.1974	1986-87	1993-94	(-) 0.01	-	2.40	(-) 0.65	4.45	(-) 0.01	-	17	Nil	अनुपलब्ध
26.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.01.1976	1983-84	1992-93	(-) 11.42	-	67.00	(-) 11.42	39.52	(-) 3.97	_	20		अनुपलब्ध
27.	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.01.1976	1984-85	1994-95	(-) 69.26	-	125.00	(-) 90.00	449.13	(-) 56.84	-	19	386.95	अनुपलब्ध
28.	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.01.1976	1981-82	1992-93	0.44	-	50.00	1.49	60.57	0.52	0.86	22	169.69	अनुपलब्ध
29	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.03.1976	1986-87	1989-90	11.24	2.51	100.00	(-) 33.13	132.02	12.48	9.45	17	564.65	अनुपलब्ध
30.	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.03.1976	1985-86	1995-96	2.36	-	122.03	(-) 118.16	61.31	2.36	3.85	18	353.94	अनुपलब्ध
31.	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.03.1976	1995-96	2002-03	(-)13.20	-	100.00	(-)91.27	16.82	(-)13.20	-	8	0.60	1

* दिनांक 01.04.1991 से उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड में संविलित ।

* 270 रुपये मात्र

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
32.	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.03.1976	1987-88	1993-94	(-)2.71	-	70.00	(-)26.38	88.29	(-)2.71	-	16	147.02	अनुपलब्ध
33.	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	30.03.1978	1988-89	1999-2000	(-)11.23	-	25.00	(-)21.80	68.73	(-)0.57	-	15	146.74	अनुपलब्ध
34.	गंडक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	15.03.1975	1976-77	-	0.28	-	46.00	-	46.27	0.28	0.61	07.06.1977 से समापन के अंतर्गत	-	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					**(+)14.32 (-)130.19**		**945.53**	**(+)1.49 (-)629.98**	**(+)986.13 (-)0.98**	**(+)15.64 (-)99.65**	**-**		**1946.17**	**01**
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास														
35.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	02.08.1975	1982-83	1990-91	(-) 4.00	-	45.00	0.45	70.44	(-) 4.00	-	21	3.13	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					**(-)4.00**		**45.00**	**0.45**	**70.44**	**(-)4.00**	**-**		**3.13**	**-**
	सीमेण्ट														
36.	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग व औद्योगिक विकास	29.03.1972	1995-96	1996-97	(-)4775.52	-	6828.00	(-) 42599.38	(-) 23980.30	(-) 2291.33	-	8	11301.85	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					**(-)4775.52**		**6828.00**	**(-)42599.38**	**(-)23980.30**	**(-)2291.33**	**-**		**11301.85**	**-**
	ड्रग्स, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल														
37	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	उद्योग व औद्योगिक विकास	22.02.1924	2002-03	2003-04	(-)256.94		22.02	(-)3706.93	(-)3013.41	(-)240.94	-	1	5.64	अनुपलब्ध
38.	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग व औद्योगिक विकास	23.04.1979	1992-93	-	(-) 617.54	-	658.73	(-) 3531.51	(-) 1844.86	(-) 50.57	-	19.02.1994 से समापन के अंतर्गत	226.21	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					**(-)874.48**		**680.75**	**(-)7238.44**	**(-)4858.27**	**(-)291.51**	**-**		**231.85**	
	वित्त पोषण														
39.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पंचायती राज	24.04.1973	1990-91	2002-03	0.28		133.46	0.66	148.17	0.35	0.24	13	47.90	52
40.	अपलीज फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक))		05.01.1988	1997-98	1998-99	(-) 39.55	-	105.87	(-) 39.53	534.08	14.43	2.70	6	128.63	
	क्षेत्रवार योग					**(+)0.28 (-)39.55**		**239.33**	**(+)0.66 (-)39.53**	**682.25**	**14.78**	**2.17**		**176.53**	**52**
	विविध														

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
41.	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	संस्थागत वित्त	10.09.1975	1999-2000	2003-04	(-)19.97		818.42	(-)1024.68	388.33	30.48	0.08	4	48.11	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					**(-)19.97**		**818.42**	**(-)1024.68**	**388.33**	**30.48**	**0.08**		**48.11**	
	कुल योग-स					**(-)10600.55**		**38547.80**	**(-)92496.98**	**(-)14963.62**	**(-)5018.42**	**-**		**25922.17**	**832**
	कुल योग (अ+ब+स)					**(-)130774.80**		**874463.77**	**(-)1067398.29**	**(+)1546597.30**	**(+)710.92**	**0.05**		**1368478.34**	**119609**

नोट- (अ) वित्त पोषक कम्पनियों/निगमों को छोड़कर जहाँ नियोजित पूँजी की गणना प्रदत्त पूँजी, मुक्त आरक्षित निधि, बाण्ड्स, जमा तथा ऋणों (वित्त पुनर्पोषण सहित) के आरम्भिक एवम् अन्तिम शेषों के योग के मध्यमान के रूप में आगणित की जाती है, नियोजित पूँजी, कार्यशील पूँजी और निबल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) के योग का प्रतिनिधित्व करती है।

(ब) क्रम सं0 स-18 एवं 20 की कम्पनियाँ विलय के अन्तर्गत है।

(स) क्रम सं0 स-10,11,12,13,14,15,16,19,22,34 एवं 38 की कम्पनियाँ समापन के अन्तर्गत है। समापन की सम्बन्धित तिथियाँ है:

क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि
10	01.04.2002	11	01.04.1978	12	01.09.1973	13	19.04.1986	14	09.01.1996	15	10.06.1996
16	10.06.1996	19	20.02.1996	22	28.11.2002	34	07.06.1977	38	19.02.1994		

परिशिष्ट-3

वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफी, ऋण जिन पर विलम्बन अनुमन्य किया गया और ऋण का अंशपूँजी में परिवर्तन एवम् मार्च 2004 की समाप्ति पर प्राप्य उपदान तथा बकाया प्रत्याभूतियों को दर्शाती हुई विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.6 व 1.20 में संदर्भित)

(स्तम्भ 3 (अ) से 7 तक के आंकड़े लाख रुपये में हैं)

क्रम सं0	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान* व अनुदान				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूति एवं वर्ष के अन्त में बकाया**					वर्ष के दौरान देयों की माफी				ऋण जिन पर विलम्बन अनुमन्य किया गया	वर्ष के दौरान ऋण जिन्हें अंशपूँजी में परिवर्तित किया गया
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	बैको से नकद साख	अन्य स्रोतों से ऋण	आयातों के सम्बन्ध में बैको द्वारा खोले गये साख-पत्र	विदेशी सलाहकारों/ ठेकेदारों से अनुबन्ध के अन्तर्गत भुगतान देयता	योग	अपलिखित ऋण पुनर्भुगतान	ब्याज माफी	दण्ड ब्याज माफी	योग		
(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	5(अ)	5(ब)	(स)	5(द)	(6)	(7)
अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ																
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	-	232.00	-	232.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	2000.00 (2000.00)	-	-	2000.00 (2000.00)	-	-	-	-	-	-
3.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	129.75 (129.75)	-	-	-	129.75 (129.75)	-	-	-	-	-	
4.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	500.00 (219.30)	-	-	-	500.00 (219.30)	-	-	-	-	-	-

* उपदान में, वर्ष की समाप्ति पर प्राप्य उपदान जिसको कोष्ठकों में दिखाया गया है, सम्मिलित है।

** कोष्ठकों में दिखाये गये आंकड़े वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूति को इंगित करते है।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	5(अ)	5(ब)	(स)	5(द)	(6)	(7)
5.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	20.60	-	-	20.60	2000.00 (2000.00)	-	-	-	2000.00 (2000.00)	-	-	-	-	-	-
6	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	-	6.69*	-	6.69*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	- (1640.00)	-	-	-	- (1640.00)	-	-	-	-	-	-
8.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	-	10020.00	-	10020.00	-	- (469.60)	-	-	- (469.60)	-	-	-	-	-	-
9.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	- (37.83)	-	-	- (37.83)	-	-	-	-	-	-
10.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	5265.04 (5265.04)	-	-	5265.04 (5265.04)	-	-	-	-	-	-
11.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67041.70	-	67041.70	8507.45	89313.91
12.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	-	-	3000.00 (3000.00)	-	-	-	3000.00 (3000.00)	-	-	-	-	-	-
13.	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	-	70.84	-	70.84	-		-	-	-	-	--	-	-	-	-
14.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	-	-	128.00	128.00	-	25782.98 (25782.98)	-	-	25782.98 (25782.98)	-	-	-	-	-	-
15.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	-	2106.00	-	2106.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	-	102925.00 13647.00*	-	102925.00 13647.00*	-	104903.00 (91887.93)	14500.00 (14500.00)	-	119403.00 (106387.93)	-	-	-	-	-	-
17.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1469.22	-	-	1469.22	-	- (856.00)	-	-	- (856.00)	-	-	-	-	-	-
18.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	- (73.59)	150.00* (73.59)	-	150.00* (147.18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* अनुदान।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	5(अ)	5(ब)	(स)	5(द)	(6)	(7)
19.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	-	52.50* (52.50)*	-	52.50* (52.50)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (अ)	**1489.82 (73.59)**	**129210.03 (126.09)**	**128.00**	**130827.85 (199.68)**	**5629.75 (6989.05)**	**137951.02 (126299.38)**	**14500.00 (14500.00)**	**-**	**158080.77 (147788.43)**	**-**	**67041.70**	**-**	**67041.70**	**8507.45**	**89313.91**
ब.	कार्यरत सांविधिक निगम															
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	-	-	-	-	-	7500.00 (13417.66)	-	-	7500.00 (13417.66)	-	-	-	-	-	-
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	-	-	-	-	-	1470.00 (63158.50)	-	-	1470.00 (63158.50)	-	-	-	-	-	-
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	-	-	-	-	-	- (4000.00)	-	-	- (4000.00)	-	-	-	-	-	-
4.	उत्तर प्रदेश जल निगम	-	21321.00*	-	21321.00*	644.14 (644.14)	-	-	-	644.14 (644.14)	-	-	-	-	-	-
5.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	-	210.68	-	210.68	- (200.00)	-	-	-	- (200.00)	-	-	-	-	-	-
	योग-ब	**-**	**21531.68 (-)**	**-**	**21531.68 (-)**	**644.14 (844.14)**	**8970.00 (80576.16)**	**-**	**-**	**9614.14 (81420.30)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	कुल योग (अ)+(ब)	**1489.82 (73.59)**	**150741.71 (126.09)**	**128.00**	**152359.53 (199.68)**	**6273.89 (7833.19)**	**146921.02 (206875.54)**	**14500.00 (14500.00)**	**-**	**167694.91 (229208.73)**	**-**	**67041.71**	**-**	**67041.71**	**8507.44**	**89313.91**
स.	अकार्यरत कम्पनियाँ															
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	- (55.51)	-	-	- (55.51)	-	-	-	-	-	-
2.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड					- (2200.00)	-	-	-	- (2200.00)	-	-	-	-	-	-
3.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	- (537.00)	-	-	- (537.00)	-	-	-	-	-	-
4.	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	-	-	-	-	-	- (479.68)	-	-	- (479.68)	-	-	-	-	-	-
5.	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	-	-	-	-	- (335.00)	-	-	-	- (335.00)	-	-	-	-	-	-
	कुल योग-स	**-**	**-**	**-**	**-**	**- (2535.00)**	**- (1072.19)**	**-**	**-**	**- (3607.19)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	कुल योग (अ+ब+स)	**1489.82 (73.59)**	**150741.71 (126.09)**	**128.00**	**152359.53 (199.68)**	**6273.89 (10368.19)**	**146921.02 (207947.73)**	**14500.00 (14500.00)**	**-**	**167694.91 (232815.92)**	**-**	**67041.71**	**-**	**67041.71**	**8507.45**	**89313.91**

* अनुदान।

परिशिष्ट-4

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.8 में संदर्भित)

कार्यरत सांविधिक निगम

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (अनन्तिम)
अ. देयतायें			
पूँजी (पूँजीगत ऋण एवं अंश पूँजी सहित)	321.37	321.37	321.37
ऋण:			
सरकारी केन्द्र राज्य	 - 11.80	 9.00 10.65	 - 9.65
अन्य	92.33	118.03	143.85
निधियाँ	0.49	0.62	0.69
व्यापारिक देयता एवं अन्य चालू देयतायें (प्रावधानों सहित)	596.93	675.15	776.32
योग अ	**1022.92**	**1134.82**	**1251.88**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	630.60	645.91	712.89
घटाया: ह्रास	429.72	466.49	483.04
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	200.88	179.42	229.85
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य (चेसिस की लागत सहित)	4.71	5.55	9.94
निवेश	1.75	1.87	1.74
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	109.69	116.70	105.96
संचित हानियाँ	705.89	831.28	904.39
योग ब	**1022.92**	**1134.82**	**1251.88**
स. नियोजित पूँजी*	**(-) 281.65**	**(-) 373.48**	**(-) 430.57**

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1999-2000	2000-2001 (अनन्तिम)	2001-2002 (अनन्तिम)
अ. देयतायें			
प्रदत्त पूँजी	100.00	179.28	179.28
अंश आवेदन राशि	-	-	
आरक्षित निधि एवं अन्य आरक्षण व आधिक्य	20.35	20.23	20.25
ऋण			
(i) बाण्ड्स एवं ऋण पत्र	808.22	820.76	799.33
(ii) स्थायी जमा	-	-	-

* नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को इंगित करती है।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1999-2000	2000-2001 (अनन्तिम)	2001-2002 (अनन्तिम)
(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	394.98	375.16	354.18
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक	-	20.00	-
(v) अंश पूँजी के स्थान पर ऋण			-
(अ) राज्य सरकार	51.06	-	-
(ब) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	8.80	-	-
(स) न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	20.00	-	-
(vi) अन्य (राज्य सरकार को सम्मिलित करके)	1.50	1.50	31.50
अन्य देयतायें एवं प्रावधान	384.33	377.16	373.85
योग अ	**1789.24**	**1794.09**	**1758.39**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
नकद एवं बैंक अवशेष	96.77	22.95	34.66
निवेश	42.70	102.42	68.02
ऋण एवं अग्रिम	1010.08	973.78	916.87
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	22.41	16.58	14.65
अन्य परिसम्पत्तियाँ	47.50	36.38	12.03
विविध व्यय	-	-	-
लाभ एवं हानि खाता	569.78	641.98	712.16
योग ब	**1789.24**	**1794.09**	**1758.39**
स. नियोजित पूँजी*	**1403.75**	**1390.63**	**1380.50**

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1999-2000	2000-2001	2001-2002
अ. देयतायें			
प्रदत्त पूँजी	13.37	13.37	13.37
आरक्षण एवं आधिक्य	66.00	86.00	90.68
उपदान	0.30	0.30	-
ऋण			
सरकारी	-	-	-
अन्य	10.00	131.07	123.53
व्यापारिक देयता एवं चालू देयतायें (प्रावधानों को सम्मिलित करके)	37.66	65.55	60.42
योग अ	**127.33**	**296.29**	**288.00**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	66.41	247.13	274.03
घटाया: ह्रास	13.88	21.49	42.16
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	52.53	225.64	231.87
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य	10.03	7.00	1.94
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	64.77	63.65	54.19
लाभ एवं हानि खाता	-	-	-
योग ब	**127.33**	**296.29**	**288.00**
नियोजित पूँजी**	**89.67**	**230.74**	**227.58**

* नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी, सीड राशि, ऋण पत्र, संचय (विशिष्ट निधि एवम् बाह्य निवेशों को छोड़कर), बाण्ड्स, जमा एवं ऋण (पुनः वित्त-पोषण सहित) के प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेषों के योग के माध्य को दर्शाता है।

** नियोजित पूँजी निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
अ. देयतायें			
आरक्षण एवं आधिक्य	287.35	323.15	352.45
ऋण	0.16	0.16	0.16
चालू देयतायें (प्रावधानों को सम्मिलित करके)	73.52	103.87	147.54
अन्य देयतायें	7.00	7.00	7.00
योग अ	**368.03**	**434.18**	**507.15**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	10.92	10.31	11.16
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	354.64	421.45	493.94
संचित हानि	-	-	-
विविध व्यय	2.47	2.42	2.05
योग ब	**368.03**	**434.18**	**507.15**
स. नियोजित पूँजी*	**292.04**	**327.89**	**357.56**

5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
अ. देयतायें			
आधिक्य	28.38	35.88	54.29
ऋण	195.49	158.75	128.46
जमा	39.40	46.82	76.59
चालू देयतायें (पंजीकरण शुल्क को सम्मिलित करके)	247.41	250.78	265.16
देयताओं पर परिसम्पत्तियों का आधिक्य	0.62	0.03	1.25
योग अ	**511.30**	**492.26**	**525.75**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	1.15	1.39	1.50
निवेश	49.33	84.29	84.34
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	460.82	406.58	439.91
योग ब	**511.30**	**492.26**	**525.75**
स. नियोजित पूँजी*	**214.56**	**157.19**	**176.25**

6. उत्तर प्रदेश जल निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1999-2000	2000-2001	2001-2002
अ. देयतायें			
ऋण	324.04	334.33	342.93
सरकार से अनुदान	3527.26	4013.46	4476.30
जमा	817.14	955.09	1211.09
चालू देयतायें	1054.89	1287.08	1565.11
अनुपभोगित सामग्री पर सेन्टेज	29.42	27.68	31.01

* नियोजित पूँजी निवल परिसम्पत्तियां (पूंजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1999-2000	2000-2001	2001-2002
पेन्शन एवं ग्रेच्युटी	6.00	15.38	6.00
अवर्गीकृत आरक्षण	28.90	20.72	19.70
योग अ	**5787.65**	**6653.74**	**7652.14**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	849.36	941.12	1021.96
घटाया: ह्रास	18.67	19.86	24.73
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	830.69	921.26	997.23
निवेश	286.72	278.31	302.89
चालू परिसम्पत्तियाँ	4558.39	5327.92	6226.67
घाटा	111.85	126.25	125.35
योग ब	**5787.65**	**6653.74**	**7652.14**
स. नियोजित पूँजी*	**4334.19**	**4962.10**	**5658.79**

* नियोजित पूँजी निवल परिसम्पत्तियां (पूंजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

परिशिष्ट-5

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.8 में संदर्भित)

अ. कार्यरत सांविधिक निगम

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2000-01	2001-02	2002-03 (अनन्तिम)
परिचालनगत			
(अ) राजस्व	677.45	662.70	741.04
(ब) व्यय	821.53	833.19	847.76
(स) आधिक्य(+)/कमी(-)	(-) 144.08	(-) 170.49	(-) 106.72
अपरिचालनगत			
(अ) राजस्व	61.07	64.31	71.24
(ब) व्यय	14.84	15.27	19.70
(स) आधिक्य(+)/कमी(-)	46.23	49.04	51.54
योग			
(अ) राजस्व	738.52	727.01	812.28
(ब) व्यय	836.37	848.46	867.46
(स) शुद्ध लाभ(+)/हानि(-)	(-) 97.85	(-) 121.45	(-) 55.18
पूँजी एवं ऋण पर ब्याज	14.84	15.27	19.70
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	(-) 83.01	(-) 106.18	(-) 35.48
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत	-	-	-

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2000-01	2001-02 (अनन्तिम)	2002-03 (अनन्तिम)
1. आय			
(अ) ऋण पर ब्याज	141.44	93.73	85.59
(ब) अन्य आय	8.54	10.42	7.40
(स) एनपीए प्रावधान वापस लाए गए	20.01	7.96	4.02
योग 1	**169.99**	**112.11**	**97.01**
2. व्यय			
(अ) दीर्घावधि ऋण पर ब्याज	163.20	155.94	142.06
(ब) गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	--	--	--
(स) अन्य व्यय	30.71	28.37	25.13
योग 2	**193.91**	**184.31**	**167.19**
3. कर से पूर्व लाभ(+)/हानि(-) (1-2)	(-) 23.92	(-) 72.20	(-) 70.18
4. अन्य विनियोजन	(-) 96.87	-	-
5. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि*	-	-	-
6. अन्य विनियोजन	-	-	-
7. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	-	-	-
8 लाभांश दत्त/देय	-	-	-
9. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	139.28	83.74	71.88
10. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	9.92	6.02	5.21

विशिष्ट आरक्षित निधि एवं कर निर्धारण के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए लाभांश के लिए उपलब्ध चालू वर्ष के लाभ को निरूपित करता है।

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2000-01	2001-02	2002-03
1. आय			
(अ) भण्डारण प्रभार	142.84	184.13	167.18
(ब) अन्य आय	0.95	0.28	0.77
योग 1	**143.79**	**184.41**	**167.95**
2. व्यय			
(अ) स्थापना प्रभार	20.16	24.13	24.80
(ब) ब्याज	0.16	3.18	17.65
(स) अन्य व्यय	98.48	126.94	114.37
योग 2	**118.80**	**154.25**	**156.82**
3. कर से पूर्व लाभ(+)/हानि(-)	(+) 24.99	(+) 30.16	(+) 11.13
4. अन्य विनियोजन	-	-	-
5. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	24.57	-	-
6. वर्ष के लिए लाभांश	1.20	1.20	1.20
7. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	25.15	33.34	28.78
8. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	28.04	14.45	12.65

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
1. आय			
विक्रय	178.37	128.12	162.84
अन्य आय	29.86	27.84	35.43
अन्तिम रहतिया	67.92	106.77	147.67
योग 1	**276.15**	**262.73**	**345.94**
2. व्यय			
क्रय	39.07	74.06	124.25
अन्य व्यय	75.25	84.95	85.62
प्रारम्भिक रहतिया	117.19	67.92	106.77
योग 2	**231.51**	**226.93**	**316.64**
शुद्व लाभ	44.64	35.80	29.30
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	44.64	35.80	29.30
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	15.29	10.92	8.19

5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
1. आय			
(अ) सम्पत्ति से आय	48.26	51.81	52.07
(ब) अन्य आय	14.25	15.89	23.80
योग 1	**62.51**	**67.70**	**75.87**

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98 (अन्तिम)
2. व्यय			
(अ) स्थापना	22.51	25.87	30.37
(ब) ब्याज	22.00	14.63	11.52
(स) अन्य व्यय	16.91	19.70	17.82
योग 2	**61.42**	**60.20**	**59.71**
3. आय का व्यय पर आधिक्य	1.09	7.50	16.16
4. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	23.09	22.13	27.68
5. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	10.76	14.08	15.70

6. उत्तर प्रदेश जल निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1. आय			
सेन्टेज	73.61	70.62	87.34
सर्वेक्षण एवं परियोजना शुल्क	5.44	4.33	5.87
ब्याज	30.43	47.23	59.78
अनुदान	37.95	53.40	57.76
अन्य	31.25	27.70	37.96
योग 1	**178.68**	**203.28**	**248.71**
2. व्यय			
स्थापना प्रभार	126.69	144.86	150.78
रख-रखाव पर व्यय	20.91	26.59	47.18
ब्याज	29.07	27.39	26.90
अन्य व्यय	18.75	18.22	22.01
ह्रास	0.58	0.62	0.95
योग 2	**196.00**	**217.68**	**247.82**
कमी (-)/आधिक्य (+)	(-) 17.32	(-) 14.40	(+) 0.89
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	11.75	12.99	27.79
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	0.27	0.26	0.49

परिशिष्ट-6

सांविधिक निगमों के परिचालनात्मक उपलब्धियों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.13 में संदर्भित)

अ. कार्यरत सांविधिक निगम

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

विवरण	2000-01	2001-02	2002-03
विद्यमान वाहनों की औसत संख्या			
(अ) निगम की बसें	6405	6186	6333
(ब) किराये की बसें	1396	1008	902
योग	**7801**	**7194**	**7235**
सड़क पर वाहनों की औसत संख्या	5605	5460	5700
वाहनों के उपयोजन का प्रतिशत (निगम)	88	88	90
कर्मचारियों की संख्या	47369	45960	44508
कर्मचारी वाहन अनुपात	7.39:1	7.43:1	7.03:1
वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गो की संख्या	2022	2145	2055
मार्ग किलोमीटर	460385	470140	437747
परिचालित किलोमीटर (लाख में)			
(अ) सकल	7076	6975	7126
(ब) प्रभावी			
(i) निगम की बसें	5384	5742	6012
(ii) किराये की बसें	1511	1057	940
कुल प्रभावी परिचालित किलोमीटर (लाख में)	6895	6799	6952
(स) मृत किलोमीटर	181	176	174
सकल किलोमीटर से मृत किलोमीटर का प्रतिशत	2.56	2.52	2.44
औसत किलोमीटर प्रति बस प्रतिदिन	241	258	262
औसत परिचालन व्यय प्रति किलोमीटर (पैसे)	1212	1247	1219
प्रति किमी औसत राजस्व व्यय (पैसे)	1071	1068	1066
प्रति किमी परिचालन व्यय में पिछले वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)	7.45	2.89	-
प्रति किलोमीटर लाभ(+)/हानि(-) (पैसे)	(-) 141	(-) 179	(-) 153
परिचालित डिपो की संख्या	115	115	116
खराब होने की औसत संख्या प्रति लाख किलोमीटर पर	4.50	3.77	3.59
प्रति लाख किलोमीटर पर दुर्घटना की औसत संख्या	0.18	0.15	0.17
परिचालित यात्री किलोमीटर (करोड़ में)	2146	2043	2167
धारित अनुपात	59	57	59
प्राप्त किलोमीटर प्रति लीटर:			
(अ) डीजल	4.72	4.82	4.79
(ब) इंजन तेल	935	1093	1058

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2000-01		2001-02		2002-03	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित आवेदन पत्र	40	24.37	38	12.09	26	14.82
प्राप्त आवेदन पत्र	481	148.56	766	246.35	890	406.08
योग	**521**	**172.93**	**804**	**258.44**	**916**	**420.90**
स्वीकृत आवेदन पत्र	406	114.31	620	161.73	610	203.77
निरस्त/वापस/अस्वीकृत/ कम किये गये आवेदन पत्र	77	46.53	158	81.89	240	181.79
वर्ष के अन्त में लम्बित आवेदन पत्र	38	12.09	26	14.82	66	35.34
वितरित ऋण	235	58.40	386	100.19	610	203.77
वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण	15879	1010.08	16193	973.78	15602	916.87
वर्ष की समाप्ति पर वसूली की अतिदेय राशि						
(अ) मूल	-	234.22	-	238.68	-	246.54
(ब) ब्याज	-	1043.12	-	1001.07	-	1132.61
योग (अ+ब)	**-**	**1277.34**	**-**	**1239.75**	**-**	**1379.15**
वसूली प्रमाण पत्र मामलों से सम्बन्धित राशि	-	671.46	-	691.33	-	1227.06
योग	**-**	**671.46**	**-**	**691.33**	**-**	**1227.06**
कुल बकाया ऋण पर अतिदेय ऋण का प्रतिशत		126.46		127.31		150.42

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम

विवरण	2000-01	2001-02	2002-03
आवरित केन्द्रों की संख्या	154	185	147
वर्ष की समाप्ति तक सृजित भण्डारण क्षमता (लाख टन में)			
(अ) स्वामित्व में	12.90	19.48	24.13
(ब) किराये पर	10.76	15.00	3.53
योग (अ+ब)	**23.66**	**34.48**	**27.66**
वर्ष के दौरान औसत क्षमता उपयोग (लाख टन में)	21.46	33.81	24.30
उपयोग का प्रतिशत	90.70	98.06	87.85
औसत राजस्व प्रति टन प्रति वर्ष (रुपये)	670.00	545.42	574.97
औसत व्यय प्रति टन प्रति वर्ष (रुपये)	541.00	456.21	536.86
लाभ(+)/हानि(-) प्रति टन (रुपये)	(+) 129.00	(+) 89.21	(+)38.11

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
1 लकड़ी, चिरान लकड़ी सहित (लाख घन मीटर में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	3.92	6.70	7.53
(ब) विक्रय	1.87	3.19	4.35
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	-	-
(द) विभागीय प्रयोग एवं अन्य निष्पादन	0.02	0.01	-
(इ) अन्तिम शेष	2.03	3.50	3.18
2 तेन्दू पत्ता (मानक बोरे लाख में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	4.41	4.40	5.61
(ब) विक्रय	4.19	3.97	5.23
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	-	-
(द) अन्तिम शेष	0.22	0.43	0.38
3. बाँस (लाख बण्डल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	2.51	3.44	2.07
(ब) विक्रय	0.90	2.63	1.47
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	-	-
(द) अन्तिम शेष	1.61	0.81	0.60
4. कृषि उत्पादन (लाख कुन्तल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	0.38	0.22	0.22
(ब) विक्रय	0.33	0.20	0.21
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	0.01	-
(द) अन्तिम शेष	0.05	0.01	0.01
5. बैली घास (लाख कुन्तल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	0.30	0.42	0.36
(ब) विक्रय	0.15	0.19	0.22
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	0.01	-
(द) अन्तिम शेष	0.15	0.22	0.14
6. जड़ी-बूटी (लाख किग्रा में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	3.41	6.67	9.29
(ब) विक्रय	0.28	1.12	4.43
(स) हानियाँ/कमियाँ	0.01	0.03	0.34
(द) अन्तिम शेष	3.12	5.52	4.52

* प्रारम्भिक शेष में वर्ष के दौरान उत्पादन सम्मिलित है।

परिशिष्ट–7

आन्तरिक लेखा परीक्षण/आन्तरिक नियन्त्रण पर टिप्पणियों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.35 में संदर्भित)

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
1.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली और उसका अनुपालन संतोषजनक नहीं है तथा कम्पनी के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं है।
2.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 साउथ-ईस्ट जोन, इलाहाबाद	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली और उसका अनुपालन संतोषजनक नहीं है तथा कम्पनी के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं है और सुदृढ़ीकृत किये जाने की आवश्यकता है।
3.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 नार्थ-ईस्ट जोन, लखनऊ	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सांविधिक लेखा परीक्षकों को उपलब्ध नहीं कराये गये
4.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 दिल्ली जोन,	2002-03 के दौरान कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई।
	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	
5.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, सेतु निर्माण इकाई सफदरगंज, नई दिल्ली	2002-03 के दौरान कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई।
6.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, दादरी	31.12.2002 तक शाखा स्तर पर कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई।
7.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, सेतु निर्माण इकाई II, वाराणसी	2002-03 के दौरान कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई।
8.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, सेतु निर्माण इकाई IV,	2002-03 के दौरान कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई।
9.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, सेतु निर्माण इकाई I, कानपुर	2002-03 के दौरान कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई।
10.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, सेतु निर्माण इकाई II, कानपुर	आन्तरिक लेखा परीक्षा द्वारा प्रतिवेदित विसंगतियों का अनुपालन प्रधान कार्यालय द्वारा सत्यापन एवं पुष्टिकरण के अधीन था।
11.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, सेतु निर्माण इकाई, गोरखपुर	इकाई स्तर पर आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली अंगीकृत नहीं की गई थी।
12.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, सेतु निर्माण इकाई, राजरप्पा परियोजना	2002-03 के दौरान कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई।
13.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, मार्ग निर्माण इकाई भागलपुर शाखा	2002-03 के दौरान कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई।
14.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, सेतु निर्माण इकाई, इलाहाबाद	2000-01 के दौरान कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई।
15.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, सेतु निर्माण इकाई 7, नई दिल्ली	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सांविधिक लेखा परीक्षकों को उपलब्ध नहीं कराये गये।
16.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, सेतु निर्माण इकाई I व II, बलिया	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली व्यापार के आकार के अनुरूप नहीं थी।
17.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, रोहनकलाँ इकाई	प्रतिवेदन स्थिति, कार्य-क्षेत्र एवं क्षमता का स्तर आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली हेतु पर्याप्त है परन्तु आन्तरिक लेखा परीक्षा द्वारा लिया गया समय इकाई के आकार के अनुरूप नहीं है।
18.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, बिजनौर इकाई	प्रतिवेदन स्थिति, कार्य-क्षेत्र एवं क्षमता का स्तर आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली हेतु पर्याप्त है परन्तु आन्तरिक लेखा परीक्षा द्वारा लिया गया समय इकाई के आकार के अनुरूप नहीं है।

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
19.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, सहारनपुर इकाई	प्रतिवेदन स्थिति, कार्य-क्षेत्र एवं क्षमता का स्तर आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली हेतु पर्याप्त है परन्तु आन्तरिक लेखा परीक्षा द्वारा लिया गया समय इकाई के आकार के अनुरूप नहीं है।
20.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, जरवल रोड इकाई	आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई; इसलिये आन्तरिक लेखा परीक्षा का उद्देश्य पूर्ण रूप से असफल रहा। इस तरफ गहन विचार की आवश्यकता है।
21.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, सेवा प्रभाग, आगरा	प्रभाग के पास इसके आकार के अनुरूप पर्याप्त आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है। 2002-03 के दौरान कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई।
22.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, विपणन प्रभाग, आगरा	प्रभाग के पास इसके आकार के अनुरूप पर्याप्त आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है। 2002-03 के दौरान कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई।
23.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, विपणन प्रभाग (गेहूँ इकाई), आगरा	वर्ष 2002-03 के दौरान कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई।
24.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, विपणन प्रभाग तथा अनाज प्राप्ति प्रभाग, वाराणसी	2002-03 के दौरान कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई।
25.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, उर्वरक, विपणन तथा अनाज प्रभाग, इलाहाबाद	2002-03 के दौरान कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई।
26.	उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली व्यापार के आकार व प्रकृति के अनुरूप नहीं थी।
27.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड	आन्तरिक लेखा परीक्षा की प्रणाली, विस्तार तथा क्षेत्र को सुदृढ़कृत किये जाने की आवश्यकता थी।
28.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	कम्पनी की मेजा, बाँदा और रसड़ा (बलिया) इकाइयों के सम्बन्ध में आन्तरिक लेखा परीक्षा की प्रणाली इसके व्यापार के आकार व प्रकृति के अनुरूप नहीं थी।
29.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	कम्पनी के बढ़ते हुए आकार व प्रकृति को देखते हुए आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़कृत किये जाने की आवश्यकता है।
30.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली वास्तव में अप्रभावी थी क्योंकि आन्तरिक लेखा परीक्षकों को आन्तरिक लेखा परीक्षा के अतिरिक्त कम्पनी के निश्चित अभिलेखों/लेखों की तैयारी/तैयारी में सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था।

परिशिष्ट-8

कम्पनियों, जिनके व्यवसाय विगत 5 वर्षो के दौरान 5 करोड़ रूपये से कम थे तथा जिनके लेखे प्रमाणित किये गए, के व्यवसाय को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.36 में संदर्भित)

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे (वर्ष)	व्यवसाय (लाख रूपये में)				
			अद्यतन वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2001-2002	12.77	107.96	142.66	171.84	198.60
2.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2003-2004	26.39	27.10	114.87	142.87	161.71
3.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2002-2003	43.46	44.68	59.12	90.51	105.70
4.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1996-97	321.66	289.92	265.81	270.09	233.44
5.	यूपीएसआईसी पौट्रीज लिमिटेड	1990-91	16.50	19.59	15.80	9.86	57.21
6.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1991-92	26.15	36.11	24.57	28.62	11.31
7.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड	2001-2002	229.15	178.67	239.67	210.34	165.11
8.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	1995-96	14.98	15.08	15.45	16.80	15.39
9.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	1998-99	19.76	17.25	17.79	19.46	25.20
10.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1998-99	124.92	19.31	72.85	14.06	2.66
अकार्यरत कम्पनी							
11.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2002-2003	4.53	6.06	18.74	29.09	36.18

परिशिष्ट–8अ

कम्पनियाँ, जो लगातार पाँच वर्षो से घाटा दे रही है, जिससे निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया, को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या **1.36** में संदर्भित)

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लगातार 5 वर्षो की हानि, जिससे निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया					
1.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड	18.10.1979	वर्ष	**1995-96**	**1994-95**	**1993-94**	**1992-93**	**1991-92**
			शुद्ध मूल्य	(-) 14377.84	(-) 11165.41	(-) 8112.91	(-) 5653.09	(-) 4214.43
			वर्ष के दौरान हानि	3212.23	3118.95	3044.82	2638.66	2855.52
2.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	20.08.1974	वर्ष	**2002-2003**	**2001-2002**	**2000-2001**	**1999-2000**	**1998-99**
			शुद्ध मूल्य	(-) 3455.04	(-) 3937.27	(-) 3384.15	(-) 4589.14	(-) 3682.32
			वर्ष के दौरान हानि	690.17	571.61	806.23	906.82	1236.36
3.	नन्दगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	18.04.1975	वर्ष	**1999-2000**	**1998-99**	**1997-98**	**1996-97**	**1995-96**
			शुद्ध मूल्य	(-) 6778.46	(-) 5813.21	(-) 4845.62	(-) 4181.53	(-) 3255.51
			वर्ष के दौरान हानि	959.32	945.25	809.13	830.09	759.71
4.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	30.05.1986	वर्ष	**2001-2002**	**2000-2001**	**1999-2000**	**1998-99**	**1997-98**
			शुद्ध मूल्य	(-) 4660.48	(-) 1248.44	(-)3521.21	(-) 894.86	(-) 2352.37
			वर्ष के दौरान हानि	662.64	476.64	548.52	625.83	404.08
5.	यूपीएसआईसी पौट्रीज लिमिटेड	27.04.1976	वर्ष	**1990-91**	**1989-90**	**1988-89**	**1987-88**	**1986-87**
			शुद्ध मूल्य	(-) 196.48	(-) 149.43	(-) 129.77	(-) 93.44	(-) 68.13
			वर्ष के दौरान हानि	47.05	36.67	36.33	26.57	36.64
6.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड	10.04.1977	वर्ष	**2003-2004**	**2002-2003**	**2001-2002**	अक्टूबर **1999** से मार्च **2001**	अक्टूबर **1998** से सितम्बर **1999**
			शुद्ध मूल्य	(-) 604.59	(-) 486.92	(-) 441.06	(-) 148.21	(-) 34.46
			वर्ष के दौरान हानि	116.04	195.02	282.05	108.63	92.63
7.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	29.03.1972	वर्ष	**2002-2003**	**2001-2002**	**2000-2001**	**1999-2000**	**1998-99**
			शुद्ध मूल्य	(-) 22633.69	(-) 17939.83	(-) 10547.51	(-) 3665.22	(-) 196.46
			वर्ष के दौरान हानि	4693.86	7392.32	6882.29	5968.76	5322.83

परिशिष्ट-9

अद्यतन पूर्ण लेखों के अनुसार 619-बी के अन्तर्गत कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.38 में संदर्भित)

(5 से 20 तक के स्तम्भों में आँकड़े: लाख रूपये में)

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	स्थिति (कार्यरत/ अकार्यरत)	लेखों का वर्ष	प्रदत्त पूंजी	अंश पूंजी				ऋण			अनुदान			अंश पूंजी, ऋण एंव अनुदान द्वारा कुल निवेश			लाभ(+) /हानि(-)	संचित लाभ(+) /हानि(-)
					राज्य सरकार द्वारा	राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों द्वारा	अन्य	राज्य सरकार द्वारा	राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों द्वारा	राज्य सरकार द्वारा	राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों द्वारा	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियों	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	कार्यरत	2003-04	200.00	-	82.00 (41.00)	40.00 (20.00)	78.00 (39.00)	-	25.00	-	-	-	-	-	107.00	40.00	(+) 92.90	(-)76.34
2.	कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	अकार्यरत	1994-95	24.25	उपलब्ध* नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-	-	-	25.00	-	-	25.00	-	-	(+)0.003	(-) 7.06
3.	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड	अकार्यरत**		-	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड	अकार्यरत	1978-79	90.00	-	55.00 (61.11)	-	35.00 (38.89)	-	-	-	-	-	-	-	55.00	-	(-)45.00	-

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़ें प्रदत्त पूँजी से प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

* कम्पनी के द्वारा सूचना उपलब्ध नही करायी गयी।

** लेखे आरम्भ से ही अन्तिमीकृत नहीं हुए।

परिशिष्ट-10

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 31 मार्च 1991 को समाप्त हुए वर्ष की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित कम्पनी की समीक्षा पर सार्वजनिक उपक्रम समिति की संस्तुतियों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.1.4 में संदर्भित)

समीक्षा का प्रस्तर संख्या	विषय	सार्वजनिक उपक्रम समिति की संस्तुतियां
2अ.6.2 (ब)	अनियमित खरीद	सरकार द्वारा गठित की गई जाँच समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय से समिति ने अवगत होना चाहा।
2अ.7.1	खपत विवरणियों का न बनाया जाना	
2अ.7.2	सामग्रियों की मानको से अधिक खपत	
2अ.10.4	सामग्रियों का भौतिक सत्यापन एवं कमी	
2अ.6.2 (फ)	अनियमित खरीद	समिति ने लिये गये निर्णय पर संतोष व्यक्त करते हुए यह निर्देशित किया कि श्री एम0 आई0 खान, सहायक अभियन्ता के विरूद्ध कृत कार्यवाही से भी समिति को अवगत कराया जाय।
2अ.6.4	ईटों की खरीद	समिति द्वारा उन मामलों में जहाँ पर अपचारी कर्मचारियों/अधिकारियों के स्पष्टीकरण प्राप्त हो चुके हैं अथवा जहाँ पर उनके विरूद्ध दोषारोपण पत्र जारी किया जाना था, शीघ्र कार्यवाही किये जाने की इच्छा प्रकट की।
2अ.6.5	बालू एवं गिट्टी / सिगिंल की खरीद	
2अ.6.6	वायु प्रशीतक एवं सम्बंधित संयंत्रो की अधिप्राप्ति	
2अ.6.7	एस0जी0पीजी0आई0 के लिये एल्युमीनियम की फाल्स सीलिंग कार्य प्रणाली की खरीद	
2अ.6.8 (अ)	विद्युत, सेनेटरी एवं अन्य मदों की खरीद	
2अ.6.8 (ब)	विद्युत, सेनेटरी एवं अन्य मदों की खरीद	समिति द्वारा अनुशंसा की गई: 1. कि श्री टी0 एच0 आब्दी को समिति द्वारा चाही गई सूचनायें न उपलब्ध कराने के लिये आरोप-पत्र जारी किया जाय। 2. कि श्री पी0 के0 जैन, परियोजना प्रबन्धक, श्री वी0 एस0 शर्मा, लेखाकार एवं श्री निशिकान्त, सहायक निवासी अभियन्ता को कोटा पत्थरों को अधिक दरों पर क्रय किये जाने हेतु आरोप-पत्र जारी किया जाय।
2अ.6.8 (स)	विद्युत, सेनेटरी एवं अन्य मदों की खरीद	समिति द्वारा इस मामले में कृत कार्यवाही से अवगत होने की इच्छा प्रकट की गई।
2अ.6.9 (ब)	निविदा दरों से अधिक दरों पर सामग्री का क्रय किये जाने के कारण हानि	
2अ.6.11 (अ) (i)	लौह संरचना की रचना एवं अधिप्राप्ति	

समीक्षा के प्रस्तर संख्या	विषय	सार्वजनिक उपक्रम समिति की संस्तुतियां
2अ.6.11 (ब)	लौह संरचना की रचना एवं अधिप्राप्ति	समिति द्वारा उन्हें सूचित करते हुए अपचारी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध प्रभावी कदम उठाये जाने की इच्छा प्रकट की।
2अ.7.4 (अ)	आरसीसी का मिश्रण	समिति द्वारा सह-प्रस्तर 2अ.7.4 में वर्णित मामलों के लिये जाँच समिति द्वारा जिम्मेदार ठहराये गये अपचारी कर्मचारियों/अधिकारियों से वसूली किये जाने व उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की।
2अ.7.4 (ब)	आरआर स्टोन मैसनरी	
2अ.7.4 (स)	ग्रिट फिनिश	
2अ.7.4 (द)	कोटा पत्थरों को लगाना	
2अ.7.4 (इ)	कोटा एवं धौलपुर पत्थरों की खपत	
2अ.7.5	सामग्री की स्वीकृत प्राक्कलन से अधिक खपत	समिति ने अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं वसूली किये जाने की इच्छा प्रकट की।
2अ.7.7	अधिक बल्केज के साथ बालू की अधिक खपत	
2अ.7.9	अधिक टूटने के कारण ईटों की अधिक खपत	समिति द्वारा शीघ्रातिशीघ्र वसूली की कार्यवाही किये जाने की इच्छा प्रकट की गई।
2अ.8	शटरिंग सामग्री का उपयोग	--
2अ.9.2 (ब)	टावर क्रेन, बैचिंग प्लाण्ट्स एवं ट्रांजिट मिक्सरों की खरीद एवं उपयोग	समिति द्वारा आशा की गई कि सरकार/कम्पनी मामले की शीघ्र जाँच करायेंगे।
2अ.9.4	स्टोन क्रशर की खरीद एवं उपयोग	समिति द्वारा आशा की गई कि सरकार/कम्पनी शीघ्र ही अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे ।
2अ.10.1	भण्डार लेखों का रखरखाव	
2अ.12.2	मिट्टी खुदाई कार्य हेतु अधिक भुगतान	समिति द्वारा एसजीपीजीआई इकाई के प्रभारी को आरोप-पत्र दिये जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने की इच्छा प्रकट की।
2अ.12.3	त्रुटिपूर्ण कार्य	समिति द्वारा अपचारी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध शीघ्र वसूली किये जाने की आशा प्रकट की।
2अ.12.4 (ब)	निविदा कार्यों में हानि	समिति द्वारा आरोप-पत्र जारी किये गये कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध शीघ्र कार्यवाही किये जाने की इच्छा प्रकट की।

परिशिष्ट–11

2002–03 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षो की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 2.1.6 एवं 2.1.14 में संदर्भित)

(करोड़ रुपये में)

क्र0स0	विवरण	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
अ.	देयतायें					
1	अंश पूँजी	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	आरक्षण एवं आधिक्य	9.41	9.70	10.21	6.93	8.63
3	चालू देयतायें एवं प्रावधान	357.83	312.64	285.27	339.14	479.00
	कुल दायित्व	**368.24**	**323.34**	**296.48**	**347.07**	**488.63**
ब.	परिसम्पत्तियाँ					
1	सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	35.22	35.01	33.90	34.53	35.48
2	घटाया: ह्रास	24.13	24.67	24.34	25.28	25.84
3	शुद्ध परिसम्पत्तियाँ	11.09	10.34	9.56	9.25	9.64
4	चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम					
i	रहतिया एवं कल पुर्जे	15.43	13.39	13.41	13.93	14.25
ii	कार्य प्रगति पर (निविदा कार्य)	111.63	101.17	79.79	86.86	83.04
iii	देनदार	38.98	39.19	41.93	40.21	47.37
iv	कोषागार में वैयक्तिक खाता	17.69	12.13	24.84	49.39	139.95
v	स्थायी जमा खाता	22.33	25.49	15.76	16.76	20.15
vi	नकद एवं बैंक, अर्जित ब्याज	92.82	60.83	50.35	69.15	101.23
vii	ऋण एवं अग्रिम	58.27	60.80	60.84	61.52	73.00
viii	बी.4 का सह योग	357.15	313.00	286.92	337.82	478.99
	कुल परिसम्पत्तियाँ	**368.24**	**323.34**	**296.48**	**347.07**	**488.63**
	नियोजित पूँजी	10.41	10.70	11.21	7.93	9.63
	शुद्ध मूल्य	10.41	10.70	11.21	7.93	9.63

नोट:

1. नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी के योग को इंगित करती है।

2. शुद्ध मूल्य, प्रदत्त पूँजी एवं आरक्षण तथा आधिक्य के जोड़ घटाया अमूर्त परिसम्पत्तियों को निरूपित करती है।

परिशिष्ट-12

2002-03 तक पाँच वर्षो के कार्यशील परिणामों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 2.1.7 में संदर्भित)

(करोड़ रुपये में)

क्र0स0	विवरण	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
अ	आय					
	किये गये कार्य का मूल्य	231.97	192.92	201.23	203.92	242.03
	घटाया: मूल लागत	209.88	166.72	172.88	181.20	213.06
1.	शुद्ध लाभ	22.09	26.20	28.35	22.72	28.97
2.	परामर्श से आय	-	-	0.71	1.96	3.41
3.	कुल सकल लाभ	22.09	26.20	29.06	24.68	32.38
4.	अन्य प्राप्तियाँ (सावधि जमा पर ब्याज को सम्मिलित कर)	4.78 (2.64)	5.82 (3.93)	4.35 (2.61)	5.56 (2.62)	6.29 (3.73)
5.	कुल आय (अ1 से अ4)	**26.87**	**32.02**	**33.41**	**30.24**	**38.67**
ब	व्यय					
1.	कर्मचारियों को भुगतान/ प्रावधान	22.15	25.91	26.91	27.36	29.80
2.	उपरिव्यय	5.27	4.63	4.43	4.70	5.98
3.	ब्याज, वित्तीय प्रभार एवं अन्य व्यय	0.34	0.22	0.57	0.23	0.23
4.	ह्रास	1.04	0.95	0.78	0.80	0.82
5.	विगत अवधि समायोजन	(-) 0.02	0.02	0.21	0.43	0.14
6.	कुल प्रशासनिक व्यय (ब 1 से ब 5)	**28.78**	**31.73**	**32.90**	**33.52**	**36.97**
स	कार्यशील हानि (अ3-ब6)	**6.69**	**5.53**	**3.84**	**8.84**	**4.59**
द	शुद्ध लाभ(+)/हानि(-) (अ5-ब6)	**(-) 1.91**	**0.29**	**0.51**	**(-) 3.28**	**1.70**

परिशिष्ट–13

2002–03 तक पाँच वर्षो में वास्तविक एवं प्रावधानित व्यय को दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर संख्या 2.1.8 में संदर्भित)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1998-99		1999-2000		2000-01		2001-02		2002-03	
	प्रावधानित	वास्तविक	प्रावधानित	वस्तविक	प्रावधानित	वास्तविक	प्रावधानित	वास्तविक	प्रावधानित	वास्तविक
टर्न ओवर	270.00	231.97	300.00	192.92	310.00	201.23	260.00	203.92	260.00	242.03
सामग्री लागत	153.26	120.22	173.20	98.19	177.48	84.38	136.38	97.77	136.80	124.27
टर्न ओवर से प्रतिशत	56.76	51.83	57.73	50.90	57.25	41.93	52.45	47.95	52.62	51.34
प्रावधान से विचलन (प्रतिशत)		**(-) 4.93**		**(-) 6.83**		**(-) 15.32**		**(-) 4.50**		**(-) 1.28**
श्रमिक लागत	58.62	52.84	78.00	45.79	81.64	47.55	63.59	52.11	64.32	65.17
सामग्री कीमत का प्रतिशत	**38.25**	**43.95**	45.03	46.63	46.00	**56.35**	46.63	53.30	**47.02**	52.44
प्रावधान से विचलन (प्रतिशत)		**(+) 5.70**		**(+) 1.60**		**(+) 10.35**		**(+) 6 .67**		**(+) 5.42**
सामग्री एवं श्रमिक व्यय	211.88	173.06	251.20	143.98	259.12	131.93	199.97	149.88	201.12	189.44
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	20.78	36.82	18.75	22.74	19.69	40.95	28.78	31.32	31.58	23.62
टर्न ओवर से प्रतिशत	7.70	15.87	6.25	11.79	6.35	20.35	11.07	15.36	12.15	9.76
प्रावधान से विचलन (प्रतिशत)		**(+) 8.17**		**(+) 5.54**		**(+) 14.00**		**(+) 4.29**		**(-) 2.39**
मूल लागत	232.66	209.88	269.95	166.72	278.81	172.88	228.75	181.20	232.70	213.06
वेतन तथा भत्ते	21.28	22.15	24.57	25.91	25.04	26.91	27.07	27.36	25.67	20.80
सामग्री एवं श्रमिक व्यय से प्रतिशत	10.04	**12.80**	9.78	18.00	**9.67**	**20.40**	**13.54**	18.25	12.76	15.73
प्रावधान से विचलन (प्रतिशत)		**(+) 2.76**		**(+) 8.22**		**(+) 10.73**		**(+) 4.71**		**(+) 2.97**
अन्य अप्रत्यक्ष व्यय	7.26	6.63	7.57	5.82	6.84	5.99	5.31	6.16	5.20	7.17
टर्न ओवर से प्रतिशत	2.69	2.86	2.52	3.02	2.21	2.98	2.04	3.02	2.00	2.96
प्रावधान से विचलन (प्रतिशत)		**(+) 0.17**		**(+) 0.50**		**(+) 0.77**		**(+) 0.98**		**(+) 0.96**
कुल व्यय	261.20	238.66	302.09	198.45	310.69	205.78	261.13	214.72	263.57	250.03
प्रचालन लाभ/हानि	8.80	(-)6.69	(-)2.09	(-)5.53	(-)0.69	(-)4.55	1.13	(-)10.80	(-)3.57	(-)8.00
जोड़ा: परामर्श आय	-	-	-	-	-	0.71	-	1.96	1.76	3.41
शुद्ध प्रचालन लाभ/हानि	8.80	(-)6.69	**(-)2.09**	(-)5.53	**(-)0.69**	**(-)3.84**	(-)1.13	**(-)8.84**	(-)1.81	(-)4.59
जोड़ा: अन्य आय	4.20	4.78	4.95	5.82	4.95	4.35	3.05	5.56	2.95	6.29
कर पूर्व लाभ	13.00	(-)1.91	2.86	0.29	4.26	0.51	1.92	(-)3.28	1.14	1.70
घटाया: आयकर के लिये प्रावधान	5.20	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शुद्ध लाभ/हानि (-)	**7.80**	**(-)1.91**	**1.76**	**0.29**	**4.26**	**0.51**	**1.92**	**(-)3.28**	**1.14**	**1.70**

परिशिष्ट-14

ग्राहकों द्वारा अग्रिम में दी गई धनराशि से अधिक प्रगतिगत कार्यों को दर्शाती विवरणी
(31 मार्च 2003 को)
(प्रस्तर संख्या 2.1.25 में संदर्भित)

(करोड़ रुपये में)

क्र0स0	जाब कोड	कार्य का नाम	प्रगतिगत कार्य की धनराशि	ग्राहक से ली गई अग्रिम की धनराशि
1.	1165	एनडीएमसी कम्पोस्ट प्लांट, ओखला, दिल्ली	18.76	15.71
2.	1166	एनडीएमसी 36 क्वारटर्स, विनय मार्ग, दिल्ली	165.38	160.63
3.	1189	एनडीएमसी 12 सरोजनी नगर, दिल्ली	40.42	32.38
4.	1190	एनडीएमसी 132 लक्ष्मीबाई नगर, दिल्ली	93.35	74.65
5.	1210	एसईआरसी फेज-II, गाजियाबाद	42.69	29.95
6.	1922	हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी, नैनी	150.74	140.99
7.	1928	बीपीसीएल फेज-II, नैनी	25.10	18.51
8.	2011	पीसीएफ (शापिंग काम्पलेक्स), वाराणसी	182.29	188.60
9.	2661	पीसीएफ कार्य (विद्युतीय), वाराणसी	45.11	
10.	2575	पैन्टून कार्य, इलाहाबाद	27.25	20.63
11.	2863	टीआरसी (इ) दोहरीघाट	9.10	0.22
योग			**800.19**	**682.27**

परिशिष्ट-15

शटरिंग सामग्री की उपलब्धता एवं उपयोग को दर्शाती विवरणी (लकड़ी की शटरिंग सामग्री को सम्मिलित करते हुये)

(प्रस्तर संख्या 2.1.35 एवं 2.1.36 में संदर्भित)

सटरिंग सामग्री	इकाई की माप	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
शटरिंग सामग्री की उपलब्धता						
उपयोज्य शटरिंग सामग्री						
लौह शटरिंग प्लेटें	वर्गमीटर	38299	41078	36086	35489	37903
लौह प्राप्स्	संख्या	28600	30033	28553	26872	32752
पाड़ (स्कैफोल्डिंग)	आरएम	195822	210720	212023	217913	247929
प्लाईवुड	वर्गमीटर	11014	6452	5567	5963	7278
बल्लियाँ	संख्या	16614	11534	6084	6470	4678
बाँस	संख्या	9802	6756	2300	2101	3837
उपयोज्य शटरिंग सामग्री						
मरम्मत योग्य						
लौह शटरिंग प्लेटें	वर्गमीटर	5431	6715	9435	10465	7741
लौह प्राप्स	संख्या	4352	5205	6209	7568	5448
पाड़ (स्कैफोल्डिंग)	आरएम	6471	14402	17588	8286	5082
निस्तारण योग्य						
लौह शटरिंग प्लेटें	वर्गमीटर	16304	13961	15968	11828	11341
लौह प्राप्स्	संख्या	8119	8122	8619	6813	7631
पाड़ (स्कैफोल्डिंग)	आरएम	18053	24674	24014	11923	13712
प्लाईवुड	वर्गमीटर	5354	3969	4035	2485	2383
बल्लियाँ	संख्या	5361	3540	6409	1402	1355
बाँस	संख्या	4435	3365	4815	2101	1644
सामग्री का उपयोग						
उपलब्ध शटरिंग सामग्री (लकड़ी को सम्मिलित करते हुये) से आच्छादित किये जा सकने वाला क्षेत्र	वर्गमीटर	500000	589902	536093	472313	492862
वास्तविक आच्छादित क्षेत्र	वर्गमीटर	324652	334633	217349	222139	288015
उपयोजन	प्रतिशत	64.93	56.73	40.54	47.03	58.44
उपयोग में कमी	प्रतिशत	35.07	43.27	59.46	52.97	41.56
स्टील शटरिंग सामग्री पर किराया प्रभार	लाख रुपये में	112.00	92.06	85.36	92.38	134.52
अनुपयोजित स्टील शटरिंग सामग्री पर किराया प्रभार	लाख रुपये में	39.28	39.83	50.76	48.93	55.91

परिशिष्ट-16

स्टील शटरिंग सामग्री की खरीद एवं आधिक्य स्टील शटरिंग के विवरण को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 2.1.37 में संदर्भित)

शटरिंग सामग्री	इकाई की माप	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	योग	
आधिक्य स्टील शटरिंग सामग्री							आधिक्य (वर्गमीटर)	खरीद (लाख रुपये में)
वास्तविक आच्छादित क्षेत्र	वर्गमीटर	324652	334633	217349	222139	288015		
मानक के अनुसार वाँछित स्टील शटरिंग प्लेट*	वर्गमीटर	21644	22309	14490	14809	19201		
स्टील शटरिंग प्लेटे								
उपलब्ध स्टील शटरिंग प्लेटे नई खरीद को छोड़कर	वर्गमीटर	36836	38303	33311	31960	31019		
मानकों से आधिक्य	वर्गमीटर	15192	15994	18821	17151	11811	78969	
वर्ष में खरीद	वर्गमीटर	1463	1312	0.00	754	3355		
खरीदी गयी कीमत	लाख रुपये में	13.90	13.05	0.00	8.05	38.57		73.57
स्टील प्राप्स								
पहले से उपलब्ध	संख्या	28600	26298	24818	22401	26035		
मानकों के अनुसार स्टील प्राप्स् की आवश्यकता	संख्या	21644	22309	14490	14809	19201		
मानकों से आधिक्य	संख्या	6956	3989	10328	7592	6834	35699	
वर्ष में खरीद	संख्या	0.00	3735	0.00	736	2246		
खरीद की कीमत	लाख रुपये में	0.00	27.97	0.00	5.52	16.80		50.29
पाड़ (स्कैफोल्डिंग)								
पहले से उपलब्ध	आर.एम.	195822	210720	212023	202912	232928		
वर्ष में खरीद	आर.एम.	0.00	0.00	0.00	15001	0.00		
खरीद की कीमत	लाख रुपये में	0.00	0.00	0.00	14.55	0.00		14.55
						योग	**114668**	**138.41**

* स्टील शटरिंग प्लेट के प्रति वर्गमीटर पर एक स्टील प्राप की आवश्यकता को लेते हुए 300 दिनों के एक वर्ष में 15 बार दोहराव (20 दिन प्रत्येक)

परिशिष्ट–17

स्टील शटरिंग सामग्री की कमी को दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर संख्या 2.1.38 में संदर्भित)

शटरिंग सामग्री	माप की इकाई	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
स्टील शटरिंग सामग्री में कमी						
शटरिंग प्लेटे						
अंचलों के मासिक अनुश्रवण विवरण के अनुसार	वर्गमीटर	60034	61754	61489	57782	56985
एलएमयू के खातों के अनुसार	वर्गमीटर	86799	83892	84052	85191	84529
कमियाँ	वर्गमीटर	26765	22138	22563	27409	27544
कमियों का मूल्य	लाख रुपये में	112.35	99.26	100.18	121.47	133.47
स्टील प्राप्स्						
मासिक अनुश्रवण विवरण के अनुसार	संख्या	42071	59912	58776	46363	51909
एल.एम.यू. के खातों के अनुसार	संख्या	61058	60033	60368	61120	62024
कमियाँ	संख्या	18987	121	1592	14757	10115
कमियों का मूल्य	लाख रुपये में	60.81	0.45	5.80	54.36	39.14
पाड़ (स्कैफोल्डिंग)						
मासिक अनुश्रवण विवरण के अनुसार	आरएम	219227	219894	222267	227966	255760
एलएमयू के खातों के अनुसार	आरएम	457632	452250	463006	461442	452424
कमियाँ	आरएम	238405	232356	240739	233476	196664
कमियों का मूल्य	लाख रुपये में	91.09	89.15	89.94	95.63	81.38
कुल कम शटरिंग सामग्री का मूल्य	लाख रुपये में	**264.25**	**188.86**	**195.92**	**271.46**	**253.99**

परिशिष्ट-18

पाँच वर्षो से अधिक अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों का विवरण
(31 मार्च 2004 को)
(प्रस्तर संख्या 2.1.44 में संदर्भित)

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पद	प्रतिनियुक्ति पर जाने की तिथि	उद्गम विभाग	प्रतिनियुक्ति की अवधि (वर्षो में)
1.	श्री वी0के0 बंसल	परियोजना प्रबन्धक (सि)	15.4.1978	यूपीपीडब्ल्यूडी	26
2	श्री एस0सी0 राय	परियोजना प्रबन्धक (वि)	20.12.1976	यूपीपीडब्ल्यूडी	27
3.	श्री आर0डी0 शर्मा	परियोजना प्रबन्धक (वि)	28.01.1983	यूपीपीडब्ल्यूडी	21
4.	श्री सी0डी0 मित्तल	परियोजना प्रबन्धक (एम)	23.5.1980	यूपीपीडब्ल्यूडी	24
5.	श्री एस0के0 सिन्हा	परियोजना प्रबन्धक (एम)	15.12.1976	यूपीपीडब्ल्यूडी	27
6.	श्री आर0के0सी0 अस्थाना	स्थनिक अभियन्ता (सि)	03.5.1985	यूपीपीडब्ल्यूडी	19
7.	श्री एस0बी0 खण्डेलवाल	स्थनिक अभियन्ता (सि)	06.6.1976	यूपीपीडब्ल्यूडी	28
8.	श्री महेश चन्द्र	स्थनिक अभियन्ता (सि)	10.7.1976	यूपीपीडब्ल्यूडी	28
9.	श्री राम सेवक	स्थनिक अभियन्ता (सि)	01.10.1978	यूपीपीडब्ल्यूडी	25
10.	श्री एम0जी0 एलेक्जेन्डर	स्थनिक अभियन्ता (सि)	22.8.1976	यूपीपीडब्ल्यूडी	28
11.	श्री एन0एल0 शर्मा	स्थनिक अभियन्ता (सि)	03.4.1979	यूपीपीडब्ल्यूडी	25
12.	श्री एस0डी0ए0 तहिलयानी	स्थनिक अभियन्ता (सि)	08.01.1985	यूपीपीडब्ल्यूडी	19
13.	श्री एस0के0 सिंघल	सहा0 स्थनिक अभियन्ता (सि)	17.11.1975	यूपीपीडब्ल्यूडी	28
14.	श्री महेन्द्र प्रसाद	सहा0 स्थनिक अभियन्ता (सि)	14.6.1976	यूपीपीडब्ल्यूडी	28
15.	श्री प्रमोद कुमार रस्तोगी	सहा0 स्थनिकअभियन्ता (सि)	17.8.1976	यूपीपीडब्ल्यूडी	28
16.	श्री आर0सी0 सोमरी	सहा0 स्थनिक अभियन्ता (सि)	16.10.1976	यूपीपीडब्ल्यूडी	27
17.	श्री एम0एस0 चौहान	सह अभियन्ता (सि)	15.4.1976	यूपीपीडब्ल्यूडी	28
18.	श्री जे0पी0 सिंह	सह अभियन्ता (सि)	01.8.1986	यूपीपीडब्ल्यूडी	18
19.	श्री मो0 फारूख	सह अभियन्ता (सि)	02.9.1993	यूपीपीडब्ल्यूडी	11
20.	श्री एस0एन0पी0 यादव	भण्डारपाल	01.11.1975	यूपीपीडब्ल्यूडी	28
21.	श्री रामाश्रय पाण्डेय	भण्डारपाल	24.10.1975	यूपीपीडब्ल्यूडी	28
22.	श्री निहाल राशिद अली	सहा0 स्थनिक अभियन्ता (सि)	04.01.1984	यूपीजेएन	20
23.	श्री आदेश कुमार	सहा0 स्थनिक अभियन्ता (वि)	03.3.1998	एनबीसीसी	6
24.	श्री जे0पी0 सिंह	स्थनिक अभियन्ता (सि)	03.10.1988	स्टेट प्लानिंग	15
25.	श्री सुधीर कुमार	स्थनिक अभियन्ता (सि)	08.3.1983	यूपीजेएन	21
26.	श्री पी0 के0 गर्ग	परियोजना प्रबन्धक (सि)	08.02.1977	यूपीआईडी	27
27.	श्री पी0के0 भटनागर	सहा0 परियोजना प्रबन्धक (वि)	13.6.1984	स्टेट प्लानिंग	20
28.	श्री ए0एच0 जैदी	स्थनिक अभियन्ता (वि)	01.10.1984	यूपीपीडब्ल्यूडी	19
29.	श्री ए0पी0 श्रीवास्तव	स्थनिक अभियन्ता (वि)	10.7.1984	यूपीपीडब्ल्यूडी	20
30.	श्री एम0एच0 खान	स्थनिक अभियन्ता (वि)	14.8.1987	यूपीपीडब्ल्यूडी	17
31.	श्री वी0के0 श्रीवास्तव	स्थनिक अभियन्ता (वि)	18.6.1988	यूपीपीडब्ल्यूडी	16

परिशिष्ट–19

विगत पाँच वर्षो की कम्पनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 2.2.7 में संदर्भित)

(करोड़ रुपये में)

I. दायित्व	1999-2000	2000-01[1]	2001-02 [1]	2002-03	2003-04
(अ) प्रदत्त पूँजी					
(i) राज्य सरकार	475.76	590.67	590.67	590.67	590.67
(ii) अंश आवेदन राशि	4.26	4.26	4.26	4.26	352.80
(ब) संचय एवं आधिक्य					
वैधानिक संचय	2.26	2.29	2.26	1.15	1.30
(स) ऋण					
(i) राज्य सरकार	425.62	372.43	473.71	585.64	10.00
(ii) वित्तीय संस्थान	57.76	43.26	--	--	--
(iii) वाणिज्यिक बैंक	0.19	0.18	0.09	0.06	--
(iv) नकद साख	289.24	380.36	404.41	358.27	378.16
(v) अन्य	125.23	123.72	115.72	116.93	33.76
(vi) ब्याज अर्जित एवं देय	545.71	389.07	460.80	558.26	30.89
(द) चालू दायित्व एवं प्रावधान					
(i) चालू दायित्व	304.86	366.19	421.56	419.56	296.09
(ii) ग्रेच्युटी के लिये प्रावधान	65.41	54.01	42.18	29.43	34.17
(iii) अन्य प्रावधान	--	3.24	2.03	1.97	3.78
योग	**2296.30**	**2329.68**	**2517.69**	**2666.20**	**1731.62**
II. सम्पत्तियाँ					
(अ) निवल परिसम्पत्तियाँ	322.09	313.32	288.74	259.17	258.56
(ब) घटाया : ह्रास	202.42	210.19	201.11	188.29	196.04
(स) शुद्ध परिसम्पत्तियाँ	119.66	103.13	87.63	70.88	62.52
(द) पूँजीगत कार्य प्रगति पर	39.54	17.58	17.16	9.58	9.62
(ई) निवेश	83.07	83.57	83.56	91.99	92.14
(एफ) चालू सम्पत्तियाँ एवं अग्रिम					
(i) रहतिया	440.19	555.02	624.34	567.49	611.24
(ii) विविध देनदार	3.61	5.13	1.61	0.71	1.21
(iii) अन्य सम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	218.52	234.95	262.78	1437.09[2]	496.65[3]
(जी) स्थगित आयगत व्यय (वी.आर.एस.)	0.59	31.20	30.48	--	--
(एच) संचित हानियाँ	1391.11	1299.10	1410.13	488.46	458.24
योग	**2296.30**	**2329.68**	**2517.69**	**2666.20**	**1731.62**
III. कार्यशील पूँजी	(-) 188.25	36.60	4.34	1025.50	778.34
IV. नियोजित पूँजी	(-) 29.05	157.31	109.13	1105.96	850.48
V. शुद्ध मूल्य	(-) 911.68	(-) 735.37	(-) 845.68	106.47	485.23

टिप्पणी:

(i) कार्यशील पूँजी, चालू परिसम्पत्तियों, ऋण तथा अग्रिम के योग, घटाया चालू दायित्व एवं प्रावधान (अर्जित एवं देय ब्याज को सम्मिलित करते हुये परन्तु ग्रेच्युटी प्रावधान को छोड़कर) को निरूपित करती है।

(ii) नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी के योग को निरूपित करती है।

(iii) शुद्ध मूल्य, अंश आवेदन राशि को सम्मिलित करते हुये प्रदत्त पूँजी, मुक्त संचय एवं आधिक्य में से अदृश्य परिसम्पत्तियों और संचित हानियों को घटाने के बाद शेष राशि को दर्शाती है।

1 कम्पनी की वर्ष 1999-2000 से 2001-02 तक दर्शायी गई वित्तीय स्थिति में 30 मिलों के, तत्पश्चात् 11 मिलों के आँकड़े है।

2 वर्ष 2002-03 में अन्य सम्पत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम में 1174.31 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई। इसमें 1162.33 करोड़ रुपये वर्ष 2002-03 में कम्पनी (उ.प्र.रा.ची.नि.) से पृथक की गई 18 मिलों को सम्मिलित कर बनाई गई नई सहायक कम्पनी भी सम्मिलित है। राज्य सरकार तथा उ0 प्र0 शक्कर विशेष निधि द्वारा प्रदत्त ऋण तथा उन पर ब्याज को मिलाकर 1128.50 करोड़ रुपये (ऋण 554.59 करोड़ रुपये एवं ब्याज 573.91 करोड़ रुपये) जो कि नवसृजित सहायक कम्पनी की मिलों से सम्बन्धित थे, को नवसृजित सहायक कम्पनी के गठन के पूर्व अन्तर इकाई सौदे माना गया था जिन्हें नवसृजित सहायक कम्पनी से वापसी योग्य दर्शाया गया था।

3 वर्ष 2003-04 में हुई घटोत्तरी राज्य सरकार द्वारा नवसृजित सहायक कम्पनी की इकाइयों से सम्बन्धित 544.59 करोड़ रुपयों के ऋणों के अंशपूँजी में परिवर्तित किये जाने तथा उस पर देय ब्याज 573.91 करोड़ रुपये की माफी के कारण थी। चूँकि सहायक कम्पनी को अब इस ऋण एवं उस पर ब्याज को चुकाने की आवश्यकता नही है, इसलिये कम्पनी (उ.प्र.रा.ची.नि.) भी तत्सम्बन्धित धनराशि को राज्य सरकार को चुकाने के दायित्व से उबर चुकी है। तद्नुसार कम्पनी की सम्पत्तियों एवं दायित्वों को समायोजित किया जा चुका है।

परिशिष्ट-20

कम्पनी के विगत पाँच वर्षो के कार्यशील परिणाम को दर्शाने वाली विवरणी

(प्रस्तर संख्या 2.2.7 में संदर्भित)

(करोड़ रुपये में)

	1999-2000*	2000-01*	2001-02*	2002-03	2003-04
अ. आय				(अनन्तिम)	
1. बिक्री (उत्पाद शुल्क, चीनी सेस को छोड़कर)	470.92	422.93	427.22	394.86	420.59
2. दूसरे स्रोतों से आय	16.39	33.55	38.64	38.48	46.02
3. रहतिये में वृद्धि	36.34	114.97	72.01	---	94.98
योग (अ)	**523.65**	**571.45**	**537.87**	**433.34**	**561.59**
ब. व्यय					
4. प्रयुक्त कच्चे माल की लागत	360.52	385.88	414.06	339.28	393.94
5. कर्मचारियों को भुगतान एवं प्रावधान	100.66	105.97	98.92	66.67	59.97
6. उत्पाद तथा अन्य व्यय	60.68	99.53	85.60	69.61	68.03
7. वित्तीय प्रभार (अ) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों पर ब्याज (ब) उत्तर प्रदेश शक्कर विशेष निधि द्वारा प्रदत्त ऋणों पर ब्याज (स) अन्य ब्याज एवं ऋण व्यय	 78.61 13.68 63.37	 77.73 15.14 51.09	 74.56 5.61 58.52	 43.87 6.17 51.98	 37.40 11.08 49.47
8. रहतिये में घटोत्तरी	---	---	---	54.34	--
योग (ब)	**677.52**	**735.34**	**737.27**	**631.92**	**619.89**
9. ह्रास संचय एवं शीरा आधिक्य के समायोजन से पूर्व हानि	153.87	163.89	199.40	198.58	58.30
10. जोड़ा : शीरा भण्डारण सुविधायें आधिक्य	0.17	0.18	0.14	0.12	0.15
11. जोड़ा : ह्रास	15.78	13.14	11.87	9.07	7.85
12. घटाया : ब्याज उपलिखित	---	269.22	---	---	96.50
13. शुद्ध लाभ (+)/हानि (-) आर्थिक चिट्ठे में ले जाया गया।	(-) 169.82	92.01	(-) 211.41	(-) 207.77	30.20
14. बिक्री की लागत	656.96	633.51	677.13	640.99	532.76
15. विक्रय की लागत से विक्रय का प्रतिशत	139.51	149.79	158.50	162.33	126.67

* कम्पनी की वर्ष 1999-2000 से 2001-02 तक दर्शायी गई वित्तीय स्थिति में 30 मिलों के, तत्पश्चात् 11 मिलों के आँकड़ें है।

परिशिष्ट–21

भारत सरकार द्वारा नियुक्त दक्ष तकनीकी समिति द्वारा सुझाये गये मानको से अधिक शर्करा ह्रास को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 2.2.17 में संदर्भित)

क्र0सं0	विवरण	पेराई किये गये गन्ने की मात्रा (लाख क्विण्टल में)	उत्पादित चीनी की मात्रा (लाख क्विण्टल में)	गन्ने में चीनी का प्रतिशत(प्रयोग शाला विश्लेषण के अनुसार)	चीनी परता (प्रतिशत में)	चीनी ह्रास (प्रतिशत में) (4-5)	चीनी ह्रास मानकों के अनुसार (प्रतिशत में)	अधिक ह्रास (प्रतिशत में) (6-7)	चीनी का ह्रास (क्विण्टल में) (2x8)	औसत वसूली (रुपये प्रति कु0)	हानि (लाख रुपये में) (9x10)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	बुलन्दशहर										
	1999-2000	19.67	1.53	10.21	7.80	2.41	2.20	0.21	4130	1263.92	52.20
	2000-01	25.15	2.16	11.21	8.60	2.61	2.20	0.41	10311	1283.88	132.38
	2001-02	32.12	2.81	11.25	8.76	2.49	2.20	0.29	9314	1348.78	125.62
	2002-03	38.86	3.33	11.07	8.57	2.50	2.20	0.30	11658	1145.66	133.56
	2003-04	33.19	2.92	11.18	8.81	2.37	2.20	0.17	5642	1214.49	68.52
	योग										**512.28**
2.	मोहिउद्दीनपुर										
	1999-2000	31.46	2.95	11.78	9.37	2.41	2.20	0.21	6606	1304.41	86.17
	2000-01	37.12	3.61	12.16	9.74	2.42	2.20	0.22	8166	1447.85	118.23
	2001-02	42.12	3.97	11.94	9.43	2.51	2.20	0.31	13057	1344.44	175.54
	2002-03	39.58	3.69	11.80	9.33	2.47	2.20	0.27	10686	1082.82	115.71
	2003-04	33.35	3.13	11.88	9.38	2.50	2.20	0.30	10005	1233.08	123.37
	योग										**619.02**
3.	रोहनकलां										
	1999-2000	14.86	1.28	11.08	8.60	2.48	2.20	0.28	4160	1284.10	53.42
	2000-01	19.78	1.96	12.22	9.90	2.32	2.20	0.12	2373	1400.56	33.23
	2001-02	18.53	1.65	11.47	8.93	2.54	2.20	0.34	6300	1349.10	84.99
	2002-03	25.78	2.18	11.24	8.45	2.79	2.20	0.59	15210	1212.41	184.40
	2003-04	20.07	1.97	12.28	9.80	2.48	2.20	0.28	5620	1214.82	68.27
	योग										**424.31**
4.	सखोती टाण्डा										
	1999-2000	23.63	2.15	11.30	9.09	2.21	2.20	0.01	236	1280.16	3.02
	2000-01	27.41	2.64	11.83	9.62	2.21	2.20	0.01	274	1278.77	3.50
	2001-02	28.09	2.65	11.66	9.42	2.24	2.20	0.04	1123	1337.40	15.02
	2002-03	25.26	2.32	11.52	9.17	2.35	2.20	0.15	3789	1183.20	44.83
	2003-04	24.00	2.28	11.86	9.51	2.35	2.20	0.15	3600	1210.00	43.56
	योग										**109.93**
5.	सहारनपुर										
	1999-2000	36.18	3.20	11.13	8.84	2.29	2.20	0.09	3256	1387.49	45.18
	2000-01	36.14	3.16	11.17	8.75	2.42	2.20	0.22	7951	1378.86	109.63
	2001-02	32.83	2.85	10.92	8.67	2.25	2.20	0.05	1641	1341.81	22.02
	2002-03	40.10	3.63	11.25	9.06	2.15	2.20	--	--	--	--
	2003-04	33.57	3.09	11.30	9.20	2.10	2.20	--	--	--	--
	योग										**176.83**
6.	अमरोहा										
	1999-2000	27.46	2.39	11.10	8.72	2.38	2.20	0.18	4942	1429.28	70.63
	2000-01	31.68	2.96	11.53	9.33	2.20	2.20	--	--	--	--
	2001-02	35.46	3.11	11.08	8.78	2.30	2.20	0.10	3546	1358.59	48.17
	2002-03	38.17	3.44	11.38	9.00	2.38	2.20	0.18	6870	1170.31	80.40
	2003-04	29.82	2.72	11.47	9.11	2.36	2.20	0.16	4771	1218.48	58.13
	योग										**257.33**
7.	चान्दपुर										
	1999-2000	35.21	3.17	11.27	9.01	2.26	2.20	0.06	2112	1218.40	25.73
	2000-01	40.36	3.80	11.68	9.41	2.27	2.20	0.07	2825	1272.02	35.93
	2001-02	42.21	3.91	11.67	9.26	2.19	2.20	--	--	--	--
	2002-03	42.77	4.00	11.75	9.36	2.18	2.20	--	--	--	--
	2003-04	38.04	3.65	11.71	9.59	2.12	2.20	--	--	--	--
	योग										**61.66**
8.	बिजनौर										
	1999-2000	40.71	3.58	11.13	8.79	2.34	2.20	0.14	5699	1253.37	71.43
	2000-01	46.29	4.24	11.54	9.17	2.37	2.20	0.17	7869	1298.61	102.19
	2001-02	46.11	3.98	11.01	8.64	2.37	2.20	0.17	7838	1318.01	103.30

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2002-03	50.06	4.59	11.36	9.17	2.19	2.20	--	--	--	--
	2003-04	46.30	4.40	11.70	9.50	2.20	2.20	--	--	--	--
	योग										**276.92**
9.	खड्डा										
	1999-2000	24.64	2.36	12.03	9.56	2.47	2.20	0.27	6652	1326.57	88.24
	2000-01	17.15	1.59	11.78	9.28	2.50	2.20	0.30	5145	1306.57	67.22
	2001-02	21.36	1.80	10.93	8.45	2.48	2.20	0.28	5980	1360.90	81.38
	2002-03	28.42	2.48	11.39	8.74	2.65	2.20	0.45	12789	1131.64	144.73
	2003-04	16.52	1.58	12.05	9.55	2.50	2.20	0.30	4956	1259.95	62.44
	योग										**444.01**
10.	जरवल रोड										
	1999-2000	38.50	3.35	11.53	8.70	2.83	2.20	0.63	24255	1382.59	335.35
	2000-01	24.45	2.25	11.76	9.22	2.54	2.20	0.34	8313	1403.02	116.63
	2001-02	35.98	3.13	11.39	8.71	2.68	2.20	0.48	17270	1372.16	236.97
	2002-03	37.53	3.28	11.37	8.75	2.62	2.20	0.42	15762	1129.48	178.03
	2003-04	23.08	2.11	11.34	9.13	2.21	2.20	0.01	231	1222.03	2.82
	योग										**869.80**
11.	सिसवा बाजार										
	1999-2000	31.49	2.78	11.63	8.83	2.80	2.20	0.60	18894	1394.93	263.56
	2000-01	24.12	2.24	11.78	9.27	2.51	2.20	0.31	7477	1396.07	104.38
	2001-02	30.62	2.56	10.75	8.35	2.40	2.20	0.20	6124	1398.53	85.65
	2002-03	37.42	2.93	10.55	7.82	2.73	2.20	0.53	19833	1117.51	221.63
	2003-04	20.97	1.93	11.57	9.21	2.36	2.20	0.16	3355	1267.95	42.54
	योग										**717.76**
	महायोग										**4469.85**

परिशिष्ट–22

खोई की अधिक खपत को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 2.2.18 में संदर्भित)

क0 सं0	विवरण	पेराई किये गये गन्ने की मात्रा (लाख क्विण्टल में)	गन्ने में खोई की मात्रा का प्रतिशत (प्रयोगशाला विश्लेषण के अनुसार)	खपत का मानक (प्रतिशत में)	मानकों के अनुसार बिकी के लिये उपलब्ध मात्रा (क्विण्टल एवं प्रतिशत में)	दूसरी इकाइयों को हस्तान्तरित/बिक्रीत की गई वास्तविक मात्रा (लाख क्विण्टल में)	दूसरी इकाइयों से खरीदी गयी /हस्तान्तरित मात्रा (लाख क्विण्टल में)	अधिक खपत (5)+(7)-(6) (लाख क्विण्टल में)	दर (रुपये प्रति क्विण्टल)	धनराशि (लाख रुपये में) (8X9)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	बुलन्दशहर									
	1998-1999	16.76	31.06	28	51285 (3.06)	--	53000	104285	48.07*	50.13
	1999-2000	19.67	31.34	28	65697 (3.34)	--	57503	123200	61.02*	75.18
	2000-01	25.15	33.60	28	140840 (5.60)	--	18489	159329	28.83*	45.93
	2001-02	32.12	33.21	28	167345 (5.21)	18536	1588	150397	29.03	43.66
	2002-03	38.86	33.73	28	222668 (5.73)	42857	409	180220	70.43	126.93
										341.83
2.	मोहिउद्दीनपुर									
	1998-1999	29.09	34.23	28	181230 (6.23)	--	44285	225515	94.58	213.29
	1999-2000	31.46	32.29	28	134963 (4.29)	--	22672	157635	105.37	166.09
	2000-01	37.12	33.26	28	195251 (5.26)	--	9243	204494	101.40	207.35
	2001-02	42.14	33.62	28	236826 (5.62)	--	10116	246942	106.64	263.34
	2002-03	39.58	33.96	28	235896 (5.96)	--	34821	270717	102.56	277.64
										1127.71
3.	रोहनकलां									
	1998-1999	20.53	31.59	28	73703 (3.59)	--	27115	100818	86.61	87.32
	1999-2000	14.86	32.10	28	60926 (4.10)	--	45798	106724	94.03	100.35
	2000-01	19.78	33.00	28	98900 (5.00)	--	48879	147779	94.17	139.16
	2001-02	18.53	33.17	28	95800 (5.17)	--	23388	119188	97.56	116.28
	2002-03	25.78	34.61	28	170405 (6.61)	--	22432	192837	97.77	188.54
										631.65
4.	सखोती टाण्डा									
	1998-1999	23.33	31.31	28	77222 (3.31)	11702	7872	73392	48.47	35.57
	1999-2000	23.63	32.04	28	95465 (4.04)	5690	6153	95928	55.50	53.24
	2000-01	27.41	33.95	28	163089 (5.95)	14672	2082	150499	25.00	37.62
	2001-02	28.09	34.62	28	185955 (6.62)	6817	7599	186737	43.79	81.77
	2002-03	25.26	34.46	28	163179 (6.46)	--	22508	185687	78.53	145.82
										354.02

* दरों के अभाव में इन वर्षो में सहारनपुर इकाई की दरों को तुलना योग्य पाये जाने के कारण लिया गया है।

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.	सहारनपुर									
	1998-1999	36.36	31.55	28	129078 (3.55)	176782	--	--	48.07	--
	1999-2000	36.18	31.90	28	141102 (3.90)	129507	--	11595	61.02	7.08
	2000-01	36.14	35.28	28	263099 (7.28)	104198	--	158901	28.83	45.81
	2001-02	32.83	34.05	28	198621 (6.05)	77296	--	121325	31.66	38.41
	2002-03	40.10	32.42	28	177242 (4.42)	148305	3514	32451	78.53	25.48
										116.78
6.	अमरोहा									
	1998-1999	25.95	35.50	28	194625 (7.50)	--	88788	283413	55.91	158.45
	1999-2000	27.46	34.12	28	168055 (6.12)	--	94000	262055	57.58	150.89
	2000-01	31.68	32.66	28	147628 (4.66)	--	17086	164714	59.73	98.38
	2001-02	35.46	32.86	28	172335 (4.86)	--	35431	207766	56.79	117.99
	2002-03	38.17	34.03	28	230165 (6.03)	--	21400	251565	58.20	146.41
										672.12
7.	बिजनौर									
	1998-1999	40.67	34.92	28	281436 (6.92)	205315	--	76121	60.52	46.07
	1999-2000	40.71	32.32	28	175867 (4.32)	156048	--	19819	57.27	11.35
	2000-01	46.29	35.73	28	357821 (7.73)	211069	--	146752	30.03	44.07
	2001-02	46.11	33.26	28	242538 (5.26)	289669	--	--	--	--
	2002-03	50.06	33.92	28	296355 (5.92)	294788	--	--	--	--
										101.49
8.	खड्डा									
	1998-1999	19.93	38.32	28	205677 (10.32)	117328	--	88349	25.40	22.44
	1999-2000	24.64	34.07	28	149564 (6.07)	22477	--	127087	30.00	38.12
	2000-01	17.15	35.14	28	122451 (7.14)	31378	--	91073	30.29	27.59
	2001-02	21.36	33.78	28	123460 (5.78)	14759	1407	110108	24.33	26.79
	2002-03	28.42	35.25	28	206045 (7.25)	53666	458	152837	18.38	28.09
										143.03
9.	सिसवा बाजार									
	1998-1999	21.80	34.85	28	149330 (6.85)	--	44285	193615	25.40*	49.18
	1999-2000	31.49	35.42	28	233655 (7.42)	--	24032	257687	30.00	77.31
	2000-01	24.12	35.80	28	188136 (7.80)	--	10843	198979	30.29	60.27
	2001-02	30.62	33.53	28	169328 (5.53)	--	10116	179444	24.33	43.66
	2002-03	37.42	37.77	28	365593 (9.77)	--	37121	402714	18.38	74.02
										304.44
										3793.07

* सिसवा बाजार द्वारा विक्रय नहीं किये जाने के कारण, समीपस्थ खड्डा इकाई की दरें ली गई है।

परिशिष्ट–23

क्षमता उपयोग को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 2.2.20 में संदर्भित)

क0सं0	विवरण	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1.	**बुलन्दशहर**					
1	संस्थापित क्षमता (प्रति दिन टन में)	2500	2500	2500	2500	2500
2	संस्थापित क्षमता सामान्य सत्र में (1x180) (टन में)	450000	450000	450000	450000	450000
3	उपलब्ध कार्य दिवस	101	125	146	181	151
4	उपलब्ध पेराई क्षमता (1x3) (टन में)	252500	312500	365000	452500	377500
5	वास्तविक पेराई किये गये गन्ने की मात्रा (टन में)	196726	251503	321181	388597	331866
6	क्षमता उपयोग (प्रतिशत में)					
	(i) संस्थापित क्षमता (5/2)	43.71	55.88	71.37	86.35	73.75
	(ii) उपलब्ध क्षमता (5/4)	77.91	80.48	87.99	85.88	87.91
2.	**मोहिउद्दीनपुर**					
1	संस्थापित क्षमता (प्रति दिन टन में)	2500	2500	2500	2500	2500
2	संस्थापित क्षमता सामान्य सत्र में (1x180) (टन में)	450000	450000	450000	450000	450000
3	उपलब्ध कार्य दिवस	147	165	196	183	158
4	उपलब्ध पेराई क्षमता (1x3) (टन में)	367500	412500	490000	457500	395000
5	वास्तविक पेराई किये गये गन्ने की मात्रा (टन में)	314568	371208	421381	395775	333467
6	क्षमता उपयोग (प्रतिशत में)					
	(i) संस्थापित क्षमता (5/2)	69.90	82.49	93.64	87.95	74.10
	(ii) उपलब्ध क्षमता (5/4)	85.59	89.98	85.99	86.50	84.42
3.	**रोहनकलां**					
1	संस्थापित क्षमता (प्रति दिन टन में)	1300	1300	1300	1300	1300
2	संस्थापित क्षमता सामान्य सत्र में (1x180) (टन में)	234000	234000	234000	234000	234000
3	उपलब्ध कार्य दिवस	117	142	131	200	136
4	उपलब्ध पेराई क्षमता (1x3) (टन में)	152100	184600	170300	260000	176800
5	वास्तविक पेराई किये गये गन्ने की मात्रा (टन में)	148643	197834	185306	257844	200733
6	क्षमता उपयोग (प्रतिशत में)					
	(i) संस्थापित क्षमता (5/2)	63.52	84.54	79.19	110.19	85.78
	(ii) उपलब्ध क्षमता (5/4)	97.72	107.16	108.81	99.17	113.54
4.	**सखोती टाण्डा**					
1	संस्थापित क्षमता (प्रति दिन टन में)	1800	1800	1800	1800	1800
2	संस्थापित क्षमता सामान्य सत्र में (1x180) (टन में)	324000	324000	324000	324000	324000
3	उपलब्ध कार्य दिवस	142	167	176	173	156
4	उपलब्ध पेराई क्षमता (1x3) (टन में)	255600	300600	316800	311400	280800
5	वास्तविक पेराई किये गये गन्ने की मात्रा (टन में)	236343	274092	280885	252580	240020
6	क्षमता उपयोग (प्रतिशत में)					
	(i) संस्थापित क्षमता (5/2)	72.95	84.59	86.69	77.96	74.08
	(ii) उपलब्ध क्षमता (5/4)	92.46	91.18	88.66	81.11	85.48
5.	**सहारनपुर**					
1	संस्थापित क्षमता (प्रति दिन टन में)	2500	2500	2500	2500	2500
2	संस्थापित क्षमता सामान्य सत्र में (1x180) (टन में)	450000	450000	450000	450000	450000
3	उपलब्ध कार्य दिवस	154	161	134	159	126
4	उपलब्ध पेराई क्षमता (1x3) (टन में)	385000	402500	335000	397500	315000
5	वास्तविक पेराई किये गये गन्ने की मात्रा (टन में)	361800	361360	328346	400970	335700
6	क्षमता उपयोग (प्रतिशत में)					
	(i) संस्थापित क्षमता (5/2)	80.40	80.30	72.96	89.10	74.60
	(ii) उपलब्ध क्षमता (5/4)	93.97	89.77	98.01	100.87	106.57
6.	**अमरोहा**					
1	संस्थापित क्षमता (प्रति दिन टन में)	3000	3000	3000	3000	3000
2	संस्थापित क्षमता सामान्य सत्र में (1x180) (टन में)	540000	540000	540000	540000	540000
3	उपलब्ध कार्य दिवस	118	125	141	164	132
4	उपलब्ध पेराई क्षमता (1x3) (टन में)	354000	375000	423000	492000	396000

क0सं0	विवरण	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
5	वास्तविक पेराई किये गये गन्ने की मात्रा (टन में)	274578	316801	354607	381696	298219
6	क्षमता उपयोग (प्रतिशत में)					
	(i) संस्थापित क्षमता (5/2)	50.84	58.66	65.66	70.68	55.23
	(ii) उपलब्ध क्षमता (5/4)	77.56	84.48	83.83	77.58	75.31
7.	**चाँदपुर**					
1	संस्थापित क्षमता (प्रति दिन टन में)	2500	2500	2500	2500	2500
2	संस्थापित क्षमता सामान्य सत्र में (1x180) (टन में)	450000	450000	450000	450000	450000
3	उपलब्ध कार्य दिवस	156	171	182	191	168
4	उपलब्ध पेराई क्षमता (1x3) (टन में)	390000	427500	455000	477500	420000
5	वास्तविक पेराई किये गये गन्ने की मात्रा (टन में)	352114	403570	422090	427657	380354
6	क्षमता उपयोग (प्रतिशत में)					
	(i) संस्थापित क्षमता (5/2)	78.24	89.68	93.80	95.03	84.52
	(ii) उपलब्ध क्षमता (5/4)	90.28	94.40	92.76	89.56	90.56
8.	**बिजनौर**					
1	संस्थापित क्षमता (प्रति दिन टन में)	2500	2500	2500	2500	2500
2	संस्थापित क्षमता सामान्य सत्र में (1x180) (टन में)	450000	450000	450000	450000	450000
3	उपलब्ध कार्य दिवस	164	182	191	194	175
4	उपलब्ध पेराई क्षमता (1x3) (टन में)	410000	455000	477500	485000	437500
5	वास्तविक पेराई किये गये गन्ने की मात्रा (टन में)	407107	462911	461142	500583	463020
6	क्षमता उपयोग (प्रतिशत में)					
	(i) संस्थापित क्षमता (5/2)	90.46	102.86	102.47	111.24	102.89
	(ii) उपलब्ध क्षमता (5/4)	99.29	101.73	96.57	103.21	105.83
9.	**खड्डा**					
1.	संस्थापित क्षमता (प्रति दिन टन में)	1600	1600	1600	1600	1600
2.	संस्थापित क्षमता सामान्य ऋतु में (1x180) (टन में)	240000	240000	240000	240000	240000
3.	उपलब्ध कार्य दिवस	153	107	141	185	110
4.	उपलब्ध पेराई क्षमता (1x3) (टन में)	244800	171200	225600	296000	176000
5.	वास्तविक पेराई किये गये गन्ने की मात्रा (टन में)	246423	171488	213552	284160	165183
6.	क्षमता उपयोग (प्रतिशत में)					
	(i) संस्थापित क्षमता (5/2)	102.68	71.45	88.98	118.40	68.82
	(ii) उपलब्ध क्षमता (5/4)	100.66	100.16	94.65	96.00	93.85
10.	**जरवल रोड**					
1	संस्थापित क्षमता (प्रति दिन टन में)	2500	2500	2500	2500	2500
2	संस्थापित क्षमता सामान्य सत्र में (1x180) (टन में)	375000	375000	375000	375000	375000
3	उपलब्ध कार्य दिवस	195	125	182	185	105
4	उपलब्ध पेराई क्षमता (1x3) (टन में)	487500	312500	455500	462000	262500
5	वास्तविक पेराई किये गये गन्ने की मात्रा (टन में)	384969	244521	359826	375267	230788
6	क्षमता उपयोग (प्रतिशत में)					
	(i) संस्थापित क्षमता (5/2)	102.66	65.20	95.95	100.07	61.54
	(ii) उपलब्ध क्षमता (5/4)	78.96	78.24	78.99	81.22	87.92
11.	**सिसवा बाजार**					
1	संस्थापित क्षमता (प्रति दिन टन में)	2500	2500	2500	2500	2500
2	संस्थापित क्षमता सामान्य सत्र में (1x180) (टन में)	375000	375000	375000	375000	375000
3	उपलब्ध कार्य दिवस	153	112	136	200	101
4	उपलब्ध पेराई क्षमता (1x3) (टन में)	382500	280000	340000	500000	252500
5	वास्तविक पेराई किये गये गन्ने की मात्रा (टन में)	314948	241193	306234	374168	209656
6	क्षमता उपयोग (प्रतिशत में)					
	(i) संस्थापित क्षमता (5/2)	83.98	64.32	81.66	99.78	55.91
	(ii) उपलब्ध क्षमता (5/4)	82.33	86.14	90.07	74.83	83.03

परिशिष्ट–24

प्रति श्रमिक उत्पादकता को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 2.2.30 में संदर्भित)

इकाई का नाम	संस्थापित क्षमता (टी. सी.डी.)	1998–99			1999–2000			2000–01			2001–02			2002–03		
		औसत श्रमिकों की संख्या	चीनी उत्पादन (बोरे में)	प्रति श्रमिक उत्पादन (बोरे में)	औसत श्रमिकों की संख्या	चीनी उत्पादन (बोरे में)	प्रति श्रमिक उत्पादन (बोरे में)	औसत श्रमिकों की संख्या	चीनी उत्पादन (बोरे में)	प्रति श्रमिक उत्पादन (बोरे में)	औसत श्रमिकों की संख्या	चीनी उत्पादन (बोरे में)	प्रति श्रमिक उत्पादन (बोरे में)	औसत श्रमिकों की संख्या	चीनी उत्पादन (बोरे में)	प्रति श्रमिक उत्पादन (बोरे में)
बुलन्दशहर	2500	961	133630	139.10	878	159415	181.60	913	216190	236.80	894	261615	292.60	850	277135	326.00
मोहिउद्दीनपुर	2500	771	303975	394.30	759	250937	330.60	746	287355	385.20	723	361015	499.30	697	362625	520.30
रोहनकलां	1300	1157	193480	167.20	1088	132675	121.90	1043	201755	193.40	1000	171195	171.20	894	220940	247.10
सखोती टाण्डा	1800	787	241380	306.70	745	225182	302.30	752	232168	308.70	747	270360	361.90	734	212155	289.00
सहारनपुर	2500	960	321055	334.40	933	320485	343.50	907	320120	352.90	877	288235	328.70	854	370040	433.30
अमरोहा	3000	1055	310690	294.50	997	281273	282.10	973	306877	315.40	915	316500	345.90	891	345290	387.50
बिजनौर	2500	953	366590	384.70	954	382120	400.50	996	388870	390.40	980	423110	431.70	924	436850	472.80
खड्डा	1600	728	221540	304.30	726	198650	273.60	716	209700	292.90	697	181163	259.90	686	199530	290.90
सिसवा बाजार	2500	760	232525	306.00	746	249575	334.60	725	277735	383.10	703	258460	367.70	678	234755	346.20

परिशिष्ट-25

योजना के लागत लाभ को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 2.4.25 में संदर्भित)

क्र0 सं0	मद	आधार	योजना में प्रावधान	ऊर्जा की बचत (एम.यू.)	इकाई दर (रुपये)	बचत (लाख रुपये में)
अ	ऊर्जा मे बचत					
1.	33 केवी लाइनों की तकनीकी हानियों में कमी	लम्बाई किमी में	186	24.72	--	
2.	11 केवी एवं एल टी लाइनों की तकनीकी हानियों में कमी	संवर्धित क्षमता एमवीए में	1272	84.52	--	
3.	खम्भों पर सेवा लाइनों की पुर्नव्यवस्था	खम्भों की संख्या	5720	11.56	--	
	योग			**120.80**	**2.40**	**2899.20**
ब	ऊर्जा की अतिरिक्त बिक्री					
1.	आपूर्ति के घंटों में सुधार	संवर्धित क्षमता एमवीए में	1272	60.17	--	
2.	उपकेन्द्रों का संवर्द्धन	बढ़ाई गई क्षमता एमवीए में	438	954.94	--	
	योग			**1015.11**	**0.25**	**2537.78**
स	कैपेसिटर स्थापना के कारण बचत					
1.	33/11 केवी उपकेन्द्रों पर कैपेसिटर	एमवीएआर	223.20	15.81	1.00	158.10
द	ओ एण्ड एम लागत में कमी					
1.	एल टी वितरण परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता में कमी	संवर्धित क्षमता (एमवीए) में	1272	--	--	228.96
	महायोग					**5824.04**

परिशिष्ट-26

ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों में प्रणाली सुधार कार्यों की प्रगति को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 2.4.25 में संदर्भित)

(मूल्य: लाख रुपये में)

क्र. सं.	गुण	इकाई	प्रस्तावित		प्राप्ति		कमी	
			मात्रा	*मूल्य*	*मात्रा*	*मूल्य*	*मात्रा*	*मूल्य*
1	विभिन्न आकारों के 11 के0वी0 केबल को बिछाना	किमी	28.45	78.48	7.722	18.22	20.728 (72.86)	60.26 (76.78)
2	**ऊर्जा परिवर्तकों की स्थापना एवं प्रतिस्थापन**							
(i)	10 एमव0ए	संख्या	54	96.39	37	63.77	17 (31.5)	32.62 (33.84)
(ii)	8 एमवीए	संख्या	07	9.00	04	5.05	03 (42.85)	3.95 (43.88)
(iii)	5 एमवीए	संख्या	45	47.43	20	19.32	25 (55.55)	28.11 (59.27)
(iv)	3 एमवीए	संख्या	01	0.80	शून्य	शून्य	01 (100)	0.80 (100)
	योग				**61**		**46**	
3	**स्थल से भण्डार तक परिवर्तकों की ढुलाई**							
(i)	8 एमवीए	संख्या	09	2.13	शून्य	शून्य	09 (100)	2.13 (100)
(ii)	5 एमवीए	संख्या	40	7.35	01	0.20	39 (97.50)	7.15 (97.28)
(iii)	3 एमवीए	संख्या	42	7.95	शून्य	शून्य	42 (100)	7.95 (100)
	योग		**91**		**01**		**90**	
4	**वितरण परिवर्तकों की स्थापना**							
(i)	250 केवीए	संख्या	424	181.20	281	120.20	143 (33.73)	61.00 (33.50)
(ii)	100 केवीए	संख्या	1045	367.32	635	226.24	410 (39.23)	141.08 (38.41)
	योग	**संख्या**						
5	वितरण परिवर्तकों के निम्न दबाव वाले क्षेत्र पर निम्न दबाव केबल, ड्राप आउट फ्यूज, अर्थिंग, तड़ित चालक आदि की स्थापना	सेट	189	18.90	शून्य	शून्य	189 (100)	18.90 (100)
6	33 केवी लाइनों का निर्माण	किमी	186.00	401.32	66.38	144.64	119.62 (64.31)	256.68 (63.96)
7	11 केवी लाइनों का निर्माण	किमी	1297.65	1525.91	542.714	625.14	754.936 (58.18)	900.77 (59.03)
8	निम्न दबाव लाइनों का निर्माण	किमी	396.2	220.82	135.182	80.06	261.018 (65.88)	140.76 (63.74)
9	33 केवी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की स्थापना	संख्या	148	73.52	42	20.04	106 (71.62)	53.48 (72.74)
10	11 केवी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की स्थापना	संख्या	376	108.71	76	17.11	300 (79.79)	91.60 (82.26)
11	11/0.4 केवी सब स्टेशनों की रि-अर्थिंग	संख्या	2101	87.25	1055	33.14	1046 (49.79)	54.11 (62.02)
12	33 केवी तड़ित चालक की स्थापना	संख्या	516	23.13	108	2.92	408 (79.07)	20.21 (87.36)
13	11 केवी 2.4 एमवीएआर कैपेसिटर बैंकों की स्थापना	संख्या	93	21.16	2	0.50	91 (97.85)	20.66 (97.64)
14	11 केवी स्ट्रेट थ्रू एवं लो टेन्सन	संख्या	05	0.04	शून्य	शून्य	05 (100)	0.04 (100)
15	निम्न दबाव व 11 केवी का एण्ड टर्मिनल	संख्या	48	3.08	शून्य	शून्य	48 (100)	3.08 (100)
16	खम्भों पर लो टेन्सन सर्विस लाइनों का पुर्नव्यवस्थापन	संख्या	5657	131.39	967	20.52	4690 (82.90)	110.87 (84.38)
17	बैट्री एवं बैट्री चार्जर की स्थापना	संख्या	69	51.70	36	30.00	33 (47.83)	21.70 (41.97)
	महायोग			**3464.98**		**1427.07 (41.19)**		**2037.91 (58.81)**

परिशिष्ट–27

17 कार्यरत कम्पनियों के सम्बन्ध में 30 सितम्बर 2004 को लेखों के बकायों की स्थिति को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 3.24.5 में सन्दर्भित)

क्र0सं0	कम्पनी का नाम	संलिप्त वर्ष
1	उ0 प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	1989-90 to 2003-04
2	यू0पी0 एस.आई.सी.पोटरिज लिमिटेड (यू0पी0 लघु उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक)	1991-92 to 2003-04
3	यू0पी0 स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	1991-92 to 2003-04
4	यू0पी0 वक्फ विकास निगम लिमिटेड	1996-97 to 2003-04
5	यू0पी0 लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1996-97 to 2003-04
6	यू0पी0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1998-99 to 2003-04
7	यू0पी0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1997-98 to 2003-04
8	यू0पी0 मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1997-98 to 2003-04
9	यू0पी0 निर्यात ,निगम लिमिटेड	2000-01 to 2003-04
10	नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन की सहायक)	2000-01 to 2003-04
11	यू0पी0 महिला कल्याण निगम लिमिटेड	1999-2000 to 2003-04
12	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2001-02 to 2003-04
13	यू0पी0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (पूर्व में यू0पी0 भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड)	2001-02 to 2003-04
14	यू0पी0 डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	2002-03 to 2003-04
15	यू0पी0 स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड	2001-02 to 2003-04
16	यू0पी0 भूमि सुधार निगम लिमिटेड	2002-03 to 2003-04
17	यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड	2001-02 to 2003-04

परिशिष्ट–28

वार्षिक साधारण सभा को आहूत करने में हुए विलम्ब को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 3.24.6 में सन्दर्भित)

कम्पनी का नाम	लेखों का वर्ष	वार्षिक साधारण सभा का दिनांक	प्रत्येक वर्ष के लिये लेखों को पूर्ण करने में लिया गया समय (महीनों में)			
			द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	1983-84	23.08.1992				
	1984-85	26.09.1994	25			
	1985-86	16.01.1997		28		
	1986-87	05.09.2001			44	16
	1987-88	30.12.2002				
	1988-89	-				
यूपीएसआईसी पौटरिज लिमिटेड	1986-87	18.03.1994				
	1987-88	22.06.1994	3			
	1988-89	20.06.1996		24		
	1989-90	25.02.1997			1	
	1990-91	20.01.2000				35
उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड						
	1986-87	28.011997				
	1987-88	06.06.1998	16			
	1988-89	01.07.2000		35		
	1989-90	26.09.2001			15	
	1990-91	07.10.2003				24
उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	1991-92	29.09.1998				
	1992-93	.03.04.2001	30			
	1993-94	30.09.2002		18		
	1994-95	08.01.2004			15	
	1995-96					
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1991-92	05.03.1997				
	1992-93	09.12.1997	10			
	1993-94	28.09.2001		37		
	1994-95	01.02.2003			16	
	1995-96	04.06.2004				16
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1992-93	14.11.1995				
	1993-94	07.05.1997	17			
	1994-95	05.10.2000		41		
	1995-96	09.02.2001			4	
	1996-97	20.06.2003				28
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1992-93	06.08.1999				
	1993-94	18.01.2001	17			
	1994-95	15.05.2002		16		
	1995-96	02.01.2003			7	
	1996-97	-				
उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1992-93	17.05.2001				
	1993-94	26.12.2001	7			
	1994-95	19.08.2002		8		
	1995-96	02.01.2004			16	
	1996-97	--				
उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड	1995-96	30.07.1999				
	1996-97	02.06.2000	10			
	1997-98	04.10.2001		16		
	1998-99	26.02.2002			05	
	1999-2000	-				
नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	1995-96	10.10.1998				
	1996-97	22.11.1999	14			
	1997-98	29.09.2001		22		
	1998-99	28.08.2002			11	
	1999-2000	23.07.2003				11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	1994-95	30.05.1997				
	1995-96	02.05.1998	11			
	1996-97	27.03.1999		11		
	1997-98	29.07.2002			40	-
	1998-99	-				
छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	1996-97	05.01.2000				
	1997-98	16.03.2001	15			
	1998-99	27.02.2002		17		
	1999-2000	22.04.2004			25	-
	2000-01	-				
उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	1995-96	30.03.2000				
	1996-97	11.07.2001	15			
	1997-98	22.11.2002		17		
	1998-99	23.05.2003			06	-
	1999-2000	-				
उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	1996-97	10.12.1999				
	1997-98	26.04.2000	5			
	1998-99	02.01.2002		20		
	1999-2000	26.03.2003			15	-
	2000-01	-				
उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड	1996-97	21.12.1998				
	1997-98	28.06.2000	18			
	1998-99	28.09.2001		15		
	1999-2000	28.02.2003			17	-
	2000-01	-				
उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	1996-97	24.12.1998				
	1997-98	07.03.2000	14			
	1998-99	24.02.2001		12		
	1999-2000	25.01.2002			11	
	2000-01	26.09.2003				20
उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड	1996-97	23.01.2001				
	1997-98	24.02.2002	13			
	1998-99	13.09.2002		06		
	1999-2000	08.05.2003			08	
	2000-01	12.02.2004				09

परिशिष्ट–29

खातों के अन्तिमीकरण में असाधारण विलम्ब/विशिष्ट कारणों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 3.24.9 में सन्दर्भित)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	असाधारण विलम्ब/विशिष्ट कारणों के लिये कारण
1.	उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	• चूकि संगठन में कोई लेखा नियमावली विद्यमान नहीं थी, इसलिये मूल अभिलेखों/प्रारम्भिक खातों में जो कि विभिन्न जिलों में इकाई स्तर पर रखे गये थे, एकरूपता नहीं थी, जिसके कारण लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब हुआ। • कालातीत होने के कारण या तो अभिलेख बहुत ही खराव स्थिति में थे अथवा खो गये थे। उपलव्ध अभिलेखों से पुन; खाते तैयार करना अथवा पुर्नलेखीकरण के लिये इकाई अभिलेखों के मिलाने में अधिक समय लग रहा था। • शासपत्रित लेखाकारों एवं कम्पनी सचिव के पद काफी लम्वे समय से रिक्त थे जिसके कारण लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब हुआ क्योंकि, लेखों पर उचित निर्देशों एवं नियन्त्रण का अभाव था। • आन्तरिक लेखा परीक्षा के सीमित कर्मचारियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं में वर्ष 1982-83 के बाद तैनात किया गया था जिससे लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब हुआ।
2.	यूपीएसआईसी पौटरिज लिमिटेड	वित्तीय संकट एवं श्रमिक समस्या के कारण कम्पनी में उत्पादन अगस्त 1992 से बन्द हो गया एवं इस कम्पनी में कार्यरत अधिकतर श्रमिकों एवं कर्मचारियों की छंटनी अप्रैल 1995 में कर दी गई।
3.	यूपी स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	• कम्पनी की इकाइयाँ (संख्या में 300) प्रदेश में एवं प्रदेश के बाहर स्थित है। इस प्रकार एक वर्ष के लेखों को अन्तिमीकृत किये जाने हेतु 300 खातों को तैयार करने, मिलाये जाने एवं संकलित किये जाने की आवश्यकता होती है। • वर्तमान समय में निगम गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है, जिसके कारण विभिन्न परियोजनाओं एवं विक्रय केन्द्रों में तैनात अधिकारी, लेखों के अन्तिमीकरण हेतु निर्धारित तिथियों पर मुख्यालय उपस्थिति नही हो सके। • सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कम्पनी के लेखों की लेखा परीक्षा में निरन्तरता नहीं थी। • सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कम्पनी के एक वर्ष के लेखों की लेखा परीक्षा में पांच से छः माह का समय लिया गया।
4.	यूपी स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	• लेखों के विकेन्द्रीकरण एवं पुनः खण्डवार लेखों के केन्द्रीयकरण के कारण लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब हुआ। • लेखों के बकाया होने में वृद्धि के कारण कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा नियत समय पर नहीं हो सकी।
5.	यूपी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	कम्पनी के इकाई स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों को लेखों के अन्तिमीकरण हेतु सहयोग न किया जाना।
6.	यूपी मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	कम्पनी ने वर्ष 1995-96 के लेखों पर भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ जारी करने के उपरान्त वार्षिक साधारण सभा को बुलाने में 11 माह का समय लिया। फलस्वरूप, उत्तरवर्ती लेखों को बनाने एवं उनकी लेखा परीक्षा में विलम्ब हुआ।
7.	यूपी निर्यात निगम लिमिटेड	• 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना' के कार्यान्वयन एवं कर्मचरियों की छंटनी से हुई कर्मचारियों की कमी के कारण लेखे बकाया में थे । • निदेशक मण्डल ने दिनांक 29 जुलाई 2003 को हुई बैठक में वर्ष 1999-2000 के लेखों को पुनः लिखित कराये जाने का निर्णय लिया, फलस्वरूप वर्ष 1999-2000 से आगे के वर्षो के खातों के अन्तिमीकरण में विलम्ब हुआ।

परिशिष्ट–30

उन प्रस्तरों/समीक्षाओं जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे, को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 3.27 में सन्दर्भित)

क्र0सं0	विभाग का नाम	1999-2000		2000-01		2001-02		2002-03	
		लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है
1.	ऊर्जा	20	7	18	8	20	16	20	19
2.	परिवहन	2	0	2	0	3	0	1	0
3.	सहकारिता	--	--	--	--	--	--	2	2
4.	हरिजन एवं समाज कल्याण	1	0	2	0	2	1	--	--
5.	कृषि	--	--	--	--	1	0	2	2
6.	वस्त्र	2	0	--	--	2	1	--	--
7.	उद्योग तथा औद्योगिक विकास	9	1	6	0	6	5	9	9
8.	लोक निर्माण	2	0	2	0	--	--	2	2
9.	पर्यटन	--	--	--	--	--	--	1	1
10.	ग्राम्य एवं लघु उद्योग	4	1	--	--	3	1	1	1
11.	चीनी	2	0	2	0	--	--	3	3
12.	शहर विकास	2	0	2	0	--	--	--	--
13.	गृह	--	0	1	1	--	--	--	--
14.	वन	--	--	1	0	--	--	1	0
15.	आवास	--	--	1	0	--	--	--	--
16.	सिंचाई	--	--	1	0	1	0	--	--
17.	मत्स्य	--	--	1	0	--	--	--	--
18.	विविध	1	0	--	--	--	--	--	--
	योग	**45**	**9**	**39**	**9**	**38**	**24**	**42**	**39**

परिशिष्ट - 31

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं को दर्शाने वाली विवरणी

(प्रस्तर 3.27.2 में सन्दर्भित)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तर सं.	मूल्य (करोड़ रुपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड					
1998-1999	4अ.4	5.60	अपर्याप्त स्वीकृति-पूर्व मूल्यांकन एवं देयों के अल्प अनुश्रवण के कारण हानि	ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया एवं कार्य प्रणाली तथा देयों की वसूली के अनुश्रवण को मजबूत बनाये जाने के अतिरिक्त कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जानी थी	कम्पनी जमानतदारों से मात्र 12.09 लाख रुपये वसूल कर सकी। एकमुश्त निबटान प्रस्ताव के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। किसी भी कर्मचारी की ज़िम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई।
1999-2000	2अ.7.1	75.25	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर तथा जिम्मेदारियों के निर्धारण हेतु कृत कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
	2अ.7.2	28.09	तदैव	तदैव	तदैव
	2अ.7.3	8.70	तदैव	तदैव	तदैव
	योग	117.64			
2. ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियाँ					
1997-1998	3स.10.2(अ)	2.37	चेकों के अनादरण के बाद भी चेक द्वारा भुगतान की सुविधा को समाप्त नही किया जाना तथा विद्युत आपूर्ति विसंयोजित नहीं किये जाने से बकायों में वृद्धि	समुचित कार्यवाही न किये जाने हेतु कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी थी	न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित किये जाने के कारण उपभोक्ता के विरूद्ध बकाये की कुल राशि वसूली नहीं जा सकी। उ.प्र. रा.वि.प./कम्पनी द्वारा किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध, बकायों में वृद्धि हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।
1998-1999	3अ.6.2.3	8.99	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थे।
	3अ.6.2.6	16.66	तदैव	तदैव	तदैव
1999-2000	4अ.14	11.45	तदैव	तदैव	तदैव
	4अ.17	0.99	तदैव	तदैव	प्रबन्धन ने बकाया वसूली हेतु कृत कार्यवाही की सूचना दी। रुपये 0.99 करोड़ की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। उ.प्र.रा.वि.प. ने किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की।
2000-2001	3अ.10	0.55	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
	3अ.12	0.18	तदैव	तदैव	तदैव
2002-2003	2.2.25	0.79	तदैव	तदैव	तदैव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1997-1998	3स.12.1	61.39	परिवर्तकों की अतिशय क्षति (2 प्रतिशत के मानक से अधिक वितरण परिवर्तकों की क्षति) के कारण मरम्मत पर अतिरिक्त वित्तीय भार	अतिशय क्षति के कारणों की जाँच एवं निरोधात्मक रख-रखाव हेतु समयबद्धता की आवश्यकता थी।	उपचारात्मक उपायों के तौर पर, प्रबन्धन ने समय-समय पर आंचलिक कार्यालयों को परिवर्तकों की अतिशय क्षति में कमी लाने हेतु निर्देश निर्गत किया तथा सूचित किया कि उ.प्र.रा.वि.प. वर्तमान परिवर्तकों की क्षमता में वृद्धि तथा नये उपगृह की स्थापना कर रहा था। उपचारात्मक उपायों, के प्रभाव जिनसे परिवर्तकों की क्षति में कमी होती है, प्रतीक्षित था।
1999-2000	3ब.6.2	325.28	तदैव	तदैव	तदैव
1999-2000	4अ.19	1.94	ऊर्जा उपभोग हेतु निर्धारण में हुए विलम्ब के कारण उपभोक्ताओं से वसूली में विलम्ब हुआ	बिलों को जारी किये जाने की प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने के अतिरिक्त उन कर्मचारियों, जो कि बिलों को देरी से जारी किये जाने की त्रुटि कर रहे थे, की जिम्मेदारी निर्धारित किये जाने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2000-2001	4अ.8	2.90	तदैव	तदैव	तदैव
2002-2003	2.2.21	0.43	तदैव	तदैव	तदैव
1998-1999	3अ.5.17	3.17	अल्प निर्धारण एवं न्यूनतम उपभोग प्रतिभूति की अनियमित माफी	उन मामलों में, जहाँ पर कम्पनी को हानि हुई तथा कर्मचारियों की घोर लापरवाही परिलक्षित थी, जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाना था।	तदैव
1999-2000	4अ.13(अ)	0.23	तदैव	तदैव	राज्य सरकार द्वारा यू.पी.पी.सी.एल. को दिये गये ऋण से अदत्त देयों का समायोजन करने हेतु शासन ने निर्देश दिया। यू.पी.पी.सी.एल. के बकायों को सरकारी ऋण से समायोजित किये जाने की सूचना प्रतीक्षित थी।
	4अ.26	0.10	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2001-2002	3अ.19	0.49	तदैव	तदैव	तदैव
2002-2003	2.2.21	0.52	तदैव	तदैव	तदैव
1998-1999	3अ.6.2.1	68.95	मासिक देयकों का किश्तों में भुगतान एवं विलम्ब अधिकार की माफी	राजस्व संकलन की प्रकिया का अतिक्रमण करने हेतु तत्सम्बन्धी कर्मचारी की जिम्मेदारी विहित की जानी चाहिये थी।	प्रबन्धन द्वारा उत्तर दिया कि सक्षम प्राधिकारी/समिति की अनुमति के पश्चात् ही, उद्योग में व्याप्त मंदी एवं उपभोक्ता की वित्तीय स्थिति को देखते हुए ही किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की गई थी। यू.पी.पी.सी.एल. द्वारा उपभोक्ता से बकाया धनराशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही थी। कार्यवाही के परिणाम प्रतीक्षित थे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2000-2001	4अ.22	2.80	तदैव	तदैव	प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि उपभोक्ता, पूर्ववर्ती केसा से सम्बद्ध एक महत्वपूर्ण कम्पनी थी, केसा द्वारा लिये गये निर्णय को निगम द्वारा अंगीकृत किया गया तथा केसा द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वसूली की गई।
	योग	510.18			
3. उ0 प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड					
2000-2001	4अ.1	1.41	प्राक्कलन/संशोधित प्राक्कलन से अधिक जिन्हें ग्राहक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था/अनुबन्ध में विहित न किये गये एवं ग्राहक द्वारा स्वीकार नहीं किये गये मदों पर व्यय हानि में परिणामित हुआ।	व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता थी।	शासन के उत्तर में यह राय व्यक्त की गई कि व्ययाधिक्य तकनीकी आवश्यकता/अनिवार्यता के कारण थी। तकनीकी स्वीकृति प्रतीक्षित थी।
2001-2002	2द.2.4.4	0.22	तदैव	तदैव	संशोधित प्राक्कलन ग्राहक द्वारा अनुमोदित किया गया
	योग	**1.63**			
4. उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लिमिटेड					
1999-2000	4अ.8	0.51	अनुचित भंडारण के कारण चीनी की क्षति एवं परिणामी हानि।	अनुचित भंडारण के कारण हुई हानि की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन द्वारा यह बताया गया कि चीनी अपरिहार्य स्थितियों में गीली हो गयी थी जिसके लिये कोई कर्मचारी जिम्मेदार नहीं था।
2000-2001	4अ.5	0.83	तदैव	तदैव	सरकार/प्रबन्धन द्वारा बताया गया कि चीनी निदेशालय ने रहतिये के अनुसार निर्गमन आदेश नही जारी किया एवं लम्बे समय तक अत्यधिक रहतिये को रखने के कारण चीनी गीली हो गई।
2002-2003	3.1.6	1.19	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर प्रतीक्षित था।
	योग	**2.53**			

परिशिष्ट - 32

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी निगमों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं को दर्शाने वाली विवरणी

(प्रस्तर 3.27.2 में सन्दर्भित)

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तर सं.	मूल्य (करोड़ रुपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम					
1997-1998	3अ.7.2.1	2.39	वह इकाइयाँ जो प्रारम्भ से ही लाभकारी नहीं थी के ऋण स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन के कारण हानि अथवा ऋण की वसूली बाधित हुई	मूल्यांकन प्रक्रिया एवं कार्य प्रणाली को सशक्त बनाये जाने के अतिरिक्त, उन कर्मचारियों, जिन्होंने ऋण स्वीकृति हेतु परियोजना का मूल्यांकन किया था, की जिम्मेदारी निर्धारित की जाने की आवश्यकता थी।	निगम सहाय्यित इकाई के निदेशकों से मात्र 36.32 लाख रुपये ही वसूल कर सका तथा शेष राशि के लिये वसूली प्रमाण-पत्र (पी आर सी) जारी किया गया था। किसी भी कर्मचारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की गई।
	3अ.7.2.3	1.66	तदैव	तदैव	निगम प्रवर्तकों से मात्र 25.53 लाख रुपये ही वसूल कर सका। शेष धनराशि की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। किसी भी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई थी।
1999-2000	4ब.2	1.30	तदैव	तदैव	निगम ने बकायों की वसूली के लिये वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया तथा बन्धक सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विज्ञापन जारी किया। किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई।
	4ब.7	1.39	तदैव	तदैव	निगम प्रवर्तकों तथा सहाय्यित इकाई की सम्पत्तियों की बिक्री से मात्र 50.55 लाख रुपये ही वसूल कर सका। किसी भी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई।
2002-2003	3.2.2 3.2.3 3.2.4	11.68 7.09 4.85	तदैव	तदैव	प्रबन्धन के उत्तर प्रतीक्षित थे।
1997-1998	3अ.8.2.1	2.82	वितरण पूर्व शर्तों का पालन न किये जाने के कारण ऋणों की वसूली के असंभव होने के कारण हानि हुई।	ऋण वितरण की प्रक्रिया एवं प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने के अतिरिक्त उन कर्मचारियों, जो वितरण पूर्व की शर्तों का पालन करवाने में विफल रहे, की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिये थी	निगम एकमुश्त निपटारा (ओ.टी.एस.) निर्णय के अन्तर्गत मात्र 75 लाख रुपये ही वसूल कर सका।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3अ.8.2.2	1.75	तदैव	तदैव	निगम प्रवर्तकों से कोई राशि नहीं वसूल कर सका। सहाय्यित इकाई के निदेशकों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। निगम जमानतदारों से बकायों की वसूली का प्रयास कर रहा था। किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई।
	3अ.8.2.3	1.36	तदैव	तदैव	निगम ने बन्धक सम्पत्तियों का कब्जा प्राप्त करने हेतु राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत नोटिस जारी की। किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई।
	3अ.8.2.4	2.14	तदैव	तदैव	निगम बकायों को नहीं वसूल कर सका तथा पी.आर.सी. जारी की जानी थी। किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई।
1999-2000	4ब.6	0.56	अनियमित विधिक दस्तावेजों/नकली दस्तावेजों पर ऋण वितरण किये जाने से हानि	त्रुटि विहीन सत्यापन हेतु प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/दस्तावेजों की स्वतंत्र जाँच की आवश्यकता थी	निगम ने बताया कि सहाय्यित इकाई के प्रवर्तकों द्वारा 72.06 लाख रुपये का एकमुश्त प्रस्ताव आदृत नहीं किया गया था। अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2000-2001	4ब.3	4.44	तदैव	तदैव	निगम प्रवर्तकों से नाममात्र की धनराशि ही वसूल कर सका। शेष राशि की वसूली प्रतीक्षित थी।
	4ब.5	0.97	तदैव	तदैव	निगम मात्र 28.80 लाख रुपये ही वसूल कर सका। शेष धनराशि की वसूली की जानी थी।
	4ब.6	0.62	तदैव	तदैव	निगम प्रवर्तकों से कोई धनराशि वसूल नहीं कर सका। अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2001-2002	3ब.5	0.72	तदैव	तदैव	निगम द्वारा प्रस्तर का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।
2002-2003	3.2.6	4.50	तदैव	तदैव	निगम द्वारा प्रस्तर का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रबन्धन द्वारा इन प्रकरणों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपचारात्मक उपायों को भी नहीं दर्शाया गया था।
	योग	50.24			
2. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम					
1997-1998	4ब.2	0.32	विलम्ब से जमा किये गये ई.पी.एफ. पर क्षतिपूर्ति का परिहार्य भुगतान	विलम्बित जमा पर क्षति के आरोपण को बचाने के लिये समयानुसार ई.पी.एफ. का भुगतान आवश्यक था।	प्रबन्धन का उत्तर प्रतीक्षित था।
1998-1999	4ब.1	0.19	तदैव	तदैव	प्रबन्धन ने सूचित किया कि न्यायालय के आदेशों के क्रम में क्षति की धनराशि को समायोजित कर लिया गया था।
2000-2001	4ब.2	0.27	तदैव	तदैव	प्रबन्धन ने सूचित किया कि कर की राशि को जमा करने हेतु एक कार्य योजना तैयार की गई थी। अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
	योग	0.76			

परिशिष्ट-33

विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 3.28 में सन्दर्भित)

क्र.सं.	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या	वर्ष जब से प्रस्तर अनिस्तारित है
1.	कृषि एवं समवर्गीय	5	28	125	1979-80
2.	चीनी एवं गन्न विकास	8	188	514	1985-86
3.	सिंचाई	1	7	44	1994-95
4.	मत्स्य	1	6	28	1995-96
5.	ग्रामीण तथा लद्यु उद्योग	4	24	174	1982.83
6.	योजना	1	8	19	1992-93
7.	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	11	51	375	1985-86
8.	निर्यात प्रोत्साहन	2	19	77	1988-89
9.	वस्त्र	3	38	92	1985-86
10.	इलेक्ट्रानिक्स	5	21	62	1987-88
11.	लोक निर्माण	2	284	821	1979-80
12.	हरिजन एवं समाज कल्याण	5	38	129	1986-87
13.	गृह	1	5	21	1996-97
14.	खाद्य एवं जनापूर्ति	2	68	118	1985-86
15.	पर्यटन	1	4	5	1994-95
16.	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ	2	15	51	1988-89
17.	परिवहन	1	180	759	1988-89
18.	सहकारिता	1	10	47	1991-92
19.	वन	1	39	127	1997-98
20.	पंचायती राज	1	3	5	1983-84
21.	ऊर्जा	9	2459	9520	1982-83
	योग	**67**	**3495**	**13113**	

परिशिष्ट-34

विभागवार प्रस्तरों/समीक्षाओं, जिनके उत्तर प्रतीक्षित थे, को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 3.28 में सन्दर्भित)

क्र0सं0	विभाग का नाम	प्रस्तरों की संख्या	समीक्षाओं की संख्या	जारी अवधि
1.	ऊर्जा	12	2	जनवरी 2004 से जून 2004
2.	उद्योग तथा औद्योगिक विकास	4	--	अप्रैल 2004 से जून 2004
3.	लोक निर्माण	--	1	जून 2004
4.	चीनी एवं गन्ना विकास	--	1	जून 2004
5.	वन	1	--	जून 2004
6.	आवास	1	--	मार्च 2004
7.	सिंचाई	--	--	अप्रैल 2004 से जून 2004
8.	हरिजन एवं समाज कल्याण	4	--	अप्रैल 2004 से जून 2004
9.	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	2	--	जून 2004
	योग	**24**	**4**	

शुद्धि-पत्र

क्र.सं.	प्रतिवेदन का सन्दर्भ				
	शीर्षक	पृष्ठ संख्या	विवरण	के स्थान पर	पढ़ें
1	विहंगावलोकन	xv	अन्तिम सारांश के नीचे	*(प्रस्तर 2.23)*	*(प्रस्तर 3.23)*
2	अध्याय 2.4	87	***परामर्श सेवाओं के बिन्दुओं की प्राप्ति में विफलता*** **प्रस्तर 2.4.9** ऊपर से तीसरा बुलेट	समग्र आपूर्ति दर सूची के मापदण्ड; तथा	समग्र आपूर्ति दर सूची के मापदण्ड;